आय-कर विधान तथा लेखे

(INCOME-TAX LAW & ACCOUNTS)

लेखक

एच सी मेहरोत्रा, एम कॉम, पी-एच डी

एसोशिएट प्रोफेसर आफ कॉमर्स

बलवन्त राजपूत कॉलिज, आगरा

१९६५



साहित्य भवन, आगरा—३

साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा-३

[This book can also be had in English Version, priced at Rs 7 50]

चतुर्थ संस्करण १९६५

•

मूल्य सात रुपये पचास पैसे

दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

प्रस्तुत (चतुर्थ) सस्करण की भूमिका

इस पुस्तक के तृतीय सस्करण का विषय के अध्यापकों एव विद्यार्थियो ने अति उपयोगी पाया है। यह चतुर्थ सस्करण वित्त अधिनियम, १९६५ के आधार पर पूर्णतया सशोधित कर दिया गया है तथा वास्तव म यह सस्करण अधिकाशत पुन लिखा गया है। वार्षिकी जमा योजना (Annuity Deposit Scheme) से सम्बन्धित उदाहरण भी 'कर की गणना' के अध्याय मे दिये गये हैं। पुस्तक के अन्त मे दिये हुए हल सहित प्रश्नो का भिन्न भिन्न शीर्षकों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया है तथा कुछ नये प्रश्न भी जोडे गये है। विभिन्न विश्वविद्यालयो की १९६५ की बी० काम० तथा एम० काम० की परीक्षाओ मे पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्न भी दिये गये है।

मुझे पूर्ण आशा है कि विद्यार्थीगण इस चतुर्थ सस्करण को अधिक उपयोगी पायेंगे।

दुर्गा भवन, माईथान,
आगरा

—एच० सी० मेहरोत्रा

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ

१

विषय प्रवेश

[INTRODUCTION]

आय कर सरकार की आय का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान युग में सरकार द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने की नीति के कारण इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

भारत में आय-कर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में प्रथम बार यह कर सन् १८६० में सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विलसन (Sir James Wilson) द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात् सन् १८६३, १८६७, १८७१, १८७३ और १८७८ में इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। अन्त में, सन् १८८६ में एक नया बिल विधानसभा में पेश किया गया जिसके फलस्वरूप आय-कर भारतीय कर व्यवस्था का स्थायी रूप बन गया। यह अधिनियम सन् १९१७ तक लागू रहा परन्तु बीच-बीच में इसमें संशोधन भी होते रहे। सन् १९१८ में एक नया आय कर अधिनियम स्वीकृत हुआ, परन्तु सन १९१९ में Government of India Act, 1919 के अनुसार आय-कर केन्द्रीय आयों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। अतः सन १९२२ में एक नया आय कर अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सन् १९२४ में Central Board of Revenue की स्थापना हुई। यद्यपि यह अधिनियम १९६१ ६२ कर-निर्धारण वर्ष तक लागू रहा परन्तु इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। सन १९३९ में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये और संशोधित आय कर अधिनियम, १९३९ पास किया गया।

आय कर अधिनियम, १९२२ में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए तथा कर की चोरी को रोकने के लिए सन १९५६ में भारत सरकार ने आय कर अधिनियम को Law Commission के सुपुर्द किया। Law Commission ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९५८ में दी परन्तु इसी बीच में सरकार ने कर-दाताओं की कठिनाइयाँ एवं कर की चोरी को न्यूनतम करने के लिए Direct

Taxes Administration Enquiry Committee नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन १९५९ मे दी।

Law Commission और Direct Taxes Administration Enquiry Committee की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए Central Board of Revenue ने अपने उच्च अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त की, जिसने विधि मन्त्रालय से परामर्श करते हुए इन रिपोर्टों पर विचार किया और अन्त मे २४ अप्रैल, १९६१ को Income Tax Bill, 1961 लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया। १ मई, १९६१ का यह बिल Select Committee के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट लोकसभा मे १० अगस्त, १९६१ को रखी गयी और आय कर अधिनियम, १९६१, सितम्बर १९६१ मे स्वीकृत हो गया।

आय-कर अधिनियम, १९६१, १ अप्रैल, १९६२ से लागू किया गया है। यह सम्पूर्ण भारत (जम्मू व काश्मीर सहित) मे लागू होता है। तत्पश्चात आय कर अधिनियम मे वित्त अधिनियम १९६२, १९६३, १९६४ व १९६५ द्वारा महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये है। इसके अतिरिक्त The Taxation Laws (Amendment) Act, 1962, Income-Tax (Amendment) Act, 1963, Direct Taxes (Amendment) Act 1964 तथा Income Tax (Amendment) Act 1965 द्वारा भी आय-कर अधिनियम मे संशोधन किये गये है।

इस पुस्तक मे संशोधित आय कर अधिनियम १९६१ की धाराओं का उल्लेख है।

प्रमुख परिभाषाएँ (Important Definitions)

आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा २ व ३ मे प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ दी गयी है उनमे से कुछ निम्नलिखित है

१ कृषि-आय (Agricultural Income)

यह आय उस जमीन की आय होती है जो (अ) कृषि के कामों मे लायी जाती है, और (ब) जिस पर भारत मे लगान दिया जाता है या कोई स्थानीय कर लगता है जो सरकारी अफसरों द्वारा निर्धारित एवं वसूल किया जाता है। उस भूमि की आय जो इन दोनों शर्तों को पूरा नही करती कृषि आय नही कही जा सकती, अर्थात किसी आय को कृषि-आय बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करती हो।

(अ) कृषि के कामों मे प्रयोग करना—इसका आशय यह है कि भूमि को जोता गया हो, पानी दिया गया हो तथा बीज बोया गया हो, आदि। भूमि पर स्वतः जो पेड़ पौधे उग आते है उनसे होने वाली आय कृषि आय नही कही

जा सकती, क्योंकि उनके पैदा करने मे कृषि की कोई क्रिया नही की गयी है। उदाहरणार्थ, जगली घास या बास से, जो अपने आप उग आते हैं, प्राप्त होने वाली आय कृषि-आय नही कही जा सकती।

(ब) जिस पर भारत मे लगान अथवा कोई स्थानीय कर दिया जाता हो—इसका आशय यह है कि वह भूमि भारत मे स्थित हो और उस पर लगान दिया जाता हो। भारत के बाहर स्थित भूमि पर यदि किसी विदेशी सरकार को लगान अथवा भूमि कर दिया जाता है, तो उस भूमि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार स्थानीय कर से आशय उस कर से है जो सरकारी अफसरो द्वारा निर्धारित एव वसूल किया जाता है तथा स्थानीय सरकार के हित के लिए होता है।

जमीन के मालिक, किरायेदार अथवा भूमि बधक रखने वालो का ही भूमि मे हित होता है, अत उन्ही की जमीन पर कृषि करने से हुई आय को कृषि आय कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की खडी फसल को खरीदकर उसे काटकर बेच देता है तो इससे प्राप्त हुई आय कृषि आय नहीं मानी जाती।

कृषि-आय के प्रकार (Kinds of Agricultural Income)—कृषि आय पाच प्रकार की होती है—(क) जमीन से प्राप्त किराया अथवा लगान, (ख) जमीन पर खेती करने से प्राप्त हुई आय, (ग) ऐसी कृषि क्रिया करने से आय जो एक किसान अपनी पैदावार को बेचने योग्य बनाने के लिए साधारणतया करता हो, (घ) किसान द्वारा जमीन की उपज को बेचने से आय, और (ङ) कृषि के कार्य के सम्बन्ध मे प्रयोग आने वाली इमारत से आय।

(क) जमीन से प्राप्त किराया अथवा लगान—जब कोई जमीदार अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि-कार्य मे प्रयोग करने के लिए देता है तो उसके ऐसे प्रयोग के बदले मे जमीदार को जो किराया अथवा लगान प्राप्त होता है वह कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) जमीन पर खेती करने से प्राप्त हुई आय—जब किसी जमीन पर खेती की जाती है, अर्थात् खेत जोता, बीज बोया व पानी दिया जाता है और अन्य कृषि सम्बन्धी कार्य किये जाते है तो ऐसी जमीन की उपज से होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। निम्न प्रकार की आय यद्यपि जमीन से सम्बन्धित है तथापि यह जमीन के कृषि-कार्य में प्रयोग न होने के कारण कृषि आय नही कही जा सकती

(i) हाट बाजारो से होने वाली आय,
(ii) पत्थरों की खानों से प्राप्त होने वाली आय,
(iii) खानों की Royalty से आय,

(iv) कृषि उपज को संग्रहीत करने के लिए भण्डार के रूप में प्रयोग में लायी हुई भूमि से आय,

(v) सिंचाई के लिए पानी देने से आय,

(vi) उस Dairy की आय जहाँ जानवरों को चारा मोल खरीदकर दिया जाता है,

(vii) मछली क्षेत्रों से होने वाली आय,

(viii) उस भूमि की आय जो ईटें बनाने के लिए बेच दी गयी है,

(ix) कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला पारिश्रमिक, तथा

(x) लाख की खेती से होने वाली आय।

(ग) ऐसी कृषि क्रिया करने से आय जो एक किसान अपनी पैदावार को बेचने योग्य बनाने के लिए साधारणतया करता हो—यह आय कृषि आय होती है। उदाहरणार्थ, काफी, तम्बाकू रुई आदि बेचने योग्य बनाने की क्रिया।

(घ) किसान द्वारा जमीन की उपज को बेचने से आय—किसान ने जिस उपज को स्वयं पैदा किया हो उसे यदि वह नियमित रूप से दूकान लेकर भी बेचता है तो वह कृषि-आय कहलाती है।

(ङ) कृषि के कार्य के सम्बन्ध में प्रयोग में आने वाली इमारत से आय—यदि कोई मकान खेत से लगा हुआ है और किसान अपने खेत के कारण उसमें रहता है या उपज रखने के लिए प्रयोग करता है तो उस मकान की आय कृषि आय कहलाती है।

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income)—ऐसी आय की दशा में जो धारा २ (१) के अनुसार अंशतः कृषि आय है तथा अंशतः ऐसी आय है जो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर योग्य है, कर-योग्य आय के अंश की गणना करने के लिए कर दाता द्वारा की हुई ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य, जो उसके व्यापार में कच्चे माल के रूप में उपयोग हुई हो, घटा दिया जायगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाया जायगा।

उपयुक्त नियम के सम्बन्ध में 'बाजार मूल्य' से निम्न आशय है

(अ) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गत वर्ष में उसका औसत बाजार मूल्य, अथवा

(आ) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न का योग उसका बाजार मूल्य माना जायगा

(i) उपज करने के व्यय

(ii) जिस भूमि पर यह उपज की गयी है उसका लगान, तथा

(iii) उचित लाभ, जो आय कर अधिकारी की सम्मति में उचित हो।

उदाहरण—ऐसे चीनी के कारखानो की आय, जो अपने स्वय के खेता पर ईख पैदा करके चीनी बनात है, अशत कृषि आय मानी जाती है। ईख साधारणतया बाजार मे बिकती है। कृषि आय का अश कुल आय में स पृथक करने के लिए ईख का औसत बाजार मूल्य खर्चे के रूप मे घटा दिया जाता है और ईख पैदा करने के व्यया पर ध्यान नही दिया जाता। इस प्रकार प्राप्त की हुई आय कर योग्य हाती है।

चाय के उत्पादन से आय (Income from the manufacture of tea)—भारत मे विक्रेता द्वारा चाय पैदा करके बचने स होन वाली आय का ६०% कृषि आय माना जाता है और ४०% कर-योग्य माना जाता है।

ऐसी आय की गणना करने के लिए एस पौधे लगाने का व्यय घटा दिया जाता है जो मर हुए पौधा के स्थान में लगाये गय हो।

आय कर अधिनियम के अनुसार कृषि आय पर न आय कर लगता है और न ही यह आय कुल आय मे जोडी जाती है।

२ व्यक्ति (Person)

आय-कर अधिनियम की धारा २ (३१) के अनुसार 'व्यक्ति शब्द म

(i) एक व्यक्ति, (ii) हि दू अविभाजित परिवार, (iii) कम्पनी, (iv) फम, (v) व्यक्तियो का समुदाय, (vi) स्थानीय सरकार, तथा (vii) प्रत्यक कृत्रिम व्यक्ति जो उपयुक्त वर्गो मे नही आता, सम्मिलित है। स्थानीय सरकार म नगरपालिका, नगर महापालिका, जिला परिषद, आदि आते है।

३ कर-दाता (*Assessee*)

धारा २ (७) के अनुसार कर दाता उस व्यक्ति को कहत ह जा आय कर अधिनियम के अ तगत कोई कर अथवा अ य कोई धन राशि सरकार का देने का दायी होता है। यह आवश्यक नही है कि कर-दाता अपनी ही आय पर कर देता हो। कभी-कभी वह दूसरे व्यक्ति की आय पर भी कर देने का दायी होता है। उदाहरणाथ, (i) एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी उस आय क सम्बन्ध मे कर-दाता माना जाता है जिस पर वह मृत्यु से पहले कर न चुका पाया हा। (ii) इसी प्रकार यदि काई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धन राशि दन समय उसम से आय-कर काटने का उत्तरदायी है और वह यह कर नही काटता या काटकर सरकारी कोष मे जमा नही करता ता वह व्यक्ति इस कर के लिए कर दाता समझा जाता है। (iii) प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो किसी विदेशी, अवयस्क अथवा पागल की आय के सम्बध म कर-दाता माना जाता है।

४ आय (Income)

यह शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आय-कर आय पर ही लगता है। परन्तु आय कर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, केवल धारा २ (२४) में यह दिया गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित है।

धारा २ (२४) के अनुसार 'आय' में निम्न सम्मिलित है

(i) लाभ,

(ii) लाभांश,

(iii) अनुलाभ (Perquisites) या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ (Profits in lieu of salary) जो धारा १७ के अनुसार कर योग्य है,

(iv) किसी कम्पनी के संचालक द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जिसका उस कम्पनी में समुचित हित हो, अथवा संचालक या ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा कम्पनी से प्राप्त किये हुए लाभ या अनुलाभ,

(v) वह धन जो धारा २८ (ii) व (iii), धारा ४१ और ५९ के अन्तर्गत कर योग्य है,

(v a) धारा २८ (iv) के अन्तर्गत कर योग्य सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य

(vi) पूंजी लाभ जो धारा ४५ के अनुसार कर योग्य है,

(vii) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी (Mutual Insurance Co) या सहकारी समिति (Co operative Society) के बीमा व्यवसाय के लाभ जिनकी गणना धारा ४४ के अनुसार की गयी हो, तथा

(viii) धारा २८०D के अन्तर्गत प्राप्य वार्षिकी (annuity)।

आय की उपर्युक्त परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है। इसमें अन्य ऐसी प्राप्तियाँ भी सम्मिलित की जाती है जो साधारणतया आय मानी जाती है। वास्तव में 'आय' शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो कुछ नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, प्रतिभूतियों का ब्याज, मकान सम्पत्ति की आय, व्यापार या पेशे के लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय, है। यदि प्राप्ति का उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन नहीं है तो वह प्राप्ति इस अधिनियम के अनुसार कर योग्य आय नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ १,०००) का बटुआ मिल जाय तो यह उसकी आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी प्राप्ति का कोई निश्चित साधन नहीं है।

इसके अतिरिक्त आय से सम्बन्धित कुछ अन्य निम्न महत्त्वपूर्ण नियम हैं

(i) कोई आय चाहे कानूनी ढंग से कमायी गयी हो चाहे गैर-कानूनी ढंग

से, दोनों ही आय कर की दृष्टि से कर-योग्य आय होती है, बशर्ते कि वह अन्य प्रकार से कर योग्य आय हो।

(ii) यह आवश्यक नहीं है कि आय नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक त्रैमासिक ही प्राप्त हो। इकट्ठी मिली हुई रकम भी आय हो सकती है, बशर्ते कि वह अन्य सिद्धान्तों के अनुसार आय हो।

(iii) आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। किसी संस्था में अपने सदस्यों से चन्दे की आय उसके व्यय से अधिक हो तो वह आधिक्य कर योग्य आय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह चन्दा आपस में सदस्यों ने ही दिया था और उन्हीं के हित के लिए किये गये व्ययों का आधिक्य है, अतः यह आधिक्य कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) यह आवश्यक नहीं है कि आय द्रव्य के रूप में ही प्राप्त हो। द्रव्य तुल्य वस्तु के रूप में प्राप्ति भी आय हो सकती है।

(v) कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब यह सर्वप्रथम प्राप्त होती है। यदि कोई रकम प्राप्त करते समय आय नहीं है और बाद में परिस्थिति परिवर्तन से यदि वह आय बन जाती है तो भी आय-कर की दृष्टि से वह आय नहीं समझी जा सकती। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचने का सौदा पक्का करते समय कुछ धन अग्रिम रूप में प्राप्त करता है और बाद में क्रेता सौदा पूरा नहीं करना चाहता तो वह अग्रिम धन विक्रेता जब्त कर लेता है। यह जब्त किया हुआ धन वास्तव में विक्रेता की आय हो गयी परन्तु आय-कर की दृष्टि से चूँकि यह रकम प्राप्त होते समय आय नहीं थी अतः बाद में भी आय नहीं कही जा सकती।

(vi) एक कर दाता ने यदि कोई आय कमा ली है परन्तु वास्तव में प्राप्त नहीं की है तो चूँकि उसे उस आय को प्राप्त करने का अधिकार है, अतः बिना प्राप्त किय हुए भी उस धन को कर दाता की आय माना जा सकता है।

५ उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value)

पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उचित बाजार मूल्य से निम्न अभिप्राय है

(i) सम्बन्धित तिथि को पूँजी सम्पत्ति जिस मूल्य पर बाजार में बेची जा सकती है तथा

(ii) यदि उपर्युक्त मूल्य ज्ञात न हो सके तो वह मूल्य जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा निर्धारित हो सके।

६ उपार्जित आय (Earned Income)

वित्त अधिनियम, १९६५ की धारा २ (७) (ii) के अनुसार उपार्जित आय से आशय, एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य समुदाय (जो एक कम्पनी, स्थानीय सत्ता, रजिस्टर्ड

फर्म अथवा आय कर अधिनियम की धारा १८३ (ब) के अन्तर्गत कर लगी हुई फर्म न हो) की उस आय से है

(अ) जो 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य है, अथवा

(आ) जो 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक में कर योग्य है यदि वह व्यापार कर दाता द्वारा संचालित होता है अथवा फर्म की दशा में वह कर दाता फर्म का साझीदार है और फर्म के व्यापार अथवा पेशे के कार्यों में लगा रहता है, अथवा

(इ) जो 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में कर-योग्य है और यह कर दाता के व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त हुई है अथवा यह पेंशन सुपरएनुएशन या कोई अन्य भत्ता है जो कर-दाता को किसी मृतक व्यक्ति की सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, अथवा यह धारा २८० (डी) के अन्तर्गत प्राप्य वार्षिकी की रकम है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार उपार्जित आय वह होती है जो शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करने से प्राप्त हुई हो।

७ अनुपार्जित आय (Unearned Income)

वित्त अधिनियम, १९६५ की धारा २ (७) (iii) के अनुसार अनुपार्जित आय से आशय ऐसी आय से है जो उपार्जित आय न हो। निम्नलिखित आयें अनुपार्जित आयें हैं

(i) प्रतिभूतियों का ब्याज,

(ii) मकान सम्पत्ति से आय,

(iii) लाभांश,

(iv) पूंजी लाभ।

८ उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief)

यह छूट उपार्जित आय से सम्बन्धित है। यह छूट १९५६ ५७ कर निर्धारण वर्ष तक दी जाती थी। १९५७ ५८ कर निर्धारण वर्ष में यह छूट केवल वेतन पर दी गयी थी तत्पश्चात् १९५८-५९ कर निर्धारण वर्ष से उपार्जित आय की छूट देना बन्द कर दिया गया है। उपार्जित आय की छूट केवल आय कर से मिलती थी। उपार्जित आय का ⅕ अथवा ४,००० रुपये तक (जो दोनों में कम हो) कुल आय में से घटा दिया जाता था और शेष पर आय कर लगता था। अधि कर (Super tax) के लिए यह छूट नहीं थी।

१९५८ ५९ से १९६३ ६४ कर निर्धारण वर्ष तक यह छूट उपार्जित आय पर अनुपार्जित आय की अपेक्षा कम दर से सरचार्ज लगाने के रूप में दी जाती थी। उपार्जित आय के सम्बन्ध में यह रिआयत आय-कर तथा अधि कर दोनों पर ही मिलती थी। उपार्जित आय के सम्बन्ध में केवल ५ प्रतिशत साधारण

सरचाज लगता था परन्तु अनुपार्जित आय के सम्बन्ध म ५ प्रतिशत साधारण सरचाज के अतिरिक्त १५ प्रतिशत स्पेशल सरचाज भी लगता था। वित्त अधिनियम, १९६१ के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक की उपार्जित आय के कर पर ५ प्रतिशत के स्थान म १५ प्रतिशत सरचाज लगाया जाता था और एक लाख रुपय तक की उपार्जित आय के कर पर केवल ५ प्रतिशत सरचाज ही लगता था। १९६४-६५ कर निर्धारण वष म १,००,००० रु० तक की उपार्जित आय पर कोई सरचाज नही लगता था और इससे अधिक उपार्जित आय पर देय आय-कर तथा अधि कर पर १० प्रतिशत सरचाज लगता था, परन्तु अनुपार्जित आय की दशा मे केवल १०,००० रु० की अनुपार्जित आय तक सरचाज नही लगता था, परन्तु यदि यह आय १०,००० रु० से अधिक होती थी तो ऐसी सम्पूण आय पर देय आय कर तथा अधि-कर पर सरचाज लगता था।

वित्त अधिनियम, १९६५ द्वारा इस सम्ब ध म कुछ सशोधन किये गये है। उपार्जित आय की दशा मे १ लाख रुपय तक की आय पर कोई सरचाज नही लगता है लेकिन अगले १ लाख रुपय की आय पर दय आय कर का ५ प्रतिशत सरचाज लगता है। इससे अगले १ लाख रुपय की आय पर देय आय कर का १० प्रतिशत और शेष आय पर देय आय कर का १५ प्रतिशत सरचाज लगता है। अनुपार्जित आय की दशा मे १५,००० रु० तक की आय पर सरचाज नही लगता है। इसस अधिक अनुपार्जित आय होने की दशा म प्रथम १५,००० रु० पर दय आय कर पर कोई सरचाज नही लगता है। अगले ३५,००० रु० की आय पर देय आय कर का २० प्रतिशत और शेष ऐसी आय पर देय आय कर का २५ प्रतिशत सरचाज लगता है। व्यक्तियो तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा म सरचाज लगाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज उपार्जित आय माना जायगा और उस पर उपार्जित आय की तरह से ही सरचाज लगगा।

९ कर-निर्धारण वष (Assessment Year)

धारा २ (९) के अनुसार कर निर्धारण वष का आशय १२ महीने की उस अवधि से है जा प्रति वष १ अप्रैल का शुरू होती है। इसे वित्तीय वष (financial year) भी कहा जाता है।

१० गत वष (Previous Year)

आय कर अधिनियम की धारा ३ के अनुसार गत वष से आशय उस वित्तीय वष से है जो कर निर्धारण वष से ठीक पहले समाप्त हुआ हो। वित्तीय वष १ अप्रैल से ३१ माच तक होता है। अत गत वष से आशय उन १२ महीनो से है जो कर निर्धारण वष से ठीक पहले ३१ माच को समाप्त होते हैं। यदि किसी कर-दाता न अपना हिसाब किताब उस वित्तीय वष मे किसी अन्य

तिथि को बन्द किया है तो कर-दाता की इच्छानुसार उस तिथि को समाप्त होने वाले १२ महीने की अवधि को ही उसका गत वर्ष माना जायेगा, उदाहरणार्थ, दिवाली वर्ष, दशहरा वर्ष, सम्वत वर्ष, कलेण्डर वर्ष आदि। अतः ऐसे कर-दाताओं के लिए गत वर्ष से आशय १२ महीने की उस अवधि से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में किसी तिथि को समाप्त हुए हों। यदि कोई व्यक्ति उक्त दोनों में से कोई भी तरीका नहीं अपनाता तो सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी उसकी गत वर्ष की अवधि निश्चित कर सकता है।

कर निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित किये गये नये व्यापारों अथवा पेशों के लिए गत वर्ष उनके व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से शुरू होता है और

(i) उस वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त हुआ माना जाता है, अथवा

(ii) यदि कर दाता ने उस वित्तीय वर्ष में किसी अन्य तिथि को हिसाब बन्द कर दिया है तो उसकी इच्छानुसार उसी तिथि तक की अवधि को गत वर्ष माना जाता है, अथवा

(iii) Central Board of Direct Taxes या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को समाप्त होने वाली अवधि को गत वर्ष माना जाता है।

(iv) कर निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के ठीक पहले १२ महीनों में यदि कोई नया व्यापार या पेशा प्रारम्भ किया जाता है तो यदि कर-दाता अपना हिसाब किताब कर निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी तिथि को बन्द करता है और व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से उक्त तिथि तक की अवधि १२ महीने से अधिक नहीं होती है तो इस अवधि को, कर दाता की इच्छानुसार, गत वर्ष माना जा सकता है।

यदि कर दाता किसी फर्म में साझेदार है तो फर्म के लाभ हानि के उसके हिस्से के लिए उसका गत वर्ष वही माना जायेगा जो फर्म का गत वर्ष होगा।

आय के विभिन्न मदों के लिए एक कर दाता अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न गत वर्ष रख सकता है अथवा सब साधनों के लिए एक ही गत वर्ष भी रख सकता है।

किसी भी आय विशेष के लिए एक बार गत वर्ष निश्चित करने के बाद उसे बिना आय-कर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बदला नहीं जा सकता।

यदि किसी कर दाता ने किसी कर निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में नया व्यापार या पेशा स्थापित किया है और उसने अपना हिसाब (जो १२

महीने की अवधि से अधिक का नही है) कर निर्धारण वर्ष मे किसी तिथि को बन्द किया है तो कर-दाता की इच्छानुसार उस कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नही होगा।

उपर्युक्त समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष से पूर्व ३१ मार्च तक अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए परन्तु यदि किसी कर-दाता का हिसाबी वर्ष कर निर्धारण वर्ष मे ३० अप्रैल तक समाप्त होता है तो Central Board of Direct Taxes ने इनकम टैक्स कमिश्नर को अधिकार दे दिया है कि वह कर निर्धारण वर्ष की ३० अप्रैल तक समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष को इसी कर निर्धारण वर्ष का गत वर्ष मान सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कर-दाता का वर्ष १० अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ होता है और ९ अप्रैल, १९६५ को समाप्त होता है तो कमिश्नर को अधिकार है कि अगर वह चाहे तो १९६५-६६ कर-निर्धारण वर्ष के लिए १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल १९६५ तक की अवधि को गत वर्ष मान सकता है, यद्यपि साधारण नियमो के अनुसार १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक की अवधि १९६६-६७ कर निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष होती, क्योंकि कर दाता का हिसाबी वर्ष १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष से पूर्व की ३१ मार्च तक समाप्त नही हो रहा है।

इसके अतिरिक्त Central Board of Direct Taxes ने इनकम टैक्स कमिश्नर को यह भी अधिकार दिया है कि वह १२ महीने से कम या अधिक अवधि के हिसाबी वर्ष को भी गत वर्ष मान सकता है बशर्ते कि वह ११ महीने से कम व १३ महीने से अधिक न हो।

गत वर्ष की परिभाषा निम्न उदाहरणो से अति सरलतापूर्वक समझी जा सकती है

(१) पुराने व्यापार की दशा मे

हिसाबी वर्ष या गत वर्ष (*Accounting year or Previous year*)	कर निर्धारण वर्ष (*Assessment year*)
१ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक	१९६५-६६
१ अप्रैल, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक	१९६५-६६
दीपावली १९६३ से दीपावली १९६४ तक	१९६५-६६
दशहरा १९६३ से दशहरा १९६४ तक	१९६५-६६
१ जुलाई, १९६३ से ३० जून, १९६४ तक	१९६५-६६
१० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक	[illegible] धारा [illegible] १९६५-६६ [illegible] माना जा सकता है

(२) नये व्यापार की दशा में पहले वर्ष कर दाता अपनी इच्छानुसार हिसाब बन्द कर सकता है जिसके कुछ निम्न उदाहरण हैं

हिसाबी वर्ष या गत वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टिप्पणी
(i) १ अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च १९६५ को बन्द	१९६५-६६	यह पूरे १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी वर्ष भविष्य में रहेगा।
(ii) १ अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को बन्द	१९६५-६६	भविष्य में इसका हिसाबी वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहेगा।
(iii) १ जनवरी, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को बन्द	१९६५-६६	यह पूरे १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी वर्ष भविष्य में रहेगा।
(iv) १ जनवरी १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च, १९६४ को बन्द	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।
(v) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३० जून १९६४ को बन्द	१९६५-६६	यह पूरे १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी वर्ष भविष्य में रहेगा।
(vi) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च १९६४ को बन्द	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।
(vii) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर १९६३ को बन्द	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहेगा।

उपर्युक्त उदाहरण में संख्या (ii) (v) में १९६४-६५ कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और सर्वप्रथम १९६५-६६ में कर लगेगा।

आय कर गत वर्ष की आय पर लगता है, अत इसकी परिभाषा ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। इस नियम के कुछ अपवाद भी है। निम्न लिखित दशाओ में कर दाता पर आय कमाने वाले वर्ष में ही कर लग जाता है

(i) विदेशियो की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। [धारा १७२]
(ii) भारत को छोडकर जाने वाले व्यक्तियो की आय। [धारा १७४]
(iii) यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में कोई कर दाता अपनी सम्पत्ति को टैक्स बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तर करने वाला है। [धारा १७५]
(iv) किसी व्यापार या पेशे के बन्द होने पर उस वर्ष की आय। [धारा १७६]

QUESTIONS

1 Discuss the evolution of Income-Tax Law in India
भारत मे आय कर विधान के विकास का वर्णन कीजिए।

2 Explain the following terms
(i) Agricultural Income, (ii) Previous year, (iii) Assessee (iv) Income, (v) Earned Income
निम्नलिखित को समझाकर लिखिए
(i) कृषि आय, (ii) गत वर्ष, (iii) कर दाता (iv) आय, (v) उपार्जित आय।

3 What will be the Assessment Year for the following Accounting years
(i) 1st April, 1964 to 31st March, 1965
(ii) 1st January 1964 to 31st December, 1964
(iii) 1st July, 1964 to 30th June, 1965 ,
(iv) Dewali 1963 to Dewali 1964 ,
(v) Dusehra 1963 to Dusehra 1964 and
(vi) 10th April, 1964 to 9th April 1965
निम्नलिखित हिसाबी वर्षो के लिए कर-निर्धारण वर्ष कौन सा होगा ?
(i) १ अप्रैल, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक,
(ii) १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर १९६४ तक,
(iii) १ जुलाई, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक,
(iv) दिवाली १९६३ से दिवाली १९६४ तक,
(v) दशहरा १९६३ से दशहरा १९६४ तक, तथा
(vi) १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक।

4 In the case of a newly established business what will be the Assessment Year if the assessee

(i) Commences his business on 1st April, 1964 and closes his accounts on 31st March, 1965

(ii) Commences his business on 1st July, 1963 and closes his accounts on 31st March 1964

(iii) Commences his business on 1st July 1963 and closes his accounts on 30th June, 1964

एक नवीन स्थापित व्यापार की दशा मे कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा यदि कर दाता

(i) अपना व्यापार १ अप्रैल, १९६४ को प्रारम्भ करता है और ३१ मार्च, १९६५ को अपना हिसाब बन्द करता है,

(ii) अपना व्यापार १ जुलाई, १९६३ को प्रारम्भ करता है और ३१ मार्च, १९६४ को अपना हिसाब बन्द करता है, तथा

(iii) अपना व्यापार १ जुलाई, १९६३ को प्रारम्भ करता है और ३० जून, १९६४ का अपना हिसाब बन्द करता है।

२

कर-दायित्व

[TAX LIABILITY]

आय कर अधिनियम की धारा ४ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर किसी कर निर्धारण वर्ष में आय कर उस वर्ष के वित्त अधिनियम (Finance Act) में दी हुई दरों के अनुसार उसकी गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय आय कर अधिनियम की धाराओं के अनुसार निश्चित की जाती है किन्तु कर वित्त अधिनियम (Finance Act) के अनुसार लगाया जाता है जो प्रति वर्ष मार्च में लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह अधिनियम किसी वर्ष यदि १ अप्रैल तक पारित न हो पाये तो आय कर अधिनियम की धारा २९४ के अनुसार जब तक नया वित्त अधिनियम पारित न हो, तो कर निर्धारण या तो गत वर्ष के वित्त अधिनियम के आधार पर या प्रस्तावित वित्त बिल के आधार पर (इनमें से जो भी कर दाता के हितार्थ हो) किया जायगा।

कर-दाताओं का निवास स्थान (Residence of Assessees)

आय कर अधिनियम की धारा ५ में कुल आय के क्षेत्र का वर्णन किया गया है जो गत वर्ष में कर दाता के निवास स्थान पर निर्भर होता है।

निवास-स्थान के आधार पर कर-दाता निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं

(१) वे व्यक्ति जो भारत में निवासी हैं (Persons who are resident in India)।

(२) वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं (Persons who are not ordinarily resident in India)।

(३) वे व्यक्ति जो विदेशी हैं (Persons who are non resident)।

भिन्न भिन्न प्रकार के कर-दाताओं का निवास स्थान निर्णय करने के लिए भिन्न भिन्न नियम हैं। ये कर-दाता व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य समुदाय तथा कम्पनी है।

व्यक्ति (Individuals)

एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमो के आधार पर होता है

निवासी (Resident)—धारा ६ (१) के अनुसार एक व्यक्ति गत वर्ष मे निवासी होता है यदि

(अ) वह गत वर्ष मे कुल मिलाकर १८२ दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत मे रहा हो, या

(ब) गत वर्ष मे उसने अपने रहने के लिए कोई स्थान भारत मे कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक अवधि के लिए रखा हो और वह उस वर्ष मे ३० दिन या इससे अधिक भारत मे रहा हो, या

(स) गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों मे वह कुल मिलाकर ३६५ दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत मे रहा हो और गत वर्ष मे वह ६० दिन या इससे अधिक भारत मे रहा हो।

वास्तव मे एक व्यक्ति को निवासी बनने के लिए उपर्युक्त 'अ', 'ब' और 'स' मे से कम से कम कोई एक शर्त पूरी करने के साथ साथ निम्न दोनो शर्तें भी पूरी करनी होती है

(i) वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों मे कम से कम ६ वर्ष भारत मे निवासी के रूप मे रहा हो तथा

(ii) वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षो मे कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत मे रहा हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—यदि कोई व्यक्ति 'निवासी' की 'अ' 'ब' और 'स' मे से कम से कम कोइ एक शर्त पूरी कर देता है परन्तु निम्न दोनो शर्तें पूरी नही करता तो वह असाधारण निवासी (not ordinarily resident) कहलायेगा—

(i) वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों मे कम से कम ६ वर्ष भारत मे निवासी के रूप मे रहा हो, तथा

(ii) वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों मे कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत मे रहा हो।

विदेशी (Non Resident)—यदि कोई व्यक्ति 'निवासी (resident) के शीर्षक मे दी हुई शर्तें 'अ' 'ब' तथा 'स' मे से कम से कम कोई एक शर्त पूरी नहीं करता है तो वह 'विदेशी' (non resident) कहलायेगा।

उदाहरण—(१) एक व्यक्ति भारत मे १८ वर्ष तक रहने के बाद मई १९६३ मे जर्मनी चला गया और फिर मार्च, १९६८ मे भारत वापस आ गया तो १९६४ ६५ गत वर्ष मे वह न तो भारत मे १८२ दिन रहा, न ही

उसने १८२ दिन अपने रहने के लिए कोई मकान भारत मे रखा और गत वर्ष के पूर्व चार वर्षों मे वह कुल मिलाकर ३६५ दिन भारत मे रहा था लेकिन गत वर्ष म वह ६० दिन भारत मे नही रहा, अत वह १९६४ ६५ गत वर्ष के लिए 'विदेशी' कहलायेगा।

(२) एक व्यक्ति भारत मे १५ वर्ष तक रहने के बाद मार्च १९६२ मे जर्मनी चला गया और ३० सितम्बर, १९६४ को भारत वापस आ गया तो १९६४ ६५ गत वर्ष मे वह १८२ दिन से अधिक भारत मे रहा लेकिन वह गत वर्ष १९६४ ६५ से पूर्व के दस गत वर्षों (१९५४ ५५ से १९६३ ६४ तक) मे ९ वर्ष भारत मे 'निवासी' नही रहा था, अत वह गत वर्ष १९६४ ६५ के लिए असाधारण निवासी (not-ordinarily resident) कहलायेगा, यद्यपि वह गत वर्ष से पूर्व के ७ वर्षों म कुल मिलाकर ७३० दिन से अधिक भारत मे रहा था। निवासी होने की पहली शर्त उसने सन्तुष्ट नही की, अत यह 'असाधारण निवासी' हुआ।

(३) एक बगाली व्यक्ति जो कलकत्ते का रहने वाला है १५ वर्ष से ढाका (पाकिस्तान) म व्यापार करता है उसका अपना रहने का एक पैतृक मकान कलकत्ते म है और वह भारत म प्रति वर्ष तीन माह के लिए आता है। इस व्यक्ति के पास गत वर्ष म भारत म रहने का मकान १८२ दिन से अधिक रहा है तथा वह उस वर्ष मे ३० दिन से अधिक भारत म रहा है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति अन्य दोनो शर्तें पूरी नही करता अर्थात वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों मे ९ वर्ष भारत मे निवासी' रहा है परन्तु वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों मे कुल मिलाकर ७३० दिन भारत म नही रहा। अत यह व्यक्ति 'असाधारण निवासी' हुआ।

(४) उपर्युक्त उदाहरण म यदि यह बगाली व्यक्ति प्रति वर्ष भारत म चार माह के लिए आता होता तो वह गत वर्ष के लिए 'निवासी' कहलाता, क्योंकि फिर वह अन्य दोनो शर्तें भी पूरी कर देता अर्थात् वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों मे कुल मिलाकर ७३० दिन से अधिक भारत मे रहा होता।

(५) एक व्यक्ति भारत मे सर्वप्रथम जून, १९६० म आया और १ जुलाई १९६३ को भारत से बाहर चला गया। वह पुन जनवरी, १९६५ मे भारत वापस आ गया। वह गत वर्ष १९६४ ६५ मे पूर्व के चार वर्षों म (१९६० ६१ से १९६३ ६४ तक) कुल मिलाकर ३६५ दिन से अधिक भारत म रहा था और गत वर्ष मे ६० दिन से अधिक भारत मे रहा है परन्तु चूंकि वह गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों म ९ वर्ष भारत का निवासी नही रहा है, अत वह १९६४ ६५ गत वर्ष के लिए 'असाधारण निवासी' हुआ।

(६) एक व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला है। उसने भारत मे एक

मकान किराये पर लिया हुआ है जिसमे उसके पिता व पुत्र रहते है। यह व्यक्ति सर्वप्रथम गत वर्ष १९६४ ६५ मे अपने पिता व पुत्र से मिलने के लिए भारत आया और ३ माह रहा। १९६४ ६५ गत वर्ष के लिए यह व्यक्ति विदेशी कहलायेगा, क्योंकि यह मकान उसने अपने लिए ही नही रखा है बल्कि अपने पिता व पुत्र के लिए रखा है। अत यह व्यक्ति गत वर्ष मे न १८२ दिन भारत मे रहा, न उसने कोई मकान अपने रहने के लिए भारत म रखा, न वह गत वर्ष मे पूर्व ४ वर्षों मे कुल मिलाकर ३६५ दिन भारत मे रहा है। अत यह निवासी की एक भी शर्त पूरी नही करता।

संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Hindu Undivided Family, Firm of Other Association of Persons)

निवासी (Resident)—ये किसी भी गत वर्ष मे हमेशा निवासी माने जाते हैं जब तक कि उस वर्ष म इनका नियन्त्रण एव प्रबन्ध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित न हो, अर्थात् यदि किसी गत वर्ष में इनका नियन्त्रण एव प्रबन्ध कुछ अश मे भी भारत मे स्थित है तो ये निवासी कहे जायेंगे।

इस सम्बन्ध मे वाक्याश 'नियन्त्रण एव प्रबन्ध' का स्पष्टीकरण आवश्यक है। जिस स्थान पर किसी व्यापार को चलाने की नीति बनायी जाती है तथा जहा से इस सम्बन्ध मे निर्देश दिये जाते हैं उस स्थान से उस व्यापार का नियन्त्रण एव प्रबन्ध होना माना जाता है। अत यह आवश्यक नही है कि जहाँ व्यापार चलता हो वही से उसका नियन्त्रण एव प्रबन्ध होवे। व्यापार का स्थान नियन्त्रण के स्थान से भिन्न हो सकता है।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—फर्म तथा व्यक्तियो का अन्य समुदाय असाधारण निवासी नही हो सकते।

एक सयुक्त हिन्दू परिवार गत वर्ष मे भारत म असाधारण निवासी (not ordinarily resident) होता है यदि

(i) उसका कर्त्ता (manager) गत वर्ष से पूर्व १० गत वर्षों में ९ वर्ष भारत मे निवासी न रहा हो, या

(ii) उसका कर्त्ता गत वर्ष से पूर्व ७ गत वर्षों म कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत म न रहा हो।

इस सम्बन्ध मे कर्त्ता (manager) के भारत में रहने की अवधि पर ध्यान देना है न कि भारत से बाहर रहने की अवधि पर।

विदेशी (Non Resident)—ये विदेशी उस दशा मे होंगे जब उनका सम्पूर्ण नियन्त्रण एव प्रबन्ध भारत के बाहर से होता है।

कम्पनियाँ (Companies)—

निवासी (Resident)—एक कम्पनी किसी गत वर्ष में भारत में निवासी कही जाती है यदि

(i) वह भारतीय कम्पनी हो, या

(ii) उस वर्ष उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया भारत में स्थित हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती है।

विदेशी (Non Resident)—यदि कोई कम्पनी निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करती है तो वह विदेशी (non resident) कहलाती है।

धारा ६ (५) के अन्तर्गत आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वाला कर दाता अन्य सभी साधनों के लिए भी निवासी माना जायगा।

Illustration 1

State what will be the residential status under the Indian Income-Tax Act of the following persons for the assessment year 1965 66 giving reasons for your answer

(a) Ramchandra came to India for the first time from the U S A on 30th June, 1958 He stayed here at a stretch for 3 years and left for Japan on 1st July, 1961 He returned to India on 1st April, 1962 and remained in India till 31st July, 1963 when he went back to the U S A He again came to India taking an employment with an American concern on 30th January, 1965

(b) Seeta Ram individual, a resident of Amritsar, left India for England for higher studies on 1st August, 1961 He, however, maintained a dwelling place for him at Amritsar throughout the period when he was abroad During the winter vacation he came to India twice, once on 20th December, 1962, and again on 20th December, 1963, and stayed at the dwelling place maintained at Amritsar During the year ended 31st March 1965 he did not come to India at all

(c) X & Co is an Indian company carrying on business in India as well as in British East Africa The control and management of its affairs was wholly situated in India during the year ended 31st March, 1965 Its income accruing or arising in British East Africa in that year far exceeded its income accruing or arising in India

(d) Regarding (b) above what difference would it make if Sri Seeta Ram had been in India during the year ended 31st March 1965 on a visit say, for 30 days

Solution

(a) Ramchandra was in India for more than 365 days during the four years preceding the previous year 1964 65 and was in India for 60 days during the previous year 1964 65 Hence he will be a resident for the assessment year 1965 66 But, since he was not resident in India for 9 out of 10 preceding years he will be a 'not ordinarily resident' for the assessment year 1965 66

(b) Seeta Ram did not come to India at all during the previous year ended 31st March, 1965 Hence he will be a non resident for the assessment year 1965 66

(c) Since X & Co is an Indian company it is a sufficient ground to make it a resident company It is immaterial whether its foreign income exceeded the Indian income or vice versa

(d) Seeta Ram maintained a dwelling house in India for more than 182 days during the previous year 1964 65 and came to India for 30 days during the said previous year Further, assuming the winter vacations to be of at least 30 days each year, Seeta Ram was resident in India for at least 9 out of 10 years preceding the previous year and he remained in India for a period amounting in all to more than 730 days during the 7 years preceding the previous year Hence he will be resident for the assessment year 1965 66

निवास-स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र या कर-भार (Scope of Total Income on the Basis of Residence or Incidence of Tax)

निवासी (Resident)—आय कर अधिनियम की धारा ५ (१) के अनुसार एक निवासी की किसी गत वर्ष की सब साधनों से आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है जो

(अ) उस वर्ष में उसे भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त की हुई समझी जावे,

(ब) उस वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जावे तथा

(स) उस वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक असाधारण निवासी की कुल आय में निम्न प्रकार की वह सब आय सम्मिलित की जाती है जो गत वर्ष में

(अ) उसे भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त की हुई समझी जावे

(ब) भारत म उपार्जित अथवा उदय हुई हा अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाव, तथा

(स) भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हा यदि वह भारत मे नियंत्रित किसी व्यापार स अथवा भारत म स्थापित किसी पशे से पैदा हुइ हो।

विदेशी (Non Resident)—एक विदेशी व्यक्ति की किसी गत वष की कुल आय म किसी भी साधन से प्राप्त निम्न प्रकार की आय सम्मिलित की जाती है

(अ) जो आय उस वष म उसने भारत म प्राप्त की हा या जा उसे प्राप्त हुई समझी जावे

(ब) उसकी जो आय उस वष भारत म उपार्जित हुइ हा या उदय हुई हा अथवा उपार्जित हुई या उदय हुइ समझी जाव।

उपयुक्त नियमा म "प्राप्त हुई हो" शब्दा का आशय प्रथम बार प्राप्ति से है। किसी आय के प्राप्त करन का स्थान वह होता है जहां वह आय सवप्रथम प्राप्त की गयी हा न कि जहा यह बाद म भेजने पर प्राप्त की गयी हा। इस प्रकार एक विदेशी की विदेशी आय कर योग्य नही हागी चाह भले ही वह भारत म भेज दी गयी हा जब तक कि वह सवप्रथम भारत म ही प्राप्त न हुई हा।

उपयुक्त नियमा मे "प्राप्त की हुई समझी जावे" शब्दा का प्रयोग हुआ है। इनका अथ यह ह कि वह आय वास्तव मे प्राप्त नही हुई हो लेकिन आय कर अधिनियम के अनुसार प्राप्त की हुई मान ली जाव। उदाहरणाथ एक कमचारी जो Recognised Provident Fund का सदस्य ह उसके Provident Fund म वार्षिक वद्धि (Annual Accretion) यद्यपि कमचारी को वास्तव मे प्राप्त नही होती है पर तु वह उसको "प्राप्त हुई मानी जाती है।"

इसी प्रकार "उपार्जित या उदय हुई मानी जावे' शब्दा का प्रयोग भी हुआ है जिनका अथ है कि वह आय वास्तव मे उपार्जित नही हुई है किन्तु अधिनियम के अनुसार उस उपार्जित हुआ माना जाता है। उदाहरणाथ, (i) वह वेतन जो भारत म कमाया गया हो चाहे प्राप्त कही भी हा, (ii) एक सरकारी कमचारी को जो भारत का नागरिक है विदश म सेवा करत समय जा धन "वतन" शीषक के अ तगत दिया जाता है। ये आयें सन्नियम द्वारा भारत मे उपार्जित मानी गयी है।

Illustration 2

The following are the incomes of Sri Ram Prasad for the previous year 1964 65

(a) Profit from business in Iran received in India Rs 5,000,

(b) Income from house property in Iran received in India Rs 500

(c) Income from house property in Pakistan deposited in a bank there Rs 1,000,

(d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there Rs 1,000—this business is controlled in India

(e) Accrued in India but received in England Rs 2,000, and

(f) Profit earned form business in Kanpur Rs 6 000

From the above particulars ascertain the taxable income of Sri Ram Prasad for the previous year 1964 65 if Sri Ram Prasad is (i) a resident, (ii) a not ordinarily resident and (iii) a non resident

Solution

Taxable Income of Sri Ram Prasad for the Previous Year 1961 65

	(i) *Resident* Rs	(ii) *Not ordinarily resident* Rs	(iii) *Non resident* Rs
Income accrued and received in India			
(f) Profit earned from business in Kanpur	6 000	6 000	6,000
Income accrued in India but received outside India			
(e) Accrued in India but received in England	2 000	2 000	2,000
Income accrued outside India but received in India			
(a) Profit from business in Iran received in India	5 000	5 000	5,000
(b) Income from house property in Iran received in India	500	500	500
Income accrued outside India and not received in India			
(c) Income from house property in Pakistan deposited in a bank there	1 000	—	—
(d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there the business being controlled in India	1 000	1 000	—
Total Taxable Income Rs	15 500	14 500	13 500

Illustration 3

During the financial year 1964 65 income earned by Mr A is as under

		Rs
(a)	Salary earned and payable at Kanpur	12,000
(b)	Profits from a business carried on at Bangkok but controlled from India (out of Rs 20,000 a sum of Rs 12,000 is brought into account)	20 000
(c)	Income from agriculture in the United Kingdom—it is all spent on the education of children in London	4 000
(d)	Profit of a business at New York but not controlled in India (out of this amount, Rs 11 000 are remitted to India)	15 000

Compute the income of Mr A for the assessment year 1965 66, if he is—

(i) resident,
(ii) not ordinarily resident,
(iii) non resident

Solution

Computation of Income of Mr A for the Assessment Year 1965 66

	(i) *Resident* Rs	(ii) *Not ordinarily resident* Rs	(iii) *Non resident* Rs
Income accrued and received in India			
(a) Salary earned and payable at Kanpur	12,000	12 000	12 000
Income accrued outside India but not received in India			
(b) Profits from a business carried on at Bangkok but controlled from India	20,000	20,000	—
(c) Income from agriculture in the United Kingdom	4,000	—	—
(d) Profit of a business at New York but not controlled in India	15 000	—	—
Total income Rs	51 000	32 000	12 000

QUESTIONS

1 What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence? Give a brief account of each of them

निवास स्थान के आधार पर कर दाताओं को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

2 How is residence of assessees determined for income tax purposes? Explain the incidence of residence on tax liability

आय कर के लिए कर दाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए।

3 Explain how you would decide the question of residence of an assessee for income tax purposes? Give illustrations

आय कर के लिए एक कर दाता का निवास स्थान आप किस प्रकार निश्चित करेंगे, समझाकर लिखिए? उदाहरण दीजिए।

4 The residence of an assessee is determined according to the provisions of Section 6 of the Income Tax Act Discuss these provisions as briefly and clearly as possible

एक कर दाता का निवास स्थान आय कर अधिनियम की धारा ६ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस धारा का यथाशक्ति स्पष्टतया तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए।

5 State clearly the difference between the assessment of
(i) a resident
(ii) a not ordinarily resident
(iii) a non resident

निम्न के कर निर्धारण के सम्बन्ध में अन्तर बताइए
(i) निवासी,
(ii) असाधारण निवासी
(iii) विदेशी।

6 Explain how the tax liability of an assessee is determined with reference to his residence?

समझाकर लिखिए कि एक कर-दाता का कर दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है?

7 Following are the incomes of Mohan
(a) Received Rs 1 000 in India, which accrued in England
(b) Rs 2 000 earned in India but received in England
(c) Rs 10 000 earned in Africa, received in Africa but brought to India

(d) Rs 8,000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan, and this amount was not brought to India,

(e) Rs 6,000 was untaxed foreign income of 1936, which was brought to India in previous year

Which of the above incomes are taxable when Mohan is (a) resident (b) not ordinarily resident (c) non resident

मोहन की आय निम्नलिखित है

(क) १,००० रु० भारत मे प्राप्त हुआ जो इगलैण्ड मे उपार्जित था, (ख) २,००० रु० भारत म उपार्जित किया गया पर इगलण्ड म प्राप्त हुआ, (ग) १०,००० रु० अफ्रीका मे उपार्जित एव प्राप्त किया गया पर भारत मे लाया गया, (घ) ८,००० रु० जापान म एक ऐस व्यापार से उपार्जित एव प्राप्त किया गया जो जापान म ही नियन्त्रित, व्यवस्थित एव सचालित था तथा यह राशि भारत म नही लायी गयी, (ङ) ६,००० रु० सन् १९३६ की विदेशी आय थी, जिस पर कर नही लगा था और जो पूर्व वर्ष म भारत मे लायी गयी थी।

उपर्युक्त आयो मे से कौन सी आय कर योग्य है, यदि मोहन (अ) निवासी (ब) असाधारण निवासी, (स) विदेशी है ?

8 Section 6 of the Indian Income Tax Act, 1961 deals with the 'residence' of the assessees Explain in detail the provisions in the Act in this connection

आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ मे कर-दाताओ के निवास स्थान का वर्णन है। इस सम्बन्ध मे अधिनियम के आयोजनो का विस्तार से समझाइए।

३
पूँजी और आय
[CAPITAL AND REVENUE]

आय-कर अधिनियम मे पूजी और आय के भेदो के सम्बन्ध मे कोई विशेष धाराएँ नही दी गयी हैं परन्तु आय-कर के विषय का ठीक प्रकार से समझने के लिए पूजी तथा आय का भेद जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि आय-कर आय पर लगता है न कि पूँजी पर, और जो पूजीगत लाभो पर कर लगता भी है तो उसकी पद्धति साधारण आय पर कर लगाने की पद्धति से बिलकुल भिन्न है।

कई दशाओ मे पूजी और आय का भेद करना कठिन होता है। इसके नियमो की सीमा की कोई स्थायी तथा स्पष्ट रेखाएँ नही हैं। एक ही प्रकार की प्राप्ति कभी पूजीगत होती है तो कभी आयगत हो जाती है। इस सम्बन्ध मे बहीखाते के जो नियम है वह पूजी और आय का भेद करने मे केवल सहायक है, यद्यपि उनमे अन्तिम निर्णय नही हो पाता। भिन्न भिन्न न्यायालयो के निर्णयो के आधार पर भी इनका भेद किया जाता है।

सुविधा के लिए इस विषय के अध्ययन का निम्न तीन भागो मे बाटा गया है

(१) प्राप्तिया (Receipts),

(२) व्यय (Expenditures), और

(३) हानिया (Losses)।

(I) प्राप्तियाँ (Receipts)

प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती है, पूजीगत तथा आयगत। इनका भेद करना सरल कार्य नही है परन्तु कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित है जिनके आधार पर इनका भेद किया जा सकता है

पूजीगत प्राप्तियां	आयगत प्राप्तियां
(१) स्थायी पूजी (Fixed Capital) अथवा स्थायी सम्पत्ति (Fixed Assets) के सम्बन्ध मे जो राशि प्राप्त होती है वह पूजीगत प्राप्ति कहलाती है, जैसे (i) एक कम्पनी अपने अश निगमित करके जो राशि प्राप्त करती है वह पूजीगत प्राप्ति है, (ii) एक कपडे का व्यापारी अपनी मोटर बेचकर जो राशि प्राप्त करता है वह पूजीगत प्राप्ति है।	(१) चालू पूजी (Circulating Capital) अथवा चल सम्पत्ति (Floating Assets) के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह आयगत प्राप्ति कहलाती है, जैसे एक मोटर का व्यापारी मोटर बेचकर जो राशि प्राप्त करता है, वह आयगत प्राप्ति है।
(२) आय के साधन के बन्द हो जाने के सम्बन्ध मे क्षति पूर्ति के लिए जो राशि प्राप्त होती है, पूजीगत प्राप्ति कहलाती है। उदाहरणार्थ, एक कर्मचारी को अपने मालिक से सेवाएँ समाप्त कर देने के कारण मिली हुई राशि पूजीगत प्राप्ति होती है, क्योंकि यह आय का साधन बन्द हो जाने के सम्बन्ध मे क्षति-पूर्ति की रकम है, परन्तु यह कर-योग्य है।	(२) केवल आय की प्रतिस्थापना (substitution) में प्राप्त की हुई राशि आयगत प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ, एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक से प्राप्त इनाम (reward) जो उसे अपनी पूर्व सेवाओं के प्रतिफल मे मिलता है आयगत प्राप्ति होती है।
(३) यदि एक व्यक्ति को किसी प्रसविदे के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को त्यागने के सम्बन्ध में कोई रकम मिलती है तो वह पूजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि अधिकार 'एक पूजी सम्पत्ति' होती है, जिसे त्यागने के कारण यह राशि मिली है। उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी और उसके सचालक के बीच हुए प्रसविदे के अनुसार, वह सचालक कम्पनी से अपनी सेवाएँ समाप्त हो जाने के बाद, कम्पनी द्वारा होने वाले व्यापार की तरह का व्यापार करने के अपने अधिकार को त्याग	(३) यदि किसी प्रसविदे के अन्तर्गत एक व्यक्ति को भावी लाभों की हानि की क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में कोई राशि प्राप्त हो तो यह आयगत प्राप्ति होगी। उदाहरणार्थ, एक कोयले की खान के मालिक ने कोयले के एक व्यापारी से ५ वर्ष तक एक निश्चित मात्रा मे कोयला खरीदने का प्रसविदा किया, परन्तु कुछ समय बाद उस व्यापारी ने यह प्रसविदा तोड दिया और इस प्रसविदे के अनुसार खान के मालिक ने इसके बदले मे कुछ रकम ले ली तो इस प्रकार प्राप्त की गयी रकम

देता है तो इस अधिकार को त्यागने के प्रतिफल में उस कम्पनी से जो रकम मिलेगी, वह पूंजीगत प्राप्ति होगी।

आयगत प्राप्ति होगी क्योंकि यह भावी लाभों की हानि की क्षति पूर्ति के रूप में है।

(४) कोई प्राप्ति पूंजीगत है अथवा आयगत यह मामला प्राप्तकर्ता के हाथ में प्राप्ति की प्रकृति पर निर्भर है (रकम देने वाले से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है)। यदि किसी व्यक्ति को कोई रकम पूंजी के रूप में मिलती है तो वह पूंजीगत प्राप्ति कहलायेगी चाहे देने वाले के यहां रकम आयगत व्यय के रूप में ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, किसी कम्पनी के समापन पर अंशधारी को कम्पनी की सम्पत्ति का जो हिस्सा मिलता है वह पूंजीगत प्राप्ति है चाहे वह सम्पत्ति कम्पनी के पास पूंजी के रूप में हो, चाहे लाभ के रूप में। वैसे आय कर अधिनियम के अनुसार चुकता पूंजी से अधिक बँटी हुई रकम अंशधारियों के हाथ में लाभांश मानकर उस पर कर लिया जाता है।

(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई रकम आय के रूप में मिलती है तो वह आयगत प्राप्ति मानी जायेगी चाहे देने वाले ने यह रकम अपनी पूंजी में से ही क्यों न दी हो। उदाहरणार्थ, एक नव स्थापित व्यापार का मालिक अपने मैनेजर को प्रारम्भ में जो वेतन देता है वह यदि उसने अपनी पूंजी में से दिया है तो भी यह प्राप्ति मैनेजर के लिए आयगत प्राप्ति होगी क्योंकि यह उसका वेतन है चाहे भले ही देने वाले ने इसे अपनी पूंजी में से दिया हो।

(५) यदि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के व्यापार में प्रयोग होती है अथवा वह विनियोग के रूप में रखी है तो उसके बेचने से प्राप्त होने वाली रकम पूंजीगत प्राप्ति कहलायेगी। अतः व्यापार में प्रयोग होने वाला टंकन यन्त्र (typewriter) अथवा विनियोग के उद्देश्य से खरीदे हुए अंश अथवा प्रतिभूतियों को बेचने से होने वाली प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति मानी जायगी।

(५) यदि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति ने लाभ पर पुनः बेचने के लिए खरीदी है तो उसके बेचने से प्राप्त होने वाली रकम आयगत प्राप्ति कहलायेगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अंशों या प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से लाभ करने के उद्देश्य से अंश या प्रतिभूतियां खरीदकर उन्हें पुनः बेचता है तो विक्रय की राशि आयगत प्राप्ति मानी जायगी।

(६) एक मुश्त रकम प्राप्त होने के बजाय यदि कोई रकम किस्तों में

(६) एक मुश्त रकम प्राप्त होने का आशय यह नहीं होता है कि

प्राप्त हो तो क्या वह आयगत प्राप्ति हो जायेगी ? नहीं । उदाहरणाथ, एक स्थायी सम्पत्ति की बिक्री के दाम एक मुश्त मिलने की बजाय यदि मासिक किस्ता मे मिलें तो भी वह पूजीगत प्राप्ति ही कहलायेगी क्योंकि यह प्राप्ति स्थायी सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्ध म है ।	वह हमेशा पूजीगत प्राप्ति ही होगी । उदाहरणाथ, भविष्य की रॉयल्टी (royalty) की रकम के स्थान मे प्राप्त एक मुश्त रकम आयगत प्राप्ति है, क्योंकि royalty एक आय है ।

(II) व्यय (Expenditure)

व्यय दो प्रकार के होते हैं—पूजीगत तथा आयगत । इन्हें सक्षेप मे पूजी व्यय तथा आय व्यय कहा जाता है । पूजी व्यय पूजी के सम्बन्ध मे होता है और वह व्यापार की सकल आय म से कर योग्य आय निकालने के लिए घटाया नही जाता, लेकिन आय व्यय घटा दिया जाता है । अत इन दोना का अन्तर समझना अत्यन्त आवश्यक है । इनके नियमा की भी कोई स्थायी तथा स्पष्ट रेखाएँ नही है । किसी व्यय के सम्बन्ध मे जब तक उसकी पूर्ण परिस्थितियो को ध्यान मे नही रखा जाता तब तक उसका ठीक ठीक निर्णय नही हो सकता कि वह पूजीगत व्यय है या आयगत व्यय । फिर भी निम्न लिखित कुछ ऐसे नियम है जिनके आधार पर साधारणतया पूजी व्यय तथा आय व्यय मे अन्तर किया जाता है

पूजी व्यय	आय व्यय
(१) एक स्थायी सम्पत्ति की लागत तथा उसके लाने व लगाने के सम्बन्ध मे किये गये व्यय पूजीगत व्यय होते हैं, जसे एक मशीन का क्रय मूल्य तथा उसे लाने व फक्टरी मे लगाने तक का व्यय तथा व्यापार के लिए कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध मे किया गया व्यय भी पूजीगत व्यय होता है ।	(१) व्यापार मे पुन बेचने के उद्देश्य से क्रय किये गये माल की लागत तथा उसे क्रय करने के सम्बन्ध मे अन्य व्यय लाभगत व्यय होते हैं ।
(२) पूजीगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध मे दी गयी रकम पूजीगत व्यय कहलाता है । उदाहरणाथ यदि एक कर दाता न एक	(२) आयगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गयी रकम आयगत व्यय कहलाती है । उदाहरणाथ एक व्यक्ति के पास किसी

फैक्टरी स्थापित करने के लिए भवन बनवाने का किसी को ठेका दे दिया है और बाद में उसका फैक्टरी स्थापित करने का इरादा नहीं रहता, अतः वह भवन बनवाने के ठेके को रद्द करना चाहता है तो इस सम्बन्ध में यदि ठेकेदार को कोई रकम हर्जाने के रूप में देनी पड़ती है तो यह पूंजीगत व्यय होगा क्योंकि इसके देने से कर-दाता भवन की कुल लागत के दायित्व से मुक्त हो जाता है।	सरकारी विभाग में ५ वर्ष तक कोई वस्तु निश्चित दर पर देने (supply) का ठेका है, यदि ३ वर्ष बाद वस्तु के दाम बहुत बढ़ जाने के कारण वह व्यक्ति ठेका तोड़ना चाहता है तो इस सम्बन्ध में यदि उसे कोई रकम देनी पड़ती है तो यह आयगत व्यय होगी क्योंकि इस रकम के देने से वह ठेकेदार अपने भविष्य के २ वर्ष के माल देने के दायित्व से छुटकारा पा जायेगा (जो एक आयगत दायित्व है)।
(३) आय कमाने का साधन, अर्थात व्यापार, नौकरी आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है।	(३) आय कमाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय माना जाता है।
(४) स्थायी सम्पत्ति में उन्नति करके व्यापार की आय कमाने की शक्ति को बढ़ाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है।	(४) स्थायी सम्पत्ति को अच्छी हालत में बनाये रखने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय कहलाता है।
(५) कोई व्यय यदि व्यय करने वाले के यहां पूंजीगत है तो वह पूंजीगत व्यय ही कहलायेगा चाहे भले ही प्राप्तकर्ता के हाथ में वह आयगत प्राप्ति ही क्यों न हो।	(५) कोई व्यय यदि व्यय करने वाले के यहां आयगत व्यय है तो वह आयगत व्यय ही कहलायेगा चाहे भले ही प्राप्तकर्ता के हाथ में वह पूंजीगत प्राप्ति ही क्यों न हो।
(६) साधारणतया एक स्थायी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूंजीगत व्यय होता है।	(६) साधारणतया व्यापार के माल के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय होता है।

(III) हानियां (Losses)

आय-कर अधिनियम में एक कर-दाता की आय की गणना करने का तरीका लिखा है। कुल सकल (gross) आय में से स्वीकृत व्यय घटाने के बाद कर योग्य आय बच रहती है। यद्यपि हानि निकालने का तरीका नहीं लिखा है तथापि यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि व्यय सकल (gross) आय से अधिक हो तो यह आधिक्य हानि होती है। पूंजीगत हानि और आयगत हानि में भेद

करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि पूंजीगत हानि किसी अन्य पूजी लाभ मे ही समायोजित (adjust) हो सकती है। इन दोनो में अन्तर करने का कार्य सरल नही है, क्योकि इनके भी कोई स्पष्ट तथा स्थायी नियम नहीं है। परन्तु फिर भी एक आयगत हानि वह होती है जो व्यापार के माल को बेचने से हो या माल के नष्ट हो जाने से हो अथवा व्यापार के सम्बन्ध मे किसी प्राप्य रकम के न वसूल होने से हो, आदि। साधारणतया पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध म हुई हानि पूजीगत हानि होती है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न न्यायालयो के निर्णयो के अनुसार भी कुछ पूजीगत व आयगत हानियाँ होती हैं जिनमे से कुछ निम्नलिखित हैं

(१) पूजी सम्पत्ति के विक्रय से होने वाली हानि पूजीगत हानि है परन्तु व्यापार के माल के विक्रय से होने वाली हानि आयगत हानि है।

(२) एक कर्मचारी द्वारा किये गये गबन (embezzlement) के कारण हुई हानि आयगत हानि होती है।

(३) एक कर-दाता के दिल्ली स्थित व्यापार का उसका एक मुनीम प्रबन्ध करता था जिसे बैंक के खाते मे से रुपया निकालने का अधिकार था। मुनीम ने कर-दाता के बैंक खाते मे से कुछ धन निकालकर उसका अनुचित प्रयोग किया। यह हानि पूजीगत हानि मानी गयी, क्योकि कर दाता के बैंक खाते मे रकम जमा होने के बाद वह रकम कर दाता के पास पहुँची हुई मानी जाती है, अत यह हानि व्यापार की हानि नही मानी जा सकती।

(४) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रुपये को बैंक मे जमा कराने के लिए जा रहा था। रास्ते म रुपया चुरा लिया गया। यह हानि आयगत हानि नही मानी गयी, क्योकि यह व्यापार का लाभ कमाने के सम्बन्ध म नही हुई थी।

(५) एक कर्मचारी द्वारा व्यापार का कार्य चलने के समय म की गयी चोरी से होने वाली हानि आयगत हानि है, क्योकि यह व्यापार से सम्बन्धित है परन्तु व्यापार का कार्य बन्द होने के बाद किसी कर्मचारी द्वारा ताला तोड कर चोरी करने से हुई हानि आयगत हानि नही मानी जाती, क्योकि इस प्रकार की चोरी तो एक अनजान व्यक्ति द्वारा की गयी चोरी के समान है जो पूजीगत हानि मानी जाती है।

(६) एक व्यक्ति द्वारा एक निर्माण कम्पनी मे एजेन्सी लेने के लिए कोई रकम जमानत के रूप म जमा की गयी। यदि उस कम्पनी के दिवालिया घोषित हो जाने के फलस्वरूप इस व्यक्ति का जमानत का धन मारा जाता है तो यह पूंजीगत हानि होगी।

(७) एक कर दाता कई वस्तुओ का व्यापार करता था। व्यापार के सम्बन्ध म उसने रेलवे मे कुछ वस्तुएँ देने का ठेका लिया। ठेके को सुचारु रूप

से सम्पूर्ण करने की जमानत के लिए उसने कुछ धन जमा किया। बाद में वह कर दाता प्रसंविदे के अनुसार ठेका पूरा न कर सका। अतः उसकी जमानत की रकम जब्त कर ली गयी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि चूंकि कर दाता ने यह ठेका अपने पहले से चलते हुए व्यापार के सम्बन्ध में लिया था *और यह जमानत की रकम व्यापार के सम्बन्ध में लाभ कमाने के उद्देश्य से* जमा की गयी थी, अतः यह हानि आयगत हानि मानी गयी।

QUESTIONS

1 What are the main tests to distinguish a capital expenditure from a revenue expenditure? In the light of the tests above, would you allow as revenue expenditure the amount spent by a bank in opening new branches?

पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय में अन्तर करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख कसौटियां हैं? उपर्युक्त कसौटियों को ध्यान में रखते हुए एक बैंक द्वारा नयी शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में किये गये व्यय को, क्या आप आयगत व्यय की तरह स्वीकार करेंगे?

2 State the principles on which distinction is made generally between capital and revenue expenditure

The owner of a brick kiln has acquired a plot of land on payment of Rs 10 000 for the purpose of establishing and operating a second kiln The terms provide that the land thus acquired will revert to the seller after a period of 10 years There is no restriction on the quantum of earth that may be extracted during this period Is the brick kiln owner entitled to set off all or any part of this expenditure against his receipts from the sale of bricks? If so when and to what extent?

साधारणतया जिन सिद्धान्तों के आधार पर पूंजीगत और आयगत व्ययों में अन्तर किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए।

एक ईटों के भट्टे के मालिक ने एक दूसरा भट्टा स्थापित करने के लिए एक जमीन १० ००० रुपये में प्राप्त की। प्रसंविदे के अनुसार १० वर्ष बाद यह जमीन पुनः उसके विक्रेता को वापस मिल जायेगी। इस अवधि में जमीन से कितनी मिट्टी खोदी जाये इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। क्या ईटों के भट्टे के मालिक को ईटों की बिक्री से प्राप्त रकम में से उक्त व्यय पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में घटाने का अधिकार है? यदि है तो कब और कितना?

3 How would you distinguish a Capital Loss from a Revenue Loss? Give a few illustrations of both types of losses

पूंजीगत हानि और आयगत हानि में आप किस प्रकार अन्तर करेंगे? दोनों प्रकार की हानियों के कुछ उदाहरण दीजिए।

४
कर से छूटें
[EXEMPTIONS FROM TAX]

कर-मुक्त आय से आशय उस आय से है जिस पर आय कर नही लगता। कुछ आयें ऐसी होती है जो कुल आय म नही जोडी जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कुल आय मे तो जोडी जाती है परन्तु बाद मे उन पर आय कर की औसत दर से छूट दी जाती है।

(I) ऐसी आयें जो न कुल आय मे जोडी जाती है और न उन पर आय-कर लगता है (Incomes which are neither included in Total Income nor Income tax is payable on them)

आय-कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वष की कुल आय मे निम्न प्रकार की आयें सम्मिलित नही की जाती और न उन पर कर लगता है

(१) कृषि आय,

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार की आय म से कोई धन राशि,

(३) आकस्मिक आय जो—

(i) धारा ४५ के अनुसार कर योग्य पूजी लाभ न हो अथवा

(ii) व्यापार अथवा पेशे से उदय हुई प्राप्तियाँ न हो, अथवा

(iii) एक कमचारी के पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्तियाँ न हों।

आकस्मिक आय से तात्पय ऐसी आय से है जो सयोगवश, बिना किसी आशा के अनिश्चित समय पर मिल जाय। उदाहरणाथ, कोई धन या कीमती वस्तु सडक पर पडी हुई मिल जाय शत जीतने पर मिलने वाली रकम, लॉटरी का इनाम, अपने जन्मदिवस पर या विवाह की वषगाठ पर, मित्रो अथवा सम्बन्धियों से प्राप्त भेट, किसी खोये हुए बच्चे को ढूढकर लाने वाले को मिला हुआ इनाम, आदि।

(४) विदेशियो द्वारा प्राप्त ऐसी प्रतिभूतियों का ब्याज जो इस सम्बन्ध

मे केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित कर दी गयी हो तथा ऐसे ऋण पत्रो (bonds) का ब्याज या उनके विमोचन पर दी गयी प्रव्याजि (Premium on Redemption) जो केन्द्रीय सरकार या किसी औद्योगिक उद्यम (Industrial Undertaking) या वित्त निगम (Financial Corporation) ने अपने तथा अन्तरराष्ट्रीय बैंक (International Bank) या सयुक्त राज्य के विकास ऋण फण्ड (Development Loan Fund) के बीच हुए ऋण सविदे के अन्तगत निर्गमित किये हो और जिन पर ब्याज का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभून (guaranteed) हो, यदि यह ऋण पत्र एक निवासी के पास है तो उसको इस आय पर कर देना होता है।

(४ अ) एक विदेशी की ब्याज की ऐसी आय जो उसे भारत मे किसी बैंक मे विदेशी खाते मे जमा की गयी रकम पर प्राप्त हुआ हो बशर्ते कि यह Foreign Exchange Regulation Act, 1947 के अनुसार हो।

(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तगत किसी कर्मचारी द्वारा, जो भारत का नागरिक है उसके मालिक से, छुट्टी पर भारत मे अपने घर जाने के लिए उसके स्वय के उसकी पत्नी अथवा बच्चो के लिए मिली हुई यात्रा व्यय सम्बन्धी सहायता।

(६) ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तगत उसे अपने मालिक से छुट्टी पर अपने विदेश स्थित घर आने के लिए, उसका, उसकी पत्नी अथवा उसके बच्चो का प्राप्त यात्रा व्यय, अथवा यात्रा व्यय म सहायता,

(ii) वह पारिश्रमिक जो उसे एम्बेसेडर, हाई कमिश्नर, म त्री, सचिव के पद पर काम करने का उसके देश से प्राप्त होता है,

(iii) उपर्युक्त अधिकारियो मे से किसी के कार्यालय मे काम करने वाले सदस्यो को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह उस देश का नागरिक है जिसका यह कार्यालय है तथा वह भारत मे कोई अन्य व्यापार, पेशा अथवा सेवा नही करता है

(iv) किसी विदेशी सस्था के कर्मचारी को भारत मे रहते हुए प्राप्त पारिश्रमिक यदि (अ) उस सस्था का भारत मे कोई व्यापार नही है, (ब) वह व्यक्ति गत वर्ष म कुल मिलाकर ९० दिन से अधिक भारत मे नही ठहरता, (स) यह पारिश्रमिक मालिक की उस आय मे से कटने योग्य नही है जो इस अधिनियम के अन्तगत कर लगने योग्य है,

(v) विदेशी प्रविधिज्ञो (Technicians) को वेतन शीर्षक की वह आय, जो उन्होने भारत मे सरकार, स्थानीय अधिकारी विशेष अधिनियम के

अन्तगत स्थापित निगम अथवा भारत मे चलते हुए व्यापार की सेवाए करने के प्रतिफल के रूप मे प्राप्त की हो, कुछ सीमित समय तक मुक्त है, यदि वह जिस वित्तीय वष मे भारत मे आया है उससे ठीक पूव चार वित्तीय वर्षों मे किसी वष भी भारत का निवासी न रहा हो। मुक्ति के समय की सीमा निम्न प्रकार है

(अ) यदि उसकी सेवा का प्रसविदा सेवा प्रारम्भ होने से पूव अथवा प्रारम्भ होने के बाद एक वष के अन्दर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया हो तो उसका वेतन निम्न समय के लिए मुक्त होगा

(i) एक ऐसे विदेशी प्रविधिज्ञ (Foreign Technician) की दशा मे, जिसे औद्योगिक अथवा व्यापारिक प्रब ध सम्ब धी कला का विशेष ज्ञान एव अनुभव है उसके भारत म आने के ६ महीने बाद तक का वेतन मुक्त होगा है।

(ii) अन्य विदेशी प्रविधिज्ञो की दशा मे भारत म आने के ३६ महीने बाद तक का वेतन कर मुक्त होता है। यदि वह व्यक्ति इन ३६ महीना के बाद भारत मे सेवा जारी रखता है तथा उसकी सेवा की अवधि म वद्धि करने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कर निर्धारण वष की १ अक्टूबर से पूव प्राप्त कर ली गयी है और उसकी वेतन शीपक की आय पर कर उसके मालिक द्वारा केन्द्रीय सरकार को भुगतान कर दिया जाता है तो मालिक द्वारा चुकाया हुआ यह कर उस प्रविधिज्ञ की कुल आय मे उपर्युक्त ३६ महीना के बाद, अधिक से अधिक ६० माह तक नही जोडा जायेगा।

(ब) यदि विदेशी प्रविधिज्ञ का प्रसविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नही है और वह Technician औद्योगिक अथवा व्यापारिक प्रब ध सम्बन्धी कला का विशेषज्ञ एव अनुभवी नही है तो भारत म आने के दिन स ३६५ दिन तक का वेतन।

(vi) एक विदेशी द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, एक विदशी समुद्री जहाज पर नौकरी करने के फलस्वरूप प्राप्त वेतन बशर्ते कि वह गत वष भारत मे ९० दिन से अधिक नही ठहरता है।

(vii) एक प्रोफेसर या अ य अध्यापक की वेतन शीपक मे कर योग्य आय जो उसे किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा सस्था म सेवा करने के प्रतिफल मे भारत मे आने के बाद ३६ माह तक मिली हो अथवा प्राप्य हो। यदि यह व्यक्ति इन ३६ महीनो के बाद भारत मे सेवा जारी रखता है और उसकी वेतन शीपक की आय पर कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा अन्य

शिक्षा सम्था द्वारा केद्रीय सरकार को भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी चुकायी गयी कर की रकम उस व्यक्ति की कुल आय मे, उपयुक्त ३६ माह के बाद अधिक से अधिक २४ माह तक, नही जोडी जायेगी। कर की यह छूट निम्न शर्तें पूरी होने पर ही दी जायेगी

(अ) यह व्यक्ति जिस वित्तीय वर्ष मे भारत म आया हो उससे ठीक पूर्व ४ वित्तीय वर्षों में, वह कभी निवासी नही रहा था, तथा

(ब) (i) एक ऐसे प्रोफेसर अथवा अन्य अध्यापक की दशा मे जिसकी सेवाएँ १ अप्रैल, १९६४ से पूर्व प्रारम्भ हो गयी हो उसकी सेवा का अनुबन्ध १ अक्टूबर, १९६४ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो, अथवा

(ii) अन्य किसी प्रोफेसर या अध्यापक की दशा मे उसकी सेवाएँ प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष के अन्दर उसकी सेवा का अनुबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो गया हो।

(viii) एक व्यक्ति द्वारा, भारत म अनुसन्धान करने के लिए भारत म आने के बाद २४ माह तक, प्राप्त अथवा प्राप्य धन कर मुक्त है बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हो जाये

(अ) यह अनुसन्धान का कार्य एक ऐसी अनुसन्धान योजना के अन्तगत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की १ अक्टूबर तक स्वीकृत हो गयी हो, तथा

(ब) यह धन किसी विदेशी सरकार अथवा भारत के बाहर स्थापित सस्था द्वारा दिया गया हो।

(७) एक भारतीय नागरिक को विदेश मे सेवा करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले भत्ते, आदि।

(८) Co operative Technical Assistance Programme के अन्तगत यदि कोई व्यक्ति भारत म काम कर रहा है तो विदेशी सरकार से प्राप्त उसका वेतन।

(९) उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति के साथ भारत मे आये हुए उसके परिवार के किसी सदस्य की भारत से बाहर उपार्जित की गयी आय, यदि उस आय पर विदेशी सरकार को आय-कर देय है।

(१०) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तगत स्थापित किसी निगम द्वारा देय कोई Death-cum Retirement Gratuity की रकम अथवा अन्य कोई ग्रेच्युइटी की रकम जो

नौकरी के प्रति वर्ष पर $\frac{1}{2}$ माह के वेतन[1] के हिसाब से अथवा २४ हजार रुपये से अथवा १५ माह के वेतन से अधिक नही होनी चाहिए। प्रत्येक आधे माह के वेतन की गणना करने के लिए ग्रेच्युइटी मिलने वाले कलेण्डर वर्ष से पूर्व के ३ कलेण्डर वर्षों मे मिले हुए वेतन का मासिक औसत लिया जायगा।

(११) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड मे से प्राप्त कोई रकम।

(१२) स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड मे एकत्रित रकम का शेष जो एक कर्मचारी को देय है।

(१३) अनुमोदित सुपरएनुशन फण्ड (Approved Superannuation Fund) से प्राप्त रकम।

(१३-अ) एक कर दाता द्वारा अपने मालिक से मिला हुआ विशेष भत्ता जो उसे अपने रहने के मकान के किराये का व्यय करने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ हो, अर्थात House Rent Allowance। यह भत्ता उस सीमा तक कर मुक्त होगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाय परन्तु यह सीमा किसी भी दशा मे ३०० रु० मासिक की दर से अधिक नही होगी।

इस सम्बन्ध मे Central Board of Direct Taxes ने निम्न नियम बनाया है

उपर्युक्त वर्णित विशेष भत्ते के सम्बन्ध मे निम्न मे से जो सबसे कम रकम हो वह कर दाता की कुल आय मे शामिल नही की जायगी

(अ) सम्बन्धित अवधि के लिए कर दाता द्वारा प्राप्त इस भत्ते की वास्तविक रकम, अथवा

(आ) वह रकम जिससे कर दाता द्वारा अपने रहने के मकान के सम्बन्ध मे दिया गया किराया उसकी सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{1}{10}$ भाग से अधिक हो, अथवा

(इ) (i) यदि यह रहने का मकान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा मद्रास मे स्थित है तो कर-दाता की सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग की रकम, तथा

(ii) यदि यह रहने का मकान अन्य किसी स्थान मे स्थित है तो कर दाता की सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{2}{5}$ भाग की रकम, अथवा

---

[1] इस आशय के लिए केवल मासिक वेतन लिया जायगा। वेतन के अतिरिक्त मिले हुए भत्ते, अनुलाभ, बोनस अथवा ग्रेच्युइटी वेतन मे शामिल नही किये जायेंगे। [Vide Board's Circular No 4 P (LVIII 22) of 1964 dated 6 8 1964]

(ई) ३०० रु० मासिक की दर से सम्बन्धित अवधि की रकम।

स्पष्टीकरण—(i) इस नियम के लिए वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महँगाई भत्ता शामिल हो (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन है) परन्तु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ शामिल न हो।

(ii) सम्बन्धित अवधि से आशय उस अवधि से है जिसमें कर-दाता उस रहने के मकान में गत वर्ष में रहा हो।

(१४) एक कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति को मनोरंजन भत्ते के अतिरिक्त प्राप्त कोई विशेष भत्ता जो उसने पूर्णतया अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में व्यय किया है परन्तु यह भत्ता उतना ही मुक्त है जितना कि वास्तव में खर्च किया हो और शेष कर योग्य है।

(१५) (i) निम्नलिखित प्रतिभूतियों का ब्याज

(अ) ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टीफिकेट,
(आ) पोस्ट आफिस कैश सर्टीफिकेट,
(इ) पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट,
(ई) नेशनल प्लान सर्टीफिकेट,
(उ) १२ वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टीफिकेट,
(ऊ) १० वर्षीय डिफेन्स डिपाजिट सर्टीफिकेट,
(ए) भारत सरकार के डिफेन्स सर्टीफिकेट,
(ऐ) १२ वर्षीय नेशनल डिफेन्स सर्टीफिकेट,
(ओ) उन सब प्रतिभूतियों का ब्याज जो लंका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास हैं,
(औ) प्रीमियम प्राइज बाण्डस, १९६३।

(ii) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में जमा की गयी राशि पर ब्याज।

(iii) ऐसा ब्याज जो निम्न प्रकार के ऋणों पर दिया जाता है

(अ) सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी द्वारा भारत के बाहर के स्रोतों से लिये हुए ऋणों पर,
(आ) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा विदेश में स्थित ऐसी वित्त संस्था से लिये हुए ऋणों पर ब्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो,
(इ) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम (Industrial undertaking) द्वारा भारत के बाहर मशीन, माल अथवा पूंजी खरीदने के सम्बन्ध में लिये हुए ऋण

अथवा उधार का ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की दर तक।

(IV) केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित १५ वर्षीय वार्षिकी सर्टीफिकेट का मासिक भुगतान।

(१६) छात्रवृत्तियाँ जो शिक्षा के व्यय के लिए मिलती है।

(१७) लोकसभा या विधानसभा या इनकी किसी कमेटी के सदस्यों को जो दैनिक भत्ते मिलते है।

(१८) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये गये "वीरता पुरस्कार" (Gallantry Awards)।

(१६) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स (Privy Purse) के रूप में मिली हुई आय।

(२०) स्थानीय सत्ता की वह आय जो उसे उसकी सीमा में किये हुए कार्यों से प्राप्त होती है। उसके क्षेत्र के बाहर किये कार्यों से प्राप्त लाभ कर योग्य होते हैं।

(२१) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय, यदि यह आय पूर्णतया संघ के उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

(२२) किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था की आय, बशर्ते कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है।

(२३) खेल कूद की ऐसी संस्थाओं तथा संघों की आय जो भारत में स्थापित है और जिनका उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, टेनिस अथवा अन्य ऐसे खेलों का नियन्त्रण तथा प्रोत्साहन करना हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित कर दिये जायें। यह आय तभी मुक्त होती है जबकि यह आय संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा इस संघ से मान्यता प्राप्त संघों को दी गयी सहायता के लिए प्रयोग की जाय। ये संघ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

(२४) एसे ट्रेड यूनियनों के विनियोग से प्राप्त आय जो भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, १६२६ द्वारा रजिस्टर्ड हो। यह ट्रेड यूनियन मालिकों व श्रमिकों के सम्बन्ध को नियमित रखने के लिए बने होने चाहिए।

(२५) (I) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतियों का ब्याज तथा उनके बेचने से हुआ पूंजी लाभ,

(II) स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड के ट्रस्टियों द्वारा फण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आय।

(२६) शिड्यूल्ड ट्राइब्स (Scheduled Tribes) के उन सदस्यों की आय

जो ट्राइबल क्षेत्र (Tribal Areas) में अथवा मनीपुर व त्रिपुरा में रहते हों और सरकारी कर्मचारी न हों।

(२७) पशु पालन, मुर्गी अथवा दुग्धशाला के व्यापार की वह आय जो १ अप्रैल, १९६५, १९६६ अथवा १९६७ को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य है।

(२८) कर जमा पत्रों (Tax Credit Certificates) के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा समायोजित रकम।

पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों तथा संस्थाओं की आय (Income of Charitable or Religious Trusts and Institutions)

कुल आय में न जोड़ी जाने वाली आयों की उपयुक्त सूची के अतिरिक्त धारा ११ व १२ में कुछ पुण्यार्थ अथवा धार्मिक संस्थाओं की आय का भी कुल आय में जोड़ने से मुक्त किया गया है।

एक ट्रस्ट के पास रखी हुई सम्पत्ति से आय—धारा ११ के अनुसार इस सम्पत्ति से आय, जो पूर्णतया पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों वाले ट्रस्ट के पास हो, आय प्राप्त करने वाले की कुल आय में नहीं जोड़ी जायगी बशर्ते कि ऐसी आय इन उद्देश्यों के लिए भारत में प्रयोग की गयी हो।

यदि इस आय का २५ प्रतिशत अथवा दस हजार रुपये (जो दोनों में अधिक हो) तक इन्हीं उद्देश्यों के लिए पृथक रूप से एकत्रित कर लिया जाय तो वह भी उसकी कुल आय में नहीं जोड़ा जायगा। परन्तु उपयुक्त सीमा से अधिक आय को एकत्रित करने पर आधिक्य पर कर लगेगा। उपयुक्त सीमा से अधिक सुरक्षित रखी गयी आय भी कर मुक्त हो सकती है बशर्ते कि इस आय का एकत्रित करने के उद्देश्य विशेष की सूचना आय कर अधिकारी को लिखित रूप में तथा निर्धारित ढंग में दे दी गयी है तथा यह सुरक्षित रखा गया धन, किसी सरकारी प्रतिभूति में अथवा ऐसी प्रतिभूति में जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, विनियोग कर दिया गया है। आय कमाने वाले वर्ष को शामिल करते हुए यह आय अधिक से अधिक दस वर्ष तक एकत्रित रखी जा सकती है। यदि इन दस वर्षों के ठीक बाद में आने वाले वर्ष तक यह एकत्रित धन उन उद्देश्यों के लिए न प्रयोग किया जाय जिन उद्देश्यों के लिए यह एकत्रित किया गया था तो उस वर्ष में यह कुल आय में जोड़ लिया जायगा। इसी प्रकार यदि इन १० वर्षों के अन्दर यह धन किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लिया जाय तो यह उसी वर्ष की कुल आय में जोड़ लिया जायगा जिस वर्ष में उसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया हो।

यदि कोई ट्रस्ट इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित हो गया हो तो ऐसी सम्पत्ति की आय जो उस ट्रस्ट के पास हो जो पुण्यार्थ अथवा धार्मिक

कार्यों के लिए केवल आंशिक रूप मे हो, इन कार्यो के लिए भारत मे प्रयोग किये गये अंश तक कुल आय मे नही जोडी जाती और यदि यह आय धार्मिक अथवा पुण्यार्थ कार्यों के लिए पृथक सुरक्षित रख दी जाती है तो इस सम्पत्ति की आय का २५ प्रतिशत कुल आय म सम्मिलित नही किया जायेगा। ऐसी आय के २५ प्रतिशत से अधिक सुरक्षित रखी गयी रकम भी कर मुक्त हो सकती है बशर्ते कि इस आय को एकत्रित करने के उद्देश्य विशेष की सूचना आय कर अधिकारी को लिखित रूप मे तथा निर्धारित ढग मे दे दी गयी है तथा यह सुरक्षित रखा गया धन, किसी सरकारी प्रतिभूति म अथवा एसी प्रतिभूति मे जो इस सम्बन्ध म केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, विनियोग कर दिया गया है।

१ अप्रैल १९६२ को अथवा उसके बाद स्थापित हुए ट्रस्ट की दशा मे यदि सम्पत्ति केवल आंशिक रूप मे पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यो के लिए रखी हुई है तो इस सम्बन्ध मे कोई छूट नही मिलेगी।

इस धारा के सम्बन्ध म 'सम्पत्ति' मे व्यापार भी सम्मिलित है।

स्वेच्छानुकूल दिये गये चन्दो से आय—धारा १२ के अनुसार पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यो के लिए बना हुआ ट्रस्ट अथवा सस्था की वह आय, जो उसे स्वेच्छानुकूल दिये गये चन्दो से प्राप्त हुई हो और जो केवल पुण्यार्थ अथवा धार्मिक कार्यों के लिए ही प्रयोग की जाय, कुल आय मे नही जोडी जायेगी।

अपवाद—धारा १३ के अनुसार इन ट्रस्टो अथवा सस्थाओ की निम्न लिखित आय कुल आय मे जोडी जायेगी

(अ) ऐसी सम्पत्ति की आय जो **व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्यों के लिए** बने हुए ट्रस्ट के पास है और जो जनता के हित की पूर्ति नही करती है।

(ब) **ऐसे ट्रस्ट अथवा पुण्यार्थ सस्था की आय जो १ अप्रैल, १९६२ को** अथवा उसके बाद स्थापित हुई हो।

(i) यदि वह ट्रस्ट अथवा सस्था किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए बनी हो, या

(ii) यदि उस ट्रस्ट अथवा सस्था के नियमो के अनुसार उसकी आय का कोई अंश भी उस ट्रस्ट अथवा सस्था के बनाने वाले अथवा उसके किसी रिश्तेदार के हित के लिए प्रयोग किया जाय।

(II) कुल आय की गणना करने के लिए स्वीकृत कटौतियाँ

(अ) जीवन-बीमा प्रीमियम, वार्षिकी, प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे अंशदान, आदि के सम्बन्ध मे कटौती

(ऐसे कर-दाता के लिए जिसकी कुल आय मे वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय नही है)

एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना करने के लिए निम्न रकमो के योग के प्रथम ५,००० रुपये का ६० प्रतिशत तथा शेष रकम का ५०% उसकी कुल आय मे से घटा दिया जायगा

(क) यदि कर दाता एक व्यक्ति है तो उसके द्वारा गत वर्ष मे अपनी कर योग्य आय मे से चुकायी गयी निम्न रकम—

(i) अपने जीवन पर अथवा अपनी पत्नी अथवा पति के जीवन पर कराये गये बीमे का प्रीमियम, अथवा

(ii) अपने जीवन पर अथवा अपनी पत्नी अथवा पति के जीवन पर Deferred Annuity के लिए अशदान, अथवा

(iii) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे कर्मचारी का अशदान।

(ख) यदि कर दाता एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो उसके द्वारा गत वर्ष मे अपनी कर-योग्य आय मे से चुकायी गयी प्रीमियम की रकम, जो परिवार के किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे के सम्बन्ध मे हो।

(ग) एक सरकारी कर्मचारी के वेतन मे से, Deferred Annuity के लिए अथवा उसकी पत्नी अथवा बच्चो के लिए आयोजन करने के लिए, गत वर्ष मे काटी गयी कोई रकम उसके वेतन के ⅕ भाग तक।

(घ) गत वर्ष मे प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड मे दिया गया कर्मचारी का अशदान उसके वेतन के ⅕ भाग तक अथवा ८,००० रुपये तक, जो भी दोनो मे कम हो।

(ङ) गत वर्ष मे अनुमोदित निवृत्ति कोष (Approved Superannuation fund) मे दिया गया कर्मचारी का अशदान।

(च) एक व्यक्ति द्वारा गत वर्ष मे अपनी कर योग्य आय मे से डाकखाने के १५ वर्षीय अथवा १० वर्षीय खाते मे जमा की गयी रकम।

नोट—एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा गत वर्ष मे दी गयी कुल प्रीमियम की रकम पालिसी की रकम के १० प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

उपर्युक्त रकमो के योग की अधिकतम सीमा—उपर्युक्त (क) से (च) तक वर्णित रकमो का योग उपर्युक्त कटौती की गणना करने के लिए निम्न से अधिक नही होना चाहिए।

(i) एक ऐसे व्यक्ति की दशा मे जो लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता है और जिसने अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर बीमा १ मार्च १९६४ से पूर्व करा लिया है और गत वर्ष मे ऐसे बीमे का प्रीमियम दिया है तो उसकी कुल आय का वह प्रतिशत अथवा

वह रकम जो Central Board of Direct Taxes द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित है।

(ii) अन्य किसी व्यक्ति की दशा में (लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता सहित जिन पर उपयुक्त (i) के आयोजन लागू नहीं होते है) कुल आय का २५ प्रतिशत अथवा १२,५०० रु०, जो दोनों में कम हो।

(iii) हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में कुल आय का २५ प्रतिशत अथवा २५,००० रुपये, जो दोनों में कम हो।

उपयुक्त तीनों दशाओं में कुल आय से आशय उस कुल आय से है जिसमें से इस शीर्षक के अन्तर्गत दी गयी कटौतियां अथवा वार्षिकी जमा की रकम न घटायी गयी हो।

कटौती घटाने का क्रम

उपयुक्त (अ) के सम्बन्ध में कटौती निम्न क्रम से दी जायेगी

(i) वेतन शीर्षक की कर योग्य आय में से,

(ii) यदि वेतन शीर्षक में कोई आय न हो अथवा कटौती की रकम वेतन की आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम अन्य किसी उपार्जित आय में से घटायी जायेगी, तथा

(iii) यदि अन्य किसी शीर्षक में कोई उपार्जित आय न हो अथवा कटौती की रकम ऐसी उपार्जित आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम किसी भी अन्य कर योग्य आय में से दी जायेगी।

(ब) असमर्थ आश्रितों की देख रेख व चिकित्सा के सम्बन्ध में कटौती

(१) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा, जो भारत में निवासी है, अपने किसी असमर्थ आश्रित रिश्तेदार की चिकित्सा व देख रेख पर गत वर्ष में किये गये निम्न व्यय उसकी कुल आय की गणना करने के लिए घटा दिये जायेंगे

(i) यदि असमर्थ आश्रित गत वर्ष में १८२ दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में भरती रहा है तो २,४०० रुपये, अथवा

(ii) अन्य किसी दशा में, ६०० रुपये।

असमर्थ आश्रित की गत वर्ष में यदि कोई आय है तो उपर्युक्त कटौती की रकम उसकी आय की रकम से कम कर दी जायगी और यदि असमर्थ आश्रित की आय २,४०० रुपये अथवा ६०० रुपये (जैसी भी दशा हो) से अधिक है तो उपयुक्त कटौती नहीं दी जायेगी।

(२) यदि कर-दाता ने गत वर्ष में उपर्युक्त व्यय एक से अधिक असमर्थ

आश्रित के सम्बन्ध मे किया है तो उपर्युक्त कटौती केवल एक असमर्थ आश्रित के सम्बन्ध मे दी जायेगी। इस सम्बन्ध मे कर दाता का अधिकार होगा कि वह जिस असमर्थ आश्रित के सम्बन्ध मे कटौती लेना चाहे उसे स्वयं चुन ले।

कटौती घटाने का क्रम

उपर्युक्त (ब) के सम्बन्ध मे कटौती निम्न क्रम से दी जायेगी

(i) आय के किसी भी शीर्षक मे कर-दाता की कर योग्य उपार्जित आय मे से, तथा

(ii) यदि कोई उपार्जित आय नही है अथवा कटौती की रकम उपार्जित आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम कर-दाता की किसी भी शीर्षक की अनुपार्जित आय मे से दी जायेगी।

(स) निवृत्ति वार्षिकियो (Retirement Annuities) की व्यवस्था के लिए किये गये भुगतानो के सम्बन्ध मे कटौती

(१) ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत मे निवासी है तथा जो उन रजिस्टर्ड फर्मों मे साझेदार है जो चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, वास्तुशिल्पी (architect) सालिसिटर अथवा वकीलो का पेशा करती है गत वर्ष मे अपनी कर योग्य आय मे से किसी स्वीकृत वार्षिकी योजना (approved annuity contract) के अन्तर्गत प्रीमियम देते है अथवा किसी अनुमोदित काष (approved fund) मे अपना अंशदान देते है, जो वृद्धावस्था मे निवृत्ति वार्षिकिया (retirement annuities) की व्यवस्था के लिए दिये गये हो, तो उनकी कुल आय की गणना करने मे निम्न रकम की कटौती दी जायगी

वह रकम जो उस व्यक्ति की कुल आय के $\frac{1}{10}$ भाग अथवा ५,००० रु० (दोनो मे जो कम हो) से अधिक न हो।

(२) उपर्युक्त के सम्बन्ध मे कुल आय से आशय उस कुल आय से है जिसमे से इस शीर्षक के अन्तर्गत दी गयी कटौतियाँ अथवा वार्षिकी जमा की रकम न घटी हो परन्तु जीवन साथी तथा अवयस्क बच्चे की वह आय जो कर दाता की कुल आय मे शामिल होनी है, छोड दी जायगी।

(३) निम्न दशाओ मे उस व्यक्ति को इस सम्बन्ध मे कोई कटौती नही दी जायेगी

(i) जिसकी कुल आय मे १,००० रुपये से अधिक अनुपार्जित आय शामिल है, अथवा

(ii) जो किसी पेंशन का अधिकारी है अथवा पेंशन या सुपरएनुएशन की किसी योजना मे भाग ले रहा है।

(४) यह कटौती कर-दाता की उपार्जित आय मे से दी जायेगी लेकिन

कटौती की रकम किसी भी दशा मे कर दाता के व्यापार अथवा पर्शे के लाभ से अधिक नही होगी।

(५) (क) यदि वार्षिकी इसी व्यक्ति को देय हो तो यह उस सीमा तक उपार्जित आय मानी जायेगी जहाँ तक यह कटौती के रूप मे स्वीकार कर दी गयी है, तथा

(ख) यदि वार्षिकी इस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देय हो तो यह उस सीमा तक अनुपार्जित आय मानी जायगी जहाँ तक यह कटौती के रूप मे स्वीकार कर दी गयी है।

(III) ऐसी आयें जो कुल आय मे जोडी जाती हैं परन्तु आय-कर की औसत दर से अथवा २५ प्रतिशत की दर से (जो दोनो मे कम हो) कर-मुक्त हैं (Incomes which are included in the Total Income but which are exempt from Income-tax at the average rate of income tax or at the rate of 25%, whichever is less)

ऐसी आयें निम्न हैं

(१) ऐसी प्रतिभूतियो पर ब्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर से मुक्त घोषित कर दी गयी है।

(२) ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो राज्य सरकार द्वारा आय-कर से मुक्त निर्गमित की गयी हो और जिनका आय कर राज्य सरकार द्वारा देय हो।

(IV) ऐसी आयें जो आय-कर की औसत दर से कर-मुक्त हैं परन्तु कुल आय मे सम्मिलित की जाती हैं (Incomes which are exempt from Income tax at the average rate, but which are included in Total Income)

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर से मुक्त है परन्तु दर निकालने के लिए कुल आय म जोडी जाती है

(१) एक सहकारी समिति द्वारा प्राप्त निम्न आयो पर आय कर नहीं लिया जाता

(क) अपने व्यापार के लाभ पर यदि वह समिति (i) अपने सदस्यो को साख की सुविधाएँ देने का अथवा बैंक का काम करती है या (ii) कुटीर उद्योग का काम करती है या (iii) अपने सदस्यो की कृषि उपज को बेचने का काम करती है या (iv) अपने सदस्यो

को देने के लिए खेती करने के औजार, बीज, जानवर आदि खरीदती है, या (v) अपने सदस्यों की कृषि उपज की विधियो (processing) मे लगी हो और शक्ति का प्रयोग न करती हो, या (vi) एक ऐसी प्रारम्भिक समिति है जो अपने सदस्यो द्वारा एकत्रित किये हुए दूध को सयुक्त दूध सहकारी समिति को देने का कार्य करती है।

यदि कोई समिति उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी करती है तो उन अन्य कार्यों द्वारा १५,००० रुपये से अधिक के लाभ पर यह नियम लागू नही होगा, अर्थात् अन्य कार्यों के १५,००० रुपये से अधिक लाभ कर योग्य है।

(ख) उपर्युक्त समितियो के अतिरिक्त अन्य समितियो के व्यापार से १५,००० रुपये तक के लाभ पर।

(ग) किसी अन्य सहकारी समिति मे किये गये विनियोगो से प्राप्त ब्याज तथा लाभाश पर।

(घ) वस्तुओ को भण्डार करने के लिए अथवा विधियों के लिए अथवा विपणन (marketing) मे सहायता देने के लिए दिये गये गोदामों अथवा भण्डारखानो के किराये पर देने से प्राप्त होने वाली आय पर।

(ङ) यदि समिति की कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नही है तो प्रतिभूतियो के ब्याज तथा मकान सम्पत्ति से आय पर, बशर्ते कि वह समिति मकान बनाने वाली या नगर मे स्थापित उपभोक्ता समिति या यातायात का व्यापार करने वाली समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएँ निर्मित करने वाली समिति नही है।

(२) एक सहकारी समिति के सदस्य द्वारा समिति से प्राप्त लाभाश।

(३) किसी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओ के विपणन (marketing of commodities) के लिए स्थापित किसी सत्ता की वह आय जो उसे गोदाम या भण्डारखाना को भण्डार करने अथवा वस्तुओ के विपणन मे सहायता देने अथवा विधियो (processing) के लिए किराये पर उठाने से प्राप्त हो।

(४) धारा ८४ के अन्तर्गत एक नये उद्योग उद्यम अथवा नये होटल मे लगी हुई पूजी के ६ प्रतिशत तक का लाभ आय कर से मुक्त है।

धारा ८४ उन उद्योग उद्यमो पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं—(i) किसी पुराने व्यापार के तोडने अथवा पुनर्गठन से न बने हो, (ii) पहले से प्रयोग होती हुई कोई मशीन, इमारत आदि के हस्तान्तरण से न बने हो (iii) १ अप्रैल १९४८ के बाद १८ वर्ष के अन्दर भारत मे वस्तुओ

का निर्माण प्रारम्भ कर दें, तथा (iv) जहा शक्ति का प्रयोग होता है वहा १० श्रमिको से अधिक और जहाँ शक्ति का प्रयोग नही होता वहा २० श्रमिको से अधिक श्रमिक निर्माण काय मे लगे हो।

धारा ८४ उन होटलो पर लागू होती है जो

(i) १ अप्रैल, १९६१ के बाद स्थापित हुए हो और किसी पुराने होटल के तोडने अथवा पुनगठन अथवा पहले से प्रयोग होती हुई इमारत, मशीन अथवा यन्त्र के हस्तान्तरण से न बना हो,

(ii) जिसका स्वामित्व एव व्यवस्था भारत मे रजिस्टड एक ऐसी कम्पनी के पास हो जिसकी चुकता पूजी कम से कम ५ लाख रुपये हो,

(iii) कम्पनी की स्वय की इमारत मे होटल चलता हो,

(iv) होटल मे इतने व इस प्रकार के अतिथियो के कमरे है जितने व जिस प्रकार के निधारित किये गये है। जिस स्थान मे होटल हो वहा की आबादी को तथा वहा आने वाले पयटको (tourists) को ध्यान मे रखते हुए आराम की सुविधाए देता हो,

(v) वह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए अनुमोदित हो।

यह धारा उस कर निर्धारण वष से लागू होती है जिसके सम्बन्धित गत वष मे उसका काय प्रारम्भ हुआ हो तथा उसके बाद के चार कर निर्धारण वर्षों तक लागू होती है, अर्थात् इनके स्थापित होने के बाद के पाच वर्षों मे ये उद्योग उद्यम तथा होटल आय-कर से मुक्त हैं।

(५) एक अशधारी द्वारा प्राप्त उतना लाभाश जो धारा ८४ लागू होने वाले नये उद्योग उद्यम अथवा नये होटल द्वारा उस लाभ मे से बाटा गया हो जिस पर आय कर देय नही है।

(६) एक अनरजिस्टड फम के साझीदार का लाभ का हिस्सा यदि फम की कुल आय पर आय कर देय है।

(७) किसी अन्य जनमण्डल (other association of persons) के सदस्य को प्राप्त उसका लाभ का हिस्सा यदि जनमण्डल ने स्वय अपनी कुल आय पर आय कर दे दिया है।

(८) धारा ८६ (ii) के अन्तगत यदि कोई कर-दाता रजिस्टड फम का साझेदार है और यदि रजिस्टड फम ने स्वय आय कर दिया है तो फम की कुल आय मे उसके हिस्से की रकम तथा आय-कर घटाने के बाद बची हुई कुल आय म मे उसके हिस्से की रकम का अन्तर आय-कर से मुक्त होता है अर्थात् रजिस्टर्ड फम द्वारा दिये गये आय कर मे उस साझेदार के हिस्से पर

साझदार को अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण मे औसत दर से आय-कर की छूट दी जाती है।

(६) सब कर दाताओ को, उन कम्पनियो को छोडकर जो भारत मे लाभाश नही बाटती है,

(i) भारत के बाहर निर्यात (export) किये हुए माल से प्राप्त आय पर लगे हुए आय कर के $\frac{1}{10}$ भाग की छूट दी जाती है,

(ii) यदि कर-दाता निर्माता है और वह अपने द्वारा निर्मित किसी ऐसी वस्तु का निर्यात गत वर्ष मे करता है, जो Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की प्रथम अनुसूची मे दिये हुए उद्योगो मे से किसी मे निर्मित हुई हो (कपडा, चीनी, सीमेण्ट, वनस्पति तेल, सिगरेट आदि को छोडकर), तो उसे ऐसे निर्यात मे मिली हुई विक्रय राशि के २ प्रतिशत पर आय कर की औसत दर से छूट दी जायगी। यह छूट उपर्युक्त (i) म वर्णित छूट के अतिरिक्त है, तथा

(iii) यदि उपर्युक्त (ii) मे वर्णित वस्तु का निर्माता गत वर्ष म उस वस्तु का भारत मे किसी व्यक्ति को बेच देता है और यह प्रथम क्रेता उसका गत वर्ष मे भारत के बाहर निर्यात कर देता है तो निर्माता को निर्यातकर्ता (exporter) से मिली हुई विक्रय राशि के २ प्रतिशत पर आय-कर की औसत दर से छूट दी जायगी।

(V) वे व्यय जो कुल आय मे से घटाये नही जाते परन्तु आय कर की औसत दर से कर-मुक्त हैं (Expenses which are not deducted from the Total Income but are exempt from Income tax at the average rate of tax)

[नोट—भाग (A) मे दिये हुए धारा ८७ के निम्न आयोजन केवल ऐसे कर दाता की दशा मे लागू होगे जिसकी कुल आय मे वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय सम्मिलित है तथा यह आयोजन १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष के बाद लागू नही होगे।]

(A) (१) धारा ८७ के अन्तर्गत एक कर दाता अपने अथवा अपनी पत्नी या पति के जीवन पर हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे परिवार के किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी के जीवन पर जो बीमा कराता है उसके प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त है, परन्तु उसकी कुल आय मे से घटायी नहीं जाती है। प्रीमियम की रकम पॉलिसी की रकम के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यदि कर दाता व्यक्ति है तो प्रीमियम की रकम उसकी कुल आय के $\frac{1}{6}$ अथवा १०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय-कर मे

मुक्त है और यदि वह एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो प्रीमियम की रकम उसकी कुल आय के $\frac{1}{6}$ अथवा २०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय कर से मुक्त है। यह आय-कर की छूट तभी दी जाती है जब यह प्रीमियम कर योग्य आय म से दिया गया हो।

(२) एक कर्मचारी द्वारा वधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड मे दिया गया चन्दा उसकी कुल आय के $\frac{1}{6}$ अथवा १०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय कर से मुक्त है।

(३) एक स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे कमचारी द्वारा दिया गया चन्दा उसके वेतन के $\frac{1}{6}$ अथवा ८,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय-कर से मुक्त है।

(४) एक कमचारी द्वारा अनुमोदित निवृत्ति कोष (Approved (Superannuation Fund) मे दिया गया चन्दा आय कर से मुक्त है।

(५) एक सरकारी कमचारी के वेतन मे से उसको वार्षिकी (Deferred Annuity) देन के लिए अथवा उसके स्त्री बच्चो के आयोजन के लिए काटी हुई रकम उसके वेतन के $\frac{1}{5}$ भाग तक आय कर से मुक्त है।

(६) गत वर्ष मे एक व्यक्ति द्वारा Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 के अन्तगत दसवर्षीय या पन्द्रहवर्षीय खाते मे जमा की हुई रकमें आय-कर से मुक्त हैं।

अधिकतम सीमा (Maximum Limit)

(1) किसी भी दिशा म उपर्युक्त सब रकमो का जोड जिस पर आय-कर की कटौती स्वीकृत है निम्न से अधिक नही होगा

(क) एक ऐसे व्यक्ति की दशा मे जो लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता है तथा जिसने अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर १ माच, १९६४ से पूव बीमा करा लिया है तथा गत वष मे उसने ऐसे बीमे का कोई प्रीमियम दिया है तो ऐसे पशे की आय का $33\frac{1}{3}\%$ तथा शेष आय २५% अथवा १०,००० रु० को ऐसे पेशे की आय के $8\frac{1}{3}\%$ से बढाकर जो रकम आये (बशर्ते कि यह बढी हुई रकम किसी भी दशा मे १५,००० रु० से अधिक न हो) जो भी दोनो मे कम हो,

(ख) अन्य किसी व्यक्ति की दशा म (लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता सहित जिन पर उपर्युक्त (क) मे वर्णित नियम न लागू होता हो) कुल आय का २५% अथवा १०,००० रु०, जो भी दोनो मे कम हो,

(ग) एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे कुल आय का २५% अथवा २५ ००० रु०, जो भी दोनो मे कम हो।

(ii) उपर्युक्त (A) में वर्णित (१) से ६ तक की रकमो पर मुक्त कुल

आय कर की रकम किसी भी दशा म (१) से (६) तक वर्णित रकमो के जोड के आधे से अधिक नही हो सकती है।

(B) **शिक्षा सम्बन्धी व्ययों पर छूट** (Rebate on educational expenses in certain cases)—धारा ८७ A के अन्तगत यदि

(i) कर दाता एक ऐसा निवासी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नही है,

(ii) कर दाता पर आश्रित उसका कोई बच्चा अथवा बच्चे भारत के बाहर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल अथवा अन्य किसी शिक्षा सस्था मे पढ रहे है

(iii) बच्चे की आयु २१ वर्ष से अधिक नही है, तथा

(iv) गत वर्ष म कर दाता ने अपने उपयुक्त वर्णित बच्चे अथवा बच्चो की शिक्षा पर अपनी कर योग्य आय मे से व्यय किया है तो ऐसा शिक्षा सम्बन्धी व्यय आय कर से मुक्त होगा परन्तु व्यय की रकम निम्न से अधिक मुक्त नही होगी

(अ) एक बच्चे की दशा मे—२,००० रुपये अथवा कुल आय का $\frac{1}{2}$ भाग (जो दोनो म कम हो)।

(आ) एक से अधिक बच्चो की दशा मे—४,००० रुपये अथवा कुल आय का $\frac{1}{2}$ भाग (जो दोनो मे कम हो)।

(C) **पुण्यार्थ दिये हुए दान** (Charitable Donations)—धारा ८८ के अन्तगत निम्न दान आय कर से मुक्त है

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund) म दिये गये दान, अथवा

(ii) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawaharlal Nehru Memorial Fund) मे दिये गये दान, अथवा

(iii) सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता को १ अप्रैल, १९६० को अथवा उसके बाद किसी पुण्यार्थ कार्य के लिये दिये गये दान, अथवा

(iv) भारत म स्थापित किसी पुण्यार्थ सस्था को दिये गये दान बशर्ते कि यह सस्था निम्न शर्तें पूरी करती है

(क) आय कर अधिनियम की धाराएँ ११ अथवा १२ के अन्तगत इसकी आय कुल आय मे शामिल नहीं की जाती है अथवा यह एक विश्वविद्यालय अथवा अन्य कोई शिक्षा सस्था है जो केवल शिक्षा के कार्य के लिए है न कि लाभ के लिए।

(ख) इस सस्था के नियमो के अनुसार यह अपनी आय अथवा सम्पत्ति का कोई भाग भी गैर-पुण्यार्थ कार्य म नही लगा सकती है।

(ग) यह संस्था किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए न बनी हो। अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियों अथवा स्त्रियों तथा बच्चों के हित के लिए बनी हुई संस्थाएँ किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए नहीं मानी जायँगी।

(घ) वह संस्था अपनी आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखती है।

(ङ) वह संस्था एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है अथवा कानून द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय है अथवा अन्य कोई शिक्षा संस्था है जो सरकार द्वारा अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य है अथवा कोई ऐसी संस्था है जो सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त करती है।

(v) किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अथवा अन्य ऐसे स्थान की मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए दिये गये दान कर से मुक्त हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय पत्र में ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के अथवा किसी राज्य भर में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा के स्थान घोषित कर दिये गये हैं।

नोट—धारा ८८ के अन्तर्गत कर की छूट केवल ऐसे दानों के सम्बन्ध में मिलती है जो रोकड़ी दिये गये हों। (Vide Board's Circular No F 10/111/63—I T (AI) dated 17th January, 1964)

दानों पर कर की छूट (Rebate on Donations)

एक कम्पनी की दशा में कर से छूट उसकी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से अथवा २५ प्रतिशत की दर से, जो दोनों में कम हो, दी जायगी। अन्य किसी दशा में कर से छूट आय कर की औसत दर से दी जायेगी। धारा ८८ के अन्तर्गत दी गयी कर की छूट किसी भी दशा में कर-मुक्त दानों की रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त कर की छूट तभी स्वीकृत होगी जबकि यह दान कर दाता की कर-योग्य आय में से दिये गये हों तथा जबकि गत वर्ष में दिये गये दानों का योग २५० रु० से कम न हो।

दो लाख रुपये अथवा कुल आय (आय कर से मुक्त राशियों को घटाने के बाद) के १० प्रतिशत (जो दोनों में कम हो) से अधिक दान की रकम पर कर की छूट नहीं दी जायेगी।

गत वर्ष में दिये गये दानों में यदि कोई ऐसे दान भी सम्मिलित हैं जो उपर्युक्त वाक्यांश (v) में वर्णित हैं तथा दिये गये कुल दानों का योग २ लाख

रुपये से अधिक है तो उपर्युक्त अधिकतम सीमा उस रकम से बढा दी जायेगी जितनी रकम ऐसे दाना से सम्बधित है और दो लाख रुपये के ऊपर है। किसी भी दशा मे बढी हुई अधिकतम सीमा कुल आय (कर मुक्त राशियो को घटाने के बाद) के १० प्रतिशत अथवा ५ लाख रुपये (दोनो मे जो कम हो) से अधिक नही होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष अथवा जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawaharlal Nehru Memorial Fund) मे दिये गए दान उपर्युक्त अधिकतम सीमा निकालने के लिए शामिल नही किये जायेंगे।

(VI) ऐसी आय जो कुल आय मे शामिल की जाती है तथा जिस पर २५ प्रतिशत की दर से अधिक दर पर आय कर देय नही है (Income which is included in Total Income and on which Income-tax is not payable at a rate in excess of 25%)

एक कम्पनी द्वारा किसी भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसने भारत मे लाभाश घोषित तथा भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध कर दिया है, से प्राप्त लाभाश की आय पर २५ प्रतिशत की दर से अधिक दर पर आय कर नही लगता।

QUESTIONS

1 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provisions fully

आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूणतया मुक्त हैं तथा कुछ आयें दर निकालने के लिए कुल आय मे सम्मिलित की जाती है। इन नियमो को पूणतया समझाइए।

2 Write short notes on
(a) Casual Income
(b) Charitable Donations
(c) Income of Charitable or Religious Trusts and Institutions

निम्न पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
(अ) आकस्मिक आय।
(आ) पुण्यार्थ दिये हुए दान।
(इ) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टो तथा सस्थाओ की आय।

3 State the provisions of Section 88 in respect of exemption of donations for charitable purposes and Section 84 and 85 in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings

पुण्यार्थ दिये हुए दान की मुक्ति के सम्बन्ध में धारा ८८ तथा नये स्थापित उद्योग उद्यमों पर धारा ८४ व ८५ के अन्तर्गत कर से मुक्ति के सम्बन्ध में दिये हुए विधान का वर्णन कीजिए।

4 Discuss the provisions of Income Tax Act regarding deduction in respect of life insurance premium, annuities contributions to provident fund etc

जीवन-बीमा प्रीमियम, वार्षिकियाँ, प्रावीडेण्ट फण्ड में अंशदान आदि के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती के आयोजना का वर्णन कीजिए।

5 What are the classes of income to which the Income Tax Act does not apply?

किन किन प्रकार की आमदनियों में आय कर अधिनियम नहीं लागू होता?

6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from income tax on its income?

एक पुण्यार्थ संस्था को आय कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है?

7 Enumerate briefly the several concessions and reliefs provided under the Income Tax Law for stimulating the growth of Industries in India

भारत में उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आय कर विधान के अन्तर्गत जो कुछ रिआयतें तथा छूटें दी गयी हैं उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए।

8 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain types of income while certain others are exempted only for purposes of determining the taxable income

Explain the provisions relating to both types of exemption of income for purposes of computing tax liability of an individual

भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूर्णतया मुक्त हैं तथा कुछ केवल कर योग्य आय निकालन के लिए मुक्त हैं।

एक व्यक्ति का कर-दायित्व निकालने के लिए दोनों तरह की आय की मुक्तियों के सम्बन्ध में विधान का वर्णन कीजिए।

9 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain types of income, while certain others are exempted and yet included in the total income for determining the rate at which tax will be levied on the chargeable income

Enumerate the above items of income and explain the provisions of the Income Tax Law relating to them

भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूर्णतया मुक्त हैं, तथा कुछ अन्य मुक्त होते हुए भी कुल आय में कर योग्य आय पर कर की दर निर्धारण के लिए सम्मिलित की जाती हैं।

उपर्युक्त मदों को लिखिए तथा उनके सम्बन्ध में आय-कर विधान के आयोजनों को समझाइए।

५

आय के शीर्षक

[HEADS OF INCOME]

(१) वेतन (1) SALARIES

आय-कर अधिनियम की धारा १४ के अनुसार कर लगान और कुल आय की गणना करने के लिए सब आयों को निम्नलिखित ६ शीर्षकों में विभाजित किया गया है

(१) वेतन (Salaries),
(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on securities),
(३) मकान सम्पत्ति से आय (Income from house property),
(४) व्यापार अथवा पेशे में लाभ (Profits and gains of business or profession),
(५) पूंजी लाभ (Capital gains), तथा
(६) अन्य साधनों से आय (Income from other sources)।

प्रत्येक कर दाता की सब प्रकार की आय, (जो कर योग्य है) उपर्युक्त शीर्षकों में से किसी के अन्तर्गत लिखी जाती है। जिन आयों का प्रथम पांच शीर्षकों में से किसी में स्थान नहीं मिलता और वे कर योग्य हैं तो वह छठे शीर्षक के अन्तर्गत लिखी जाती है। प्रत्येक शीर्षक में कर योग्य आय निकालने से पहले उस शीर्षक की सकल आय में से कुछ छूटें और रिआयतें दी जाती है, जो प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत भिन्न भिन्न है। प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करने के लिए आय कर अधिनियम में पृथक पृथक धाराएँ दी गयी है जो निम्न प्रकार है

(१) वेतन—धाराएं १५ से १७ तक,
(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज—धाराएँ १८ से २१ तक,
(३) मकान सम्पत्ति से आय—धाराएँ २२ से २७ तक,
(४) व्यापार अथवा पेशे के लाभ—धाराएं २८ से ४४ तक,
(५) पूंजी लाभ—धाराएँ ४५ से ५५ तक, और
(६) अन्य साधनों से आय—धाराएँ ५६ से ५९ तक।

अब भिन्न भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना करने की विधियों का वर्णन किया जायगा।

(१) वेतन
(1) (Salaries)

धारा १५ के अनुसार वेतन शीर्षक के अन्तर्गत निम्न आयें कर योग्य है

(क) कोई वेतन जो एक कर दाता को, अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से गत वर्ष में प्राप्य हो चाहे वह वास्तव मे प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो,

(ख) कोई वेतन जो एक कर दाता को प्राप्य न हो अथवा प्राप्य होने से पूर्व, अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से अथवा उसकी ओर से गत वर्ष मे प्राप्त हो जाय अथवा उससे स्वीकृत हो जाय,

(ग) कर दाता को अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से अथवा उसकी ओर से वर्ष में वेतन की कोई पुरानी बकाया रकम प्राप्त हुई हो अथवा उससे स्वीकृत हुई हो यदि उस पर किसी पिछले गत वर्ष मे कर न लग चुका हो।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम प्राप्त वेतन किसी गत वर्ष मे उसकी कुल आय मे शामिल कर लिया गया है, तो बाद में जब वह वेतन प्राप्य (due) होगा उसकी कुल आय में दुबारा शामिल नही किया जायगा।

परिभाषाएँ—अधिनियम की धारा १७ मे निम्न परिभाषाएं दी गयी है

(क) वेतन (Salary)

(ख) अनुलाभ (Perquisites) और

(ग) वेतन के स्थान मे लाभ (Profits in lieu of salary)।

(क) वेतन (Salary)

वेतन में निम्न शामिल हैं

(i) मजदूरी (Wages),

(ii) कोई वार्षिकी अथवा पेन्शन (Annuity or Pension),

(iii) कोई ग्रेच्युइटी (Gratuity),

(iv) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त लाभ

(v) कोई अग्रिम वेतन,

(vi) एक कर्मचारी के स्वीकृत प्रॉवीडेंण्ट फण्ड के शेष में वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जो अनुसूची ४ के भाग 'अ' के 'छठे' नियम के अनुसार कर देय है अर्थात वेतन के १० प्रतिशत से अधिक मालिक का अंशदान तथा प्रॉवीडेंण्ट फण्ड पर ६ प्रतिशत से अधिक अथवा वेतन के $\frac{1}{3}$ भाग से अधिक प्रॉवीडेंण्ट फण्ड पर ब्याज, तथा

(vii) उन सब रकमो का जोड, जो अनुसूची ४ के भाग 'ए' के नियम ११ (२) के अनुसार एक स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड के सदस्य के हस्तातरित शेष' (Transferred Balance) मे शामिल है। हस्तातरित शेष' की परिभाषा इसी अध्याय मे आगे दी गयी है। यह केवल उस सीमा तक शामिल होता है जहा तक यह नियम ११ (४) के अनुसार कर देय है।

(ख) अनुलाभ (Perquisites)

'अनुलाभ शब्द म निम्न शामिल है

(i) कर दाता का अपन मालिक स मिला हुआ किराय से मुक्त रहने के मकान का मूल्याकन,

(ii) कर दाता को अपने मालिक से मिले हुए रहन के मकान के किराये मे रिआयत का मूल्याकन,

(iii) निम्नलिखित मे से किसी दशा म बिना मूल्य के या रिआयती दर पर मिली हुइ सुविधा का मूल्याकन (जैसे, मोटरकार, गस, बिजली, पानी, शिक्षा, यातायात आदि की सुविधाएँ)

(अ) एक कम्पनी द्वारा अपने ऐसे कमचारी को जो उसका सचालक हो,

(आ) एक कम्पनी द्वारा अपने एसे कमचारी को जिसका इस कम्पनी म पर्याप्त हित हो,

(इ) किसी मालिक द्वारा (जो एक कम्पनी भी हो सकती है) अपन ऐसे कमचारी को जिस पर उपयुक्त (अ) तथा (आ) म दिया हुआ विवरण न लागू होता हो और जिसकी वेतन शीषक के अन्तगत आय (अ य सुविधाओ अथवा लाभो को छोडकर जिनका मुद्रा म भुगतान न होता हो) १८,००० रुपय से अधिक हो,

(iv) मालिक द्वारा किया हुआ किसी ऐसे दायित्व की रकम का भुगतान जो यदि मालिक भुगतान न करता तो कर दाता को करना पडता, तथा

(v) मालिक द्वारा कर दाता के जीवन-बीमा के लिए अथवा एक वार्षिकी क अनुब ध के लिए दी हुई रकम जो स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड मे से न दी गयी हो, चाहे सीधी अथवा अन्य किसी फण्ड म से दी गयी हो।

उपयुक्त दिये हुए सब अनुलाभो का मूल्य कमचारी की कुल आय म वेतन क शीषक मे जोडा जाता है। परन्तु Central Board of Direct Taxes के आदेशानुसार निम्न को वेतन म नही जोडा जाता

(i) चिकित्सा के सम्बन्ध मे किये गये व्ययो की क्षति-पूर्ति,

(ii) कमचारी को दिये गय रहन के मकान म यदि बगीचा हो तो उसकी देखभाल के लिए माली को दिया गया वेतन,

(iii) मालिक द्वारा कर्मचारी को दिये गये नाश्ते आदि की सुविधा, परन्तु इसमे भोजन शामिल नही है।

अनुलाभो का मूल्याकन (Valuation of Perquisites)

सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनाये हुए नियमो के अनुसार अनुलाभो का मूल्याकन (जो मुद्रा रूप मे नहीं मिलते) निम्न प्रकार किया जाता है

(I) किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्याकन (Valuation of Rent-free House)

साधारणतया एक किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्याकन निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है

(i) यदि वह मकान फर्नीचर आदि आवश्यक वस्तुओ से सुसज्जित नहीं है तो वेतन का १० प्रतिशत, अथवा

(ii) यदि वह मकान फर्नीचर आदि आवश्यक वस्तुओ से सुसज्जित है तो वेतन का १२½ प्रतिशत।

दोनो दशाओ मे यदि उचित किराया (fair rent) इन प्रतिशतो से कम है तो उचित किराया ही मकान का मूल्याकन माना जायेगा और यदि किराये से मुक्त रहने के मकान का उचित किराया अथवा मूल्याकन उपयुक्त प्रकार से निकाले हुए मूल्याकन के दुगुने से अधिक हो तो यह आधिक्य उस मकान के उपयुक्त प्रकार से निकाले हुए मूल्याकन मे जोड दिया जायगा, अर्थात बिना सजे हुए मकान की दशा मे मकान का उचित किराया अथवा मूल्याकन वेतन के २० प्रतिशत से अधिक हो और सजे हुए मकान की दशा मे वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक हो तो २० अथवा २५ प्रतिशत से ऊपर की रकम १० अथवा १२½ प्रतिशत के हिसाब से निकाले हुए मूल्याकन मे क्रमश जोड दी जाती है।

Central Board of Direct Taxes के आदेशानुसार यदि मकान कलकत्ता बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली मे स्थित है तो सुसज्जित मकान की दशा मे यदि मकान का उचित किराया वेतन के ३७½ प्रतिशत से अधिक है तो यह आधिक्य वेतन के १२½ प्रतिशत मे जोडकर किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्याकन होगा तथा असुसज्जित मकान की दशा मे यदि मकान का उचित किराया वेतन के ३० प्रतिशत से अधिक है तो यह आधिक्य वेतन के १० प्रतिशत मे जोडकर किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्याकन होगा। इन नियमो का स्पष्टीकरण निम्न उदाहरणो से हो जायगा।

(१) असुसज्जित मकान—कर्मचारी का वार्षिक वेतन ५०,००० रु० है तो

(i) यदि उस मकान का उचित किराया ४,५०० रुपये वार्षिक है तो यद्यपि वेतन का १० प्रतिशत ५,००० रुपये होता है तथापि ४ ५०० रुपये ही

मकान का मूल्यांकन माना जायेगा, क्योंकि ४,५०० रु० (जो उचित किराया है) वेतन के १० प्रतिशत से कम है।

(ii) यदि मकान का उचित किराया ५,५०० रु० वार्षिक है तो ५,००० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा, क्योंकि यह वतन का १० प्रतिशत है और उचित किराय से कम है।

(iii) यदि मकान का उचित किराया ११,००० रु० वार्षिक है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १० प्रतिशत	५,००० रु०
+५०,००० रु० के २० प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात् (११,०००—१०,०००)	१,००० रु०
किराये से मुक्त बिना सजे हुए मकान का मूल्यांकन	६,००० रु०

(iv) यदि मकान का उचित किराया १६,००० रु० वार्षिक है तथा मकान कलकत्ता, बम्बई मद्रास अथवा दिल्ली मे स्थित है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १० प्रतिशत	५,००० रु०
+५०,००० रु० के ३० प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात (१६,०००—१५,०००)	१,००० रु०
किराय से मुक्त बिना सज हुए मकान का मूल्यांकन	६,००० रु०

(२) फर्नीचर आदि से सुसज्जित मकान—कर्मचारी का वार्षिक वतन ५०,००० रु० है तो

(i) यदि उस मकान का उचित किराया ६,००० रु० वार्षिक है तो यद्यपि वेतन का १२½ प्रतिशत ६,२५० रु० होता है तथापि ६,००० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा क्योकि ६,००० रु० (जो उचित किराया है) वेतन के १२½ प्रतिशत से कम है।

(ii) यदि मकान का उचित किराया ७,००० रु० वार्षिक है तो ६,२५० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायगा, क्योंकि यह वेतन का १२½ प्रतिशत है और उचित किराय से कम है।

(iii) यदि मकान का उचित किराया १३,००० रु० वार्षिक है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वतन ५०,००० रु० का १२½ प्रतिशत	६,२५० रु०
+५०,००० रु० के २५ प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात (१३,०००—१२,५००)	५०० रु०
किराये से मुक्त सजे हुए मकान का मूल्यांकन	६,७५० रु०

(iv) यदि मकान का उचित किराया २०,००० रु० वार्षिक है तथा मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास अथवा दिल्ली म स्थित है तो मकान की मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १२½ प्रतिशत	६,२५० रु०
+५०,००० रु० के ३७½ प्रतिशत से अधिक	
उचित किराया, अर्थात (२०,०००—१८,७५०)	१,२५० रु०
किराये से मुक्त सजे हुए मकान का मूल्यांकन	७,५०० रु०

(II) रिआयती किराये पर मिले हुए रहने के मकान की रिआयत का मूल्यांकन (Valuation of the concession in respect of the residential accommodation provided at a concessional rent)

यदि कोई मालिक अपने कमचारी को रहने के लिए मकान मुफ्त तो नही देता परन्तु कम किराये (concessional rent) पर दे देता है तो कमचारी के वेतन म इस सुविधा के लिए जो रकम जोडी जायेगी वह निम्न प्रकार निकाली जायेगी

पहले इस मकान का मूल्यांकन इस प्रकार निकाला जायेगा जैसे कि मानो यह मकान बिलकुल बिना किराया लिये कमचारी को रहने के लिए दिया गया हो (जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणो म स्पष्ट किया गया है)। तत्पश्चात इस मूल्यांकन मे से कमचारी द्वारा दिया गया वास्तविक किराया घटा दिया जायगा और जो शेष रकम बचेगी वही रकम कमचारी के वेतन मे इस Concessional Rent की सुविधा के लिए जोडी जायगी। उदाहरणार्थ, यदि कमचारी उपयुक्त उदाहरण १ (i) मे २ ००० रु० वार्षिक किराया देता है तो इस रिआयत का मूल्यांकन (४,५००—२,०००)=२,५०० रु० होगा जो उसके वेतन मे जोडा जायगा। उदाहरण १(ii) मे इसी प्रकार (५,०००—२,०००)=३,००० रु० किराये की रिआयत का मूल्यांकन होगा जो उसके वेतन मे जोडा जायगा।

वार्षिक वेतन—किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन निकालने के सम्बन्ध म वार्षिक वेतन से अभिप्राय उस वेतन से है जिसमे वेतन के अतिरिक्त मिले हुए भत्ते, बोनस अथवा कमीशन (जिनका मासिक अथवा अन्य किसी प्रकार से भुगतान होता हो) शामिल हो, लेकिन निम्न शामिल न हो

(i) महँगाई भत्ता बशर्ते कि यह कमचारी के सुपरएनुएशन (Superannuation) अथवा अवकाश सम्बन्धी सुविधाओ (Retirement Benefits) की गणना करने मे शामिल नही होता हो

(ii) कमचारी के प्रॉवीडेण्ट फण्ड म दिया गया मालिक का अंशदान, तथा

(iii) वह भत्ते जो कर से मुक्त है।

उचित किराया (Fair Rent)—उचित किराये से निम्न आशय है

(i) सरकार द्वारा अपने अफसर को दिया हुआ बिना किराये का मकान—इस दशा में इस मकान का उचित किराया उन नियमों के अनुसार निकाला जायेगा जो सरकार द्वारा अपने अफसरों के रहने के लिए Allot किये हुए मकान के सम्बन्ध में सरकार का देय किराया निकालने के लिए बनाये गये हैं।

(ii) अन्य मालिकों द्वारा अपने कर्मचारी को दिया हुआ बिना किराये का मकान—यदि वह मकान असुसज्जित (unfurnished) है तो उस मकान का नगर महापालिका अथवा नगरपालिका का मूल्यांकन अथवा उस क्षेत्र में इस प्रकार के अन्य मकानों का वास्तविक किराया (जो दोनों में अधिक हो), वही उचित किराया होगा। यदि वह मकान सुसज्जित है तो पहले उस मकान का उचित किराया एक बिना सजे हुए मकान (unfurnished house) की तरह से निकाला जायेगा, तत्पश्चात् उसमें फर्नीचर का वास्तविक किराया (यदि फर्नीचर किराये पर है) अथवा यदि फर्नीचर मालिक का ही है तो उसकी मूल लागत का १० प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जोड़ दिया जायेगा। इन दोनों का जोड़ सजे हुए मकान का उचित किराया (fair rent) होगा।

(III) मोटरकार

यदि मोटरकार मालिक की है—(i) मालिक द्वारा कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए दी हुई मोटरकार की सुविधा का मूल्य वह रकम होगी जो मालिक ने उस मोटर के रखने तथा चलाने के सम्बन्ध में (मय घिसाई आदि के) सम्बन्धित गत वर्ष में व्यय की हो।

(ii) यदि मोटरकार करदाता (कर्मचारी) को आंशिक रूप में निजी प्रयोग के लिए तथा आंशिक रूप में मालिक ने अपने व्यापार के प्रयोग के लिए दी हो तो इस मोटर के रखने व चलाने के सम्बन्ध में मालिक ने वास्तव में जो कुछ भी व्यय किया हो (मय घिसाई आदि के) उसमें से उतनी रकम कर्मचारी के वेतन में मोटर की सुविधा के अनुलाभ के रूप में जोड़ ली जायगी जितनी कि उचित रूप से उसके निजी प्रयोग के लिए व्यय की हुई समझी जाय, परन्तु यदि इस प्रकार से मोटरकार के अनुलाभ का मूल्यांकन करने में कठिनाई आये तो इस अनुलाभ का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा सकता है

(अ) यदि मोटरकार को रखने व चलाने का पूर्ण व्यय मालिक वहन करता है तो (i) यदि मोटर १६ हॉर्स पावर तक की है तो १५० रु०* प्रति मास की दर से इस अनुलाभ का मूल्य होगा और (ii) यदि मोटर १६ हॉर्स पावर से अधिक की है तो २५० रु०* प्रति मास की दर से अनुलाभ का मूल्य होगा।

---

* Vide Rule 2 of The Income Tax (Second Amendment) Rules 1964

(आ) यदि मोटरकार को रखने व चलाने के वे व्यय जो कर्मचारी के अपने निजी प्रयोग के सम्बन्ध मे हो, कर दाता अर्थात कर्मचारी स्वयं अपनी जेब से देता है तो (i) यदि मोटरकार १६ हौस पावर तक की है तो ६० रु०* प्रति मास की दर से और (ii) यदि मोटरकार १६ हौस पावर से अधिक की है तो १०० रु०* प्रति मास की दर से कर दाता को प्राप्त अनुलाभ का मूल्य होगा।

यदि मोटरकार कर दाता की है तो यदि मोटरकार को रखने व चलाने का व्यय मालिक सहन करता है तो मालिक द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का वह भाग कर दाता के अनुलाभ का मूल्य होगा जो आय-कर अधिकारी की सम्मति मे कर दाता के निजी प्रयोग के लिए उचित हो।

यदि मालिक ने कर दाता को अन्य कोई सवारी प्रयोग करने के लिए दी है और उसका रखने व चलाने का व्यय मालिक सहन करता है तो इस वास्तविक व्यय म से जितनी रकम आय कर अधिकारी की सम्मति मे, कर दाता के निजी प्रयोग के सम्बन्ध मे उचित हो वही इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा।

(IV) गैस, बिजली अथवा पानी

मालिक द्वारा कर्मचारी को अपने घरेलू प्रयोग के लिए दी हुई मुफ्त गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा का मूल्य वह रकम होती है जो मालिक ने इस सम्बन्ध मे गैस, बिजली अथवा पानी देने वाली सस्था को भुगतान की हो अर्थात मालिक ने अपने कर्मचारी द्वारा प्रयोग की हुई गैस, बिजली अथवा पानी के बिलो की जितनी रकम का भुगतान किया हो वही इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा, परन्तु (i) यदि यह सुविधा मालिक अपने ही साधनो मे से देता है, अर्थात इनके बिलो का किसी बाहरी सस्था को भुगतान नही करता तो इस अनुलाभ का कोई मूल्य नही होगा, तथा (ii) यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि मालिक द्वारा दी हुई गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा को कर-दाता अपने कार्यालय के कर्तव्यो का पालन करने म भी प्रयोग करता है तो इस अनुलाभ का मूल्यांकन मालिक द्वारा इस सम्बन्ध मे चुकायी गयी रकम अथवा कर दाता के वेतन का ६¼ प्रतिशत (जो भी दोनो मे कम हो) होगा।

(V) शिक्षा

मालिक द्वारा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को नि शुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा का मूल्य वह रकम होती है जो मालिक ने इस सम्बन्ध में वास्तव में व्यय की हो, और यदि वह शिक्षा सस्था मालिक द्वारा (अपने

---

* Vide Rule 2 of The Income Tax (Second Amendment) Rules 1964

कर्मचारियों के हित के लिए) स्वयं चलायी जाती हो तो इस प्रकार की अन्य शिक्षा संस्था में जो उचित व्यय होता वही इस सुविधा का मूल्य समझा जायगा।

(VI) यातायात की सुविधा

मालिक द्वारा अपने कर्मचारी या उसके परिवार को दी हुई नि शुल्क अथवा रिआयती दर पर यातायात की सुविधा का मूल्य शून्य माना जाता है यदि मालिक का स्वयं का यातायात का व्यापार हो और यह सुविधा मालिक की अपनी ही गाड़ियों के सम्बन्ध में हो।

(VII) अन्य सुविधाएँ

मालिक द्वारा दी हुई अन्य किसी सुविधा का मूल्य वह माना जायेगा जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में उचित हो।

(ग) वेतन के स्थान में लाभ (Profits in lieu of Salary)

वेतन के स्थान में लाभ में निम्न शामिल हैं

(i) कर दाता द्वारा अपने वर्तमान अथवा किसी पहले मालिक से, नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, प्राप्त होने वाली क्षति पूर्ति की कोई रकम,

(ii) किसी वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक द्वारा कर-दाता को देय अथवा दिया हुआ कोई भुगतान। यदि यह भुगतान किसी प्रॉवीडेण्ट फण्ड या अन्य फण्ड में से होता है (जो अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड नहीं है) तो स्वयं कर दाता का अंशदान तथा उस पर ब्याज की रकम इसमें शामिल नहीं की जाती। उदाहरणार्थ, अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड से मिली हुई कुल रकम में से कर-दाता का अंशदान तथा उस पर ब्याज घटाने के बाद जो रकम बचती है उसे वेतन के स्थान में लाभों में सम्मिलित किया जाता है। परन्तु धारा १० के वाक्यांश १०, ११, १२ व १३-अ में दिये हुए निम्न भुगतान 'वेतन के स्थान में लाभ' में शामिल नहीं किये जायेंगे

(१) Death cum Retirement Gratuity जो केन्द्रीय सरकार के पेंशन के संशोधित नियमों के अन्तर्गत मिली हो अथवा राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या विधान द्वारा स्थापित किसी निगम की ऐसी ही योजना के अन्तर्गत मिली हो।

(२) Defence Services में लागू होने वाले New Pension Code के अन्तर्गत १ जून, १९५३ के बाद मिली हुई Retiring Gratuity की रकम।

(३) अन्य कोई Gratuity की रकम, जो प्रति सम्पूर्ण वर्ष की सेवा पर आधे माह के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आधे माह के वेतन की रकम की गणना Gratuity मिलने वाले वर्ष से ठीक पूर्व तीन वर्ष के वेतन के

मासिक औसत के आधार पर की जायेगी। उपयुक्त प्रकार म निकाली गयी Gratuity की रकम किसी भी दशा मे निम्न मे अधिक नही होनी चाहिए

(क) २४,००० रुपये, अथवा

(ख) १५ माह का वेतन, जो भी दोना म कम हो।

(४) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड से मिली हुई राशि।

(५) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से मिली हुई राशि।

(६) कर दाता द्वारा अपने रहन के मकान के सम्बन्ध मे किये गये किराये के व्यय की पूर्ति के लिए उसके मालिक द्वारा दिया गया विशेष भत्ता जो ३०० रुपये मासिक की दर से अधिक नही होना चाहिए।

उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वेतन के स्थान मे मिले हुए सब लाभो को कर्मचारी की कुल आय मे वेतन के शीर्षक मे जोडा जाता है।

वेतन मे शामिल होने वाली सब प्रकार की आयो का सक्षेप निम्न है

Salary

Salary	Perquisites	Profits in lieu of Salary
(i) Wages (ii) Annuity, (iii) Pension, (iv) Gratuity, (v) Fees (vi) Commission (vii) Advance Salary (viii) Annual Accretion to Recognised Provident Fund (ix) Transferred Balance	(i) Value of Rent free house, (ii) Value of Concession in Rent, (iii) Value of any benefit or amenity provided by the employer freely or at concessional rate, (iv) Redemption of employee's liability by the employer, (v) Life insurance premium paid by the employer on the life of the employee	(i) Compensation for termination of service or changes in terms of service, (ii) Payments except payments under clauses 10 11 and 12 of Section 10

कटौतियाँ (Deductions)

'वेतन' शीर्षक के अन्तगत कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती है

(i) पुस्तको तथा अन्य प्रकाशनों का क्रय मूल्य—गत वर्ष मे कर-दाता द्वारा अपने पेशे से सम्बन्धित कर्तव्यो का पालन करने के लिए खरीदी हुई पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों का मूल्य, जो ५०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) मनोरजन भत्ता—मनोरजन भत्ते की रकम कर्मचारी की कुल

आय मे वेतन शीर्षक के अन्तर्गत पहले जोड़ ली जाती है और फिर इस सम्बन्ध मे निम्न कटौती दी जाती है—

(अ) यदि कर-दाता सरकार से वेतन प्राप्त करता है तो उसके वेतन का ⅕ अथवा ५,००० रु० तक (जो भी दोनों में से कम हो) वेतन मे से घटा दिया जाता है। इस सम्बन्ध मे वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमे कोई भी भत्ता लाभ अथवा अनुलाभ शामिल न हो।

(आ) अन्य किसी कर-दाता के लिए (जो सरकारी कर्मचारी न हो) मनोरंजन के भत्ते के सम्बन्ध में वेतन में से वह रकम घटा दी जाती है जो उसे अपने वर्तमान मालिक से १ अप्रैल, १६५५ के पहले से मनोरंजन भत्ते के रूप मे लगातार मिलती रही हो। यह रकम उस कर-दाता के वेतन के ⅕ अथवा ७,५०० रु० अथवा १ अप्रैल, १६५५ के पहले से मिलती हुई वास्तविक भत्ते की रकम (जो इनमे सबसे कम हो) से अधिक नही होनी चाहिए अर्थात इस नियम की आवश्यक शर्तें निम्न हैं

(क) मनोरंजन भत्ता १ अप्रैल, १६५५ के पहले से वर्तमान मालिक से लगातार मिलता रहा हो।

(ख) जितना भत्ता १ अप्रैल, १६५५ से पहले मिलता था उससे अधिक रकम नही घटायी जा सकती।

(ग) उपर्युक्त वर्णित नियम 'ख' मे दी हुई रकम कर दाता के वेतन के ⅕ अथवा ७,५०० रु० से अधिक नही होनी चाहिए। वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमे किसी प्रकार का भत्ता आदि शामिल न हो।

(घ) किसी भी दशा मे यह कटौती गत वर्ष मे मनोरंजन भत्ते के रूप मे मिली हुई वास्तविक रकम से अधिक नही हो सकती।

(iii) पेशे, व्यवसाय अथवा नौकरी पर लगे हुए कर—अपने पेशे, व्यवसाय अथवा नौकरी पर दिये हुए करो की रकम, जो राज्य अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये हो, वेतन मे से घटा दी जाती है।

(iv) कर्मचारी की स्वयं की सवारी के व्यय—यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वयं की सवारी अपनी नौकरी के सम्बन्ध मे प्रयोग करता है और उसे सवारी का कोई भत्ता नही मिलता तो उस सवारी को रखने व चलाने के सम्बन्ध में किये हुए व्यय तथा उसका ह्रास वेतन में से घटा दिये जाते है।

(v) कर्मचारी द्वारा व्यय की हुई रकम—यदि कर्मचारी अपनी नौकरी की शर्तों के अनुसार अपने वेतन मे से कोई रकम व्यय करता है जो उसे पूर्णतया अपना कर्तव्य पालन करने के लिए करना पड़े तो यह रकम उसके 'वेतन शीर्षक की आय' मे से घटा दी जायेगी, बशर्ते कि यह रकम किताबों अथवा अन्य प्रकाशन अथवा सवारी को रखने के सम्बन्ध में न हो।

Illustration 1

Mr P gets a salary of Rs 500 per month He also gets dearness allowance @ 10% of the salary, house rent allowance of Rs 50 per month and proctor s allowance of Rs 50 per month During the previous year 1964 65 he was out of India for 3 months and the salary and allowance for this period were paid to him abroad He was not paid any proctor's allowance while he remained out of India Find out his taxable income from salary for the assessment year 1965 66

Solution

	Rs
Salary for the year	6 000
Dearness Allowance	600
House Rent Allowance	600
Proctor's Allowance	450
Taxable Income from Salary	Rs 7,650

His Income from salary for the previous year 1964 65 will be taken for full 12 months and not for 9 months only

Illustration 2

Mr X is employed on a monthly salary of Rs 1,000 On 1st August, 1964 his services were terminated and he received a compensation of Rs 3 000 from his employer On 1st December, 1964 he got another appointment on a monthly salary of Rs 700 On 1st February, 1965 in order to meet the expenses of his daughter's marriage he received an advance of 4 months' salary and also took a loan of Rs 5,000 from his employer for the purpose What is his income from salary for the assessment year 1965 66 ?

Solution

	Rs
4 months' salary from former employer	4,000
2 months' salary from the present employer	1,400
Advance on account of salary for 4 months	2 800
Compensation for loss of employment	3 000
Income from Salary	Rs 11 200

Note Loan is not to be included in salary

Illustration 3

Mr X is the Business Manager in a reputed firm, getting a monthly salary of Rs 4 000 and an entertainment allowance of Rs 9,000 since 1953 He maintains his own conveyance which he uses in connection with his duties He claims Rs 200 for its maintenance etc Find out his income from salary for the assessment year 1965 66

Solution

Assessment Year 1965 66

			Rs
Salary for the year			48,000
Entertainment Allowance			9,000
		Rs	57,000
Less	Maintenance of own Conveyance	200	
	Entertainment Allowance being the least of Rs 9 000 or Rs 9 600 (⅕ of salary) or Rs 7,500	7,500	
			7,700
	Income from Salary		Rs 49,300

Illustration 4

A, a Bank Manager gets Rs 2,000 per month together with a dearness allowance of 10 per cent of the salary During the previous year ended 31st March, 1965 he received a bonus of three months' salary Besides he is also provided with a rent free house (unfurnished) whose fair rent is Rs 500 per month Find out his taxable income under the head 'salaries' for the assessment year relevant to the previous year 1964 65

Solution

Assessment Year 1965 66

	Rs
Salary	24 000
Dearness Allowance	2 400
Bonus	6,000
Value of Rent free house	3,000[1]
Taxable Income from Salary	Rs 35 400

Illustration 5

Mr X is the Office Superintendent of a company getting a salary of Rs 800 per month He is also provided with the use of a motor car by the company which is meant partly for his personal use and partly for purposes of the company's business The company spent Rs 1,500 on the maintenance and running of the car during the previous year 1964 65 out of which Rs 700 have been attributed towards personal use One servant of the company, who is paid Rs 50 per month renders free service to him He is also allowed to use the furniture rent free Monthly rent of furniture paid by the company is Rs 20 Find out his income from salary for the previous year 1964 65

[1] *It is calculated as below*
10% of the Salary Rs (24 000+6 000)=Rs 3 000

Solution

His income from salary for the previous year 1964 65 will be Rs 9,600 only Maintenance and running expenses of car salary of the servant and rent of the furniture are perquisites but they will not be included in his salary as neither Mr X is the director of the company nor has a substantial interest in it nor getting an income of more than Rs 18,000 a year under the head 'salaries

प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Provident Funds)

'प्रावीडेण्ट' (Provident) शब्द का अर्थ भविष्य के लिए प्रबन्ध करना है अत यह फण्ड भविष्य के लिए प्रबन्ध करने के लिए होता है। इस फण्ड में कर्मचारी के वेतन में से प्रति मास एक निश्चित दर से रकम काटकर जमा कर दी जाती है तथा मालिक भी इसमें अपना अंशदान करता है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो उस समय यह इकट्ठी रकम ब्याज सहित उसको मिल जाती है और उस समय उसे इससे काफी सहायता मिलती है। यदि अभाग्यवश सेवाकाल में ही कर्मचारी का देहान्त हो जाता है तो इस फण्ड की रकम उसके स्त्री, बच्चों को मिल जाती है जिससे उन्हें काफी सहारा मिल जाता है। प्रावीडेण्ट फण्ड तीन प्रकार के होते है

(i) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Statutory Provident Fund)
(ii) प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)
(iii) अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)

(i) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Statutory Provident Fund)—यह वह प्रावीडेण्ट फण्ड होता है जो भारतीय प्रॉवीडेण्ट फण्ड अधिनियम, १९२५ द्वारा अनुमोदित हो। साधारणतया यह फण्ड सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय सत्ता में, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में रखा जाता है।

(ii) प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)—यह वह फण्ड है जो आय कर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होता है। आय कर कमिश्नर किसी प्रावीडेण्ट फण्ड को तभी स्वीकार करता है जबकि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि आय कर अधिनियम, १९६१ में दी हुई अनुसूची ४ के भाग अ के चौथे नियम में दी हुई शर्तें यह फण्ड पूरी करता है तथा इसमें वह प्रॉवीडेण्ट फण्ड भी शामिल है जो कर्मचारी प्रॉवीडेण्ट फण्ड एक्ट १९५२ के अन्तर्गत बनायी हुई योजना के अधीन स्थापित किया जाता है। साधारणतया, यह फण्ड बैंकों, बीमा कम्पनियों, कारखानों व बहुत सी व्यापारिक संस्थाओं में रखा जाता है।

(iii) अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)—यह वह फण्ड होता है जो न वैधानिक हो और न प्रमाणित हो। इस फण्ड को कोई भी संस्था रख सकती है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के प्रावीडेण्ट फण्डों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के नियम निम्न तालिका से भली प्रकार समझाये जा सकते हैं

(क) वह रकम जो कुल आय में शामिल की जाती है

वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड
जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी कुल आय में केवल उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो) जोड़ी जाती है। इस फण्ड में मालिक द्वारा दिया हुआ अंशदान तथा फण्ड के ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात मालिक का अंशदान तथा फण्ड का ब्याज न तो कर्मचारी की कुल आय में जोड़ा जाता है और न ही उस पर कर लगता है।	जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो (i) उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो), (ii) मालिक द्वारा दिये हुए अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो, तथा (iii) फण्ड के ब्याज का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के $\frac{1}{3}$ से अधिक हो अथवा ६ प्रतिशत की दर से अधिक का ब्याज कर्मचारी की कुल आय में जोड़े जाते हैं, अर्थात मालिक का अंशदान वेतन के $\frac{1}{10}$ भाग तक तथा फण्ड का ब्याज वेतन के $\frac{1}{3}$ भाग तक तथा ६ प्रतिशत की दर तक कर्मचारी की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता और न ही उस पर कर लगता है।	जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी कुल आय में उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो) जोड़ी जाती है परन्तु मालिक द्वारा दिया गया अंशदान तथा इस फण्ड का ब्याज प्रत्येक वर्ष उसकी कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।

(ख) वह रकम जो आय कर से मुक्त होती है

वैधानिक प्रावीडण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड
कर्मचारी द्वारा इस फण्ड के लिए अपने वेतन में से कटायी हुई रकम तथा अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर कराये हुए बीमे के प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त होती है, परन्तु इन दोनों का जोड़ कर्मचारी की कुल आय के ⅙ अथवा १० ००० रुपये (जो दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।	(i) इस फण्ड में दिया हुआ कर्मचारी का अंशदान उसके गत वर्ष के वेतन के ⅙ अथवा ८,००० रुपये तक (जो दोनों में कम हो) आय कर से मुक्त होता है। (ii) यदि कर्मचारी इस फण्ड का सदस्य होने के अतिरिक्त अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन का बीमा भी कराता है तो कर्मचारी द्वारा दिया हुआ इस फण्ड में अंशदान तथा उपर्युक्त जीवन बीमा प्रीमियम की रकम मिलाकर उसकी कुल आय के ⅙ अथवा १०,००० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) तक आय कर से मुक्त है। नोट—इस फण्ड के सम्बन्ध में वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महँगाई भत्ता तो शामिल हो (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अनुलाभ शामिल न हों।	(i) कर्मचारी द्वारा इस फण्ड में दिया हुआ अंशदान कर मुक्त नहीं होता है। (ii) कर्मचारी द्वारा अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर कराये हुए बीमे के प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त होती है परन्तु यह उसकी कुल आय के ⅙ अथवा १०,००० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट—कर की उपर्युक्त छूट केवल उस कर-दाता को दी जायगी जिसकी कुल आय में वेतन शीर्षक की कर योग्य आय सम्मिलित है तथा उसे भी यह

छट केवल १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष तक दी जायेगी। १९६६-६७ कर निर्धारण वर्ष से इस छूट के स्थान में इस सम्बन्ध में कुल आय में से कटौती दी जायगी। (इसके पूर्ण विवरण के लिए अध्याय ४ देखिए)

(ग) नौकरी से रिटायर होने के समय अथवा नौकरी छोड़ने के समय इन फण्डों से मिली हुई रकम

स्थानिक प्रावीडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड
इस रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। न तो यह कर्मचारी की कुल आय में जोड़ी जाती है और न इस पर किसी प्रकार का कर लगता है।	इस रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात न तो यह कर्मचारी की कुल आय में जोड़ी जाती है और न इस पर किसी प्रकार का कर लगता है बशर्ते कि (i) उसने कम से कम ५ वर्ष तक इस मालिक के यहाँ लगातार सेवा की हो, अथवा (ii) यदि उसने ५ वर्ष तक लगातार सेवा न की हो तो कर्मचारी की बीमारी के कारण या मालिक का व्यापार सकुचित अथवा बन्द हो जाने के कारण या कर्मचारी की शक्ति के बाहर अन्य किसी कारण से उसकी नौकरी छूट गयी हो।	इस रकम में से कर्मचारी का अंशदान तथा उस पर ब्याज घटाने के बाद जो रकम बचती है वह उसकी कुल आय में जोड़ी जाती है और उस पर कर लगता है।

नोट—उपर्युक्त तालिका में आय कर से मुक्त होने वाली रकम के शीर्षक में दिये हुए नियमों के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि यदि कर्मचारी का अंशदान तथा जीवन-बीमा प्रीमियम की रकम का जोड़ अपनी सम्बन्धित अधिकतम सीमाओं से कम है तो वह वास्तविक दी हुई रकम ही आय कर से मुक्त होगी।

हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance)

जब कोई अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड सर्वप्रथम प्रमाणित किया जाता है तो किसी कर्मचारी के प्रावीडेण्ट फण्ड खाते में इस फण्ड के प्रमाणित होने के

समय जो शेष होता है उसे हस्तान्तरित शेष (transferred balance) कहते हैं। हस्तान्तरित शेष की रकम में से कर्मचारी द्वारा दिया हुआ अंशदान घटाकर जो शेष बचता है वह उस वर्ष कर दाता के वेतन में जोड़ लिया जाता है। कर्मचारी का अंशदान इसलिए घटा देते हैं कि उस पर तो प्रति वर्ष कर दिया जा चुका है, क्योंकि प्रावीडेण्ट फण्ड अप्रमाणित था।

Illutration 6

Mr P is an employee getting a monthly salary of Rs 1,000, 10% of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes Rs 1560 Interest on provident fund is determined @ 9% per annum which amounted to Rs 300 for the previous year Under the terms of employment he also gets a dearness allowance of Rs 100 per month and a house rent allowance of Rs 80 per month He has actually paid Rs 160 per month as rent of the house occupied by him for his residence

He paid Rs 3,000 as Life Insurance Premium

What will be his total income and exemption for the assessment year 1965 66 if the provident fund is (a) statutory, (b) recognised, and (c) unrecognised ?

Solution

(a) **Statutory Provident Fund**

Statement of Total Income for 1965 66

		Rs
Salary		12 000
Dearness Allowance		1 200
House Rent Allowance		360[1]
Total Income	Rs	13 560

Exemption

		Rs
Employee s contribution to P F		1 200
Life Insurance Premium		2 190
Restricted to 1/4 of Total Income	Rs	3 390

(b) **Recognised Provident Fund**

Statement of Total Income for 1965 66

		Rs
Salary		12 000
Dearness Allowance		1,200
House Rent Allowance		360[1]
Employer s contribution to P F in excess of 10% of his salary (viz Rs 13 200)		240[2]
Interest on P F in excess of the prescribed rate of 6% p a		100
Total Income	Rs	13 900

Exemption

	Rs
Employee's contribution to P F (Actual being less than 1/5 of salary or Rs 8,000 whichever is less)	1 200
Life Insurance Premium	2,275
Restricted to 1/4th of Total Income Rs	3 475

(c) Unrecognised Provident Fund

Statement of Total Income for 1965 66

	Rs
Salary	12 000
Dearness Allowance	1 200
House Rent Allowance	360[1]
Total Income Rs	13 560

Exemption

	Rs
Life Insurance Premium (being less than 1/4 of Total Income)	3,000

Notes 1 Under rule 2 A of Income Tax Rules, 1962 the limit of house rent allowance to be excluded from the total income of an employee is as under

(i) the actual amount of house rent allowance received by the assessee, or

(ii) the excess of actual rent paid by the assessee over 1/10th of salary due to the assessee, or

(iii) an amount equal to 1/5th of salary due to the assessee if the house is situate at Calcutta, Bombay, Madras or Delhi, or

(iv) an amount equal to 1/10th of salary due to the assessee if the house is situate at any other place, or

(v) a sum calculated at Rs 300 p m, whichever is the least

For purposes of this rule salary includes dearness allowance if the terms of employment so provide but excludes all other allowances and perquisites

Thus, in the above question the least of all the above sums is the excess of actual expenditure on rent over 1/10th of salary due to the assessee, i e (1920—1320)=Rs 600

Hence, out of the total house rent allowance of Rs 960 received by the assessee Rs 600 have been excluded from the total income and the balance of Rs 360 is taxable

2 For the purpose of calculating employer's contribution to P F in excess of 10% of his salary, the term salary' includes dearness allowance As such 10% of salary (viz Rs 13,200) amounts to Rs 1 320 and the excess of employer's contribution works out to Rs 240 (Rs 1,560 minus Rs 1,320)

अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)

यह वह फण्ड होता है जो आय कर कमिश्नर द्वारा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग 'ब' म दिये हुए नियमो के अनुसार अनुमोदित ह। इस फण्ड मे एक कमचारी द्वारा दिया हुआ अशदान आय कर से मुक्त है। इस फण्ड मे कमचारी का अशदान तथा जीवन बीमा प्रीमियम की रकम का जोड कमचारी की कुल आय के ⅙ अथवा १० ००० रुपये तक आय-कर स मुक्त है। (यह छूट १९६५ ६६ कर निर्धारण वष तक ही मिलेगी।)

कमचारी की मृत्यु के बाद उसके स्त्री बच्चो को मिली हुई इस फण्ड की इकट्ठी रकम पर कोई ध्यान नही दिया जाता है।

यदि इस फण्ड की इकट्ठी रकम कमचारी को रिटायर होने के बाद अपने जीवन-काल मे ही दी जाय और इस फण्ड म मालिक द्वारा दिया हुआ अशदान तथा उस पर ब्याज शामिल है तो उस कमचारी पर गत वष से पूव के तीन वर्षों मे लगे हुए कर की औसत दर से मालिक के अशदान तथा उसके ब्याज पर आय कर काटकर सरकार म जमा करा देना चाहिए।

जीवन-बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium)

आय कर अधिनियम की धारा ८७ (1) के अ तगत, निम्न जीवन बीमा प्रीमियम की रकमो पर आय कर की औसत दर से छूट दी जाती है

(अ) यदि कर दाता एक व्यक्ति है तो गत वष मे कर-दाता द्वारा अपनी कर-योग्य आय मे से दी हुई रकमे जो कर दाता अपने अथवा अपनी पत्नी के अथवा कर दाता क पति के जीवन बीमे के सम्बन्ध मे अथवा Deferred Annuity के सम्ब ध मे भुगतान करे।

(आ) यदि कर-दाता एक अविभाजित हिन्दू परिवार है तो गत वष म कर दाता द्वारा अपनी कर-योग्य आय मे दी हुई रकम जो परिवार के किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे के सम्बन्ध म भुगतान की गयी हो।

यदि बीमा प्रीमियम वैधानिक अथवा प्रमाणित प्रावीडेंट फण्ड अथवा

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

आय कर अधिनियम की धारा १९२ म वेतन के सम्बध म उदगम स्थान पर कर काटने के निम्न नियम दिये गये है

(i) प्रत्येक वेतन देने वाले का कतव्य है कि वह चालू वित्तीय वष म लागू कर की दरा के अनुसार कमचारी के उस वष के वेतन की अनुमानित आय पर देय आय कर का वह भाग जो उसके मासिक वेतन पर आनुपातिक हो प्रति मास वेतन देने से पूव उसके वेतन मे से काट ले।

(ii) उपर्युक्त कर तभी काटे जा सकते हैं जबकि कमचारी का उस वष का अनुमानित वतन आय कर लगने की न्यूनतम सीमा (minimum limit) से अधिक हो।

(iii) किसी वष के बीच मे वेतन देने वाले को यदि यह पता चले कि किसी कमचारी के वेतन से आय का उस वष का अनुमान ठीक नही है तो वह उस अनुमान को ठीक करके उद्गम स्थान पर वेतन मे से मासिक काटी जाने वाली कर की रकम मे उचित समायोजन (adjustment) कर सकता है।

(iv) वेतन देन वाले का यह भी कतव्य है कि वह इस प्रकार काट हुए कर की रकम राजकीय कोष मे प्रति मास जमा कर और इसका एक नक्शा आय कर विभाग को प्रति वष ३० अप्रैल तक भेजे।

Illustration 7

Mr X is employed in a factory as an accountant on a monthly salary of Rs 800 plus a dearness allowance of Rs 80 p m He is a member of an unrecognised provident fund in which he contributes 10% of his salary and his employer also contributes an equal amount On 1st August, 1964 he resigned and joined another factory on the same date on a monthly salary of Rs 1,000 plus a dearness allowance @ 10% of his salary He received Rs 10,000 from the unrecognised provident fund of which half the amount consisted of employer s contribution and interest thereon In his new employment he contributed 10% of his salary to a recognised provident fund while his employer contributed Rs 1 040 He is also provided with an unfurnished rent free house by the second employer, the municipal valuation of which is Rs 150 p m He pays Rs 800 per annum as premium on his life insurance policy of Rs 7,000 Find out his total income and the exemption for the assessment year 1965 66

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
Income from Salary		
4 months salary @ Rs 800 p m	3,200	
8 months' salary @ Rs 1 000 p m	8,000	
Dearness Allowance in all	1 120	12 320
Lump sum received from unrecognised P F exclusive of employee's own contribution and interest thereon		5 000
Employer s contribution to R P F in excess of 10% of salary		160*
Value of rent free house restricted to 10% of salary		800
Total Income	Rs	18 280

Exemptions

	Rs
Employee's own contribution to R P F	800
Life Insurance Premium restricted to 10% of policy amount	700
Rs	1 500

* 10% of (Rs 8 000+D A of Rs 800)=Rs 880 and the excess of employer s contribution over 10% of salary works out to Rs (1,040—880)=Rs 160

Illustration 8

Mr X is employed with a public limited company on a monthly salary of Rs 1,600 The company has purchased an Insurance Policy on the life of the assessee for the benefit of his wife and children and annual premium paid amounts to Rs 600 The assessee contributed Rs 1,600 to the approved superannuation fund during the year Similar amount was also contributed by the employer to the employee's account

The assessee has paid insurance premium of Rs 700 on the policy on the life of his wife who is insured for Rs 6 000

Work out the total income from salary and the amount of exemption for the assessment year 1965 66

Solution

Statement of Total Income for 1965 66

	Rs
Salary	19,200
Value of Perquisites	600
The empolyer has paid insurance premium on the policy on the life of the assessee, it will be treated as a perquisite within the meaning of Section 17 (2) (v)	
Total Income from Salary Rs	19,800

Exemptions

		Rs
1	Life Insurance Premium on the life of the assessee paid by the employer	600
2	Life Insurance Premium paid by the assessee on the policy on the life of his wife (Restricted to 10% of the Policy Amount of Rs 6 000)	600
3	Employee s contribution to the Superannuation Fund	1,600
	Total Exemption Rs	2 800

(Being less than 1/4th of Total Income or Rs 10 000 whichever is less)

Illustration 9

Mr Ram Prasad is employed with a public limited company on a monthly salary of Rs 1,000 He contributes to a provident fund which is recognised by the Commissioner of Income Tax @ 12½% of his salary A similar amount ■ contributed by the employer Interest credited to his provident fund account during the year is Rs 1,200 The accumulated balance to his credit ■ Rs 10 000 Two children of Mr Ram Prasad are studying in the institution run by the employer for which no fees are paid Normal expenditure per student in such institution is Rs 50 a month

The assessee is also provided with a rent free accommodation by the employer for which the employer pays a monthly rent of Rs 200

What will be his income under the head 'salary' for the assessment year 1965 66 ?

Solution

Statement of Income from Salary for the Assessment Year 1965 66

		Rs
Salary @ Rs 1,000 p m		12,000
Amount of Annual Accretion		
(i) Contribution by the employer to the Provident Fund account in excess of 10% of the salary of the assessee		
	Rs	
Contributions @ 12½%	1 500	
Less 10% of the salary	1,200	
	(i) 300	
(ii) Interest on accumulations of Provident Fund Account Total accumulations Rs 10,000		
	Rs	
Interest Allowed	1,200	
Less Interest @ 6% p a	600	
	(ii) 600	
Balance to be treated as Annual Accretion Rs	900	
Value of Perquisites		900
(a) On account of rent free accommodation @ 10% of the salary (The employer has paid Rs, 2 400 for the rent of the house but as it does not exceed 20% of the salary of the assessee only 10% of the salary will be taken as the value of the perquisite)		1,200
(b) On account of educational expenses of children (Two children of the assessee are studying in the institution run by the employer for the benefit of employees As the employer is not paying anything in cash in this respect but it is an amenity provided by the employer for the benefit of the assessee, its value will not be in cluded in the salary of the assessee be cause his income under the head salary' does not exceed Rs 18 000)		Nil
Income from Salary R		14 100

QUESTIONS

1 Define the following as per Section 17 of the Income Tax Act 1961

(a) Salaries, (b) Perquisites, and (c) Profits in lieu of salary

आय कर अधिनियम की धारा १७ के अनुसार निम्न की परिभाषा लिखिए

(अ) वेतन, (आ) अनुलाभ, और (इ) वेतन के स्थान मे लाभ।

2 Distinguish between a recognised provident fund and an unrecognised provident fund

प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड म अन्तर बताइए।

3 What relief from income tax is allowed to an assessee in respect of life insurance premiums and provident fund contributions and interest thereon, and how is the amount of such relief calculated?

जीवन बीमा के प्रीमियमो और प्रावीडेण्ट फण्डो मे जमा की जाने वाली रकमो और उन पर प्राप्त ब्याज पर एक कर-दाता को क्या छूट दी जाती है और उस छूट की रकम को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है?

4 What are the rules regarding the valuation of the following perquisites

(a) Value of rent free house and (b) Value of house provided at concessional rent

निम्नलिखित अनुलाभो का मूल्याकन करने के सम्बन्ध मे क्या नियम हैं

(अ) बिना किराये के मकान का मूल्य, तथा (आ) रिआयती किराय पर मिले हुए मकान का मूल्य।

5 What relief is allowed in respect of life insurance premium and provident fund under Income Tax Law?

आय-कर विधान के अन्तगत जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रावीडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में क्या छूट दी जाती है?

6 What benefits received by an employee from his employer, are included under the head salaries? Point out the deductions allowed in computing the taxable income from salary

कौनसे लाभ जो कमचारी (employee) को कमदाता (employer) से प्राप्त हैं, वेतन शीषक के अन्तगत आते है? वेतन से कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय कौन कौनसी कटौतियो (deductions) की अनुमति है बताइए।

7 Name the different kinds of provident funds of which a salaried employee may be a member and state the income tax provisions regarding each

एक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिस जिस प्रॉवीडेण्ट फण्ड का सदस्य बन सकता हो उनके नाम बताइए और उनमे से प्रत्येक के बारे म जो आय कर विधान है, वर्णन कीजिए।

8 What are the incomes that are chargeable to income tax under the head 'Salaries' ? Illustrate your answer

'वेतन' शीर्षक मे कर-योग्य आयें कौनसी है ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए।

६

(२) प्रतिभूतियो पर ब्याज

(2) INTERFST ON SECURITIES

आय कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार गत वर्ष मे कर-दाता को देय निम्न रकमो पर 'प्रतिभूतियो पर ब्याज' के शीर्षक म कर लगाया जाता है

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज परन्तु वार्षिकी जमा पर देय ब्याज छोडकर

(ii) स्थानीय सत्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से निर्गमित किये हुए ऋण पत्रो अथवा अन्य प्रतिभूतियो पर ब्याज

(iii) किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रो पर ब्याज, तथा

(iv) केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कॉरपोरेशन द्वारा अथवा उसकी ओर से निर्गमित किये हुए ऋण पत्रो अथवा अन्य प्रतिभूतियो पर ब्याज।

यदि गत वर्ष से पूर्व के गत वर्षों मे प्रतिभूतियो के किसी ब्याज पर आय कर न लगा हो और वह ब्याज गत वर्ष म कर दाता को प्राप्त हो तो उस पर गत वर्ष मे आय कर लगाया जायेगा।

कम्पनियो के अशो को प्रतिभूति नही माना गया है। विदेशी सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियो पर ब्याज 'अन्य-साधनो की आय' के शीर्षक म शामिल किया जाता है। इसी प्रकार कम्पनियो के अशो पर लाभाश भी 'अन्य साधनो की आय' के शीर्षक मे शामिल किया जाता है।

प्रतिभूतिया पर ब्याज दिन प्रतिदिन पैदा हुआ नही माना जाता है परन्तु यह उन निश्चित तारीखो पर पैदा हुआ माना जाता है जिनका उल्लेख सम्बन्धित प्रतिभूति पर किया गया होता है। साधारणतया ये तारीखें छमाही होती हैं।

प्रतिभूतियो के ब्याज-सहित व्यवहार (Cum Interest Transactions of Securities)

जब प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित खरीदी अथवा बेची जाती हैं तो उनके बाजार भाव म खरीदने अथवा बेचने की तिथि से पूर्व ब्याज की तिथि स खरीदने अथवा बेचने की तिथि तक का ब्याज शामिल होता है और आगे आने वाली

ब्याज की तिथि को पूरा ब्याज क्रेता को मिलता है यद्यपि वास्तव म क्रेता की ब्याज की शुद्ध आय यह पूरी रकम नही है क्योंकि उसने कुछ ब्याज की रकम प्रतिभूति को क्रय करते समय विक्रेता को क्रय मूल्य के अन्दर दी है, तथापि आय-कर अधिनियम आगे आने वाली ब्याज की तिथि पर मिले हुए पूरे ब्याज का क्रेता की कर-योग्य आय मानता है और विक्रेता ने जो ब्याज विक्रय मूल्य के अन्दर क्रेता से प्राप्त किया है उस पर उससे आय-कर नही लिया जाता है।

सूक्ष्म मे नियम यह है कि प्रतिभूति की ब्याज देने की तिथि के दिन जो व्यक्ति उस प्रतिभूति का स्वामी होता है वही उस सम्पूर्ण ब्याज का भी स्वामी माना जाता है और उसी को इस ब्याज की आय पर कर देना होता है।

प्रतिभूतियो के भेद

आय-कर अधिनियम के लिए प्रतिभूतिया तीन प्रकार की होती है

(i) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax free Government Securities),

(ii) कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतिया (Tax free Commercial Securities), और

(iii) कर युक्त प्रतिभूतिया (Less Tax Securities)।

(i) **कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ** (Tax free Government Securities)—ये दो प्रकार की होती है। एक वह जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की गयी हो और दूसरी वह जो राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गयी हो। सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज कर दाता की कुल आय मे केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोडा जाता है परन्तु बाद मे इस पर आय कर की औसत दर अथवा २५% जो दोनो मे कम हो, से छूट दी जाती है। इन प्रतिभूतिया का ब्याज बिना ग्रास अप (Gross up) किये हुए कुल आय मे शामिल किया जाता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज के सम्बन्ध मे कर दाता के लिए कोई अन्तर नही है। अन्तर केवल इस बात का है कि राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतिया के ब्याज पर आय कर राज्य सरकार चुकाती है।

कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी भी हैं जिनका ब्याज न कुल आय म जोडा जाता है और न उन पर आय-कर लगता है, उदाहरणार्थ, डाकखाने के कैश सर्टीफिकेट, नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट नेशनल प्लान सर्टीफिकेट तथा ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सर्टीफिकेट, आदि।

(ii) **कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ** (Tax free Commercial Securities)—ये वे प्रतिभूतियाँ है जो किसी कम्पनी अथवा व्यापारिक संस्था द्वारा निर्गमित की गयी हो। इनका ब्याज वास्तव म कर मुक्त नही होता है क्योंकि

इस ब्याज पर देय कर वह कम्पनी अथवा व्यापारिक संस्था स्वयं अपने पास से देती है। ये कर मुक्त इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ब्याज की कुल रकम (बिना कर काटे हुए) कर दाता को मिल जाती है और उसे इस पर स्वयं अपनी जेब से कर नहीं देना पड़ता है। इस ब्याज पर जो कर कम्पनी देती है वह कर-दाता की ओर से दिया हुआ माना जाता है और कर दाता को प्राप्त ब्याज की रकम में उसके सम्बन्ध में दिया हुआ कर जोड़ दिया जाता है, अर्थात् ब्याज को सकल (Gross up) बनाया जाता है तब वह सकल ब्याज की रकम कर दाता की कुल आय में शामिल की जाती है। इस ब्याज पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है सिवाय इसके कि जितना कर इसके सम्बन्ध में कम्पनी ने दिया है वह कर दाता द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर में से घटा दिया जाता है और शेष कर की रकम ही कर दाता चुकाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी ने ५ प्रतिशत कर मुक्त ऋण पत्र निर्गमित किये हैं तो ऋण पत्रधारी ब्याज की पूरी रकम ५ प्रतिशत की दर से प्राप्त करेगा परन्तु ऋण पत्रधारी की कुल आय में इस प्राप्त की हुई ब्याज की रकम में इस पर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर जोड़कर जो रकम आयेगी वह लिखी जायगी और बाद में इस आय कर की रकम को कर दाता द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर में से घटाकर शेष रकम ही आय कर के लिए दी जायेगी।

(iii) **कर युक्त प्रतिभूतियां (Less Tax Securities)**—कर युक्त प्रतिभूतियों से आशय उन प्रतिभूतियों से है जिन पर ब्याज का जो प्रतिशत दिया रहता है उसके हिसाब से निकाली हुई ब्याज की रकम में से आय कर काट कर शेष रकम प्रतिभूतिधारी को दी जाती है। कर युक्त प्रतिभूतियाँ भी सरकारी एवं व्यापारिक दोनों प्रकार की होती हैं और दोनों दशाओं में **यदि ब्याज की दर का प्रतिशत दिया हुआ है तो इस प्रतिशत से निकाली हुई रकम को सकल (gross) नहीं बनाया जाता है क्योंकि वह स्वयं ही सकल होती है और उसमें से आय-कर काटा जाता है। यदि इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज की रकम दी हो तो उसे सकल (gross) बनाना आवश्यक है। प्रत्येक दशा में ब्याज की सकल रकम ही कर दाता की कुल आय में जोड़ी जाती है।**

कटौतियाँ (Deductions)

'प्रतिभूतियां पर ब्याज" की कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ (deductions) दी जाती हैं

(i) प्रतिभूतियों के ब्याज को वसूल करने के सम्बन्ध में कर दाता द्वारा किया हुआ उचित व्यय जैसे, किसी बैंक द्वारा काटे गये ब्याज संग्रह या कमीशन।

(ii) कर-दाता द्वारा प्रतिभूतियां के खरीदने के लिए यदि कोई ऋण लिया गया हो तो उस पर देय ब्याज की रकम। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक

है कि यदि उस ऋण की रकम से कोई कर मुक्त प्रतिभूतिया खरीदी गयी हो तो इस ऋण का ब्याज कर मुक्त ब्याज मे से ही घटाया जायेगा। यदि ऋण का ब्याज कर मुक्त ब्याज से अधिक हो तो यह आधिक्य अन्य प्रतिभूतिया के ब्याज म से भी घटाया जा सकता है। यदि आय के इस शीर्षक मे फिर भी हानि रहे (अर्थात कटौतिया का जोड कुल प्राप्त ब्याज से अधिक हो) तो वह हानि उस कर दाता की अन्य किसी मद की आय म से घटायी जा सकती है।

अपवाद—अधिनियम की धारा २१ के अनुसार यदि प्रतिभूतिया का खरीदन के लिए लिये हुए ऋण का ब्याज भारत के बाहर किसी को दिया जाता है तो इस ब्याज की रकम को प्रतिभूतियो के ब्याज मे से नहीं घटाया जायेगा यदि दिये हुए ब्याज पर कर न चुकाया गया हो अथवा उसमें से कर न काटा गया हो तथा उनके लिए भारत मे ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो धारा १६३ के अन्तगत उसका अभिकर्ता (Agent) ठहराया जा सके।

दिखावटी लेन देन (Bond Washing Transactions)

ये लेन देन वास्तविक नही होते हैं। यह कर बचाने का एक तरीका है। प्रतिभूतिया पर ब्याज साधारणतया छमाही अथवा वार्षिक दिया जाना है और य तारीखे निश्चित होती हैं। चूकि ब्याज की देय तिथि के दिन जो व्यक्ति प्रतिभूतियो का मालिक होता है उसी की कुल आय म इनका पूरा ब्याज जोडा जाता है, अत कुछ चालाक लोग ब्याज की देय तिथि से कुछ दिन पहले अपनी प्रतिभूतिया ब्याज सहित (Cum Interest) किसी अपने मिलने वाले को बेच देते है और ब्याज की देय तिथि के कुछ ही दिन बाद उससे पुन ब्याज रहित (Ex Interest) खरीद लेते है। इस प्रकार ब्याज की तिथि के दिन वे उन प्रतिभूतियो के मालिक नही रहते और उन्हे इस ब्याज की रकम पर कर नही देना पडता है। ये लोग अपनी प्रतिभूतिया किसी एसे व्यक्ति को बचते है, जिसकी आय इस ब्याज को मिलाकर भी या तो न्यूनतम कर-योग्य सीमा (minimum taxable limit) से कम हो या बचने वाले की अपेक्षा कम आय हो, ताकि उस पर या तो कर लगे ही नही या कम दर से लगे। इस प्रकार बचने वाला कर देने से बच जाता है और खरीदने वाले की आय कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण वह भी इस पर कर नही देता है और यदि देता भी है तो कम दर से, जो विक्रेता द्वारा ही गुप्त रूपसे क्रेता के नाम से दे दिया जाता है। यदि वह व्यक्ति इस प्रकार प्रतिभूति को न बेचकर इस ब्याज को अपनी आय म ही जुडने देता तो उसकी कुल आय क्रेता से अधिक होने के कारण उसे इस ब्याज पर अधिक दर से कर देना पडता। साराश यह है कि इस चालाकी से आय-कर विभाग को हानि पहुँचती है। अत इसको रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन देन किया

जायेगा तो आय-कर अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय मे इस ब्याज को जोड़ेगा जिसने इन प्रतिभूतियों का इस प्रकार उपकर आय-कर से बचना चाहा था। इस सम्बन्ध में आय कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कर-दाता को आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है।

प्रतिभूतियों के विक्रय से लाभालाभ (Profit and Loss on Sale of Securities)

यदि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना कर दाता का पेशा न हो तथा वह उन्हें स्थायी विनियोग के रूप में ब्याज कमाने के उद्देश्य से रखे हुए है तो उनके विक्रय से होने वाला लाभालाभ पूंजीगत माना जाता है तथा यह धारा ४५ के अन्तर्गत पूंजी लाभ के शीर्षक मे कर योग्य है। यदि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना कर दाता का पेशा हो तो भी इसका लाभालाभ प्रतिभूतियों के शीर्षक में नहीं आता वरन् व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर योग्य होता है। लाभालाभ निकालने के लिए इन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध मे किया गया व्यय स्वीकृत व्यय माना जाता है परन्तु वह प्रतिभूतियों के ब्याज में से नहीं घटाया जाता है।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

(i) प्रतिभूतियों पर ब्याज देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्याज देते समय ब्याज की रकम में से निर्धारित दर पर कर काट ले और उसे सरकारी कोष में जमा कर दे। निर्धारित दर से आशय उस दर से है जो उस वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की गयी हो जिस वर्ष में कर की कटौती होनी है। यह कर ब्याज पाने वाले की ओर से दिया जाता है अतः उसे इस कटी हुई रकम का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ताकि ब्याज पाने वाला अपने कर निर्धारण में इस कटे हुए कर की रकम का Credit पा सके।

(ii) ४$\frac{1}{2}$ प्रतिशत नेशनल डिफेंस बॉण्डस, १९७२ (4$\frac{1}{2}$% National Defence Bonds, 1972) अथवा ६$\frac{1}{2}$ प्रतिशत गोल्ड बॉण्डस, १९७७ (6$\frac{1}{2}$% Gold Bonds, 1977) यदि विदेशी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति (individual) के पास है तो उन पर देय ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जायगी। Gold Bonds के सम्बन्ध मे उस व्यक्ति को ब्याज देने वाले अधिकारी का यह लिखित घोषणा देनी होगी कि Gold Bonds की कुल राशि, जो उसके पास है और जिनका यह ब्याज है १०,००० रुपये से अधिक नहीं है। यह नियम नये ७% गोल्ड बॉण्डस पर भी लागू होगा।

(iii) वित्त अधिनियम १९६५ के अनुसार कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य किसी निवासी व्यक्ति को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज पर १८ प्रतिशत आय

कर व २ प्रतिशत सरचाज (अर्थात कुल मिलाकर ब्याज पर २० प्रतिशत) काट लिया जाता है। कम्पनियो को छोडकर अ य विदेशी कर दाताओ की दशा मे यह कटौती २५ प्रतिशत आय-कर तथा ५ प्रतिशत सरचाज की दर से अथवा केवल एसी आय को कुल आय मानकर उस पर लागू आय कर व सरचाज की दर म (जो दोनो मे अधिक हो), की जायेगी।

१९६५ ६६ कर निधारण वष मे प्रतिभूतियो क ब्याज का सकल बनाने के लिए कम्पनियो का छोडकर अन्य निवासी कर दाताओ के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती २० प्रतिशत की दर से मानी जायेगी। यह दर वित्त अधिनियम, १९६४ द्वारा निर्धारित की गयी थी।

(iv) यदि कोई कर-दाता आय कर अधिकारी को यह प्राथना पत्र दे कि उसकी कुल आय आय कर लगने की न्यूनतम सीमा से कम है अथवा इतनी है कि उस पर निर्धारित दर से कम दर लागू होगी, और आय-कर अधिकारी उस प्राथना पत्र को स्वीकार कर ल तो वह एक प्रमाण पत्र इस आशय का दे देता है कि या तो उस पर कर बिलकुल नही लगेगा या कम दर स कर लगेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ब्याज दने वाला ब्याज की रकम में से या तो कर बिलकुल नही काटेगा और या प्रमाण पत्र के अनुसार कम दर से काटेगा।

Illustration 1

Mr P's investments during the year ended 31st March, 1965 consisted of the following

(a) Rs 50,000 3½% Govt Securities
(b) Rs 30 000 4% Agra Municipal Bonds
(c) Rs 40 000 4½% Bombay Port Trust Bonds

He paid Rs 60 as commission for collecting the interest and Rs 1,200 as interest on loan which he had taken for the purpose of purchasing the Bombay Port Trust Bonds

Find out his taxable income from Interest on Securities

Solution

Assessment Year 1965 66

Interest on Securities

		Rs	Rs
(a)	Govt Securities		1,750
(b)	Municipal Bonds		1,200
(c)	Port Trust Bonds		1 800
			4,750
Less	Collecting Commission	60	
	Interest on Loan	1 200	1 260
	Taxable Income from Interest on Securities		Rs 3 490

Illustration 2

The following are the particulars of income of Mr X for the previous year 1964 65

(a) Rs 50 000, 2% (Tax free) Govt Securities ,
(b) Rs 40 000 6% Preference Shares of a Company ,
(c) Rs 50 000, 4% (Less Tax) Govt Securities ,
(d) Rs 20 000, 4% (Tax free) Debentures of a Limited Company ,
(e) Rs 10,000, 4% Bombay Govt Loan,
(f) He paid Rs 100 as collection charges for interest to his banker
(g) He paid Rs 600 as interest on a loan which he took for purchasing Rs 50,000, 2% (Tax free) Govt Securities Find out his Taxable Income from Securities for the assessment year 1965 66

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for 1965 66

		Rs	Rs
(a)	2% (Tax free) Govt Securities	1,000	
	Less Interest on loan	600	
			400
(b)	4% (Less Tax) Govt Securities		2 000
(c)	4% (Tax free) Debentures of a limited company (Grossed up)		1 000
(d)	4% Bombay Govt Loan		400
			3 800
	Less · Bank Commission for collecting interest		100
	Taxable Income from Securities	Rs	3 700

Notes 1 Interest on Loan taken for purchasing Tax free Govt Securities is deducted from the Tax free Interest

2 Interest on Tax free Debentures is grossed up as below

$$\frac{\text{Net Interest} \times 100}{80} = \frac{800 \times 100}{80} = \text{Rs } 1,000$$

3 Dividend on preference shares is not taxable under this head of income

Illustration 3

The investments of Mr X on 1st April, 1964, were as given below

(a) Rs 50,000, 4% U P Govt Loan
(b) Rs 25,000, 5% Improvement Trust Debentures
(c) Rs 15,000, 5% Debentures of a Jute Mill Co

On 1st October, 1964 he sold his Improvement Trust Debentures at a profit of Rs 500 and purchased Rs 40,000 4% Port Trust Bonds, for which he took a loan of Rs 15,000 @ 6% per annum The bank commission for buying and selling securities was 1% and for collecting interest Rs 20 Find out the taxable income from interest on securities, such interest being payable in each case on 1st January and 1st July

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for the Assessment Year 1965 66

		Rs	Rs
(a)	Interest on 4% U P Govt Loan for 1 year		2 000
(b)	Interest on 5% Improvement Trust Debentures for ½ year		625
(c)	Interest on 5% Debentures of a Jute Mill Company for one year		750
(d)	Interest on 4% Port Trust Bonds for ½ year		800
			4 175
Less	Bank Commission for collecting interest	20	
	Interest on bank loan for 6 months (from 1st Oct to 31st March)	450	470
	Taxable Income from Interest on Securities		Rs 3 705

Notes 1 The Bank Commission for buying and selling securities is not deductible as it is a capital expenditure

2 Profit on sale of securities is not taxable as the securities are held as investment

Illustration 4

A person has the following investments during the year 1964 65

(i) Rs 54 000 3½% Govt Paper
(ii) Rs 30 000 5% Municipal Debentures
(iii) Rs 20 000 4½% Port Trust Bonds

(iv) Rs 10,000 4% Bombay Development Loan
(v) Rs 32,000 3% Tax free Govt of India Loan
(vi) Rs 32,000 5% Tax free Debentures of a Co
(vii) Rs 16,000 6% Debentures of a Sugar Mill Co

On 1st September, 1964, he bought Rs 40 000, 3% U P Govt Loan, the interest on which is payable on 30th June and 31st December For this purpose he took a loan from his bankers of Rs 30,000 @ 5% The bank also charged 2% commission on realisation of interest and dividend and 1% commission on purchase of securities Find out the taxable income from interest on securities

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for the Assessment Year 1965 66

			Rs
(i)	Interest on 3½% Govt Paper		1 890
(ii)	Interest on 5% Municipal Debentures		1 500
(iii)	Interest on 4½% Port Trust Bonds		900
(iv)	Interest on 4% Bombay Dev Loan		400
(v)	Interest on 3% Tax free Govt of India Loan		960
(vi)	Interest on 5% Tax free Debentures of a Co (Gross)		2 000
(vii)	Interest on 6% Debentures of a Sugar Mill Co		960
(viii)	Interest on 3% U P Govt Loan for ¼ year		600
			9 210
Less	Interest on loan of Rs 30,000 @ 5% for 7 months	Rs 875	
	Bank Commission @ 2% on Rs 7 560	151 20	
		1,026 20	
			1,026 20
	Taxable Income from Interest on Securities	Rs	[illegible]183 80

Notes 1 Interest on Tax free Debentures has been grossed up as below

$\frac{1\,600 \times 10}{8}$ = Rs 2,000

2 Bank Commission has been charged on the actual realisation which is $\frac{8,250 \times 8}{10}$ = Rs 6,600 + Tax free interest of Rs 960 = Rs 7,560

3 Commission on purchase of securities is not an admissible expense

QUESTIONS

1 Explain clearly the meaning of 'Free of tax' and 'Less tax' in connection with interest on securities for purposes of income tax assessment

आय कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में 'कर मुक्त' तथा 'कर-युक्त' शब्दों का अर्थ स्पष्टतया समझाइए ।

2 Write short notes on

(a) Bond Washing Transactions,

(b) Tax free Commercial Securities

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए

(अ) दिखावटी लेन-देन,

(आ) कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ ।

७

(३) मकान-सम्पत्ति से आय

(3) INCOME FROM HOUSE PROPERTY

आय कर अधिनियम की धारा २२ के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे उन मकानो अथवा उनसे लगी हुई जमीना के वार्षिक मूल्य पर आय कर लगाया जाता है जिनका कि कर-दाता स्वामी है और जिन्हे कि वह अपने किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नही करता है जिसके लाभो पर आय कर लगता है।

उपर्युक्त परिभाषा म निम्न महत्त्वपूर्ण बातें है

(१) मकानो अथवा उनसे लगी हुई जमीनो पर—'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक म मकाना तथा उनसे लगी हुई जमीनो की आय पर कर लगता है। वह जमीन जो किसी मकान के साथ न लगी हो इस शीर्षक के क्षेत्र मे नही आती है। उसकी आय का 'अन्य साधना से आय' के शीर्षक मे सम्मिलित किया जाता है।

(२) वार्षिक मूल्य पर—*कर दाता का अपने मकानो अथवा उनसे लगी* हुई जमीना के वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देना होता है। वार्षिक मूल्य की पूर्ण परिभाषा आगे दी गयी है।

(३) कर दाता का उस मकान सम्पत्ति का स्वामी होना—किसी कर दाता की आय के इस शीर्षक मे केवल उन्ही मकानो की आय शामिल की जाती है जिनका कि वह स्वामी है। यदि किसी कर दाता के पास कोई मकान पट्टे (lease) पर है तो उसे पुन किराये पर उठाने से यदि *कर-दाता को* कोई आय होती है तो वह 'अन्य साधना से आय' के शीर्षक म लिखी जायगी न कि 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से कोई जमीन पट्टे (lease) पर लेकर उस पर अपना मकान बनवाये तो वह व्यक्ति जिसने मकान बनवाया है उस मकान का स्वामी कहलायेगा।

(४) अपने किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता हो—यदि कोई मकान कर-दाता अपने ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करत

है जिसके लाभ आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य हैं तो उस मकान के वार्षिक मूल्य पर 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे कोई कर नही लगेगा परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रहे कि उसके इस व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय निकालने के लिए उस मकान का अनुमानित किराया खर्चे के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

यदि कर-दाता अपना कोई मकान अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करता है और उसका कोई अंश अपने व्यापार अथवा पेशे के किसी ऐसे कर्मचारी को किराये पर रहने को दे देता है जिसका वहाँ रहना व्यापार अथवा पेशे को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है तो उस कर्मचारी से प्राप्त किराया 'व्यापार से आय' के शीर्षक मे लिखा जायेगा न कि 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे।

चूंकि मकान-सम्पत्ति की आय का एक अलग शीर्षक है इसलिए यदि किसी व्यापारिक संस्था के कुछ मकान हैं जो उसने व्यापार के दौरान मे किराये पर उठाये हुए है तो उन मकानो से आय व्यापार की आय नही मानी जायेगी बल्कि वह 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे शामिल की जायेगी।

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें

मकान सम्पत्ति की कर मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे जो न कुल आय मे शामिल की जाये न उन पर कर लगे और दूसरी वे जो कर दाता की कुल आय मे तो शामिल होती है परन्तु उन पर कर नही लगता है।

(१) जो न कुल आय में शामिल होती हैं और न उन पर कर लगता है—(i) धारा २ (1)(c) के अन्तर्गत, ऐसे मकान से आय जो कृषि भूमि के पास स्थित हो तथा जिसमे किसान रहता हो अथवा वह कृषि उपज के भण्डार के रूप मे प्रयोग किया जाता हो।

(ii) धारा ११ (1)(अ) के अन्तर्गत ऐसे मकान से आय जो किसी पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट के पास हो।

(iii) धारा २२ के अन्तर्गत, ऐसे मकान से आय जो कर दाता अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करता हो।

(iv) धारा २३ (३) के अन्तर्गत, यदि किसी कर दाता के पास अपना केवल एक रहने का मकान हो जिसमें कि वह कहीं दूसरे स्थान पर अपनी नौकरी अथवा व्यापार अथवा पेशा होने के कारण पूरे गत वर्ष में बिलकुल न रह सका हो तथा उस दूसरे स्थान मे वह जिस मकान म रहा हो वह उसका

स्वय का न हो, तो ऐसे रहने के मकान से उस गत वर्ष की आय शून्य[1] होगी बशर्ते कि अपना रहने का मकान वास्तव में किराये पर न उठा दिया गया हो तथा उसमे मालिक मकान को कोई अन्य लाभ न प्राप्त होता हो।

(२) जो कुल आय मे तो शामिल होती हैं परन्तु उन पर कर नहीं लगता है—(i) धारा ८१ (iv) के अन्तर्गत, एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं का भण्डार करने के लिए, अथवा विधियो के लिए अथवा विपणन में सहायता देने के लिए किराये पर दिये गये **गोदामो अथवा भण्डारखानो का किराया।**

(ii) धारा ८१ (v) के अन्तर्गत, **एक सहकारी समिति की मकान-सम्पत्ति से आय यदि समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक न हो** और वह समिति मकान बनाने वालों या नगर मे स्थापित उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएँ निर्मित करने वाली समिति नही है।

(iii) धारा ८३ के अनुसार किसी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के विपणन (Marketing of Commodities) के लिए स्थापित किसी सत्ता की **मकान सम्पत्ति से वह आय** जो उसे गोदाम या भण्डारखाना को भण्डार करने अथवा वस्तुओं के विपणन म सहायता देने अथवा विधियो (processing) के लिए किराये पर उठाने से प्राप्त हो।

मकान-सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध मे अन्य महत्वपूर्ण बातें

(१) विदेश मे स्थित मकान सम्पत्ति की आय—विदेश मे स्थित मकान सम्पत्तियों की आय पर केवल **'भारत मे निवासियों'** पर ही कर लगता है अर्थात असाधारण निवासी व विदेशी उक्त आय पर कर नही देते हैं।

(२) दो या दो से अधिक व्यक्तियो का किसी मकान सम्पत्ति का मालिक होना—धारा २६ के अनुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी मकान सम्पत्ति के मालिक हो और प्रत्येक का अंश निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उस मकान सम्पत्ति की आय पर सम्मिलित रूप से कर नही लगेगा, परन्तु उस आय म प्रत्येक के भाग को उसकी निजी कुल आय मे जोडा जायेगा।

(३) शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराया—यदि एक किरायेदार ने अपने पास किराये पर लिये हुए मकान म कोई शिकमी किरायेदार (sub tenant) रख लिया है तो उससे प्राप्त किराये की रकम अन्य साधनो से आय के

---

[1] यदि इस रहने के मकान मे मालिक मकान गत वर्ष मे कुछ अवधि के लिए रहता है तो इस अध्याय के अन्त मे उदाहरण १० मे समझाये हुए तरीके से मालिक के स्वय के रहने वाले मकान का पूरे वर्ष का वार्षिक मूल्य निकालकर उसका वही अनुपात कर दिया जायेगा जो मालिक मकान के रहने की अवधि का पूरे गत वर्ष से है। यही आनुपातिक रकम इस मकान का वार्षिक मूल्य होगी।

शीर्षक में लिखी जायेगी न कि 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक में क्योंकि वह उस मकान का मालिक नहीं है।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

धारा २२ के अनुसार एक कर दाता की मकान सम्पत्ति से आय उस मकान के वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाली जाती है। अतः सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालने की विधि का ठीक ठीक समझना अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह वार्षिक मूल्य ठीक प्रकार से न निकाला जाय तो मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय गलत निकलेगी।

धारा २३ (१) के अनुसार किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य वह रकम मानी जाती है जितने में कि वह प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वार्षिक मूल्य से *तात्पर्य वास्तविक प्राप्त किराये से नहीं है, बल्कि उस अनुमानिक किराये* (Notional Rent) से है जितने में कि वह सम्पत्ति किराये पर उठायी जा सकती है। किसी सम्पत्ति को उसके उचित किराये से कम पर भी उठाया जा सकता है परन्तु उसका वार्षिक मूल्य उसका उचित किराया ही माना जायगा। किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निश्चित करने के लिए उससे सम्बन्धित सब तत्वों को ध्यान में रखा जायेगा, जैसे, वास्तविक प्राप्त किराया, नगरपालिका का मूल्यांकन, उसी क्षेत्र में स्थित ऐसी ही किसी अन्य सम्पत्ति का किराया, आदि। वार्षिक मूल्य निकालने के सम्बन्ध में मकान सम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

(१) वह मकान जो किराये पर उठा हुआ हो,

(२) वह मकान जिसमें मालिक मकान स्वयं रहता हो, तथा

(३) वह मकान जिसके कुछ भाग में मालिक मकान स्वयं रहता हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो।

(१) वह मकान जो किराये पर उठा हुआ हो—किराये पर उठे हुए मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए उस मकान से प्राप्त *वास्तविक किराये की रकम की तुलना* उस किराये से की जाती है जितने में कि वह मकान किराये पर उठाया जा सकता है। यदि वह मकान शहर में स्थित है तो वास्तविक किराये की रकम की तुलना नगरपालिका द्वारा किये हुए उस मकान के मूल्यांकन की रकम से की जाती है। इन दोनों में जो रकम अधिक होती है वही उस मकान का उचित किराया माना जाता है। यदि इस मकान पर नगरपालिका द्वारा अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता द्वारा कोई कर (जिसमें सेवा कर भी शामिल है) लगाया जाता है और यदि किरायेदार के हिस्से का कर पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में मालिक द्वारा

चुकाया जाता है तो मालिक द्वारा चुकायी गयी किरायेदार के दायित्व की रकम उस मकान के उचित किराये मे से घटा दी जाती है और जो शेष बचता है वही किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य होता है।

नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये करो के सम्बन्ध में किरायेदार का दायित्व—(i) धारा २३ (१) के अन्तर्गत दिये हुए स्पष्टीकरण के अनुसार १ अप्रल, १९५० से पूव बनकर सम्पूर्ण हुए मकानों के सम्बन्ध में नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता को दिये गये करो की पूरी रकम किरायेदार का दायित्व होती है। अत यदि १ अप्रैल, १९५० से पूर्व का बना हुआ कोई मकान किराये पर उठा हुआ है तो उस मकान के उचित किराये मे से मालिक द्वारा दी गयी इन करो की पूरी रकम घटाकर जो शेष बचता है वही इस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। उदाहरणार्थ, १ अप्रैल, १९५० मे पूर्व बने हुए एक मकान को ५० रुपये मासिक किराये पर उठाया जा सकता है और उस मकान पर मालिक द्वारा दिया गया नगरपालिका का वार्षिक कर ६० रुपये है तो यदि यह मकान किराये पर उठा हुआ हो तो उसका वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायगा

उचित वार्षिक किराया—कर की पूरी रकम=वार्षिक मूल्य

अर्थात ६०० रु०—६० रु०=५४० रु० वार्षिक मूल्य।

(ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार १ अप्रल, १९५० को अथवा उसके बाद बनकर सम्पूर्ण हुए मकानों के सम्बन्ध मे नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता को दिये गये करो की आधी रकम किरायेदार का दायित्व होती है। इस नियम के अनुसार यदि उपर्युक्त उदाहरण मे वह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद बना हो तो इसका वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायगा

उचित वार्षिक किराया—कर की आधी रकम=वार्षिक मूल्य

अर्थात ६०० रु०—३० रु०=५७० रु० वार्षिक मूल्य।

१ अप्रैल, १९६१ के बाद बने हुए रहने के मकान—यदि कोई रहने का मकान १ अप्रैल १९६१ के बाद बनना शुरु हुआ हो व समाप्त हुआ हो तथा वह किराये पर उठा दिया गया हो तो उसका बनना समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक, उपर्युक्त दी हुई विधि के अनुसार निकाले हुए उसके वार्षिक मूल्य मे से उसके वार्षिक मूल्य की पूरी रकम अथवा ६०० रुपये (जो दोनों मे कम हो) घटा दी जाती है और शेष बची हुई रकम ही उसका शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है। किसी भी दशा म ऐसे मकान की आय हानि म परिवर्तित नही हो सकती है।

स्पष्टीकरण—यदि उपर्युक्त वर्णित मकान म मालिक स्वय रहता है तो उस पर उपर्युक्त वर्णित नियम लागू नही होता है।

Illustration 1

The construction of a residential house began on 1st May, 1963 and ended on 31st December, 1963. On 1st April, 1964 it was let out at Rs 70 per month. If the municipal valuation of this house is Rs 600 per annum and the municipal taxes to be paid by the owner are Rs 50 per annum, what would be the Net Annual Value of this house for the period beginning from 1st April, 1964, and ending on 31st March, 1965 ?

Solution

Statement showing Calculation of Net Annual Value

		Rs
Actual Rent of the house for the year (being greater than the municipal valuation)		840
Less ½ Municipal Taxes		25
Gross Annual Value		815
Less (Either the whole Gross Annual Value or Rs 600 whichever is less)		600
Net Annual Value	Rs	215

किरायेदार द्वारा दिये गये नगरपालिका अथवा स्थानीय सत्ता के कर— यदि कोई किरायेदार मकान का किराया देने के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थानीय कर भी देता है, जिसका वास्तविक दायित्व मालिक मकान का हो, तो उस मकान का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए किरायेदार द्वारा दिये हुए किराये की रकम म उक्त कर की रकम भी जोड ली जाती है।

Illustration 2

Mr X is the owner of a house which is let out at Rs 500 per month. Municipal taxes payable by the owner on that house amount to Rs 800 out of which Rs 500 are paid by the tenant in addition to the aforesaid rent.

What will be the Annual Value of the house if it was constructed in 1955 ?

Solution

		Rs
Annual Rent		6,000
Add Municipal Taxes paid by the tenant		500
		6 500
Less ½ Municipal Taxes		400
Annual Value	Rs	6 100

(२) वह मकान जिसमे मालिक मकान स्वय रहता हो—धारा २३ (२) के अनुसार उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमें मालिक मकान स्वय रहता हो पहले उसी प्रकार निकाला जायेगा जिस प्रकार कि किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य निकाला जाता है, अर्थात यह मकान जितने वार्षिक किराये पर उठाया जा सकता है उसमे से स्थानीय करो की पूरी रकम (यदि यह मकान १ अप्रैल, १९५० से पूर्व बना हो) अथवा स्थानीय करो की आधी रकम (यदि यह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद बना हो) घटाकर जो शेष बचता है वही उस मकान का वार्षिक मूल्य है यदि यह मकान किराये पर उठा हुआ होता। इस वार्षिक मूल्य मे से इसका आधा अथवा १८०० रुपये (जो भी दोनो में कम हो) घटा दिया जायेगा। इस प्रकार घटाने के बाद जो रकम शेष बचेगी वह इस मकान का वार्षिक मूल्य होगी बशर्ते कि यह वार्षिक मूल्य किसी भी दशा में मालिक मकान की कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक है तो १० प्रतिशत तक ही उसका वार्षिक मूल्य माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे कुल आय से आशय उस आय से है जिसमे उस कर दाता की सब मदो से कर-योग्य आय (इस मकान की कर योग्य आय सहित) शामिल हो।

उपर्युक्त वर्णित १० प्रतिशत की सीमा निकालने के लिए निम्न फार्मूला (Formula) प्रयोग किया जाता है

स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य जो कुल आय का $\frac{1}{10}$ हो

$= \frac{1}{10}$ का $\frac{10}{11}$ (अन्य कर योग्य आय—स्वय रहने वाले मकान के स्वीकृत व्यय सिवाय $\frac{1}{6}$ मरम्मत भत्ते को छोड़कर)

अथवा

$\frac{1}{11}$ (अन्य कर योग्य आय—स्वय रहने वाले मकान के स्वीकृत व्यय सिवाय $\frac{1}{6}$ मरम्मत भत्ते को छोड़कर)

Illustration 3

An assessee owns a house which he is occupying for his own residential purposes. The municipal valuation of this house is Rs 6 000 per annum. He pays Rs 500 as municipal taxes on this house. The house was constructed after 1st April, 1950. Allowable expenses in connection with this house are Rs 400 other than the statutory repairs. His taxable income under the head 'salaries' is Rs 18 000. Find out (i) his taxable income from house property and (ii) his total income for the assessment year 1965-66

Solution

(i) *Statement showing Calculation of Taxable Income from House Property*

		Rs
Municipal Valuation of Residential House		6 000
Less ¼ Municipal Taxes		250
		5,750
Less Statutory Allowance (⅙ of Rs 5,750 or Rs 1,800 whichever is less)		1 800
Annual Value		Rs 3,950

But the annual value should not be more than $\frac{1}{10}$th of total income, hence

$\frac{1}{10}$ of (other taxable income—allowable expenses of the residential house other than the ⅙th Repairs Allowance)

or $\frac{1}{10}$ of (Rs 18 000—400)
or $\frac{1}{10} \times 17,600 =$ Rs 1 920

As Rs 3 950 is more than 1/10th of the Total Income of the assessee, the annual value of this house will be restricted to 1/10th of Total Income only, i e, Rs 1,920 (as per calculation given above)

Hence, the Taxable Income from House Property will be

		Rs
Annual Value (Restricted to 1/10th of Total Income)		1,920
	Rs	
Less 1/6 Repairs Allowance	320	
Allowable Expenses	400	
		720
Taxable Income from House Property		Rs 1 200

(ii) *Statement of Total Income*

	Rs
Taxable Income from Salary	18,000
Taxable Income from House Property	1,200
Total Income	Rs 19 200

(२) वह मकान जिसके कुछ भाग में मालिक मकान स्वयं रहता हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो—ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सर्वप्रथम मकान के उस भाग का वार्षिक मूल्य निकाल लेना चाहिए जो किराय

पर उठा हो तत्पश्चात् इसी वार्षिक मूल्य के आधार पर उस भाग का वार्षिक मूल्य निकाल लेना चाहिए जिसमे कि मालिक मकान स्वय रहता हो और फिर उसमे से उसका $\frac{1}{2}$ अथवा १,८०० रु० (दोनो मे जो कम हो) घटा देना चाहिए। शेष बची हुई रकम मालिक के स्वय के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य होगी बशर्ते कि यह उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो। यदि यह १० प्रतिशत से अधिक निकलेगी तो कुल आय के १० प्रतिशत तक की रकम मालिक मकान के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य मानी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि एक मकान का आधा हिस्सा किराये पर उठा हुआ है और शेष आधे मे मालिक मकान स्वय रहता है तो यदि वह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद का बना हुआ है और उसका आधा हिस्सा ५० रुपये मासिक किराये पर उठा हुआ है तथा पूरे मकान का गृह कर व जल-कर १०० रु० प्रति वर्ष है जो मालिक मकान चुकाता है, तो पहले किराये पर उठे हुए हिस्से का वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायेगा

आधे मकान का वार्षिक किराया	=६०० रु०
घटाया $\frac{1}{2}$ का $\frac{1}{2}$ गृह कर व जल कर	= २५ रु०
किराये पर उठे हुए भाग का वार्षिक मूल्य	=५७५ रु०

यही ५७५ रुपये शेष आधे मकान का वार्षिक मूल्य निकालने का आधार होगा, क्योकि किराये पर उठा हुआ भाग और मालिक मकान के स्वय के रहने का भाग बराबर है। मालिक मकान के स्वय के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए उक्त ५७५ रुपये मे से इसका आधा अथवा १,८०० रु० (जो दोनो मे कम हो) वैधानिक छूट के रूप मे घटा दिया जायगा। यहाँ ५७५ रु० मे से २८८ रु० (जो $\frac{1}{2}$ है) घटाये जायेंगे, क्योकि यह १,८०० रु० से कम है और शेष २८७ रुपये मालिक मकान के स्वय के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य होगा। इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रहे कि मालिक मकान के स्वय के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो। उपर्युक्त प्रकार से निकाले हुए दोनो वार्षिक मूल्यों का जोड़ इस पूरे मकान का वार्षिक मूल्य होगा।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा २४ (१) के अन्तर्गत, मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है

(१) मरम्मत के सम्बन्ध मे—(i) यदि मकान मे मालिक मकान स्वय रहता हो अथवा यह किराये पर उठा हुआ हो तथा इस मकान की मरम्मत कराने का दायित्व मालिक मकान का हो तो मकान के वार्षिक मूल्य का ⅙

भाग मरम्मत के भत्ते के रूप में वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जायेगा। यह एक वैधानिक भत्ता है जो हमेशा घटाया जायेगा चाहे मरम्मत में इससे कम अथवा अधिक व्यय हुआ हो अथवा बिलकुल भी व्यय न हुआ हो और चाहे मकान खाली पड़ा रहा हो।

(ii) यदि मकान किराये पर उठा हुआ हो और मकान की मरम्मत कराने का दायित्व किरायेदार पर हो तो मरम्मत की छूट मकान के वार्षिक मूल्य का वास्तविक दिये हुए किराये से आधिक्य (excess) तक अथवा वार्षिक मूल्य के ⅙ भाग तक (दोनों में जो कम हो) सीमित है, अर्थात यदि वार्षिक मूल्य का वास्तविक किराये पर आधिक्य वार्षिक मूल्य के ⅙ भाग से कम है तो वह आधिक्य ही मरम्मत की कटौती होगी और यदि वार्षिक मूल्य का ⅙ भाग उक्त आधिक्य से कम है तो ⅙ भाग की ही मरम्मत के लिए कटौती दी जायेगी।

(२) बीमा प्रीमियम—मकान-सम्पत्ति की नुकसानी अथवा बरबादी से होने वाली हानि की जोखिम से बचने के लिए कराये हुए मकान के बीमे का प्रीमियम, जैसे आग, भूकम्प, बिजली गिरने आदि से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम।

(३) मकान सम्पत्ति के बंधक करने अथवा उस पर अन्य कोई पूंजीगत भार होने की दशा में—यदि मकान सम्पत्ति बंधक कर दी गयी है अथवा उस पर अन्य कोई पूंजीगत भार है तो उस बंधक पर लिये हुए ऋण का अथवा उस भार का ब्याज चाहे ऋण लेने का उद्देश्य कुछ भी क्या न हो। धारा २७ में दी हुई परिभाषा के अनुसार पूंजीगत भार से आशय उस भार से है जो किसी पूंजीगत दायित्व के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए किसी सम्पत्ति पर लगाया गया हो। यह पूंजीगत भार स्वयं नहीं घटाया जाता है बल्कि उस भार के सम्बन्ध का ब्याज घटाया जाता है।

(४) वार्षिक भार (Annual Charge)—यदि सम्पत्ति पर कोई वार्षिक भार है, जो पूंजीगत भार न हो, तो ऐसे वार्षिक भार की रकम। धारा २७ के अनुसार वार्षिक भार उस भार को कहते हैं जो किसी वार्षिक दायित्व का सुरक्षित करने के लिए हो परन्तु इसमें स्थानीय सत्ता अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये हुए सम्पत्ति पर कर शामिल नहीं होते है। जैसे, यदि ऋण पत्रों (debentures) के ब्याज को किसी सम्पत्ति पर भार लगाकर सुरक्षित कर दिया जाय तो यह ब्याज वार्षिक भार होगा। इसी प्रकार, यदि किसी अविभाजित हिन्दू परिवार पर उस परिवार की किसी विधवा को अपने जीवन निर्वाह के खर्चों के लिए ५०० रु० वार्षिक देने का दायित्व है और यह दायित्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विधवा को परिवार की सम्पत्ति की आय में से यह रकम वसूल करने का

अधिकार दिया गया है तो यह ५०० रु० की रकम परिवार की सम्पत्ति पर वार्षिक भार होगी जो सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जायगी (C I T v Bhayya, 1949 I T R 515)।

(५) भूमि का किराया—यदि मकान जिस भूमि पर बना हुआ है उसका कुछ किराया दिया जाता है तो उस भूमि के किराये की रकम।

(६) मकान के लिए लिये हुए ऋण पर ब्याज—मकान सम्पत्ति को खरीदने, बनवाने अथवा मरम्मत कराने के लिए लिये हुए ऋण पर ब्याज की रकम।

(७) मालगुजारी अथवा भूमि का लगान (Land Revenue)—सम्पत्ति के सम्बन्ध में दी गयी कोई मालगुजारी अथवा भूमि का लगान।

(८) किराया वसूल करने के व्यय—मकान-सम्पत्ति का किराया वसूल करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय, परन्तु ये सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(९) मकान के खाली रहने की छूट—यदि मकान किराये पर उठा हुआ है और वह गत वर्ष में कुछ समय के लिए खाली रहता है तो उस मकान के वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि का आनुपातिक मूल्य 'खाली रहने की छूट' के नाम से घटा दिया जायगा। उदाहरणार्थ, यदि मकान का वार्षिक मूल्य १२,००० रु० है और वह मकान गत वर्ष में ३ माह तक खाली रहता है तो इस मकान के वार्षिक मूल्य का $\frac{3}{12}$ या $\frac{1}{4}$ अर्थात् १२,००० का $\frac{1}{4}$= ३ ००० रु० इस मकान की 'खाली रहने की छूट' होगी।

यदि सम्पत्ति कई हिस्सों में अलग अलग किराये पर उठायी गयी है और इसका कोई हिस्सा कुछ समय के लिए खाली रहता है तो खाली रहे हुए हिस्से के आनुपातिक वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि का आनुपातिक मूल्य 'खाली रहने की छूट' के नाम से घटा दिया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि एक मकान का वार्षिक मूल्य १२,००० रु० है और यह तीन बराबर हिस्सों में अलग अलग किराये पर उठा हुआ है तो यदि इसका एक हिस्सा गत वर्ष में तीन माह तक खाली रहता है तो इस हिस्से के लिए खाली रहने की छूट निम्न प्रकार निकाली जायेगी

१२,००० रु० का $\frac{1}{3}$=४,००० रु० इस हिस्से का वार्षिक मूल्य,

४ ००० रु० का $\frac{3}{12}$=१,००० रु० इस हिस्से के ३ माह तक खाली रहने की छूट, जो वार्षिक मूल्य में से घटा दी जायगी।

(१०) न वसूल हुए किराये की रकम—यदि कर-दाता अपने किसी किरायेदार से किराये पर दिये हुए मकान का पूरा किराया वसूल न कर सके तो न वसूल हुए किराये की रकम उस मकान के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जाती है

बशर्ते कि इसके सम्बन्ध मे सेण्ट्रल बाड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनायी हुई निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(i) किरायदारी वास्तविक हो,

(ii) उस किरायेदार ने मकान खाली कर दिया हो, अथवा मकान खाली कराने के लिए उसे बाध्य करने की कार्यवाहिया की जा चुकी हो,

(iii) वह किरायेदार कर-दाता के किसी अन्य मकान पर कब्जा न किये हुए हो,

(iv) कर-दाता न चुकाये गये किराये को वसूल करने के लिए सब प्रकार की उचित कानूनी कार्यवाही कर चुका हो अथवा आय कर अधिकारी को यह सन्तुष्ट कर दे कि कानूनी कार्यवाहियाँ व्यर्थ होगी, तथा

(v) उस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य जिस पर किराया नहीं वसूल हो पाया है, कर दाता की उस गत वर्ष की कर योग्य आय मे शामिल कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध मे किराया बाकी है तथा ऐसी कर योग्य आय पर कर चुकाया जा चुका है।

इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना चाहिए कि न वसूल हुए किराये की रकम कर दाता की 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे उसकी कुल आय मे शामिल होने वाली उस रकम से अधिक न हो जिसमे से यह न वसूल हुआ किराया न घटाया गया हो।

यदि उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत कटौतिया का जोड उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो यह उस सम्पत्ति की हानि होगी जिसे कर दाता अपनी अन्य मदो की आय मे से काट सकता है।

मकान सम्पत्ति की आय मे से न घटायी जाने वाली रकमे (Amounts not deductible from income from house property)—धारा २५ के अनुसार कोई भी वार्षिक भार अथवा ब्याज, जो भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है तथा जिसका भुगतान भारत के बाहर होना है 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीर्षक मे कर योग्य आय निकालने के लिए नहीं घटाया जायेगा यदि उस भार अथवा ब्याज की रकम मे से कर न काट लिया गया हो अथवा भारत मे ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसे धारा १६३ के अन्तर्गत विदेशी प्राप्तकर्ता का अभिकर्ता (agent) मान सकें।

Illustration 4

Gopal is employed in a government office on a monthly salary of Rs 500 He owns Rs 80 000 3½% Government securities and is also the owner of a big house, whose municipal valuation is Rs 1 600 He has let one third of the house at Rs 60 per month and occupies the remainder for his own

residence The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage The interest on mortgage was Rs 600 for the year The municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 300 Ascertain his taxable income from house property and also his total income for the previous year ended 31st March, 1965

Solution

Statement showing Taxable Income from House Property

		Rs
Rent of the portion let		720
Less ½ Municipal Taxes of the rented portion (½ of ½ of 300)		50
Annual Value of the portion let		Rs 670
		Rs
Annual Value of the residential portion on the basis of the portion let		1 340
Less ½ Statutory Allowance		670
Annual Value of the residential portion		Rs 670
		Rs
Annual Value of the whole house (Rs 670+Rs 670)		1,340
Less	Rs	
⅙ for Repairs	223 33	
Interest on Mortgage	600 00	823 33
Taxable Income from House Property		Rs 516 67
	or, say,	Rs 517

Note It is assumed here that the house was constructed after 1st April 1950

Statement of Total Income

		Rs
1	Income from Salary	6 000
2	Interest on Securities	2 800
3	Income from House Property	517
	Total Income	Rs 9,317

Illustration 5

Shri Subhash is the owner of two houses one of which the municipal valuation is Rs 1 000, is occupied by him for his

own residence and the other, of which the municipal valuation is Rs 1,600, is let out at Rs 200 per month The expenses for both the houses are

Municipal taxes Rs 260, land revenue for the house let out, Rs 100, interest on loan taken to repair the house let Rs 300, fire insurance premium for both the houses, Rs 200

Ascertain his income from house property assuming that his income from other sources during the previous year 1964 65 was Rs 15,000

Solution

Statement showing Income from House Property

	Rs	Rs
Rent of house let	2 400	
Less ½ of Municipal Taxes being proportionate to municipal valuation, i e,		
½ of $\left(260 \times \frac{1\,600}{2\,600}\right)$ or ½ of 160	80	2 320
Annual Value of self occupied house on the basis of municipal valuation	1,000	
Less ½ of Municipal Taxes being proportionate to municipal valuation, i e		
½ of $\left(260 \times \frac{1,000}{2,600}\right)$ or ½ of 100	50	
	950	
Less Statutory Allowance being ½ of it	475	475
Annual Value of both the houses		Rs 2 795
	Rs	
Less ⅙ for Repairs	466	
Land Revenue	100	
Interest on Loan	300	
Fire Insurance Premium	200	1 066
Income from House Property		Rs 1,729

Notes 1 It has been assumed that both the houses were constructed after 1st April, 1950

2 Annual value of the residential house is much less than 10% of his total income, as only the amount of Rs 15 000 which represents income from other sources is sufficient to cover up the said annual value within 10% limit

Illustration 6

Mr R P Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8,000, which he has let to Mr Kamthan at

Rs 7,000 per annum, Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 2,500, excluding the cost of repairs

You are required to calculate his taxable income from house property

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 per annum instead of Rs 7,000, per annum ?

Solution

In this case the tenant has undertaken to bear the cost of repairs, hence the Repair Allowance is restricted to either the excess of the Annual Value over the rent paid or $\frac{1}{6}$ of the Annual Value, whichever is less Applying this rule, the taxable income of the house property in question will be determined as follows

		Rs
Annual Value		8,000
Less Repair Allowance (the excess of the Annual Value over the rent paid being less than 1/6th of the annual value, i e Rs 8,000 – Rs 7 000 = Rs 1 000)		1,000
Taxable Income from House Property	Rs	7 000

In the case of the house being let at Rs 6 000 per annum instead of Rs 7,000 per annum

		Rs
Annual Value		8,000
Less Repair Allowance ($\frac{1}{6}$ of Annual Value being less than the excess of the Annual Value over the rent paid, i e, $\frac{1}{6}$ of 8,000 = Rs 1 333 33)		1 333 33
Taxable Income from House Property	Rs	6 666 67
	or say Rs	6 667

Note Expenses of Rs 2 500 have not been allowed as a deduction because nothing is mentioned in the question regarding their nature

Illustration 7

Mr X owns three houses the details regarding which are as follows

1 The first house of the annual rental value of Rs 4,000 was occupied by him for his residence

2 The second house of the annual rental value of Rs 5,600 was let out at Rs 400 per month He paid Rs 600 as interest on money borrowed for the construction of the house, Rs 80 as ground rent and Rs 200 as fire insurance premium

3 The fair rent of the third house is Rs 1,600 and its actual rent is Rs 1,400, but in respect of this house legal maintenance charge of Rs 1,600 per year exists in favour of his father

Find out his taxable income from house property for the assessment year 1965 66 if his other taxable income was Rs 25,000

Solution

Computation of Taxable Income from House Property

		Rs	Rs
1 Annual value of Residential House		4,000	
Less Statutory Allowance (restricted to Rs 1,800 being less than one half)		1 800	
Annual Value		2,200	
Less ⅙ for Repairs		367	1,833
2 Annual Value of the 2nd house		5,600	
	Rs		
Less ⅙ for Repairs	933		
Interest on Loan	600		
Ground Rent	80		
Fire Ins Premium	200	1 813	3,787
3 Annual Value of the 3rd house		1,600	
	Rs		
Less ⅙ for Repairs	267		
Annual Charge	1 600	1,867	—267
Taxable Income from House Property			Rs 5 353

Illustration 8

Mr A has five houses the municipal valuations of which are Rs 3,000 , Rs 3,200 , Rs 2,000 , Rs 4 000 and Rs 6,000

respectively He lives in the first house In the second house he runs his business The other three houses are let out for Rs 120, Rs 350 and Rs 600 per month respectively One third portion of the third house is also used by him for residential purposes and the rent of Rs 120 is received for the remaining two third portion A loan was taken for the construction of the fifth house, the construction of which began on 1st June 1963, and ended on 31st January, 1964 The house was let out on 1st February, 1964 For the previous year 1964 65 the interest paid by him in respect of the loan amounted to Rs 800 Municipal taxes were assessed @ 10% of the valuation His income from business was Rs 30,000 Ascertain his taxable income from house property for the assessment year 1965 66

Solution

Computation of Taxable Income from House Property for the Assessment Year 1965 66

		Rs	Rs
1	Annual Rental Value of the residential house	3,000	
	Add Proportionate rental value of the residential portion (one third) of the 3rd house	720	
		3,720	
	Less ½ Municipal Taxes[1]	183 50	
		3 536 50	
	Less ½ Statutory Allowance	1 768 25	
	Net Annual Value	Rs 1,768 25	
	Less ⅙ for Repairs	294 71	1 473 54
2	Annual Rental Value of the two third portion of the 3rd house	1 410	
	Annual Rental Value of the 4th house	4 200	
		5,610	
	Less ½ Municipal Taxes[2]	266 50	
	Net Annual Value	Rs 5 373 50	
	Less ⅙ for Repairs	895 58	4 477 92

		Rs	
3	Annual Rental Value of the Fifth house	7,200	
	Less ¼ Municipal taxes	300	
		6 900	
	Less Statutory Deduction	600	
		6,300	
	Less ⅙ for Repairs 1,050		
	Interest on Loan 800	1,850	4 450
	Taxable Income from House Property	Rs	10,101 46
		or say Rs	10 401

Notes 1 Municipal Taxes of the 1st house being 10% of Rs 3,000 — Rs 300

Municipal Taxes of the 1/3rd portion of the third house being 1/3rd of 10% of Rs 2 000 — Rs 67

Total Municipal Taxes in respect of the residential house — Rs 367

Half of it is deductible which comes to — Rs 183 50

2 Municipal Taxes of the 4th house being 10% of Rs 4,000 — Rs 400

Municipal Taxes of 2/3rd portion of the third house being 2/3rd of 10% of Rs 2 000 — Rs 133

Rs 533

Half of it, being deductible — Rs 266 50

3 As the 2nd house is being used for his business its income is not taxable under the head Income from House Property'

Illustration 9

Shri Krishna Das owns several properties the annual letting value of which amounts to Rs 30,000, including Rs 6 000 for a bungalow where he resides He claims the following expen

ses in addition to the statutory allowance for repairs, viz, Rs 100 for insurance premium, Rs 500 for interest on mortgage, Rs 300 for vacancy allowance Rs 30 for ground rent and Rs 1,500 for rent collection charges

Assuming that he has no other income find out his total income for the assessment year 1965 66

Solution

Computation of Total Income

			Rs
Annual Rental Value of houses let out (Rs 30,000—6,000)			24,000
	Rs		
Less $\frac{1}{6}$ for Repairs	4,000		
$\frac{4}{5}$ of Insurance Premium	80		
$\frac{4}{5}$ of Interest on mortgage	400		
$\frac{4}{5}$ of Ground Rent	24		
Vacancy Allowance	300		
Collection charges (restricted to 6% of annual value)	1,440		6 244
Taxable Income from Rented Property		Rs	17,756

	Rs
Annual Letting Value of Residential House	6 000
Less Statutory Allowance ($\frac{1}{2}$ of Annual Rental Value or Rs 1 800 whichever is less)	1 800
Annual Value	Rs 4,200

But the annual value should not be more than 1/10th of total income, hence

$\frac{6}{55}$ of (other taxable income—allowable expenses of the residential house other than the $\frac{1}{6}$th Repair Allowance)

or $\frac{6}{55}$ of Rs (17 7›6—126)

or $\frac{6}{55}$ of 17 630=Rs 1 923 27

(As Rs 4 200 is more than $\frac{1}{10}$ of the Total Income of the assessee the Annual Value of this house will be restricted to 1/10

of the Total Income, i e, Rs 1 923 27, as per calculation given above)

		Rs	Rs	
Annual Value of Residential House restricted to 1/10 of Total Income			1,923 27	
		Rs		
Less	1/6 Repair Allowance	320 54		
	1/5 Insurance Premium	20 00		
	1/5 Interest on Mortgage	100 00		
	1/5 Ground Rent	6 00	446 54	
Taxable Income from Residential House			Rs	1,476 73
Total Income for 1965 66			Rs	19,232 73
			or, say Rs	19,233

Illustration 10

Mr X is the owner of three house properties in Agra, particulars in respect of which for the year ended 31st March, 1965, are as below

		1st house	2nd house	3rd house
1	Construction started on	1 4 63	1 8 63	1-7 48
2	Construction completed on	31 12 63	31 1 64	31 12 48
3	Actual rent received	Rs 1,000	Rs 900	Dwelling House
4	Fair Rent	Rs 1,200	Rs 900	Rs 16,000
5	Total Municipal Tax	Rs 120	Rs 90	Rs 1 600
6	Municipal Tax paid by Mr X	Rs 120	Rs 45	Rs 1 600
7	Municipal Tax paid by the tenant	—	Rs 45	—
8	Cost of repairs borne by	Owner	Owner	Owner
9	Vacancy period	—	—	3 months
10	Collection charges	Rs 50	Rs 30	—
11	Insurance Premium	Rs 10	Rs 10	Rs 260
12	Interest on mortgage	Rs 150	Rs 300	Rs 3 000

Mr X resided in Delhi for 3 months during the previous year in connection with his business and for all these 3 months his dwelling house at Agra remained vacant During the period of his stay in Delhi he did not occupy any other house of his own

Compute Mr X's Taxable Income from House Property for the assessment year 1965 66, if his other income for the year was Rs 1,50,000

Solution

Computation of Taxable Income from House Property

First House

			Rs
Fair Rent			1 200
Less ½ Municipal Taxes			60
			1,140
Less Statutory Deduction (Gross Annual Value or Rs 600 whichever is less)			600
	Annual Value		Rs 540
		Rs	
Less ½ Repair Allowance		90	
Collection Charges restricted to 6% of Annual Value of Rs 540		32	
Insurance Premium		10	
Interest on mortgage		150	282
	Taxable Income		Rs 258

Second House

			Rs
Fair Rent			900
Less Statutory Deduction (Gross Annual Value or Rs 600 which ever is less)			600
	Annual Value		Rs 300
		Rs	
Less ⅙ Repair Allowance		50	
Collection Charges rsetricted to 6% of Annual Value of Rs 300		18	
Insurance Premium		10	
Interest on Mortgage		300	378
	Loss		Rs 78

No loss will be allowed nor any income will be taxable regarding the second house

Third House

		Rs
Fair Rent		16,000
Less Municipal Taxes		1,600
		14,400
Less Statutory Allowance		1,800
	Annual Value Rs	12,600

Annual Value will be reduced to ¾th as the house remained vacant for 3 months and the assessee fulfils all the conditions of Section 23(3)[1]

Hence Net Annual Value		=Rs 9 450
Less Deductions permissible		
	Rs	
⅙ Repair Allowance	1,575	
Insurance Premium	260	
Interest on mortgage	3,000	4 835
	Taxable Income	Rs 4 615

Hence, Total Taxable Income from House Property =Rs 258+4 615=Rs 4 873

Notes (1) Under Section 23 (3) "Where the property in the occupation of the owner consists of one residential house only and it cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to his employment, business or profession carried on at any other place he has to reside at that other place in a building not belonging to him *the annual value of such house shall*—

(i) if the house was not actually *occupied by the* owner during the whole of the previous *year, be taken* to be Nil or

(ii) *if the house was actually occupied by the owner for a fraction of the previous year, be taken to be that fraction of the annual value determined under sub-section* (2)" It means that in this *case vacancy allowance* is not to be given as a *deduction but the annual* value itself will be reduced *proportionately*

(2) The annual value of *the residential house is less than* 10% of his total *income*

QUESTIONS

1 Define 'annual value', and state the deductions that are allowed from the annual value in computing the taxable income from house property

'वार्षिक मूल्य' की परिभाषा दीजिए तथा मकान-सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य म से घटायी जाने वाली स्वीकृत कटौतियो का वणन कीजिए।

2 In computing the taxable income from house property, what deductions are allowed from annual value ?

मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य म से क्या-क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं ?

3 Write short notes on

(a) Vacancy Allowance

(b) Unrealised Rent

(c) Repair Allowance

(d) Income from house property in a foreign country

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(अ) मकान के खाली रहने की छूट।

(आ) न वसूल हुए किराये की रकम।

(इ) मरम्मत भत्ता।

(ई) विदेश मे स्थित मकान-सम्पत्ति से आय।

4 State the items of income from house property which are not liable to tax

मकान सम्पत्ति से आय के उन मदो का वणन कीजिए जिन पर कर नहीं लगता है।

5 What is meant by annual value of property, and what deductions are allowed to arrive at the taxable income from property ? How would you arrive at the annual value of a house occupied by an assessee for his own residence ?

मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या समझते हो तथा मकान-सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं ? कर दाता के स्वय के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे ?

८

(४) व्यापार अथवा पेशे के लाभ

(4) PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION

आय-कर अधिनियम मे धारा २८ से ४३ तक 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक मे आय की गणना करने के सम्बन्ध मे नियम दिये हुए है। इन नियमो का अध्ययन करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यापार तथा पेशे के क्या अर्थ हैं। धारा २ (१३) के अनुसार व्यापार मे कोई लेन-देन, वाणिज्य या वस्तु-उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस, जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल हैं। व्यावहारिक रूप से व्यापार शब्द का आशय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना अथवा निर्माण करना है। व्यापार मे बैंकर का कार्य करना, यातायात का कार्य करना अथवा अन्य कोई उपक्रम करना भी शामिल है। इस सम्बन्ध मे यह आवश्यक नही है कि व्यापार मे व्यवहारो की शृंखला ही हो और वह स्थायी रूप से ही किया जाय। एक एकाकी व्यवहार (Isolated Transaction) का लाभ भी, यदि वह व्यापार सम्बन्धी प्रकृति का है, इस शीर्षक मे कर लगने योग्य होता है।

धारा २ (३६) के अनुसार पेशे (profession) मे व्यवसाय (vocation) भी शामिल है। पेशे से आशय उन कार्यों से है जिनमे मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे वकील, डॉक्टर, अंकेक्षक, इंजीनियर आदि का कार्य पेशा कहलाता है। व्यवसाय (vocation) का अर्थ उन सब कार्यों से है जो जीविका उपार्जन के लिए किये जाते हैं, जैसे, दलाली, बीमा एजेन्सी, सगीत नृत्य, चोरी आदि। चूंकि व्यापार अथवा पेशे के लाभो पर कर लगाने के सम्बन्ध मे एक ही नियम है अतः आय कर के दृष्टिकोण से इनका भेद समझने की कोई आवश्यकता नही है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ (Profits of Business or Profession)

इस अधिनियम की धारा २८ के अनुसार निम्न आयो पर 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक मे आय कर देना होता है

(i) कर-दाता द्वारा गत वर्ष मे किसी भी समय किये गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ,

(ii) निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा प्राप्य अथवा प्राप्त की हुई क्षति पूर्ति या अन्य किसी भुगतान की रकम

(अ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, तथा किसी भारतीय कम्पनी का सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण प्रबन्ध करता हो, अपने प्रबन्ध की समाप्ति अथवा प्रबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन होने के सम्बन्ध मे,

(आ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा अन्य किसी कम्पनी का भारत मे सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण प्रबन्ध करता हो, अपने प्रबन्ध की समाप्ति अथवा प्रबन्ध की शर्तों म परिवर्तन होने के सम्बन्ध मे,

(इ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, तथा किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार के किसी भी कार्य के सम्बन्ध मे भारत मे एजेन्सी लिये हो, अपनी एजेन्सी के समाप्त होने अथवा उसकी शर्तों म परिवर्तन होने के सम्बन्ध म,

(iii) व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के अन्य समुदायो (associations) द्वारा अपने सदस्यो के लिए कोई सेवा करने से होने वाली आय,

(iv) एक कर दाता को अपने व्यापार अथवा पेशे का कार्य करने के सम्बन्ध मे प्राप्त किसी लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य (जो द्रव्य म परिवर्तनीय हो अथवा न हो), उदाहरणार्थ, यदि कोई कम्पनी अपने वकील को किराये से मुक्त रहने का मकान देती है तो इसका मूल्य कर दाता के हाथ म "व्यापार अथवा पेशे' के शीर्षक मे कर योग्य होगा।

उपर्युक्त (iii) मे व्यापारिक समुदाय (Trade Association) का आशय व्यापारियो के किसी भी ऐसे संघ से है जो अपने सदस्यो के व्यापार के हित की रक्षा करता हो तथा उनकी सामान्य उन्नति करने का प्रयत्न करता हो जैसे चैम्बर ऑफ कामर्स (Chamber of Commerce)। धारा २८ (iii) अन्य संघो, जैसे खेल-कूद के क्लब, पर लागू नही होता है।

स्पष्टीकरण—(१) व्यापार के लाभो के अन्तर्गत मैनेजिंग एजेन्सी के लाभ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

(२) यदि किसी कर दाता द्वारा 'सट्टे के व्यवहार' एक व्यापार के रूप मे किये जाते हैं, तो वह व्यापार 'सट्टे का व्यापार' कहलायेगा और वह उसके अन्य किसी व्यापार से पृथक् समझा जायेगा।

धारा ४३ (५) के अनुसार 'सट्टे के व्यवहार' का अर्थ वस्तुओं (जिनमे अंश व स्कन्ध भी शामिल है) के क्रय विक्रय के ऐसे अनुबन्धों से है जो समय समय पर अथवा अन्त मे वस्तुओ अथवा प्रलेखो (Scrips) का बिना वास्तविक हस्तान्तरण किये हुए निबट जाते है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभो पर कर लगाने के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त

(१) कर दाता व्यापार चलाता हो—धारा २८ के अनुसार उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो व्यापार चलाता है। इस शीर्षक मे उस व्यक्ति द्वारा व्यापार स्वयं ही चलाना आवश्यक नही है बल्कि उस उस व्यापार को चलाने का अधिकार होना आवश्यक है, चाहे उसके द्वारा अधिकृत अन्य कोई व्यक्ति उस व्यापार को चला रहा हो।

(२) कर दाता द्वारा सचालित सब व्यापारो अथवा पेशो की आयो के जोड पर कर लगता है—धारा २८ के अन्तर्गत कर-दाता के प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे के लाभो पर पृथक पृथक कर नही लगता है बल्कि कर-दाता द्वारा सचालित सब व्यापारो अथवा पेशो की आयो के जोड पर कर लगता है, क्योंकि सब प्रकार के व्यापारो अथवा पेशो की आय एक ही शीर्षक मे कर योग्य होती है। आयो से आशय लाभ से है, न कि सकल प्राप्तियो से। इस सिद्धान्त का भावार्थ यह है कि यदि कोई कर दाता कई व्यापार करता है और यदि किसी वर्ष मे उसे एक व्यापार मे लाभ और एक मे हानि होती है तो वह अपनी एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ मे से घटा सकता है और शेष बची हुई रकम ही उस कर-दाता की इस शीर्षक मे आय होगी।

(३) सट्टे के व्यापारो के हानि लाभ पृथक् रहते हैं—एक कर-दाता द्वारा सचालित सट्टे के व्यापारो के हानि लाभ पृथक रहते है, अर्थात यदि कोई हानि सट्टे के व्यापार मे होती है तो वह सट्टे के लाभो मे से ही घटायी जा सकती है न कि अन्य किसी व्यापार के लाभो मे से।

(४) वह व्यापार अथवा पेशा कर दाता द्वारा गत वर्ष मे किसी भी समय के लिए चलाया गया हो—कर दाता ने उस व्यापार अथवा पेशे को गत वर्ष मे किसी भी समय के लिए चलाया हो अर्थात चाहे पूरे गत वर्ष चलाया हो अथवा नही।

(५) व्यापार बन्द होने पर सम्पत्तियो के विक्रय पर लाभ—व्यापार बन्द होने पर सम्पत्तियो के विक्रय पर होने वाले लाभ पर कर नहीं लगता है, परन्तु यदि इन सम्पत्तियो मे व्यापार का अन्तिम रहतिया भी बेचा जाता है तो अन्तिम रहतिये के बेचने से होने वाले लाभ पर कर लगता है, क्योंकि माल की बिक्री चाहे जिस परिस्थिति मे हो व्यापार का ही व्यवहार माना जाता है

और उसका लाभ कर योग्य होता है। यदि सम्पूर्ण व्यापार एक इकट्ठी निश्चित रकम मे बच दिया जाता है तो इस व्यापार से होने वाले लाभ पर कर नहीं लगता है, चाहे भले ही इसम व्यापार का माल भी शामिल हो।

(६) **केवल कानूनी स्वामित्व ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व भी देखा जाता है**—धारा २८ के अन्तगत व्यापार का केवल कानूनी स्वामित्व ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व भी देखा जाता है। इस सम्बन्ध मे यह देखा जाता है कि जिस आय पर कर लगना है वास्तव मे उसका प्राप्तकर्ता कौन है। *उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी के पजीकृत होने से पूर्व उसके प्रवतकों द्वारा कोई व्यापार चलाने से लाभ होता है, जिस व्यापार तथा लाभ को कम्पनी पजीकृत होने के बाद ले लेती है, तो यद्यपि, कम्पनी के पजीकृत होने से पहले उस व्यापार के कानूनी स्वामी उसके प्रवतक थे तथापि, क्योंकि उस लाभ को बाद मे कम्पनी ले लेती है, अत कम्पनी इसकी लाभकारक स्वामी हुई* और उस लाभ पर कर देने का दायित्व कम्पनी का ही होगा।

(७) **भावी अनुमानित लाभों पर कर नहीं लगता है**—आय कर अधिकारी केवल गत वर्ष मे हुई आय को ही विचार मे ले सकते है यदि किसी व्यापार *मे निकट भविष्य म कोई लाभ होने की आशा हो तो उस अनुमानित लाभ* पर उस वर्ष मे कर नहीं लग सकता है।

(८) **एक एकाकी व्यवहार के खर्चे**—यदि क्रय विक्रय का कोई एकाकी व्यवहार व्यापार की प्रकृति का है तो एक कर दाता का उस व्यवहार का लाभ निकालने के लिए उस व्यवहार के सम्बन्ध मे किये गये वे व्यय भी घटा दिये जाते हैं जो भले ही उस व्यवहार के हिसाबी वर्ष से पूर्व किये गये हों क्योंकि उस व्यवहार का लाभ बिना उन व्ययों को किये हुए कमाया ही नहीं जा सकता था, और उन्हे घटाकर ही उसका वास्तविक लाभ निकलता है।

(९) **व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए वाणिज्य सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तो का विचार करना**—व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए वाणिज्य सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तो को भी विचार मे रखना आवश्यक है। कभी कभी कुछ ऐसे व्यय अथवा ऐसी हानियाँ होती हैं जो आय-कर *अधिनियम के अनुसार स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं होती, परन्तु वाणिज्य के* सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए उन व्ययों अथवा हानियों का घटाया जाना आवश्यक होता है, तो उन्हें घटाया जाता है। अत वाणिज्य के इन सामान्य सिद्धान्तो का ज्ञान प्रत्येक आय-कर *अधिकारी के लिए आवश्यक है।*

व्यापार की ऐसी हानियाँ जो पूजीगत प्रकृति की न हो तथा जो उस व्यापार के दौरान मे हुई हो (न केवल उस व्यापार से सम्बन्धित हो) व्यापार

के शीर्षक मे आय निकालने के लिए घटा दी जाती है। पूंजीगत अथवा लाभ गत हानियो का भेद करने के नियम पहले ही एक अध्याय म दिये जा चुके हैं।

(१०) गत वर्ष से पूर्व स्वीकार की गयी कोई हानि अथवा छूट की रकम यदि गत वर्ष मे प्राप्त हो जाय तो उस पर कर लगता है—यदि किसी कर-दाता को गत वर्ष मे अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई ऐसी रकम प्राप्त हो जाय, जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष म कर योग्य लाभ निकालने के लिए हानि, खर्चे अथवा दायित्व के रूप म घटा दी गयी हो, तो उस रकम पर गत वर्ष मे कर लगाया जाता है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना (Computation of Profits of Business or Profession)

धारा २९ के अनुसार व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना धारा ३० से ४३ तक मे दिये हुए नियमो के अनुसार की जाती है। इनम से धारा ३० से ३७ तक मे वे कटौतियां दी हुई है जो व्यापार अथवा पेशे का लाभ निकालने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकृत है तथा धारा ४० मे कुछ ऐसे व्यय दिये हुए है जो स्पष्टतया अस्वीकृत है परन्तु इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी कटौतिया होती है जो व्यापार अथवा पशे का लाभ निकालने मे लिए वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तो के आधार पर स्वीकार की जाती है। व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करने के सम्बन्ध म स्पष्टतया स्वीकृत कटौतिया का अध्ययन करन स पूर्व कुछ सामान्य सिद्धान्तो का ज्ञान आवश्यक है। ये सामान्य सिद्धान्त निम्न हैं

(१) लाभो की गणना हिसाब की उस पद्धति के अनुसार करनी चाहिए जो कर दाता न नियमित रूप स अपनायी हुई हो, बशर्ते कि ऐसी पद्धति स वास्तविक लाभ निकल सकें।

(२) केवल वह व्यय तथा हानियाँ कटौती के रूप म स्वीकार होती है जो सम्बन्धित हिसाबी वर्ष म हुई हो।

(३) कर-दाता के अपने व्यापार के सम्बन्ध म किये गये व्यय ही कटौती के रूप मे स्वीकृत हैं।

(४) यदि कोई व्यापार हिसाबी वर्ष के शुरू होने से पहले बन्द हो चुका हो तो उसके व्यय अन्य किसी चलते हुए व्यापार की आय म स नही घटाये जा सकते हैं।

(५) कुछ एस भी आवश्यक व्यय होते है (जो न स्पष्टतया स्वीकृत है न अस्वीकृत हैं) जो यदि पूंजीगत व्यय अथवा हानियाँ न हो और व व्यापार के दौरान मे हुए हों तो उन्हें व्यापार अथवा पशे के लाभ निकालने के लिए वाणिज्य के साधारण सिद्धान्तो के आधार पर घटा दिया जाता है।

वे कटौतियाँ जो स्पष्टतया स्वीकृत है (Deductions Expressly Allowed)

व्यापार अथवा पशे की आय की गणना करने के सम्बन्ध मे धारा ३० से ३७ तक निम्नलिखित स्पष्टतया स्वीकृत कटौतिया दी हैं

(१) भवन के सम्बन्ध मे व्यय—धारा ३० के अतगत किसी व्यापार अथवा पशे मे प्रयोग हात हुए भवन के किराये, दर, कर, मरम्मत तथा बोमे के सम्बन्ध मे निम्न कटौतिया स्वीकृत ह

(अ) यदि कर दाता उस भवन को एक किरायदार की तरह लिये हुए है तो उस भवन के सम्बन्ध मे चुकाया हुआ किराया, तथा यदि कर दाता ने इस भवन की मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया है तो ऐसे मरम्मत के लिए भुगतान की हुई रकम,

यदि कर दाता उस भवन का किरायेदार की तरह नही लिय हुए है (जैसे, मकान मालिक है) तो उसने उस भवन की चालू मरम्मत के सम्बन्ध जो व्यय किया हो,

(आ) भूमि, लगान, स्थानीय दरो अथवा नगरपालिका के करो के लिए भुगतान की हुई रकमे,

(इ) भवन की नुकसानी अथवा बरबादी से होने वाली हानि की जोखिम से बचने के लिए कराय हुए बीमे के प्रीमियम की रकम का भुगतान।

उपर्युक्त कटौतियो के सम्बन्ध मे यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह भवन जिसमे व्यापार चल रहा है व्यापार के स्वामी का ही है तो उसका किराया स्वीकृत नही होगा, क्योकि ऐसे भवन के सम्बन्ध मे 'सम्पत्ति स आय' के शीषक मे कोई कर नही लगता है।

धारा ३८ (१) के अनुसार यदि कर दाता उस भवन को किराये पर लिय हुए है और उसके कुछ भाग मे वह अपना व्यापार चला रहा है तथा कुछ भाग मे स्वय रहता है तो व्यापार मे प्रयोग होने वाले भाग का आनुपातिक वार्षिक मूल्य किराये की कटौती मानी जायेगी। मरम्मत व्यय, भूमि लगान, स्थानीय दर तथा नगरपालिका कर भी उसी अनुपात मे स्वीकार होंगे जिस अनुपात म वह भवन व्यापार के काम मे प्रयोग हो रहा है।

(२) मशीन, प्लाण्ट तथा फर्नीचर की मरम्मत तथा बोमा सम्बन्धी व्यय—धारा ३१ के अनुसार व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग हाने वाली मशीन प्लाण्ट तथा फर्नीचर की मरम्मत और बीमा के सम्बन्ध म निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं

(1) इनकी चालू मरम्मत के सम्बन्ध मे किय गय भुगतान (चाल

मरम्मत का आशय इन वस्तुओं को काम योग्य स्थिति में बनाये रखने के लिए करायी हुई मरम्मत से है)

(ii) सम्पत्ति की नुकसानी अथवा बरबादी की जोखिम से बचाने के लिए कराये गये बीमे के सम्बन्ध मे दिया गया प्रीमियम।

(३) ह्रास (Depreciation)—धारा ३२ (१) के अन्तर्गत कर दाता की अपनी ऐसी इमारतों, मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर, जिन्हें वह अपने व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग करता है, के सम्बन्ध में ह्रास की छूट दी जाती है। इसका विस्तृत वर्णन ह्रास के अध्याय मे किया गया है।

(४) विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)—धारा ३३ के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी छूट की कटौती स्वीकृत है। इसका विस्तृत वर्णन ह्रास के अध्याय मे आगे किया गया है।

(५) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय (Expenditure on Scientific Research)—धारा ३५ के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय के सम्बन्ध मे निम्न कटौतियां स्वीकृत है

(i) कर दाता के व्यापार के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये लाभगत व्यय,

(ii) निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य किसी शिक्षा संस्था को वैज्ञानिक अनुसन्धान के खर्चों के लिए दी गयी कोई रकम,

(iii) निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य किसी शिक्षा संस्था को, कर दाता के व्यापार से सम्बन्धित, सामाजिक विज्ञान के अनुसन्धान अथवा सांख्यिकी के अनुसन्धान के लिए दी हुई कोई रकम,

(iv) कर-दाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किया गया पूंजीगत व्यय लगातार पांच वर्षों तक फैला दिया जाता है और उस व्यय का $\frac{1}{5}$ भाग प्रति वर्ष कटौती के रूप मे स्वीकार कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस सम्बन्ध मे यदि कोई पूंजीगत व्यय व्यापार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ३ वर्ष के अन्दर किया गया है तो उन सब व्ययों का जोड़ उस गत वर्ष का व्यय माना जायेगा जिसमें कि व्यापार प्रारम्भ हुआ है।

यदि उपर्युक्त वर्णित पूंजीगत व्यय से कोई सम्पत्ति प्राप्त की हो और उस सम्पत्ति को किसी गत वर्ष में उस व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए प्रयोग करना बन्द कर दिया जाय तो उसका प्रयोग बन्द करने के समय उस सम्पत्ति

का मूल्य तथा उसके सम्बन्ध म पिछले वर्षों मे मिली हुई कटौतियो का जोड कुल मिलाकर यदि उक्त पूजीगत व्यय स कम पडे तो यह कमी उस गत वष मे कटौती के रूप म स्वीकार की जायेगी और उस गत वष म तथा उसके बाद के वर्षों म इसके सम्बन्ध म उपर्युक्त वाक्यांश (iv) मे दी हुई कटौती नही दी जायेगी।

यदि उपर्युक्त सम्पत्ति को जिस वष वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए प्रयोग करना बन्द किया जाय उसी वष उसे बेच दिया जाय तो उसका विक्रय मूल्य ही उस समय का मूल्य समझा जायेगा और इसी आधार पर उपयुक्त कटौती दी जायेगी, परन्तु यदि यह सम्पत्ति उस वष के बाद मे किसी वष बेची जाय तो यदि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य उसके उस मूल्य से कम हो जो इस सम्पत्ति का प्रयोग बन्द करने के समय लगायी गयी थी तो यह कमी की रकम बेचन वाले गत वष मे कटौती के रूप मे स्वीकृत होगी।

यदि गत वष मे उपयुक्त वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कटौती स्वीकार की जाती है तो उसी गत वष म उस सम्पत्ति के लिए ह्रास स्वीकार नही किया जा सकता है।

(६) **अन्य कटौतियाँ**—व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करने के लिए धारा ३६ के अन्तगत निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है

(i) **बीमा प्रीमियम**—व्यापार अथवा पेशे के माल (Stock or Stores) की नुक्सानी अथवा बरबादी की जोखिम से बचने के लिए किये गये बीमे के प्रीमियम की रकम।

(ii) **कर्मचारियो को दिया गया बोनस अथवा कमीशन**—कर्मचारियो को उनकी सेवा के उपलक्ष मे दिये गये बोनस अथवा कमीशन की रकम, जो उन्ह यदि यह बोनस अथवा कमीशन न दिया जाता तो लाभो अथवा लाभांशों के रूप में नही दिया जा सकता था, बशर्ते कि यह बोनस अथवा कमीशन की रकम निम्न बातो को ध्यान मे रखते हुए उचित हो

(क) कमचारी का वेतन तथा उसकी नौकरी की शर्तें

(ख) गत वष मे उस व्यापार अथवा पशे के लाभ, तथा

(ग) इसी प्रकार के व्यापार अथवा पेशे मे सामान्य प्रथा।

(iii) **उधार ली हुई पूजी पर ब्याज**—व्यापार अथवा पशे के लिए उधार ली हुई पूजी पर दिये हुए ब्याज की रकम।

(iv) **प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड अथवा सुपरएनुएशन फण्ड मे मालिक का**

चन्दा—कर दाता द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथ सुपरएनुएशन फण्ड मे दिये गये चन्दे की रकम ।

(v) अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में मालिक का चन्दा—किसी अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड म मालिक का चन्दा, जो एक अखण्डनीय ट्रस्ट अन्तगत केवल अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए रखा गया हो ।

(vi) पशुओं के सम्बन्ध मे हानि—व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग वाले पशुओं के स्थायी रूप से काम के लिए अयोग्य हो जाने पर अथवा उन मृत्यु हो जाने पर उन्हें अथवा उनके मृत शरीर की खाल को बेचने से कोई रकम प्राप्त हो तो उस पशु की मूल लागत तथा इस विक्रय राशि अन्तर की रकम हानि मानी जाती है ।

(vii) डूबे हुए ऋण—किसी ऋण की वह रकम जो गत वर्ष मे डूबी मान ली जाये, परन्तु इस कटौती को स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें है

(क) यह कटौती तब स्वीकार की जायगी जबकि यह ऋण गत वर्ष अथवा उससे पूर्व कर दाता की आय की गणना करने के लिए विचार म लिया गया हो अथवा यह रकम कर-दाता द्वारा सचालित किसी बैंकिंग अथ लेन देन के व्यापार के दौरान मे दी गयी हो, तथा (ख) गत वर्ष में कर-द ने अपनी पुस्तकों मे इसे अप्राप्य रकम मानकर अपलिखित कर दिया हो ।

डूबत ऋणों के सम्बन्ध म निम्न नियम और है

(अ) यदि ऐसे ऋण के सम्बन्ध म प्राप्त होने वाली अन्तिम राशि ऋण की पूरी रकम तथा उसमे से डूबत ऋण की मिली कटौती के अन्तर से कम हो तो इस कमी की रकम को अ वसूली होने वाले गत वर्ष म स्वीकृत कटौती माना जायगा,

(आ) डूबत ऋण के सम्बन्ध म यदि कोई कटौती स्वीकृत हो गयी तथा इस ऋण के सम्बन्ध मे बाद मे किसी वर्ष यदि कुछ र वसूल हो जाय तो कटौती मिली हुई रकम मे से वसूल हुई र पर वसूली के वर्ष म कर लगेगा चाहे उसका सम्बन्धित व्या बन्द ही क्यो न हो गया हो,

(इ) यदि कर-दाता ने ऐसा कोई ऋण अथवा उसका कोई अंश गत से पूर्व किसी वर्ष मे अपनी पुस्तकों में अपलिखित कर दिया और उस वर्ष मे इसे आय-कर अधिकारी ने डूबत ऋण सि होने के कारण कटौती के रूप मे स्वीकार न किया हो परन्तु बे किसी वर्ष म आय कर अधिकारी उस रकम को डूबी मान लेता है तो वह चालू कर निर्धारण वर्ष मे इसकी कटौत सकता है,

(ई) यदि कर दाता ने ऐसा कोई ऋण अथवा उसका कोई अंश चालू कर निर्धारण के गत वर्ष में अपनी पुस्तकों में अपलिखित किया है परन्तु आय-कर अधिकारी यह विश्वास करता है कि वास्तव में यह डूबत ऋण गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में किसी वर्ष में हो गया था तो वह उस पहले के गत वर्ष का कर निर्धारण पुनः खोल सकता है और इस डूबत ऋण की रकम को कटौती मान कर उस वर्ष के कर निर्धारण में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

(viii) **वित्त निगम का विशेष संचय**—एक वित्त निगम द्वारा, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है, विशेष संचय में हस्तान्तरित रकम जो कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो, परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है

(क) यह निगम इस नियम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तथा

(ख) इस संचय खाते का जोड़ इस निगम की चुकता अंश पूंजी से अधिक न हो, अर्थात् ज्यों ही इस विशेष संचय की रकम निगम की चुकता अंश पूंजी से अधिक हो जायगी त्योंही इस सम्बन्ध में कोई छूट स्वीकार नहीं होगी।

(ix) **परिवार नियोजन पर व्यय**—*एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों* में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में किया गया वास्तविक व्यय। यदि इस सम्बन्ध में कोई पूंजीगत व्यय किया जाये तो यह पाँच समान वार्षिक किस्तों में स्वीकार किया जायेगा, अर्थात् यह व्यय पांच वर्ष तक फैला दिया जायेगा।

(७) **सामान्य कटौतियां**—धारा ३७ (१) के अन्तर्गत कोई भी व्यय (जो धारा ३० से ३६ तक में वर्णित कटौतियों में न आये तथा जो पूंजीगत व्यय अथवा कर दाता का निजी व्यय न हो) जो व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्यों के लिए स्पष्टतया पूर्ण रूप से किया जाये तो वह कर दाता की 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करने के लिए कटौती के रूप में स्वीकार होगा।

धारा ३७ (२) के अन्तर्गत यदि कर-दाता एक कम्पनी है [redacted] उसके द्वारा किया हुआ मनोरंजन व्यय निम्न रकमों के जोड़ से अधिक स्वीकार नहीं किया जायगा (यह किसी भी दशा में ६०,००० रु० से अधिक नहीं हो सकता है)

विकास सम्बन्धी छूट अथवा मनोरंजन व्यय को बिना घटाए हुए—

(१) कम्पनी को अपने व्यापार से प्राप्त प्रथम १०,००,००० रु० के लाभ पर १ प्रतिशत अथवा ५,००० रु० जो भी अधिक हो,

(ङ) उपर्युक्त विधि से निकाले हुए लाभ के अगले १० लाख रुपये पर ३ प्रतिशत,

(च) उपर्युक्त विधि से निकाले हुए लाभ के अगले १० लाख रुपये पर २ प्रतिशत तथा

(छ) उपर्युक्त विधि से निकाले हुए लाभ के शेष भाग पर—कुछ नहीं।

धारा ३७ (३) के अन्तर्गत एक करदाता द्वारा ३१ मार्च १९६४ के बाद किये गये निम्न व्यय केवल उस सीमा तक स्वीकृत होंगे जो Central Board of Direct Taxes द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाये

(i) विज्ञापन व्यय,

(ii) किसी रहने के मकान (अतिथि घर सहित) के maintenance पर व्यय,

(iii) एक कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की यात्रा के सम्बन्ध में व्यय (यात्रा से सम्बन्धित होटल व्यय तथा भत्ते सहित)।

आय-कर अधिनियम, १९६२ के नियम ६ D के अन्तर्गत बोर्ड ने यह घोषित किया है कि १ अप्रैल १९६५ से पूर्व किया गया ऐसा व्यय पूर्णतया स्वीकृत होगा बशर्ते कि यह अन्य प्रकार से स्वीकृत व्यय हो, अर्थात् १९६५-६६ कर-निर्धारण वर्ष के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है।[1]

धारा ३७ के अन्तर्गत स्वीकृत सामान्य कटौतियों के कुछ निम्न उदाहरण हैं

(१) माल के क्रय करने, निर्माण करने तथा विक्रय करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय।

(२) व्यापार की बिक्री बनाये रखने के लिए किये गये सामान्य विज्ञापन व्यय।

(३) व्यापार को चलाने के सम्बन्ध में किये गये दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यय।

(४) आय-कर अधिकारी तथा आय-कर के सम्बन्ध में किये गये व्यय, परन्तु आय-कर अपील के व्यय स्वीकार नहीं होते हैं।

(५) बिक्री कर की रकम।

(६) कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के सम्बन्ध में दी गयी हर्जाने की रकम।

(७) व्यापार के लिए ऑर्डर लाने के सम्बन्ध में दिया गया कमीशन आदि।

(८) कर्मचारियों के काम करते में कोई चोट लगने अथवा किसी

---

[1] Vide Notification No S O 1086 dated 30th March, 1965

दुर्घटना के होने से उन्हे जो क्षति-पूर्ति की रकम दी जाती है तथा इसके लिए यदि बीमा करा लिया जाये तो ऐसे बीमे के प्रीमियम की रकम।

(९) कर्मचारियो को दी गयी कोई पेंशन, ग्रेच्युइटी अथवा अन्य कोई स्वेच्छा से दी हुई रकम।

(१०) खानो, पेटेन्टो, अथवा कॉपीराइटो के सम्बन्ध मे दी हुई रायल्टी (royalty) की रकम।

(११) अभिकर्ताओ को उनकी एजेन्सी समाप्त करने के सम्बन्ध मे दिया हुआ कोई हर्जाना।

(१२) दिवाली, मुहूर्त अथवा अन्य किसी नये वर्ष के पवित्र दिवस पर भेंट या अन्य व्यय जो २०० रुपये से अधिक न हो।

(१३) कोई अनिवार्य चन्दा अथवा ऐसा चन्दा जिसका देना व्यापार के हित मे हो।

(१४) व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित कानूनी व्यय।

(१५) व्यापार का कार्य चलते रहने के समय में किसी कर्मचारी द्वारा गबन की गयी रकम।

कटौती का विशेष आयोजन—धारा ४४ A के अन्तर्गत एक व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के किसी समुदाय की गत वर्ष मे अपने सदस्यो से प्राप्ति उस वर्ष के ऐसे व्ययो से कम हो जो संस्था के हितो की रक्षा करने अथवा उनमे उन्नति करने के लिए किये गये हो (स्वीकृत व्यय तथा पूजीगत व्यय छोड़कर) तो यह कमी सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष मे कर-योग्य आय की गणना करने मे घटा दी जायेगी। यदि व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक की आय इस कमी से कम हो तो शेष कमी की रकम समुदाय के अन्य शीर्षको की आय मे से घटा दी जायेगी परन्तु किसी भी दशा मे यह कमी की रकम अधिक से अधिक समुदाय की कुल आय के आधे तक ही घटायी जा सकती है।

यह विशेष आयोजन केवल ऐसे व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के किसी समुदाय पर लागू होगा जो अपनी आय का कोई अंश भी अपने सदस्यो मे वितरण नही करता है सिवाय अपने अन्तर्गत किसी संस्था अथवा समुदाय को अनुदान देने के।

वे व्यय जो स्पष्टतया अस्वीकृत है (Expenses Expressly Disallowed)

धारा ४० के अनुसार 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ के शीर्षक मे कर योग्य आय की गणना करते समय निम्न रकम नही घटायी जायेगी

(अ) किसी भी कर-दाता के लिए—(i) कोई ऐसा ब्याज जो भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है तथा जो भारत के बाहर दिया

गया है, यदि दिये हुए ब्याज पर कर न चुकाया गया हो अथवा उसमे से कर न काटा गया हो तथा जिसके लिए भारत मे ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो धारा १६३ के अन्तगत उसका अभिकर्ता (Agent) ठहराया जा सके,

(ii) व्यापार अथवा पेशे के लाभो पर लगाया गया कोई कर,

(iii) 'वेतन' शीर्षक मे कर योग्य कोई रकम जो भारत के बाहर चुकायी जाये यदि उस रकम पर कर न दिया गया हो अथवा उस पर उद्गम स्थान पर कर न काट लिया गया हो

(iv) कर दाता ने अपने कर्मचारियों के हित के लिए रखे गये किसी प्रॉवीडेण्ट अथवा अन्य फण्ड मे जो अपना अशदान दिया हो, बशर्ते कि इस फण्ड से कर्मचारी को मिलने वाली राशि मे यदि कोई ऐसी रकम शामिल है जिस पर 'वेतन' शीर्षक मे कर लगना है तो उस रकम पर उद्गम स्थान पर कर काटने का कर दाता ने कोई प्रबन्ध न किया हो।

(आ) फर्म के लिए—फर्म द्वारा फर्म के साझेदार को दिया गया कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक।

(इ) कम्पनी के लिए—(i) कम्पनी द्वारा किया हुआ कोई ऐसा व्यय जिससे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी सचालक अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका कम्पनी म पर्याप्त हित हो अथवा सचालक के या किसी ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार को कोई पारिश्रमिक, लाभ अथवा सुविधा मिलती है,

(ii) कम्पनी की ऐसी सम्पत्तियो पर कोई व्यय अथवा छूट जिन्ह उपयुक्त (i) म वर्णित कोई व्यक्ति पूणतया अथवा आशिक रूप से अपने निजी काम मे अथवा अपने हित के लिए प्रयोग करता है।

उपर्युक्त (i) व (ii) मे दिये हुए व्यय अथवा छूटें तभी अस्वीकार की जाती हैं जबकि कम्पनी की उचित व्यापारिक आवश्यकताओ तथा कम्पनी को इनसे प्राप्त लाभो को ध्यान म रखते हुए आय कर अधिकारी की सम्मति म ये व्यय अथवा छूटें अधिक अथवा अनुचित हैं।

(iii) २६ फरवरी, १९६४ के बाद एक कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे लाभ सुविधा अथवा अनुलाभ देने के सम्बन्ध मे किया गया वह व्यय जो उसके वेतन के ⅕ भाग से अधिक हो। वित्त अधिनियम, १९६५ के अनुसार कम्पनी के अपेक्षाकृत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियो को दी गयी सुविधाओ पर व्यय के सम्बन्ध मे यह नियम लागू नही होगा, अर्थात् ऐसे कर्मचारियों की दशा म यह व्यय पूणतया स्वीकृत होगा। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियो मे वही कर्मचारी आयेंगे जिनकी गत वर्ष की वेतन शीर्षक म कर-योग्य आय ७,५०० रुपये से अधिक न हो। इस सम्बन्ध मे 'वेतन' से आशय उस वेतन से है जिसमे महँगाई भत्ता तो शामिल हो (यदि सेवा की

शर्तों मे ऐसा आयोजन हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अनुलाभ शामिल न हो ।

उपयुक्त व्यय की गणना करने मे निम्न भुगतान शामिल नही किये जायेंगे (क) ग्रेच्युइटी, (ख) एक ऐसे कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है छुट्टी पर भारत मे स्थित अपने घर जाने के सम्बन्ध म यात्रा व्यय मे दी गयी रिआयत अथवा सहायता का मूल्य (ग) एक ऐसे कर्मचारी को जो भारत का नागरिक नही है छुट्टी पर विदेश मे स्थित अपने घर जाने के सम्बन्ध म यात्रा व्यय के लिए दी गयी रकम अथवा निःशुल्क अथवा रिआयती दर पर यात्रा की सुविधा का मूल्य, (घ) धारा १० (६)(vii) के अन्तर्गत, एक विदेशी प्रविधिज्ञ (foreign technician) के वेतन पर चुकाया गया कर, (ङ) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे शामिल हस्तान्तरित शेष की कर योग्य रकम, (च) कर्मचारी के जीवन बीमा के सम्बन्ध मे कम्पनी द्वारा देय कोई रकम (कर्मचारी के प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड मे से दी गयी रकम को छोडकर) (छ) नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में अथवा नौकरी की शर्तों मे परिवर्तन करने के सम्बन्ध म कर्मचारी को दी गयी क्षति पूर्ति की रकम, (ज) कर्मचारी के अंशदान तथा उस पर ब्याज को छोडकर अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड म मे दी गयी कोई रकम, (झ) प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड मे कम्पनी का अंशदान, तथा (ञ) अपने कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन पर कोई व्यय ।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त (ङ) मे दिये हुए व्यय चाहे भले ही प्राप्तकर्ता की कुल आय मे जोडे गये हो कम्पनी के यहाँ ये व्यय अस्वीकृत होगे ।

(ई) एक बैंकिंग कम्पनी के वे खर्चे जो उसकी 'प्रतिभूतियो पर ब्याज' के शीर्षक म आय की गणना करने मे कटौती के रूप म धारा २० (१) के अन्तर्गत स्वीकार कर दिये गये है ।

धारा ४० मे दिये गये अस्वीकृत व्ययो के अतिरिक्त कुछ निम्न व्यय, हानियाँ अथवा छूटें भी है जो अस्वीकृत हैं

(i) मालिक अथवा साझेदारो के आहरण,
(ii) मालिक अथवा साझेदारो के व्यक्तिगत व्यय,
(iii) पूँजीगत व्यय,
(iv) किसी भी प्रकार का कोई आयोजन अथवा संचय सिवाय वित्त निगम के विशेष संचय को छोडकर,
(v) दान अथवा भेंट के रूप मे दी गयी रकम
(vi) लाभ हानि खाते म लिखी हुई पुरानी हानियाँ,

(vii) पूंजी प्राप्त करने के सम्बन्ध में दी गयी कोई कमीशन, बट्टौनी (discount), अथवा दलाली की रकम, तथा

(viii) कोई व्यय जो व्यापार से सम्बंधित न हो।

व्यापारी द्वारा बनाये गये लाभ-हानि खाते में आय-कर के दृष्टिकोण से उचित संशोधन करने के नियम

व्यापारी द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता आय कर के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें (i) बहुत में ऐसे व्यय लिखे होते हैं जो आय कर अधिनियम के अनुसार पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में अस्वीकृत होते है, (ii) कुछ स्वीकृत व्यय छूट हुए होते है, (iii) कुछ कर योग्य आयें नहीं लिखी होती हैं, तथा (iv) कुछ ऐसी आयें लिखी होती है जो "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के शीर्षक में नहीं आती हैं। अत इस लाभ-हानि खाते में आय-कर के दृष्टिकोण से उचित संशोधन करना पड़ता है, ताकि लाभ की वह रकम निकल आये जो आय-कर अधिनियम के अनुसार "व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक में कर योग्य है।

संशोधन करने के नियम निम्न है

(i) व्यापारी द्वारा बनाये गये लाभ हानि खाते के अनुसार निकले हुए लाभ में उन व्ययों को जोड़ देना चाहिए जो लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखे है परन्तु आय कर के दृष्टिकोण से अस्वीकृत है। यदि कोई व्यय आंशिक रूप में अस्वीकृत हो तो केवल उसका अस्वीकृत भाग ही जोड़ा जायेगा।

(ii) लाभ हानि खाते में से यदि कोई स्वीकृत व्यय छूट गये हों तो उन्हें उक्त लाभ में से घटा देना चाहिए।

(iii) लाभ हानि खाते में से यदि कुछ कर योग्य आयें छूट गयी हों तो उन्हें उक्त लाभ में जोड़ देना चाहिए।

(iv) लाभ-हानि खाते में यदि कुछ ऐसी आये लिखी हो जो 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ के शीर्षक में कर योग्य नहीं है तो उन्हें उक्त लाभ में से घटा देना चाहिए।

टिप्पणी—यदि लाभ के स्थान में हानि हो तो उपर्युक्त नियम उलटे हो जाते हैं, अर्थात जोड़ने वाले मद घटाये जाते हैं और घटने वाले मद जोड़े जाते हैं।

नकद साख (Cash Credits)—धारा ६८ के अनुसार यदि कर दाता की गत वर्ष की पुस्तकों में कोई ऐसी रकम जमा हो रही है जिसकी प्रकृति तथा स्रोत के बारे में कर-दाता कोई उत्तर न दे अथवा उसका उत्तर आय कर अधिकारी की सम्मति में सन्तोषजनक न हो तो ऐसी जमा की हुई रकम को कर दाता की गत वर्ष की आय मानकर उस पर आय-कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार की झूठी जमा बेईमान कर दाता कर बचाने के लिए करते हैं।

न स्पष्ट किये गये विनियोग (Unexplained Investments)—धारा ६९ के अनुसार यदि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष मे कर-दाता ने कोई ऐसे विनियोग किये हैं जिन्हे उसने अपने बहीखाते मे नही लिखा है तथा कर दाता उन विनियोगो की प्रकृति तथा स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नही करता है अथवा इसका स्पष्टीकरण आय कर अधिकारी की सम्मति मे सन्तोष जनक नही है तो ऐसे विनियोगो का मूल्य कर-दाता की उस वर्ष की आय मान ली जाती है जिस वर्ष मे ये विनियोग किये गये थे।

न स्पष्ट किया गया धन आदि (Unexplained Money etc)—धारा ६९A के अनुसार यदि किसी वित्तीय वर्ष मे कर दाता के पास कोई ऐसा धन, जेवर, सोना चाँदी अथवा अन्य कोई मूल्यवान वस्तु पायी जाती है जिसे उसने अपने बहीखाते में नही लिखा है तथा कर-दाता उसकी प्रकृति तथा स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नही करता है अथवा इसका स्पष्टीकरण आय कर अधिकारी की सम्मति मे सन्तोषजनक नही है तो ऐसा धन अथवा जेवर आदि का मूल्य कर दाता की उस वर्ष की आय मान ली जायेगी जिस वर्ष मे यह उसके पास पायी जाती है।

विनियोग आदि की रकम जो बहीखातो मे पूर्णतया नहीं दिखायी गयी है (Amount of investments etc not fully disclosed in books of account)—धारा ६९ B के अन्तर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष मे कर दाता ने कोई विनियोग किये हैं अथवा वह किसी सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और आय-कर अधिकारी यह पाता है कि इन विनियोगो पर जो रकम लगी है अथवा इस सोना, चादी जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने मे जो व्यय हुआ है वह कर दाता द्वारा अपने बहीखातो में इस सम्बन्ध मे दिखायी गयी रकम से अधिक है तथा कर दाता इस आधिक्य का कोई स्पष्टीकरण नही दे सकता है अथवा उसका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नही है तो यह अधिक रकम कर-दाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जा सकती है।

व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन (Valuation of Stock in Hand)—व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध मे आय कर अधिनियम मे कोई नियम नही दिये गये हैं। अत बहीखाते के सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार ही इसका मूल्यांकन किया जाता है। साधारणतया लागत अथवा बाजार मूल्य मे से जो कम हो उसी के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। कुछ लोग केवल लागत के हिसाब से, अथवा केवल बाजार भाव से मूल्यांकन करते हैं। इस सम्बन्ध मे यह आवश्यक है कि कोई कर दाता रहतिये के मूल्यांकन के लिए जो भी विधि एक बार अपना ले उसे ही हमेशा अपनाना चाहिए। यदि कभी इसमे परिवर्तन करना हो तो आय-कर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

कुछ विशेष कम्पनियों के लाभ

(i) चाय कम्पनियाँ—ऐसी चाय कम्पनी की, जो भारत मे चाय की उपज तथा विक्रय करती है, कुल आय का ४० प्रतिशत भाग कर-योग्य है तथा शेष ६० प्रतिशत भाग पर न कर लगता है न वह उसकी कुल आय मे जोडा जाता है।

(ii) चीनी मिल कम्पनियाँ—उन चीनी मिल कम्पनियों के सम्बन्ध मे, जो अपने कृषि फार्म पर पैदा किया हुआ गन्ना प्रयोग करती हैं कर योग्य आय की गणना करने के लिए अपने फार्म पर पैदा किये हुए व मिल म प्रयोग किये हुए गन्ने का औसत बाजार मूल्य लाभ हानि खाते के नाम पक्ष म लिखा जाता है परन्तु गन्ना पैदा करने के सम्बन्ध म किया गया वास्तविक व्यय स्वीकार नहीं किया जाता है।

(iii) नये औद्योगिक उद्यम तथा नयी होटल कम्पनियाँ—धारा ८४ के अन्तर्गत स्थापित नये औद्योगिक उद्यमो तथा नयी होटल कम्पनियो मे लगी हुई पूजी के ६ प्रतिशत तक के लाभ पर, उनका काम आरम्भ होने के बाद प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों मे आय कर नही लगता है लेकिन इससे अधिक लाभ पर कर लगाने के लिए इस कर मुक्त लाभ का भी उसकी कुल आय म जोडा जाता है। यदि नया औद्योगिक उद्यम किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित है तो यह छूट प्रथम सात कर निर्धारण वर्षों तक दी जाती है।

Illustration 1

From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31st March 1965, find out his taxable profit from business and his total income for the assessment year 1965 66

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
General Expenses	3 000	Gross Profit	40,000
Advertising	1,000	Bad Debts recovered	100
Fire Insurance Premium	500		
Salaries	6 000	Interest from Govt Securities (Gross)	3,000
Provision for Bad Debts	2,000		
Provision for Income tax	1,000		
Provision for Depreciation	3,000		
Interest on Capital	1 000		
Postage, Telegram etc	400		
Interest on Bank Loan	1 100		
Sales tax	1,000		
Law Charges	500		
Net Profit	22,600		
Rs	43 100	Rs	43,100

General Expenses include Rs 300 given as a donation to a recognised school Actual bad debts written off during the year amount to Rs 600 Actual amount of income tax paid during the year is Rs. 1,500 The amount of depreciation allowable is Rs 2,000 Advertising expenses include Rs 500 spent on a special Advertising Campaign to introduce a new product in the market Law charges are in connection with the business

Solution

		Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		22,600
Add **Expenses not allowed**		
	Rs	
Donation to a recognised school	300	
Advertising expenses incurred on a special advertising campaign (being of a capital nature)	500	
Provision for Bad Debts	2 000	
Provision for Income tax	1,000	
Provision for Depreciation	3 000	
Interest on Capital	1,000	7,800
		30,400
Less **Deductions allowed but not charged**		
Bad Debts	600	
Depreciation allowable	2 000	2 600
		27,800
Less **Interest from Government Securities not chargeable under the head of business**		3 000
Taxable Profit from Business		Rs 21 800

Statement of Total Income

		Rs
1	*Interest on Securities*	3,000
2	*Profit from Business*	24 800
	Total Income	Rs 27 800

Illustration 2

Shri Radhey Lal the proprietor of a flour mill has prepared the following Profit and Loss Account for the year ending 31st March, 1965 You are required to compute his total taxable income from business

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
Trade Expenses	450	Gross Profit	21,925
Establishment charges	2 200	Bank Interest	475
Rent, Rates and Taxes	1,400	Profit on sale of Investments	2,600
Household Expenses	1,850		
Discount and Allowances	200		
Income tax	700		
Advertisement	450		
Postage and Telegrams	100		
Gifts and Presents	125		
Fire Insurance Premium	250		
Charities	375		
Subscriptions and Donations	400		
Repairs and Renewals	250		
Loss on Sale of Motor Car	1,400		
Life Insurance Premium	850		
Reserve for Bad Debts	600		
Interest on Capital	150		
Audit Fee	250		
Net Profit transferred to Capital Account	13 000		
Rs	25 000	Rs	25 000

Solution

		Rs	Rs
Profit as per Profit and Loss Account			13,000
Add	Expenses not allowed		
	Household Expenses	1,850	
	Income tax	700	
	Gifts and Presents	125	
	Charities	375	
	Donations	400	
	Loss on Sale of Car	1,400	
	Life Insurance Premium	850	
	Reserve for Bad Debts	600	
	Interest on capital	150	6 450
			19 450
Less	Profit on sale of investments (being capital gain)	2,600	
	Bank interest (being income from other sources)	475	3 075
			16 375
Less	60% of Life Insurance Premium under Section 80 A		510
	Taxable Income from Business	Rs	15 865

Illustration 3

The following is the Manufacturing and Profit and Loss Account of a *sugar mill company for the year ending* 31st October, 1964

	Rs		Rs
To Opening Stock	1,82,300	By Sales	24,51,500
" Cost of Cane Crushed	12,57,700	" Miscellaneous Receipts	6,700
" Manufacturing Exps	7 98,500	" Closing Stock	3 66,000
" Repairs and Renewals	40,700		
" Establishment Charges	41,600		
" Miscellaneous Exps	17,800		
" Commission on Sales etc	63,500		
" Directors' Fees	1,600		
" Auditor's Fees	2,000		
" Managing Agents' Allowance and Commission	78,600		
" Depreciation Written off	1,30 700		
" Balance being profit carried down	2 09,200		
Rs	28,24,200	Rs	28,24 200

To Amounts transferred to Reserve Fund	25 000	By Profit brought down	2,09,200
to Reserve for Income tax	90,000		
	1,15,000		
" Balance carried to Balance Sheet	94,200		
Total Rs	2,09,200	Total Rs	2,09 200

Prepare the Company's assessment for the year 1965 66, after taking the following information into account

(a) Cane crushed includes Rs 1,54 000, the cost of cane grown on company's own farm, the average market price of the same being Rs 1,96,000

(b) Manufacturing expenses include

(i) Rs 4,26,000 for excise duty

(ii) Rs 78 000 spent on scientific research as follows Rs 67 000 for capital expenditure on the fitting up of a new research laboratory, and Rs 11,000 for current expenditure

(c) Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards Employees' Provident Fund which is unrecognised

(d) Miscellaneous expenses include Rs 5,000 for donations to local educational institutions and Rs 2,000 for donation to a public hospital where the company's employees are treated free

(e) Sugar worth Rs 1,000 was distributed free on the occasion of Independence Day celebrations

(f) Rs 15,000 cost of additions to factory buildings, has been charged to Repairs and Renewals

(g) Amount of Depreciation, admissible according to rules, works out at Rs 89,200

Solution

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		2,09,200
Less Agricultural Income (being the excess of market price of cane crushed over cost of cane grown, which has already been charged in the Profit and Loss Account i e Rs 1 96 000—Rs 1,54,000)		42,000
		1,67,200
Add Expenses not allowed	Rs	
(i) ½ Capital Expenditure on Scientific Research Laboratory	53,600	
(ii) Contribution to unrecognised provident fund	3,200	
(iii) Cost of additions to factory bldgs	15,000	
(iv) Excess Depreciation	32,500	
(v) Donations	7,000	1,11 300
		2,78,500
Add Value of sugar distributed free and not shown in the Profit and Loss Account		1 000
Total Income	Rs	2,79,500

Exemption

Donations Rs 7 000

As the assessee is a company rebate on donations shall be allowed at the average rate of income tax or at the rate of 25%, whichever is less

Notes (i) Tax payable by the company has not been calculated

(ii) It is assumed that the depreciation allowed by the I T O includes depreciation on Rs 15,000 which is the cost of additions to factory buildings

(iii) Donations to educational institutions and public hospital where the company s employees are treated free is a donation and not a welfare expenditure, hence it has been disallowed

Illustration 4

Mr Bhagwandas is a registered medical practitioner He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ended 31st March, 1965 is as under

	Rs		Rs
To Balance b/d	2,000	By Cost of Medicines	10,000
,, Loan from Bank	3 000	,, Surgical Equipments	2,000
,, Sales of Medicines	15 250	,, Motor Car	6,000
,, Consultation Fees	5 000	,, Car Expenses	900
,, Visiting Fees	4 000	,, Salaries	600
,, Interest on Investments	4 000	,, Rent of Dispensary	600
		,, General Expenses	300
Rent from property (not subject to local taxes)	3,600	,, Personal Expenses	1,800
		,, Life Ins Premium	1,000
		,, Int on Loan from Bank	180
		,, Insurance of Property	200
		,, Balance c/d	13,270
Rs	36,850	Rs	36,850

Compute his total income for the previous year 1964-65 taking into account the following further information

(a) one third of motor car expenses are in respect of his personal use

(b) his investments are all in government securities,

(c) depreciation allowable on motor car used for professional practice is Rs 300

Income and Expenditure Account

	Rs		Rs
To Household Expenses	20 000	By Consultation Fees	10,000
,, Car purchased	10,000	,, Visiting Fees	20,000
,, Travelling Expenses	4 000	,, Gains on Race	10,000
,, Charity and Donation	1,000	,, Sale proceeds of ancestral house	34,000
,, Income tax	880	,, Profit on sale of securities	6,000
,, Salaries	8,000	,, Dividend on Shares (Gross)	5,000
,, Gift to daughter	7,000	,, Interest from P O Savings Bank	600
,, Interest	10 000	Gift from Father in law	4,000
,, Surgical Equipment	1,200	,, Interest on Fixed Deposits	1,300
,, Net Surplus	28,820		
Rs	90,900	Rs	90 900

Solution

Statement showing the Taxable Income of Sri Ram Prasad from Profession for the Assessment Year 1965 66

		Rs	Rs
Net Surplus as per Income and Expenditure Account			28 820
Add	Inadmissible Expenses		
	Household Expenses	20 000	
	Cost of Car	10,000	
	Travelling Expenses	4 000	
	Charity and Donation	1 000	
	Income tax	880	
	Gift to daughter	7,000	
	Cost of Surgical Equipments	1 200	44 080
			72 900

Less Income not chargeable to tax			
(i) Gains on Race (casual income)	10,000		
(ii) Sale proceeds of ancestral house (capital receipt)	31,000		
(iii) Interest from P O Savings Bank [under Sec 10 (15) (ii)]	600		
(iv) Gifts from father in law (casual income)	4,000	48,600	
Less Income not chargeable under this head			
(i) Profit on sale of securities (capital gain)	6 000		
(ii) Dividend on Shares (other sources)	5 000		
(iii) Interest on Fixed Deposits (other sources)	1,300	12 300	60,900
Assessable Income from Profession		Rs	12 000

Note Travelling expenses do not seem to be incidental to the medical profession, hence they have been disallowed

QUESTIONS

1 What deductions are allowed to a businessman in computing profits ? Specify the expenses disallowed

एक व्यापारी के लाभों की गणना करने म क्या-क्या कटौतिया स्वीकृत है ? अस्वीकृत व्ययो का वणन कीजिए ।

2 Enumerate expenses which are allowed in computing taxable profits of a business and also state expenses or losses which are not admissible

एक व्यापार के कर योग्य लाभो की गणना करने मे कौनसे व्यय स्वीकृत है तथा यह भी बताइए कि व कौनसे व्यय अथवा हानियाँ है जो अस्वीकृत है ।

3 Give the law relating to the assessment of income tax on the tea and sugar companies

चाय और चीनी कम्पनिया पर आय कर निधारण के सम्बन्ध मे विधान का वणन कीजिए ।

4 What are the allowances that are admissible in determining the taxable income from bussiness ?

व्यापार की कर-योग्य आय निकालने के लिए कौनसी छूटें स्वीकृत है ?

5 In what circumstances are the following items allowed as deductions in computing taxable income from business (i) Repairs, (ii) Insurance Premium, (iii) Interest, (iv) Legal charges and (v) Depreciation on investments ?

व्यापार की कर योग्य आय की गणना करने मे निम्न मद किन परिस्थितियो मे कटौती के रूप मे स्वीकृत है

(i) मरम्मत, (ii) बीमा प्रीमियम, (iii) ब्याज, (iv) कानूनी व्यय, और (v) विनियोगो पर ह्रास ?

6 Explain clearly the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business under the Indian Income Tax Act, 1961

व्यापार की कर योग्य आय की गणना करने मे आय कर अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत स्पष्टतया स्वीकृत कटौतियो को समझाइए।

९

ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट

[DEPRECIATION AND DEVELOPMENT REBATE]

ह्रास
(Depreciation)

ह्रास की परिभाषा—आय कर अधिनियम मे ह्रास की कोई परिभाषा नही दी गयी है। व्यावहारिक रूप म इसका आशय सम्पत्ति के मूल्य मे प्रयोग के कारण होने वाली कमी से है।

धारा ३२ (१) के अन्तर्गत, कर दाता की अपनी ऐसी इमारतो, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर, जिन्हे वह अपने व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग करता है, के ह्रास के सम्बन्ध म धारा ३४ म दी हुई शर्तों के अधीन निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है

(i) देश के अन्दर पानी पर चलन वाले जहाजो को छोडकर अन्य समुद्री जहाजो के सम्बन्ध म उनके वास्तविक मूल्य का वह प्रतिशत जो उनके सम्बन्ध म निर्धारित किया गया हो,

(ii) उपर्युक्त समुद्री जहाजो को छोडकर, इमारतें मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध म उनके अपलिखित मूल्य (Written down value) का वह प्रतिशत जो उनके सम्बन्ध मे निर्धारित किया गया हो,

(iii) गत वर्ष म बेची गयी इमारत, मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध मे अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation), जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है,

(iv) ३१ मार्च, १९६१ के बाद बनी इमारत के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation), जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है।

ह्रास स्वीकार करने के नियम—उपर्युक्त वर्णित धारा ३२ (१) के आधार पर ह्रास स्वीकार करने के लिए निम्न महत्त्वपूर्ण नियम है

(१) ह्रास केवल इमारतो, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर मिलता है। 'प्लाण्ट' शब्द म समुद्री जहाज, गाडियाँ (Vehicles), पुस्तकें, वैज्ञानिक यन्त्र तथा सर्जिकल साज (Surgical Equipment) सम्मिलित है।

(२) उपर्युक्त सम्पत्तिया का मालिक कर-दाता होना चाहिए।

(३) ये सम्पत्तियाँ कर-दाता के अपने व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग होनी चाहिए। यदि कोई सम्पत्ति अंशत व्यापार अथवा पेशे के लिए तथा अशत मालिक के अपने निजी प्रयोग के लिए काम मे लायी जाये तो उस सम्पत्ति पर ह्रास छूट उसी अंश की स्वीकार की जायेगी जो व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गयी हो।

(४) सम्पत्ति का आंशिक प्रयोग समय के आधार पर भी हो सकता है। आय कर नियम, १९६२ के नियम संख्या ५ के अनुसार गत वर्ष म सम्पत्ति (i) यदि १८० दिन अथवा उससे अधिक कर दाता के व्यापार अथवा पेशे म प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास पूरे वर्ष के लिए दिया जायेगा, (ii) यदि ३० दिन से अधिक परन्तु १८० दिन से कम प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास आधे वर्ष के लिए दिया जायेगा, तथा (iii) यदि ३० दिन अथवा उससे कम प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास शून्य होगा। मौसमी फक्टरिया (Seasonal Factories) मे यदि सम्पत्ति गत वर्ष मे पूरे मौसम भर प्रयोग की जाये तो यह माना जायगा कि वह सम्पत्ति उस सम्पूर्ण अवधि मे प्रयोग की गयी थी जितनी अवधि के लिए कर दाता उस सम्पत्ति का गत वर्ष म स्वामी था।

(५) समुद्री जहाजो पर ह्रास उनके वास्तविक मूल्य पर मिलता है।

(६) भवन मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर ह्रास उनके अपलिखित मूल्य (Written down Value) पर मिलता है।

ह्रास स्वीकार करने की शर्तें—धारा ३२ (१) मे स्वीकृत ह्रास की कटौती देने के लिए धारा ३४ मे दी हुई निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए

(१) आय के नक्शे मे मागे हुए निर्दिष्ट विवरण ह्रासित सम्पत्ति के सम्बन्ध मे दे दिये गये हो

(२) ह्रास की कुल छूट की रकम कर दाता की सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक नही होनी चाहिए, तथा

(३) गत वर्ष मे यदि कोई इमारत, मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर वेचा गया हो, काम के योग्य न रहने के कारण अलग कर दिया गया हो गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हो तो उस वर्ष मे उस पर कोई ह्रास की छूट नही दी जायगी (सिवाय अंतिम ह्रास के)।

विभिन्न प्रकार की ह्रास छूटें (Various Kinds of Depreciation Allowances)

विभिन्न प्रकार की ह्रास छूटें निम्न हैं

(१) **साधारण ह्रास (Normal Depreciation)**—धारा ३२ (१) के अनुसार भवन मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर इनके अपलिखित मूल्य

पर निर्दिष्ट दरा (prescribed rates) के अनुसार साधारण ह्रास दिया जाता है। समुद्री जहाजा पर उनके वास्तविक मूल्य पर यह ह्रास दिया जाता है।

(२) अतिरिक्त पारी की छूट (Extra shift Allowance)—सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार यदि कोई मशीन तथा प्लाण्ट काम की अधिकता के कारण एक से अधिक पारी मे प्रयोग होती है तो अतिरिक्त पारियां मे प्रयोग होने से जो अधिक घिसाई होती है इसके लिए यह छूट दी गयी है। यदि फैक्टरी मे दुहरी पारी काम हुआ है तो अतिरिक्त पारी की छूट अधिक से अधिक साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत तक हो सकती है। यदि फैक्टरी मे तिहरी पारी मे भी काम होता है तो १९६४-६५ कर निर्धारण वर्ष से साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत के स्थान मे १०० प्रतिशत से अतिरिक्त पारी की छूट दी जायेगी। दुहरी तथा तिहरी पारी मे काम होने के सम्बन्ध मे अतिरिक्त पारी की छूट की गणना उस अनुपात मे पृथक-पृथक की जायेगी जो दुहरी अथवा तिहरी पारी म काम होन वाले दिनो का सम्पूर्ण वर्ष के साधारणतया काम के दिना से है। अतिरिक्त पारी की छूट देने के लिए पूरे वर्ष मे साधारणतया काम के दिन ३०० माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक फक्टरी म १०० दिन दुहरी पारी मे काम होता है तथा अन्य १०० दिन तिहरी पारी म काम हाता है ता अतिरिक्त पारी की छूट दुहरी पारी के लिए साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत के ⅓ भाग के बराबर होगी तथा तिहरी पारी के लिए साधारण ह्रास के १०० प्रतिशत के ⅓ भाग के बराबर होगी।

यहाँ साधारण ह्रास से आशय सम्पूर्ण वर्ष के साधारण ह्रास से है। यदि कोई मशीन अथवा प्लाण्ट गत वर्ष मे ३० दिन अथवा उससे कम प्रयोग किया गया हो तो उस पर अतिरिक्त पारी की छूट नही दी जायेगी।

(३) अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation)—गत वर्ष म, यदि कोई पहले से खरीदी हुई इमारत, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर बेच दी जाये, काम मे प्रयोग के योग्य न रह गिरा दी जाये, अथवा नष्ट भ्रष्ट हा जाये तो उसके सम्बन्ध मे प्राप्त रकम [उसके अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) सहित यदि कोई हो तो] उसके अपलिखित मूल्य (Written down value) से जितनी कम पडती हो, उस कमी का अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation) कहते हैं और यह कटौती के रूप मे स्वीकार होती है। यह कमी की रकम तभी मान्य होती है जबकि इसे करदाता की पुस्तको म वास्तव मे अपलिखित (written off) कर दिया गया हो।

नोट—'उसके सम्बन्ध म प्राप्त रकम' से आशय बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षति पूर्ति की रकम तथा उसके विक्रय मूल्य के जोड स है।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—ऐसी इमारत के सम्बन्ध मे, जो ३१ मार्च, १९६१ के बाद नयी बनी हो तथा जिसम कर दाता के २०० रुपये मासिक तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहते हो अथवा यह इमारत पूर्णतया या मुख्यतया एसे व्यक्तियो के कल्याण के लिए चिकित्सालय, जलपान गृह, पुस्तकालय, शिक्षा सस्था, मनोरजन केन्द्र, विश्राम-गृह अथवा भोजन गृह आदि की तरह प्रयोग की जाती हो, उस गत वर्ष के सम्बन्ध म जिसमे यह इमारत बनकर तैयार हुई है कर दाता की वास्तविक लागत का २० प्रतिशत प्रारम्भिक ह्रास स्वीकार किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे यह आवश्यक बात है कि साधारण ह्रास की गणना करने के लिए अपलिखित मूल्य निकालने के लिए यह २० प्रतिशत का प्रारम्भिक ह्रास इस इमारत की वास्तविक लागत मे से घटाया नहीं जायेगा।

अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

धारा ३२ (२) के अन्तर्गत यदि कर दाता का कर निर्धारण करते समय साधारण ह्रास (अतिरिक्त पारी की छूट सहित) तथा प्रारम्भिक ह्रास की कुल रकम, गत वर्ष म व्यापार अथवा पेशे के कर योग्य लाभ न होने के कारण अथवा कम होने के कारण, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लाभ म मे न घटायी जा सके तो इस प्रकार से जितनी रकम की कटौती न मिल पाये उसे अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation) कहते है। यह रकम अगले वर्ष मे ले जायी जायगी और अगले वर्ष की ह्रास की रकम मे जोडकर कुल रकम की कटौती दी जायेगी। यदि अगले वर्ष मे भी यही परिस्थिति रह तो उसके बाद के वर्षों में यह रकम ले जायी जायगी और उन वर्षों की ह्रास की छूट के साथ जोडकर कटौती स्वीकार होगी। यह रकम तब तक आगे ल जायी जा सकती है जब तक कि यह पूर्ण रूप से उस व्यापार अथवा पेशे के लाभो म से घट न जाये। यदि जिस प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध म यह ह्रास की रकम आगे ले जायी जा रही है वह व्यापार बन्द हो जाय तो यह न कटी हुई ह्रास की रकम का आगे ले जाना भी बन्द कर दिया जाता है।

अशोधित ह्रास म अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation) शामिल नहीं किया जाता है। अन्तिम ह्रास यदि उस वर्ष के लाभो मे से न घट सके तो उसे उस वर्ष के लिए व्यापारिक हानि माना जायेगा।

यदि अशोधित ह्रास के साथ साथ कोई व्यापारिक हानि भी आगे लायी गयी है तो ऐसी व्यापारिक हानि को अशोधित ह्रास को घटाने से पहले घटाया जायगा।

सन्तुलित चार्ज (Balancing Charge)

धारा ४१ (२) के अन्तर्गत गत वर्ष मे यदि कोई व्यापार म प्रयोग होने

वाली इमारत, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर बेच दी जाय, काम मे प्रयोग के योग्य न रहे, गिरा दी जाये, अथवा नष्ट भ्रष्ट हो जाये तो उसके सम्बन्ध मे प्राप्त बिक्री की रकम तथा बीमा कम्पनी से मिली हुई रकम का जोड [उसके अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) सहित] उसके अपलिखित मूल्य से अधिक हो तो उस आधिक्य का उतना भाग जो अब तक स्वीकार किये गये ह्रास के बराबर तक हो उस वर्ष का जबकि धन प्राप्त हुआ है, लाभ माना जायेगा, चाहे वह व्यापार अथवा पेशा जिसमे उपर्युक्त सम्पत्ति प्रयोग की गयी हो, गत वर्ष मे चल रहा हो अथवा नहीं। इस कर योग्य लाभ को ही सन्तुलित चार्ज (Balancing Charge) कहा जाता है। स्वीकृत हुए ह्रास से अधिक लाभ पूंजीगत लाभ होता है।

सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ (Meaning of Actual Cost of an Asset)

धारा ४३ (१) के अनुसार किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ कर दाता की वास्तविक लागत म से लागत का वह भाग घटाकर बची हुई रकम मे है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा चुकायी गयी हो।

स्पष्टीकरण १ जब कोई सम्पत्ति व्यापार मे सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान म प्रयोग की समाप्ति के बाद व्यापार म प्रयोग की जाये तो उसकी वास्तविक लागत मे से वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध मे इस सम्पत्ति पर स्वीकार की गयी कटौतियाँ घटाकर जो शेष बचेगा वह धारा ३२ के अन्तगत ह्रास देने के लिए उसकी वास्तविक लागत होगी।

२ यदि कर दाता न कोई सम्पत्ति भेंट के रूप म अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप म प्राप्त की हो तो कर दाता के लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न म से जो कम हो वह रकम होगी

(i) सम्पत्ति के पिछले मालिक के लिए उस गत वर्ष म जिसम इस सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य, अथवा

(ii) जिस दिन कर-दाता ने सम्पत्ति प्राप्त की है उस दिन उसका बाजार मूल्य।

३ जब कर-दाता न किसी दूसरे व्यक्ति के पास उसके व्यापार मे प्रयोग होती हुई सम्पत्ति खरीदी है और आय-कर अधिकारी की सम्मति मे क्रेता न इस सम्पत्ति पर बढी हुई लागत पर

अधिक ह्रास की छूट की माग करने के उद्देश्य से यह सम्पत्ति अधिक मूल्य पर खरीदी है तो इस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी जो सब परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिकारी की सम्मति मे उचित हो।

४ जब कोई कर दाता किसी ऐसी सम्पत्ति को दुबारा प्राप्त कर ले, जो पहले कभी उसकी थी तथा उसे वह अपने व्यापार अथवा पेशे मे प्रयोग करता था पर'तु बाद म उसके हस्तान्त रण हो जाने के कारण वह उसका स्वामी नही रहा था, तो कर दाता के लिए उसकी वास्तविक लागत निम्न मे से जो कम हो वह रकम होगी

(i) कर दाता ने जब यह सम्पत्ति प्रथम वार प्राप्त की थी उस समय की उसकी वास्तविक लागत म से उस पर स्वीकृत की गयी कुल ह्रास की रकम [अन्तिम ह्रास सहित] घटाकर तथा सतुलित चाज (Balancing Charge) की रकम जोडकर जो रकम निकले, अथवा

(ii) कर दाता द्वारा दुबारा प्राप्त करने के लिए दी गयी वास्तविक लागत की रकम।

५ जब कोई भवन जो पहले से कर-दाता की सम्पत्ति हो, २८ फरवरी, १६४६ के बाद कर दाता के व्यापार अथवा पेशे म प्रयोग किया जाये तो कर दाता की वास्तविक लागत निकालने के लिए उसकी वास्तविक लागत मे से ह्रास की वह रकम घटा दी जायेगी जो उसे गत वर्ष की दरो के अनुसार प्रारम्भ से गत वष तक स्वीकार की जाती यदि वह भवन प्रारम्भ से ही उसके व्यापार अथवा पेशे म प्रयोग हुआ होता। शेष बची हुई रकम कर दाता की वास्तविक लागत होगी।

६ जब कोई पूजी सम्पत्ति किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को अथवा किसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी का हस्तान्तर कर दी जाये तो सम्पति पाने वाली कम्पनी के लिए हस्तान्तरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही रकम मानी जायगी जो हस्तान्तर करने वाली कम्पनी के लिए होती यदि वह कम्पनी इस सम्पत्ति को अपने ही व्यापार मे प्रयोग करती रहती। यह नियम तभी लागू होगा जबकि निम्न शर्तें पूरी होती हों

(i) एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को पूजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने की दशा मे, यदि
   (क) सूत्रधारी कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूण अश पूजी है, तथा
   (ख) सहायक कम्पनी भारतीय कम्पनी है, अथवा
(ii) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को पूजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने की दशा मे, यदि
   (क) सहायक कम्पनी की सम्पूण अश-पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है, तथा
   (ख) सूत्रधारी कम्पनी भारतीय कम्पनी है।

अपलिखित मूल्य (Written down Value)

धारा ४३ (६) के अनुसार अपलिखित मूल्य का अथ

(अ) गत वष मे प्राप्त की गयी सम्पत्ति के लिए कर दाता की वास्तविक लागत है, तथा

(ब) गत वष मे पूव प्राप्त की गयी सम्पत्ति के लिए कर-दाता की वास्तविक लागत मे से वास्तव मे स्वीकार की गयी कुल ह्रास की रकम घटाकर जो शेष बचेगा, वह रकम होती है। प्रति वष साधारण ह्रास तथा अतिरिक्त पारी की छूट देने के लिए अपलिखित मूल्य निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास की रकम उसकी वास्तविक लागत मे से नही घटायी जायेगी परन्तु Terminal Depreciation अथवा Balancing Charge के निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास की रकम भी उसकी वास्तविक लागत मे से घटायी जायगी।

अशोधित ह्रास की रकम जो आगे ले जायी जाती है "वास्तव मे स्वीकार किया गया ह्रास" मानी जाती है।

किसी सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने के लिए उसकी वास्तविक लागत म से विकास सम्बन्धी छूट (जिसका वणन आगे किया गया है) नही घटायी जाती है।

Some Prescribed Rates of Depreciation

The prescribed rates of depreciation are given in part I of Appendix I of the Income Tax Rules 1962 framed by the Central Board of Direct Taxes Some of these rates are given below

I *Buildings*

(1) First class buildings	@ 2 5% on written down value		
(2) Second class buildings	@ 5 0%	"	"
(3) Third class buildings	@ 7 5%	"	"

(4) Purely temporary erections, such as wooden structures — No Rate is prescribed, renewals will be allowed as revenue expenditure

Note These rates are doubled in case of Factory Buildings

II *Furniture and Fittings*

(1) General @ 10% on W D V

(2) Rate for furniture and fittings used in hotels restaurants cinema houses and boarding houses @ 15% on W D V

III *Machinery and Plant*

(1) General Rate @ 7% on W D V

(2) Different Special Rates are to be applied in certain specified industries

विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)

१ नये समुद्री जहाज अथवा नयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे—धारा ३३ (१) के अनुसार ३१ मार्च, १९५४ के बाद एक कर-दाता ने जो नये समुद्री जहाज प्राप्त किय हो अथवा जो नयी मशीन या प्लाण्ट (यातायात वाहनो तथा कार्यालय यन्त्रो को छोडकर) लगवायी हो जिनका कर-दाता स्वामी है तथा जो पूर्णतया कर दाता के व्यापार मे प्रयोग होती हैं उनके सम्बन्ध मे निम्न दरो से विकास सम्बन्धी छूट की कटौती दी जायगी

(i) ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद प्राप्त किये गये जहाज के सम्बन्ध मे उसकी वास्तविक लागत का ४० प्रतिशत

(ii) १ जनवरी, १९५८ से पूर्व प्राप्त किये गये जहाज के सम्बन्ध में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत,

(iii) १ अप्रैल, १९६१ से पूर्व लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत,

(iv) ३१ मार्च, १९६१ के बाद लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे

(क) खान से कोयला निकालने के सम्बन्ध में लगायी गयी मशीन की वास्तविक लागत पर ३५% यदि वह मशीन ३१ मार्च, १९६३ के बाद १ अप्रैल, १९६६ से पूर्व लगायी गयी हो,

(ख) अन्य किसी व्यापार के लिए १ अप्रैल, १९६५ से पूर्व लगाये गये मशीन अथवा प्लाण्ट की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत

(ग) यदि मशीन अथवा प्लाण्ट ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगाया गया हो तो

(अ) पाँचवीं अनुसूची में दी हुई किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन

करने वाली मशीन अथवा प्लाण्ट की दशा में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत, तथा

(ब) अन्य किसी व्यापार की दशा में

(i) यदि यह मशीन अथवा प्लाण्ट १ अप्रैल, १९६७ से पूर्व लगाया गया हो, तो उसकी वास्तविक लागत का २० प्रतिशत, तथा

(ii) अन्य किसी दशा में वास्तविक लागत का १५ प्रतिशत।

उपर्युक्त छूट उस गत वर्ष में दी जाती है जिसमें जहाज प्राप्त किया गया हो अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट लगवाया गया हो। यदि यह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट उक्त गत वर्ष के अगले गत वर्ष में प्रथम बार प्रयोग किये जाते हैं तो उस अगले गत वर्ष में यह छूट दी जाती है।

२ पुराने समुद्री जहाज अथवा पुरानी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में—धारा ३३ (१ A) के अन्तर्गत

(अ) विकास सम्बन्धी छूट ऐसे समुद्री जहाज के सम्बन्ध में भी दी जायगी जो ३१ मार्च, १९६४ के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाय जो उसे पहले से प्रयोग कर रहा था। यह छूट जहाज की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत की दर से दी जायेगी। यह छूट तभी स्वीकृत होगी जबकि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(i) यह जहाज उपर्युक्त प्राप्ति से पूर्व कभी भारत में किसी निवासी व्यक्ति के पास न रहा हो,

(ii) यह जहाज पूर्णतया कर दाता के व्यापार के लिए प्रयोग होता हो, तथा

(iii) अन्य कोई शर्तें जो निर्धारित कर दी जायें।

(ब) यह छूट ऐसी मशीन अथवा प्लाण्ट (कार्यालय यन्त्र अथवा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में भी दी जायगी जो कर दाता द्वारा इस प्रकार लगाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयोग होती थी बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(i) कर दाता द्वारा इस प्रकार इस मशीन अथवा प्लाण्ट को लगाने से पूर्व यह मशीन अथवा प्लाण्ट कभी भी भारत में प्रयोग न हुई हो,

(ii) कर-दाता द्वारा यह भारत के बाहर के किसी देश से आयात की गयी है,

(iii) कर-दाता द्वारा इस मशीन अथवा प्लाण्ट को लगाने से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में इस मशीन अथवा प्लाण्ट पर भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत न तो कभी ह्रास अथवा विकास सम्बन्धी छूट दी गयी है और न दी जा सकती है,

(iv) यह मशीन अथवा प्लाण्ट पूर्णतया कर-दाता के व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है, तथा

(v) अन्य कोई शर्तें जो निर्धारित कर दी जायें।

यह छूट मशीन अथवा प्लाण्ट की वास्तविक लागत पर निम्न दर से दी जायगी

(i) खान से कोयला निकालने के सम्बन्ध में लगायी गयी मशीन की दशा में यदि यह १ अप्रैल, १९६६ से पूर्व लगायी गयी हो   २० प्रतिशत

(ii) अन्य किसी दशा में   १० प्रतिशत

(स) उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) में वर्णित छूट उस गत वर्ष में दी जायगी जिसमें जहाज प्राप्त किया गया हो अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट लगवाया गया हो। यदि यह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट उक्त गत वर्ष के अगले गत वर्ष में प्रथम बार प्रयोग किये जाते हैं तो उस अगले गत वर्ष में यह छूट दी जायेगी।

वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा जोड़ी गयी नयी धारा ३३ (६) के अन्तर्गत, ऐसी मशीन अथवा प्लाण्ट पर विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जायेगी जो ३१ मार्च १९६५ के बाद किसी कार्यालय भवन अथवा रहने के मकान (अतिथि भवन सहित) में लगाया गया हो।

३ चाय की झाड़ियों के सम्बन्ध में—धारा ३३ A के अन्तर्गत, एक ऐसे कर दाता द्वारा जो भारत में चाय के उत्पादन व निर्माण का व्यापार कर रहा है अपनी भारत में स्थित भूमि पर ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगायी गयी चाय की झाड़ियों के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट निम्न दरों से दी जायेगी

(i) ऐसी भूमि पर जिस पर पहले कभी चाय के पौधे न लगाये गये हों, नये पौधों के सम्बन्ध में   पौधे लगाने की वास्तविक लागत का ४०% तथा

(ii) ऐसी भूमि पर जिस पर चाय के पौधे पहले से लगे हों, मृतक पौधों के स्थान में अथवा ऐसे पौधों के स्थान में जो स्थायी रूप से बेकार हो गये हों ३१ मार्च १९६५ के बाद तथा १ अप्रैल, १९७० से पूर्व लगाये गये नये पौधों के सम्बन्ध में   पौधे लगाने की वास्तविक लागत का २०%।

जिस गत वर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि तैयार की जाये उससे अगले तीसरे गत वर्ष के सम्बन्ध में उपर्युक्त छूट की कटौती दी जायेगी।

विकास सम्बन्धी छूट के सम्बन्ध में 'पौधे लगाने की वास्तविक लागत' से आशय निम्न के योग से है

(i) भूमि को तैयार करने की लागत,
(ii) बीज तथा नर्सरी की लागत,
(iii) पौधे लगाने की लागत, तथा
(iv) जिस गत वर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि तयार की जाये तथा उससे अगले तीन गत वर्षों में पौधों की देखभाल करने की लागत।

उपर्युक्त योग में से लागत का वह भाग घटा दिया जायेगा जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता से इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हो, तथा शेष रकम 'पौधे लगाने की वास्तविक लागत' होगी।

'पौधे लगाने की वास्तविक लागत' जिस पर विकास सम्बन्धी छूट स्वीकृत होगी निम्न सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए

(i) पहाड़ी क्षेत्र में १२,५०० रु० प्रति हेक्टेयर, तथा
(ii) अन्य क्षेत्रों में १०,००० रु० प्रति हेक्टेयर।

विकास सम्बन्धी छूट स्वीकार करने की शर्तें

विकास सम्बन्धी छूट स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होती है

(१) कर दाता ने इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में वह सब विवरण दे दिया है जो ह्रास के सम्बन्ध में दिया जाता है।

(२) सम्बन्धित गत वर्ष में वास्तव में स्वीकार होने वाली विकास सम्बन्धी छूट की ७५ प्रतिशत रकम लाभ हानि खाते के नाम तथा एक विशेष सचय खाते में जमा कर दी गयी है। इस सचय को कर दाता अगले आठ वर्ष तक अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है परन्तु आठ वर्ष तक उसमें से लाभांश नहीं बाँट सकता है और न भारत के बाहर, लाभ के रूप में अथवा किसी सम्पत्ति को बनाने के लिए, इस सचय में से कोई रकम भेज सकता है।

उन कम्पनियों पर जिन्होंने Electric (Supply) Act, 1948 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किया हुआ है तथा उन जहाजों के सम्बन्ध में जो १ जनवरी, १९५८ से पूर्व प्राप्त किये गये है अथवा उन मशीनों या प्लाण्ट के सम्बन्ध में जो १ जनवरी, १९५८ से पूर्व लगाये गये हैं, यह शर्त लागू नहीं होती है।

(३) (अ) यदि वह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट, जिस पर विकास सम्बन्धी छूट मिली है, इसे प्राप्त करने वाले गत वर्ष से अगले ८ वर्ष के अन्दर किसी व्यक्ति को बेच दी जाये अथवा हस्तान्तर कर दी जाये तो धारा ३३ (१) के अन्तर्गत मिली हुई विकास सम्बन्धी छूट अस्वीकार कर दी जायेगी और उस वर्ष के कर निर्धारण में, जिसमें यह छूट मिली थी, उचित सशोधन कर दिया जायेगा। यह शर्त निम्न दशाओं में लागू नहीं होगी

(1) जबकि १ जनवरी, १९५८ से पूर्व जहाज प्राप्त किया गया हो अथवा मशीन या प्लाण्ट लगाया गया हो, अथवा

(ii) जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट सरकार, स्थानीय सत्ता, किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम, अथवा एक सरकारी कम्पनी को बेची अथवा हस्तान्तर की गयी हो, अथवा

(iii) जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट का विक्रय अथवा हस्तान्तरण धारा ३३ (३) या ३३ (४) के अन्तर्गत हुए एकीकरण या उत्तराधिकार (Amalgamation or Succession) के सम्बन्ध में हो।

(ब) यदि वह भूमि जिस पर विकास सम्बन्धी छूट मिली है इस छूट की कटौती स्वीकृत होने वाले गत वर्ष से अगले ८ वर्ष के अन्दर कर दाता द्वारा किसी व्यक्ति को बेच दी जाय अथवा हस्तान्तर कर दी जाय तो धारा ३३ A (१) के अन्तर्गत मिली हुई विकास सम्बन्धी छूट अस्वीकार कर दी जायेगी और उस वर्ष के कर निर्धारण में, जिसमें यह छूट मिली थी, उचित संशोधन कर दिया जायगा। यह शर्त निम्न दशाओं में लागू नहीं होगी

(i) जबकि यह भूमि सरकार, स्थानीय सत्ता, किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा एक सरकारी कम्पनी को बेची अथवा हस्तान्तर की गयी हो, अथवा

(ii) जबकि इस भूमि का विक्रय अथवा हस्तान्तरण धारा ३३ A (५) या ३३ A (६) के अन्तर्गत हुए एकीकरण या उत्तराधिकार (Amalgamation or Succession) के सम्बन्ध में हो।

जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम—(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद प्राप्त किये जहाज अथवा लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट की दशा में, धारा ३३ (२) के अन्तर्गत यदि कर-दाता की उस कर निर्धारण वर्ष की कुल आय (विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व), जो जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट प्राप्त करने अथवा लगाने वाले गत वर्ष से सम्बन्धित हो विकास सम्बन्धी छूट की पूरी रकम से कम हो तो उस कर निर्धारण वर्ष में उतनी ही छूट दी जायेगी जितनी कि उसकी कुल आय है, तथा जितनी छूट की रकम शेष रह जायगी वह अगले आठ वर्ष तक स्वीकारार्थ आगे ले जायी जा सकती है।

(२) यदि किसी वर्ष कर-दाता की आय से उस वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट व पिछले किसी वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट घटानी है तो पहले पिछले वर्ष की छूट घटायी जायगी और बाद में उस वर्ष की छूट घटायी जायगी। यदि विकास सम्बन्धी छूट पिछले एक वर्ष से अधिक से आ रही है तो पहले सबसे पुराने वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद में प्रत्येक बाद में आने वाले वर्ष की छूट घटायी जायगी।

चाय की झाडियो के सम्बन्ध मे विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम—(१) यदि कर दाता की उस कर निर्धारण वर्ष की कुल आय (जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे विकास सम्बन्धी छूट घटाने के बाद परन्तु चाय की झाडिया क सम्बन्ध मे विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व), जिसम यह छूट स्वीकार की गयी है, विकास सम्बन्धी छट की पूरी रकम स कम हो तो उस कर निर्धारण वर्ष म उतनी ही छूट दी जायेगी जितनी कि उसकी कुल आय है, तथा जितनी छूट की रकम शेष रह जायगी वह अगले ८ वर्ष तक स्वीकाराथ आगे ले जायी जा सकती है।

(२) यदि किसी वर्ष कर दाता की आय स उस वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट व पिछले किसी वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट घटानी है तो पहले पिछले वर्ष की छूट घटायी जायगी और बाद म उस वर्ष की छूट घटायी जायेगी। यदि विकास सम्बन्धी छूट पिछले एक वर्ष स अधिक से आ रही है तो पहले सबसे पुराने वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद म प्रत्येक बाद म आने वाले वर्ष की छूट घटायी जायेगी।

Illustration 1

Calculate the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment years 1964 65 and 1965 66 from the following particulars of a firm whose accounting year ends on 31st December

(i) Purchased a new machinery for Rs 40 000 on 30th June, 1963

(ii) The machinery was used double shift for 100 days in 1963 and triple shift for 200 days in 1964

(iii) The prescribed rate of depreciation is 7 per cent

Solution

Assessment Year 1964 65

Development Rebate

	Rs
20% of the actual cost of new machinery (Rs 40 000)	8,000

Depreciation

	Rs
Normal Depreciation @ 7% on Rs 40,000 for one year	2 800
Extra shift Allowance being 50% of one third (100/300) of Rs 2,800 normal depreciation for one year	167
	Rs 3,267

Assessment Year 1965 66

Depreciation

Normal Depreciation @ 7% on Rs 36,733 (written down value)	Rs 2,571
Extra shift Allowance being 50% of two third (200/300) of Rs 2,571	857
	Rs 3 428

Note As the machinery has been used for more than 180 days in 1963 according to Rule 5 of Income Tax Rules 1962, depreciation will be allowed for full year

Illustration 2

Calculate the amount of depreciation allowance for the assessment year 1965 66 from the following particulars of a merchant whose accounting year ends on 31 March each year

(i) Completed the construction of a new building for his business on 1st January, 1962 at a cost of Rs 10 000

(ii) The depreciation for the assessment year 1964 65 was unabsorbed to the extent of Rs 200

(iii) The prescribed rate of depreciation is 5%

Solution

Assessment Year			Rs
1962 63	Normal depreciation @ 5% an Rs 10 000 for 6 months		250
1963 64	Normal depreciation @ 5% on Rs 9,750 being W D V		487 50
1964 65	Normal depreciation @ 5% on Rs 9,262 50 being W D V	Rs 463 12	
Less	Unabsorbed Depreciation carried forward	200 00	263 12
		Rs	1 000 62
1965 66	Normal depreciation @ 5% on Rs 8 799 being W D V		440
	Unabsorbed Depreciation brought forward from 1964 65		200
	Depreciation Allowance for 1965 66	Rs	640

Note The figure of Rs 8 799 has been arrived at by deducting the total depreciation actually allowed" to him from the actual cost of the building to the assessee i e Rs 10 000 less Rs (1,000 62+200)=Rs 8 799 38 or Rs 8,799 Under Section 43, sub section 6, explanation 3

unabsorbed depreciation is deemed to be depreciation "actually allowed" hence unabsorbed depreciation of Rs 200 has been treated as depreciation actually allowed' and deducted from the actual cost in order to arrive at the written down value for the assessment year 1965 66

Illustration 3

Work out the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1965 66 from the following particulars of assets of a cotton mill company whose accounting year ends on 31st December

Assets	*W D V on 1 1 1964* Rs	*Depreciation Rate*
Buildings	15 47,380	5%
Godowns	2,15 740	5%
Machinery	33,17,695	10%
Motor Trucks	45 700	25%
Furniture	25,170	10%

The Company installed additional machinery on June 30 1963, at a cost of Rs 4 45 970

One godown (whose W D V on 1 1 1964 was Rs 1 15 600) was completely destroyed by fire on May 1, 1964, and Rs 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof

Solution

Development Rebate	Rs
20% on Rs 4 45 970 being cost of new machinery installed after 31st March 1961	89,194
Depreciation Allowance	Rs
Building Normal Depreciation @ 5% on Rs 15,47 380	77,369
Godowns in existence on 31 12 1964	
Normal Depreciation @ 5% on Rs 1,00 140 (Rs 2,15,740—Rs 1,15,600)	5,007
Godowns destroyed Terminal Depreciation (Rs 1,15 600—Rs 1 00 000)	15 600
Machinery Normal Depreciation @ 10% on Rs 33 17 695	3,31 769
Normal Depreciation @ 10% on Rs 4 45 970 for one year (used for more than 180 days)	44 597
Motor Trucks Normal Depreciation @ 25% on Rs 45 700	11,425
Furniture Normal Depreciation @ 10% on Rs 25,170	2,517
Total Depreciation Allowable Rs	4 88 284

Assessment Year 1965 66

Depreciation

Normal Depreciation @ 7% on Rs 36,733 (written down value)	Rs	2,571
Extra shift Allowance being 50% of two third (200/300) of Rs 2 571		857
	Rs	3,428

Note As the machinery has been used for more than 180 days in 1963, according to Rule 5 of Income Tax Rules, 1962 depreciation will be allowed for full year

Illustration 2

Calculate the amount of depreciation allowance for the assessment year 1965 66 from the following particulars of a merchant whose accounting year ends on 31 March each year

(i) Completed the construction of a new building for his business on 1st January, 1962 at a cost of Rs 10 000

(ii) The depreciation for the assessment year 1964 65 was unabsorbed to the extent of Rs 200

(iii) The prescribed rate of depreciation is 5%

Solution

Assessment Year			Rs
1962 63	Normal depreciation @ 5% an Rs 10,000 *for 6 months*		250
1963 64	Normal depreciation @ 5% on Rs 9,750 being W D V		487 50
1964 65	Normal depreciation @ 5% on Rs 9 262 50 being W D V	Rs 463 12	
Less	Unabsorbed Depreciation carried forward	200 00	263 12
		Rs	1 000 62
1965 66	Normal depreciation @ 5% on Rs 8,799 being W D V		410
	Unabsorbed Depreciation brought forward from 1964 65		200
	Depreciation Allowance for 1965 66	Rs	610

Note The figure of Rs 8,799 has been arrived at by deducting the total depreciation actually allowed to him from the actual cost of the building to the assessee i e, Rs 10 000 less Rs (1 000 62+200)=Rs 8 799 38 or Rs 8 799 Under Section 43, sub section 6 explanation 3

unabsorbed depreciation is deemed to be depreciation "actually allowed" hence unabsorbed depreciation of Rs 200 has been treated as depreciation actually allowed' and deducted from the actual cost in order to arrive at the written down value for the assessment year 1965 66

Illustration 3

Work out the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1965 66 from the following particulars of assets of a cotton mill company whose accounting year ends on 31st December

Assets	*W D V on 1 1 1964* Rs	*Depreciation Rate*
Buildings	15,47,380	5%
Godowns	2,15,740	5%
Machinery	33,17,695	10%
Motor Trucks	45,700	25%
Furniture	25,170	10%

The Company installed additional machinery on June 30 1963, at a cost of Rs 4,45,970

One godown (whose W D V on 1 1 1964 was Rs 1 15 600) was completely destroyed by fire on May 1 1964, and Rs 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof

Solution

Development Rebate	Rs
20% on Rs 4 45 970 being cost of new machinery installed after 31st March, 1961	89,194

Depreciation Allowance	Rs
Building Normal Depreciation @ 5% on Rs 15,47,380	77,369
Godowns in existence on 31 12 1964	
Normal Depreciation @ 5% on Rs 1,00 140 (Rs 2,15,740 – Rs 1,15 600)	5 007
Godowns destroyed Terminal Depreciation (Rs 1,15,600 – Rs 1 00 000)	15,600
Machinery Normal Depreciation @ 10% on Rs 33 17 695	3 31 769
Normal Depreciation @ 10% on Rs 4 45 970 for one year (used for more than 180 days)	44 597
Motor Trucks Normal Depreciation @ 25% on Rs 45 700	11,425
Furniture Normal Depreciation @ 10% on Rs 25 170	2 517
Total Depreciation Allowable Rs	4 88 284

Illustration 4

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value is Rs 80,000 It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs 20,000 What would be the position as regards terminal depreciation or balancing charge, if the insurance moneys received were Rs 10,000, Rs 60,000, Rs 1,20,000, Rs 1,80,000 and Rs 2,20,000?

Solution

After adding the scrap value to the amount of insurance money received the position as regards terminal depreciation or balancing charge would be as follows

(i) When insurance money received is Rs 10,000 there is a terminal depreciation of {Rs 80,000—(Rs 10,000+20,000)} =Rs 20,000

(ii) When insurance money received is Rs 60,000, there is neither any terminal depreciation nor any balancing charge,

(iii) When insurance money received is Rs 1,20,000 there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 60,000

(iv) When insurance money received is Rs 1,80,000 there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1,20,000

(v) When insurance money received is Rs 2,20,000, there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 1,20,000 and a capital gain of Rs 40,000 The figures have been arrived at as under

Total Profit={(Rs 2,20,000+20,000)—Rs 80,000}
=Rs 2,40,000—80,000=Rs 1,60,000

Out of this profit of Rs 1,60,000 Rs 1,20,000 is a balancing charge being upto the actual cost of the asset and the excess of Rs 40,000 over the actual cost is a Capital Gain

Illustration 5

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value is Rs 80,000 What would be the position as regards terminal depreciation or balancing charge, if it were sold for Rs 60,000, Rs 80,000 Rs 1,40,000, Rs 2,00,000 or Rs 2,40,000?

Solution

(i) When sold for Rs 60,000, there is a terminal depreciation of Rs 20,000

(ii) When sold for Rs 80,000 there is neither any terminal depreciation nor any balancing charge

(iii) When sold for Rs 1,40,000 there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 60,000

(iv) When sold for Rs 2 00,000, there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1 20 000

(v) When sold for Rs 2,40,000 there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1,20,000 and a Capital Gain of Rs 40,000 There figures have been arrived at as under

Total Profit = Rs (2 40 000 — 80 000) = Rs 1 60,000

Out of this profit of Rs 1 60 000 Rs 1 20 000 is a balancing charge, being upto the actual cost of the asset and the excess of Rs 40 000 over the actual cost is a Capital Gain

Illustration 6

The cost of machinery owned by a firm whose accounting year ends on 31st March, was Rs 1,00,000 It was discarded in October 1963 its scrap value being then estimated at Rs 20,000 The depreciation actually allowed on this machinery upto and including the assessment year 1963 64 was Rs 54 000 The discarded machinery was actually sold in June 1964 for Rs 16 000

What is the amount of terminal depreciation in respect of this machinery and what would be the position if the discarded machinery were sold for Rs 25,000 instead of Rs 16 000 ?

Solution

In the Assessment Year 1964 65 the amount of terminal depreciation would be Rs 26 000 on the basis of the scrap value of Rs 20 000

In the Assessment Year 1965 66 a further terminal depreciation of Rs 4 000 will be allowed on the basis of the sale price of Rs 16 000

If the discarded machinery is sold for Rs 25 000 there will be a taxable profit of Rs 5 000 for the Assessment Year 1965 66 because on the basis of the scrap value of Rs 20 000 a terminal depreciation of Rs 26,000 was allowed in the Assessment Year 1964 65

QUESTIONS

1 Write short notes on the following

(a) Written down value
(b) Unabsorbed Depreciation
(c) Extra shift Allowance
(d) Initial Depreciation
(e) Balancing Charge
(f) Development Rebate
(g) Terminal Depreciation

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए

(अ) अपलिखित मूल्य,

(आ) अशोधित ह्रास,

(इ) अतिरिक्त पारी की छूट,

(ई) प्रारम्भिक ह्रास,

(उ) सतुलित बाज,

(ऊ) विकास सम्बधी छूट,

(ए) अतिम ह्रास।

2 What do you understand by the 'Actual Cost' of an asset to the assessee? Discuss the law relating to it fully

कर-दाता के लिए किसी सम्पत्ति की 'वास्तविक लागत' से आप क्या समझते है? इस सम्बध मे विधान का विस्तारपूर्वक वणन कीजिए।

3 Describe the conditions which have to be fulfilled in connection with the grant of Development Rebate What are the rules regarding its carry forward?

विकास सम्बधी छूट स्वीकार करने के सम्बध मे जो शर्तें पूरी करनी होती है, उनका वणन कीजिए। इसे आगे ले जाने के क्या नियम हैं?

१०

(५) पूँजी लाभ

(5) CAPITAL GAINS

धारा ४५ (१) के अन्तर्गत गत वर्ष मे किसी पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ 'पूजी लाभ' के शीर्षक म कर योग्य होता है।

बोनस अंश (Bonus Shares)

धारा ४५ (२) के अन्तर्गत, साधारण अंशधारी को यदि कोई कम्पनी बोनस अंश आवंटित (allot) करती है (बशर्ते कि ये अंश पूर्णतया Share Premium Account मे से न दिये गये हो) तो उसे इन अंशो के उचित बाजार मूल्य पर 'पूजी लाभ' के शीर्षक मे कर देना होगा। यह उचित बाजार मूल्य आवंटन की तिथि से ३० दिन बाद के दिन का होगा और यह रकम उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस गत वर्ष मे यह ३० दिन बाद की तिथि पडती है।

अपवाद—यह आयोजन उन कर दाताओ पर लागू नही होगा जो अंशो के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं अथवा जबकि ये अंश १ अप्रैल, १९६४ मे पूर्व आवंटित (allot) कर दिये गये हो।

स्पष्टीकरण—बोनस अंशो का पूजी लाभ दीर्घकालीन पूजी लाभ माना जायेगा।

धारा ४५ (३) के अन्तर्गत, यदि ये बोनस अंश उपर्युक्त वर्णित ३० दिन की अवधि के अन्दर हस्तान्तर कर दिये जायें तो इस हस्तान्तरण से होने वाला लाभ कर योग्य नही होगा।

पूजी सम्पत्ति (Capital Asset)

धारा २ (१४) के अनुसार पूजी सम्पत्ति से आशय किसी कर-दाता की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है जो चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित हो अथवा नही, परन्तु इसमे निम्न शामिल नही हैं

(i) उसके व्यापार अथवा पेशे के लिए रखा हुआ कोई व्यापारिक माल का रहतिया उपभोग्य सामान अथवा कच्चा माल,

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति, अर्थात् चल सम्पत्ति जो कर दाता अथवा उस पर

आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखा हुइ हो। इसमे पहनने के कपडे, जेवर तथा फर्नीचर शामिल हैं,

(iii) भारत म कृषि भूमि, तथा

(iv) ६३% गोल्ड बॉण्ड्स, १९७७ (नये ७% गोल्ड बॉण्ड्स सहित)।

पूजी सम्पत्तिया निम्न दो भागो म बाट दी गयी हैं

(१) अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति (Short term Capital Asset)

(२) दीघकालीन पूजी सम्पत्ति (Long term Capital Asset)

अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति—उस सम्पत्ति को कहते हैं जो कर-दाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूव १२ महीने से अधिक से न हो। अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हाने वाला लाभ अल्पकालीन पूजी लाभ होता है।

दीघकालीन पूजी सम्पत्ति (अन्य पूजी सम्पत्ति)—वह पूजी सम्पत्ति जो कर दाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूव १२ महीन से अधिक से हो दीघकालीन पूजी सम्पत्ति अथवा अन्य पूजी सम्पत्ति कहलाती है। दीघ कालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ, दीघकालीन पूजी लाभ अथवा अन्य पूजी लाभ होता है।

हस्तान्तरण (Transfer)

धारा २ (४७) के अनुसार पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे 'हस्तान्तरण' म सम्पत्ति की बिक्री विनिमय, उसको छोड देना अथवा उसके अन्तगत अधिकारो का समाप्त हो जाना अथवा किसी कानून के अन्तगत अनिवाय रूप से उसे ले लेना सम्मिलित है।

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता है (Transactions not regarded as transfer)—धारा ४७ के अन्तगत, निम्न व्यवहारो को पूजी लाभ के सम्बन्ध मे हस्तान्तरण नही माना जाता है अर्थात इनसे उत्पन्न हुआ पजी लाभ पूणतया कर मुक्त है

(१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूण अथवा आशिक विभाजन पर पूजी सम्पत्तिया का वितरण

(२) *फम, व्यक्तियो का समूह अथवा अन्य जन मण्डल* के विघटन (dissolution) पर पूजी सम्पत्तियो का वितरण,

(३) एक भेंट (gift), वसीयत (will) अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तगत किसी पूजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण,

(४) एक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को हस्तान्तरित पूजी सम्पत्ति यदि उस कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश-पूजी है तथा वह सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

(५) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरित पूंजी सम्पत्ति यदि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूंजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है तथा सूत्रधारी कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

पूजी लाभ की गणना की विधि (Mode of Computation of Capital Gains)—धारा ४८ के अन्तर्गत 'पूजी लाभ' के शीर्षक मे कर योग्य आय निकालने के लिए पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राप्त अथवा प्राप्य (received or receivable) प्रतिफल के सम्पूर्ण मूल्य म से निम्न रकमे घटायी जाती हैं

(i) वह व्यय जो पूर्णतया हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे किये गये हो,

(ii) पूजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमे किये गये सुधार की लागत।

दीर्घकालीन पूजी सम्पत्तिया के सम्बन्ध म ५,००० तक का पूजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त होता है और यदि ऐसा पूजी लाभ ५,००० रु० से अधिक है तो कर योग्य पूजी लाभ निकालने के लिए ५,००० रु० घटा दिये जायेंगे।

प्राप्त करने की लागत (Cost of Acquisition)

भिन्न भिन्न परिस्थितियो मे पूजी सम्पत्ति की प्राप्त करने की लागत निम्न प्रकार निकाली जाती है

(१) धारा ४९ के अन्तर्गत एक कर दाता को निम्न परिस्थितियो मे प्राप्त पूजी सम्पत्ति की लागत वह होगी जिस लागत पर उस सम्पत्ति के पूर्व स्वामी ने उसे प्राप्त किया था तथा उसम पूर्व स्वामी द्वारा अथवा कर दाता द्वारा किया हुआ वह व्यय जोड दिया जायेगा जिससे उस सम्पत्ति म कोई सुधार हुआ हो

(अ) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर हुआ पूजी सम्पत्तियो का वितरण, अथवा

(आ) भेंट (gift) अथवा वसीयत (will) के अन्तर्गत, अथवा

(इ) उत्तराधिकार आदि पर (By Succession inheritance or devolution), अथवा

(ई) एक फर्म, व्यक्तियो के समूह अथवा अन्य जन मण्डल के विघटन पर पूजी सम्पत्तिया का वितरण, अथवा

(उ) एक कम्पनी के समापन पर हुआ सम्पत्तियो का वितरण, अथवा

(ऊ) एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट को हस्तान्तरण के अन्तर्गत, अथवा

(ए) एक कम्पनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में भारतीय सहायक कम्पनी को हस्तान्तरण पर, अथवा

(ii) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते कि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश-पूंजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है।

यदि पिछले स्वामी की सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत पता न लग सके तो जिस दिन पिछले स्वामी ने यह सम्पत्ति प्राप्त की थी उस दिन का बाजार मूल्य उसको प्राप्त करने की लागत माना जायेगा।

(२) धारा ४५ (२) के अन्तर्गत, यदि कोई सम्पत्ति कर दाता ने या पिछले स्वामी ने १ जनवरी १६५४ से पूर्व प्राप्त की हो तो उस सम्पत्ति का प्राप्त करने का मूल्य उसकी इच्छानुसार निम्न में से कोई भी माना जा सकता है

(i) उसकी अथवा पिछले स्वामी की वास्तविक प्राप्त करने की लागत, अथवा

(ii) १ जनवरी, १६५४ का बाजार मूल्य।

(३) धारा ४५ (२) के अन्तर्गत कर योग्य बोनस अंश यदि उस धारा में वर्णित ३० दिन के बाद किसी को हस्तान्तर कर दिये जायें तो अंशों का प्राप्त करने का मूल्य उपर्युक्त वर्णित ३० दिन के बाद आने वाले दिन का उचित बाजार मूल्य माना जायेगा।

(४) ह्रास होने वाली सम्पत्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई ह्रास स्वीकार हुआ हो तो उसे प्राप्त करने की लागत, उसके अपलिखित मूल्य में से अन्तिम ह्रास (terminal depreciation) घटाकर अथवा सन्तुलित ब्याज जोड़कर मानी जायेगी।

(५) १ जनवरी, १६५४ से पूर्व प्राप्त की गयी सम्पत्ति की प्राप्त करने की लागत यदि कर दाता ने १ जनवरी १६५४ का बाजार मूल्य माना है तो १ जनवरी, १६५४ के बाजार मूल्य में से उस सम्पत्ति पर उक्त तारीख के बाद स्वीकार हुए ह्रास की रकम (अन्तिम ह्रास सहित) घटाकर तथा सन्तुलित ब्याज की रकम जोड़कर जो रकम आयेगी वही उस सम्पत्ति की प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी।

(६) धारा ५१ के अन्तर्गत, यदि पहले किसी समय पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी और कर दाता ने कोई पेशगी रकम प्राप्त कर ली थी जो उसी के पास रह गयी है तो पूंजी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत की गणना करने के लिए इस पेशगी प्राप्त रकम को उस सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत अथवा अपलिखित मूल्य अथवा उचित बाजार मूल्य, जैसी भी परिस्थिति हो, में से घटा दिया जायेगा।

Illustration 1

A manufacturer whose accounting year ends on 31st March sold some machinery for Rs 75,000 on 1st Feb, 1965, which had cost him Rs 50,000 and in respect of which Rs 20,000 had been allowed as dpereciation Calculate his Capital Gain for the assessment year 1965 66

Solution

In this case the cost of acquisition for the purpose of finding out the capital gain would be the written down value of Rs 30,000 plus Rs 20 000 the amount of balancing charge i e =R 50,000 Here the capital gain would be Rs 75 000—Rs 50 000=Rs 25,000 but the taxable capital gain would be Rs (25,000—5 000)= Rs 20 000

Illustration 2

A manufacturer whose accounting year ends on 31st March, sold some machinery for Rs 75,000 on 1st Feb, 1965 which had been purchased in 1952 for Rs 50 000, its fair market value on 1st January, 1954 being Rs 60 000 Depreciation allowed in respect of this machinery after 1st January 1954 amounted to Rs 25,000 Work out his capital gain for the assessment year 1965 66

Solution

In this case if the assessee exercises the option of adopting the fair market value on 1st January 1954 as his cost the cost of acquisition and the capital gain would be determined as given below

		Rs
Fair Market value on 1 1 1954		60,000
Less Depreciation allowed		25 000
Written down Value		35 000
Add Amount taxed as Balancing Charge		25 000
Cost of Acquisition		60,000
Capital Gain		15 000
Sale Price	Rs	75 000

Here the taxable capital gain would be Rs 10 000 after deduction of the exempted capital gain of Rs 5,000

If the assessee would have not exercised this option the capital gain, on the basis of his actual cost of Rs 50,000, would have been Rs 25 000 and the taxable capital gain would have been Rs 20 000

कम मूल्य पर हस्तान्तरण होने की दशा में प्रतिफल (Consideration for transfer in cases of understatement)—धारा ५२ के अन्तगत, यदि किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया हो जो कर दाता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो और आय कर अधिकारी का यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो कि सम्पत्ति का हस्तान्तरण पूंजी लाभ पर कर बचाने के उद्देश्य से कम मूल्य पर किया गया है तो इस हस्तान्तरण के प्रतिफल का कुल मूल्य हस्तान्तरण की तारीख पर पूंजी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य माना जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध मे आय-कर अधिकारी को इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

कर-मुक्त पूंजी लाभ (Capital Gains Exempt from Tax)

निम्न प्रकार के पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त है तथा कर दाता की कुल आय मे शामिल नही किये जायेंगे

(१) धारा ५३ के अनुसार (मकान सम्पत्ति के शीर्षक में कर योग्य) मकान सम्पत्ति तथा उससे लगी हुई भूमि के हस्तान्तरण से होने वाला पूंजी लाभ, बशर्ते कि हस्तान्तरण से प्राप्त कुल प्रतिफल २५,००० रुपये से अधिक न हो तथा उक्त हस्तान्तरण से ठीक पूर्व कर दाता के पास कुल मकान-सम्पत्तियों का उचित बाजार मूल्य ५०,००० रु० से अधिक न हो।

(२) धारा ५४ के अन्तगत, यदि कोई कर दाता अपनी किसी ऐसी मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर देता है (और उसे पूंजी लाभ होता है) जिसमे हस्तान्तरण की तिथि से २ वर्ष पूर्व की अवधि मे कर दाता अथवा उसके माता पिता रहते हो तथा कर दाता ने उक्त हस्तान्तरण की तिथि से १ वर्ष पूर्व या १ वर्ष बाद के अन्दर अपने रहने के लिए एक नया मकान खरीद लिया है अथवा उस तिथि के बाद २ वर्ष के अन्दर अपने रहने के लिए एक नया मकान बनवा लिया है तो नये मकान की लागत तक का पूंजी लाभ कर मुक्त होगा, परन्तु यदि यह नया मकान प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष के अन्दर हस्तान्तर कर दिया जाये तो नये मकान पर होने वाले पूंजी लाभ में पुराने मकान का कर मुक्त पूंजी लाभ जोडकर उस गत वर्ष का कर योग्य पूंजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष मे नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है। यदि नये मकान के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ के स्थान मे पूंजी हानि हो तो उसे पुराने मकान के कर मुक्त पूंजी लाभ मे से घटाकर जो शेष बचेगा वह उस गत वर्ष का कर योग्य पूंजी लाभ होगा जिस गत वर्ष मे नये मकान का हस्तान्तरण हुआ हो।

(३) एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने से होने वाला पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त

होगा बशर्तें कि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास हो।

(४) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को पूजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने से होने वाला पूजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त होगा, बशर्तें कि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास हो।

कुछ दशाओं मे पूंजी लाभ पर कर की छूट

जब किसी ऐसे करदाता के पास, जो यदि व्यक्ति है तो वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा यदि कम्पनी है तो वह भारतीय कम्पनी नहीं है, किसी भारतीय कम्पनी के अंश हो और उसे उनके हस्तान्तरण से कोई पूजी लाभ हो तो यदि वह उन अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल हस्तान्तरण की तिथि से २ वर्ष के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित विनियोग में पुन विनियोग कर देता है तो कर-दाता निम्न छूट का अधिकारी होगा

छूट की रकम उक्त पूजी लाभ पर देय आय-कर का वही अनुपात होगी जो उन अंशों को प्राप्त करने की लागत से अधिक पुन विनियोग की गयी रकम का ऐसे हस्तान्तरण से होने वाले पूजी लाभ से है। यह छूट की रकम कर दाता द्वारा देय आय कर मे से घटा दी जायेगी।

Illustration 3

In the following cases, work out the amount of capital gain chargeable to tax, assuming that the house in question has been used by Mr A for his own residence for over two years and that his accounting year ends on 31st March

(a) On 1 ■ 1963, Mr A sold his house costing Rs 2,00 000 for Rs 3,00,000, but on 1 7 1962 he had purchased another house for his residence for Rs 1,50,000 Assume that the house purchased on 1 7 1962 ■ sold on 15 4 1964 for Rs 1,80 000

(b) On 1 6 1963, Mr A sold his house costing Rs 2,00,000 for Rs 4,00,000 and he builds a house for his residence on 1 1 1965 at a cost of Rs 1,50,000 Assume that the new house ■ sold for Rs 1,80,000 on 1 7 1967

(c) On 1 6 1963 Mr A sold his house costing Rs 2 00,000 for Rs 3,00 000 and on 1 1-1964 purchased another house for his residence for Rs 80,000 Assume that the house purchased on 1 1 1964 is sold on 1 2-1967 for Rs 1,00,000

(d) On 1 6 1963, Mr A sold his house costing Rs 2 00,000 for Rs 4,00 000 and he builds a house for his residence on

1 2 1965 at a cost of Rs 2,40,000 . Assume that the new house is sold for Rs 2,20,000 on 1 6 1967

Solution

(a) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1964 65, but for the assessment year 1965 66 there will be a chargeable capital gain of Rs 1,30,000 (i e , Rs 1 00 000 old exempted capital gain plus Rs 30 000 new capital gain) as the new house is sold within 3 years of its purchase

(b) The capital gain is Rs 2 00 000 but the cost of building the new house is only Rs 1,50 000 Therefore Rs 50,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1964 65 and Rs 1 80,000 (Rs 1,50 000 old exempted capital gain plus Rs 30,000 new capital gain) will be the capital gain chargeable in the assessment year 1968 69 as the new house is sold within 3 years of its construction

(c) The capital gain is Rs 1 00 000 but another house is purchased for only Rs 80 000 Therefore Rs 20,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1964 65 The capital gain chargeable in the assessment year 1967 68 will be Rs 20 000 being the capital gain on the sale of the new house As the new house is sold more than three years after its purchase the old exempted capital gain will not be brought to tax

(d) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1964 65 as the capital is less than the cost of the new house For the assessment year 1968 69 there will be a chargeable capital gain of Rs 1 80 000 (Rs 2 00 000 old exempted capital gain minus Rs 20 000 capital loss on the new house)

Note In all the above cases it is a long term capital gain hence the taxable capital gain will be arrived at after deduction of Rs 5 000 in each case

पूंजी लाभों पर कर की गणना (Computation of Tax on Capital Gains)

पूजी लाभा पर कर लगाने के लिए कर दाताओं को निम्न दो भागों में बाट दिया गया है

(१) कम्पनिया और (२) अन्य कर-दाता ।

पूजी लाभों पर कर की व्यवस्था निम्न तालिका से भली प्रकार समझी जा सकती है

(गैर कम्पनी कर दाताओ के लिए)

आधार	अल्पकालीन पूजी सम्पत्तियो के लाभो पर	दीर्घकालीन अथवा अन्य पूजी सम्पत्तियों के लाभो पर
१ कर की दर	दीर्घकालीन पूजी लाभो को छोडकर, शेष अन्य आय व अल्पकालीन पूजी लाभो के जोड पर लागू होने वाली आय-कर की औसत दर से।	(१) ऐसे दीर्घकालीन पूजी लाभो पर जो भूमि व भवन से सम्बंधित हो आय कर की औसत दर की $\frac{3}{4}$ दर लागू होगी तथा (२) अन्य किसी दशा मे आय-कर की औसत दर की आधी दर लागू होगी। यह औसत दर कुल आय मे से दीर्घकालीन पूजी लाभ घटाकर बची हुई आय पर लागू होने वाली दर होगी। यदि उपर्युक्त प्रकार से निकाला हुआ कुल कर उक्त पूजी लाभ के १५% से कम हो तो यह कर उक्त पूजी लाभ के १५% के बराबर देय होगा।
२ कर से छूट	कुछ नही।	बोनस अशो के सम्बन्ध मे पूजी लाभ अशो के अंकित मूल्य (face value) के १२½% अथवा उक्त पूजी लाभ पर देय आय कर दोनो मे जो कम हो, से कम कर दिया जायेगा।
३ मुक्त राशि	कुछ नही।	(१) यदि किसी कर दाता की कुल आय १०,००० रु० से अधिक न हो तो उसके दीर्घकालीन पूजी लाभ पर कर नही लगेगा। (२) यदि किसी कर-दाता की दीर्घकालीन पूजी लाभ की राशि ५,००० रु० से अधिक न हो तो उस पर कर नही लगेगा तथा यदि पूजी लाभ की रकम ५,००० रु० से अधिक हो तो करयोग्य पूजी लाभ निकालने के लिए कुल पूजी लाभ से ५,००० रु० घटा दिये जायेंगे।

किसी कर-दाता (जो कम्पनी न हो) की अय मदो की आय पर आय कर केवल उसी आय पर लागू दर स लगाया जाता है। यदि उसकी कुल आय मे अल्पकालीन अथवा दीघकालीन पूजी लाभ सम्मिलित हो तो भी अय आय पर कर लगाने के लिए इन्ह शामिल नही किया जाता है। सक्षेप म, यदि किसी कर दाता की कुल आय म पूँजी लाभ भी शामिल हो तो उसकी कुल आय पर देय कर निम्न राशियो का जोड होगा

(i) अ य आय पर आय-कर,

(ii) अल्पकालीन पजी लाभो पर आय कर, तथा

(iii) दीघकालीन अथवा अ य पूजी लाभो पर आय कर।

कम्पनियाँ—यदि एक कम्पनी की कुल आय मे पूजी लाभ भी शामिल हो (चाहे अल्पकालीन अथवा दीघकालीन) तो उस कम्पनी द्वारा देय कर निम्न का योग होगा

(i) बोनस अशो के सम्बन्ध म कर योग्य पूजी लाभ के १२½ प्रतिशत म से बोनस अशो के अंकित मूल्य (face value) का १२½ प्रतिशत घटाकर बची हुई रकम, परन्तु यह घटने वाली रकम किसी भी दशा म उपयुक्त आय कर से अधिक नही होनी चाहिए।

(ii) कुल आय म शामिल दीघकालीन पूजी लाभो पर निम्न दर से निकाला हुआ आय कर

(क) भूमि अथवा भवन स सम्बन्धित पूजी लाभ पर ४० प्रतिशत की दर से, तथा

(ख) बोनस अशो के पूजी लाभ को छोडकर शेष अ य दीघकालीन पूजी लाभ पर ३० प्रतिशत की दर से, तथा

(iii) कुल आय मे से बोनस अशो के पूजी लाभ तथा अ य दीघकालीन पूजी लाभ घटाकर बची हुई रकम पर देय आय कर की राशि।

पूँजी हानियो की पूर्ति तथा उन्हे आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Capital Losses)

इसका वणन अध्याय १२ मे किया गया है।

Illustration 4

Explain how the tax payable by an individual for the assess ment year 1965 66 will be determined in the following cases

(i) Business Income Rs 5 000 and Short term Capital Gains Rs 7,000

(ii) Business Income Rs [illegible] 000 and Capital Gains on the sale of other Capital Assets Rs 5,000

(iii) Business Income Rs 5,000 and Capital Gains from sale of house purchased two years ago Rs 15,000

(iv) Business Income Rs 5,000 Capital Gains re Short-term Capital Assets Rs 7,000 and Capital Gains re Other than Short term Capital Assets not arising from the transfer of land and buildings Rs 13,000

(v) Business Income Rs 5,000 Short term Capital Gains Rs 5 000, and Long term Capital Gains not arising from the transfer of land and buildings Rs 7,000

(vi) Business Income Rs 5,000 Short term Capital Gains Rs 7,000, and Long term Capital Gains not arising from the transfer of land and buildings Rs 5 000

(vii) Business Income Rs 4,000 and Short term Capital Gains Rs 6,000

(Adapted from July, 1962 and May, 1964 Issues of 'Taxation')

Solution

(i) He shall have to pay income tax on Rs 5 000 at the rate of income tax applicable to a total income of Rs 5 000 He shall have to pay income tax on Capital Gains (Short term as they are) amounting to Rs 7,000 at the average rate applicable to an income of Rs 12,000 (Rs 5 000 of business income and Rs 7,000 of capital gains)

(ii) Income tax on Rs 5 000 (business income) will be payable at the rate applicable to total income of Rs 5 000 There will be no income tax on Capital Gains as (1) the total income does not exceed Rs 10,000 and (2) the amount of Capital Gains does not exceed Rs 5,000

(iii) Income tax would be charged on the business income of Rs 5 000 at the rate applicable to a total income of Rs 5 000 Tax on Capital Gains of Rs 10 000 (Rs 15,000 minus Rs 5,000) shall be charged at 15% or at three fourth of the average rate applicable to a total income of Rs 5 000, whichever is higher In this case the tax @ 15% will be higher

(iv) (a) Income tax shall be charged on Rs 5 000 at the rate applicable to a total income of Rs 5 000

(b) Short term Capital Gains of Rs 7 000 will be charged to income tax at the rate applicable to a total income of Rs 12 000 (Rs 5,000 plus Rs 7 000)

(c) Long term Capital Gains of Rs 13 000 reduced by Rs 5,000 i e Rs 8,000 will be charged to tax at half of the average rate applicable to a total income of Rs 12,000 (Rs 5 000 business income plus Rs 7,000

Short term Capital Gains) or at 15%, whichever is higher In this case also the assessee shall have to pay income tax on Capital Gains of Rs 8,000 at 15% as the average rate applicable to the other income (Rs 12 000) will be much less

(v) Business income of Rs 5 000 will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 5,000 Short term Capital Gains of Rs 5 000 will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 10 000 (Rs 5,000+Rs 5,000) The Capital Gains relating to Long term Capital Assets as reduced by the basic exemption of Rs 5,000 (Rs 7 000 minus Rs 5 000) i e Rs 2 000 will be taxed at one half of the average rate applicable to a total income of Rs 10,000 or at 15%, whichever is higher In this case also the average rate will be less than 15% and as such tax will be payable on Rs 2 000 at 15%

(vi) It will be noted that the total income is the same as in (v) i e Rs 17 000 but the tax effects will be different Business income of R 5 000 will be taxed at the rate applicable to an income of Rs 5 000 Short term Capital Gains of Rs 7 000 will be taxed at the average rate applicable to an income of Rs 12 000 There will be no tax on Capital Gain relating to Long term Capital Assets as it is not more than Rs 5 000

(vii) Rs 4 000 will be taxed at the rate applicable to Rs 4 000 Rs 6 000 Short term Capital Gains will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 10,000 It will be noted that tax on Capital Gains will be payable although the total income does not exceed Rs 10 000, as the exemption allowed under proviso (ii) of section 114 applies only to a case where the Capital Gain arises out of other than Short term Capital Assets

Illustration 5

Explain how the tax payable by a limited company for the assessment year 1965 66 will be determined if the total income of the company consists of Rs 5 000 from Short term Capital Gains, Rs 8 000 from Long term Capital Gains and Rs 30,000 from business for the previous year ended 31st March 1965 assuming that the capital gains do not belong to land and buildings

Solution

The tax payable by the Company for the Assessment Year 1965 66 will be computed as follows

(a) Income tax on Rs 8 000 at 30 per cent plus

(b) Income tax on Rs 35 000 at the rate applicable to it.

QUESTIONS

1 What do you understand by the term Capital Gains' used in the Income Tax Act ? What are the rules regarding exemption of Capital Gains ?

आय-कर अधिनियम म प्रयोग किये गये 'पूजी लाभ' शब्द से आप क्या समझते हैं ? पूँजी लाभा की मुक्ति के सम्बध म क्या नियम है ?

2 Explain the following

(i) Capital Assets
(ii) Short term Capital Assets
(iii) Cost of Acquisition of Capital Assets
(iv) Capital Gains

निम्न को समझाइए

(i) पूजी सम्पत्तियाँ,
(ii) अल्पकालीन पूजी सम्पत्तियाँ
(iii) पूजी सम्पत्तिया का प्राप्त करने की लागत, और
(iv) पूजी लाभ।

3 Explain fully the method of computing tax on Capital Gains in the case of (i) Companies (ii) Other Assessees

कम्पनिया तथा अन्य कर दाताओ के पूजी लाभा पर कर की गणना करने की विधि विस्तार स समझाइए।

(६) अन्य साधनो से आय

(6) INCOME FROM OTHER SOURCES

धारा ५६ (१) के अन्तगत, वह सब प्रकार की आय जो इस अधिनियम के अन्तगत कुल आय मे शामिल की जाती है तथा जो धारा १४ मे दिये हुए प्रथम पाच शीषको मे नही आती है 'अन्य साधनो से आय' के शीषक मे कर योग्य है।

धारा ५६ (२) के अन्तगत निम्न आयें विशेष रूप से "अन्य साधनो से आय' के शीषक मे कर योग्य है

(i) लाभांश (Dividends),

(ii) धारा २८० D के अन्तगत देय वार्षिकी की राशि,

(iii) कर दाता द्वारा अपनी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर को किराये पर उठाने से हुई वह आय जिस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीषक मे आय कर नही लग सकता है,

(iv) जब कोई कर-दाता अपनी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के साथ, भवन भी किराये पर उठाता है और उस भवन का किराये पर उठाना उक्त मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के किराये पर उठाने से पृथक् नही किया जा सकता है तो ऐसे भवन के किराये की आय, यदि उस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीषक मे आय-कर नही लग सकता है।

उपर्युक्त चार आयो के अतिरिक्त कुछ अन्य भी ऐसी आयें हैं जिन पर अन्य साधनो से आय' के शीषक मे कर लगता है उदाहरणार्थ,

(१) एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई फीस अथवा कमीशन,

(२) किसी वसीयत (will) के अन्तगत मिली हुई कोई वार्षिकी (annuity)। इसमे वह वार्षिकी शामिल नही होगी जो एक कर्मचारी को अपने मालिक से प्राप्त हो,

(३) प्रतिभूतियो पर ब्याज छोड़कर अन्य सब ब्याज।

(४) किरायेदार द्वारा किराये पर ली हुई मकान-सम्पत्ति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप मे पुन किराये पर उठाने से होने वाली आय,

(५) किसी परीक्षा के परीक्षक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक,
(६) रॉयल्टी की आय (Income form Royalty),
(७) सचालक शुल्क (Directors' fees),
(८) किसी ऐसी भूमि का किराया जो भवन से न लगी हुई हो,
(९) भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय
(१०) हाट, बाजारों अथवा मछली क्षेत्रों से प्राप्त आय,
(११) पट्टे पर रखी हुई सम्पत्ति से आय,
(१२) कर दाता की कुल आय मे शामिल होने वाली किसी अन्य व्यक्ति की आय, जैसे, यदि कर दाता और उसका जीवन साथी (spouse) किसी एक फर्म मे साझीदार है तो फर्म के लाभ का जीवन-साथी का हिस्सा कर दाता की आय में 'अन्य साधनो से आय' के शीर्षक म कर योग्य है।
(१३) पत्रिकाओ मे लेख देने के प्रतिफल मे मिली हुई आय,
(१४) मार्ग व्यय के लिए प्राप्त भत्ते का वास्तविक मार्ग व्यय पर आधिक्य,
(१५) विदेशी प्रतिभूतियो पर प्राप्त ब्याज, और
(१६) किसी अस्पष्ट साधनों से प्राप्त आय (Undisclosed Source of Income)।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा ५७ के अन्तर्गत, 'अन्य साधनो से आय' के शीर्षक मे कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं

(१) लाभाशों के सम्बन्ध मे, कर दाता की ओर से लाभाश सग्रह करने के लिए किसी बैंक अथवा अन्य व्यक्ति को दिये गये कमीशन अथवा पारिश्रमिक की उचित राशि।

(२) ऐसी मशीन, प्लाण्ट, फर्नीचर तथा उनके साथ मे किराये पर दिये हुए भवन के किराये की आय जो 'अन्य साधनो से आय' के शीर्षक मे कर योग्य है के सम्बन्ध मे निम्न कटौतियाँ उसी प्रकार दी जायेगी जिस प्रकार 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक म दी जाती है

(i) भवन मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध मे चालू मरम्मत पर व्यय,
(ii) भवन मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध मे दिया हुआ बीमा प्रीमियम, तथा
(iii) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर का ह्रास।

(३) अन्य कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का न हो), बशर्ते कि वह पूर्ण रूप से ऐसी आय कमाने के लिए व्यय किया गया हो।

न काटी जाने वाली राशियाँ (Amounts not Deductible)

धारा ५८ के अन्तर्गत, 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक में कर योग्य आय निकालने के लिए निम्न राशियाँ नहीं काटी जायेंगी

(अ) किसी भी कर दाता के लिए—

(i) कर दाता के व्यक्तिगत व्यय,

(ii) भारत के बाहर दिया हुआ कोई ब्याज जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है यदि उस पर कर न चुकाया गया हो अथवा उद्गम स्थान पर न काटा गया हो और जिसके सम्बन्ध में धारा १६३ के अन्तर्गत भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसका अभिकर्ता माना जा सके

(iii) भारत के बाहर किया हुआ कोई ऐसा भुगतान जो 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य है, यदि उस पर न कर चुकाया गया है और न उद्गम स्थान पर काटा गया है।

(ब) किसी कम्पनी के लिए—

(i) कम्पनी द्वारा किया हुआ कोई ऐसा व्यय जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संचालक अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित हो अथवा संचालक के या किसी ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार को कोई पारिश्रमिक, हित अथवा सुविधा मिलती है,

(ii) कम्पनी की ऐसी सम्पत्तियों पर कोई व्यय अथवा छूट जिन्हें उपर्युक्त (i) में वर्णित कोई व्यक्ति अपने निजी काम में प्रयोग करता है।

उपर्युक्त (i) व (ii) में दिये हुए व्यय अथवा छूटें तभी अस्वीकार की जाती हैं जबकि ये अत्यधिक या अनुचित हों।

(iii) २९ फरवरी, १९६४ के बाद एक कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ, सुविधा अथवा अनुलाभ देने के सम्बन्ध में किया गया वह व्यय जो उसके वेतन के $\frac{1}{5}$ भाग से अधिक हो। इस सम्बन्ध में 'वेतन' से आशय उस वेतन से है जिसमें महँगाई भत्ता तो शामिल हो (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अनुलाभ शामिल न हों।

यह आयोजन कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिनकी 'वेतन' शीर्षक की कर योग्य आय ७,५०० रु० से अधिक नहीं है।

लाभांश (Dividends)

लाभांश की परिभाषा—साधारण भाषा में लाभांश का अर्थ कम्पनी के अंशधारी द्वारा प्राप्त वह रकम है जो कम्पनी ने अपने लाभों का वितरण करने के रूप में बाँटी हो। परन्तु धारा २ (२२) के अन्तर्गत, लाभांश में निम्न शामिल हैं

(अ) कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों में से अपने अंशधारियों को किया हुआ कोई ऐसा वितरण जिससे कम्पनी की सम्पत्ति घट जाय,

(आ) कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को किसी भी शक्ल में बाँटे हुए ऋण पत्र अथवा जमा प्रमाण-पत्र तथा अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को अंशों के रूप में दिया हुआ बोनस कम्पनी के पास एकत्रित लाभों की सीमा तक,

(इ) कम्पनी के समापन पर किया हुआ अंशधारियों को कोई ऐसा वितरण जो उसके समापन में जाने से पूर्व तक एकत्रित लाभों की सीमा से अधिक न हो,

(ई) कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों की सीमा तक अंश पूँजी की घटौती पर किया हुआ कोई वितरण,

(उ) एक ऐसी कम्पनी द्वारा, जिसमें जनता का पर्याप्त हित न हो, अपने किसी ऐसे अंशधारी को जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित हो, दिया गया कोई अग्रिम अथवा ऋण कम्पनी के एकत्रित लाभों की सीमा तक।

लाभांश में निम्न शामिल नहीं होते हैं—(i) उपर्युक्त (इ) व (ई) के अनुसार कोई वितरण यदि ऐसे अंश के लिए किया जाय जिसका पूर्ण प्रतिफल नकद मिला हो तथा वह अंशधारी कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों के आधिक्य (surplus assets) में से कोई हिस्सा लेने का अधिकारी न हो,

(ii) ३१ मार्च, १९६४ के बाद कम्पनी द्वारा अपने साधारण अंशधारियों को अपने एकत्रित लाभों में से दिये गये बोनस अंशों की राशि,

(iii) सरकार अथवा किसी सरकारी निगम द्वारा किसी कम्पनी के लिये जाने के फलस्वरूप यदि किसी कम्पनी का समापन होता है तो उस कम्पनी के लिक्वीडेटर द्वारा अपने अंशधारियों को किया गया कोई ऐसा वितरण 'लाभांश' के रूप में कर-योग्य नहीं होगा जो उन लाभों में से किया गया हो जो कम्पनी को इस प्रकार लिये जाने वाले गत वर्ष से ठीक पूर्व ३ वर्ष से पहले कमाये गये हों,

(iv) यदि उधार लेन-देन का काम किसी कम्पनी के व्यापार का समुचित भाग है तो उसके द्वारा अपने इस व्यापार के अन्तर्गत अपने किसी अंशधारी को दिया हुआ कोई अग्रिम अथवा ऋण,

(v) यदि कोई कम्पनी लाभाश के भुगतान की पूर्ति उपयुक्त (उ) में दिये हुए पहले के अग्रिम अथवा ऋण से कर दे तो लाभाश की उस सीमा तक की राशि जिसकी इस प्रकार पूर्ति की जाये।

स्पष्टीकरण—एकत्रित लाभो मे वितरण की तिथि तक के सब लाभ शामिल किये जाते है, सिवाय उन पूजी लाभो को छोडकर जो १ अप्रल, १६४६ से पहले, अथवा ३१ मार्च, १६४८ के बाद तथा १ अप्रल, १६५६ से पहले कमाये गये हो।

लाभाशो पर कर लगाने के सम्बन्ध मे नियम

(१) धारा ८ के अन्तर्गत, एक कर दाता की कुल आय मे शामिल करने के लिए लाभाश उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष मे वह कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान किये गये हों।

(२) धारा ६ (१) (iv) के अनुसार, एक भारतीय कम्पनी ने यदि कोई लाभाश भारत से बाहर चुकाया हो तो वह भारत म ही उदय अथवा अर्जित हुआ माना जायेगा।

(३) अशधारी को प्राप्त लाभाश की सम्पूर्ण रकम अशधारी के लिए कर योग्य होती है, चाहे कम्पनी ने यह लाभाश अपने कर मुक्त लाभों मे से ही क्यो न बाटा हो, जैसे एक चाय कम्पनी के लाभो को ६०% कृषि आय होती है तो इस कम्पनी द्वारा बाटा हुआ लाभाश अशधारी के हाथो मे पूर्णतया कर योग्य होगा। इस नियम के निम्न दो अपवाद हैं

(i) ऐसे नये उद्योग उद्यमो अथवा नये होटलो से मिला हुआ कोई लाभाश जो धारा ८४ (२) अथवा (३) की शर्तें पूरी करते हो तथा यह लाभाश उस लाभ मे से दिया गया हो जो धारा ८४ (१) के अन्तर्गत कर मुक्त है।

(ii) यदि एक कम्पनी स्वय किसी अन्य भारतीय कम्पनी मे अशधारी हो तो पहली कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी से प्राप्त लाभाश पर कर २५ प्रतिशत से अधिक दर से नही लगाया जा सकता है।

(४) किसी विदेशी कम्पनी से प्राप्त किये हुए लाभाश के सम्बन्ध म उस विदेशी कम्पनी ने यदि उदगम स्थान पर कोई कर काट लिया है और यदि काटे हुए कर की रकम भारत सरकार को न दी जाय तो वह काटी हुई कर की रकम भारतीय अशधारी की लाभाश की आय मे नही जोडी जाती है।

(५) पहले कम्पनी द्वारा अपने लाभो पर दिया हुआ आय-कर अश धारियो की ओर से दिया हुआ माना जाता था, परन्तु अब ऐसा नहीं माना जाता है, अत लाभाशो को सकल बनाने की पद्धति अब बन्द कर दी गयी है, परन्तु अशधारी को घोषित लाभाश म से जो आय कर उदगम स्थान पर काटा

गया हो उससे अंशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम बढ़ाकर उसकी कुल आय में शामिल की जाती है तथा कटे हुए आय कर का अंशधारी को अपने कर-निर्धारण में क्रेडिट (Credit) दिया जाता है।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

१९६५ ६६ वित्तीय वर्ष में किसी भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी, जिसने भारत में लाभांश घोषित तथा भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध कर दिया है, द्वारा कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी निवासी व्यक्ति को देय लाभांश के सम्बन्ध में १८% की दर से आय कर व २% की दर से सरचार्ज अर्थात् कुल मिलाकर २०% उद्गम स्थान पर काटना होगा।

१९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए लाभांश की प्राप्त राशि को सकल बनाने के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर वह लागू होगी जो वित्त अधिनियम १९६४ द्वारा निर्धारित की गयी थी परन्तु चूंकि वे दरें भी वही थी जो वित्त अधिनियम, १९६५ द्वारा निर्धारित की गयी है अत लाभांशों को २० प्रतिशत की दर से ही सकल बनाया जायेगा।

कृषि आय कर लगे हुए लाभों में से घोषित लाभांश (Dividends declared out of profits on which Agricultural Income tax has been paid)—धारा २३५ के अन्तर्गत, जब एक अंशधारी को कम्पनी के उन लाभों में से लाभांश मिलता है जिन पर किसी राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ कृषि आय-कर दिया जा चुका है, तो अंशधारी को निम्न छूट दी जाती है

(अ) अंशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश पर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आनुपातिक कृषि आय कर, अथवा

(ब) (i) यदि अंशधारी कम्पनी नहीं है तो उसके लाभांश पर देय आय कर जो २५ प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगा, तथा

(ii) यदि अंशधारी कम्पनी है तो उसके द्वारा प्राप्त लाभांश का २५ प्रतिशत,

जो भी उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) में से कम हो।

हिसाब रखने की विधियाँ (Methods of Accounting)

धारा १४५ (१) के अन्तर्गत वह आय, जो 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' अथवा अन्य साधनों से आय के शीर्षकों में कर योग्य होती है, कर-दाता द्वारा नियमित रूप से रखी हुई हिसाब पद्धति के अनुसार निकाली जाती है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यदि आय-कर अधिकारी की सम्मति में हिसाब पूर्ण तथा ठीक ठीक तो है परन्तु जो विधि अपनायी गयी है उसमें, आय कर अधिकारी की सम्मति में कर-दाता की आय ठीक प्रकार से नहीं निकाली जा

सकती है तो उसकी आय की गणना ऐसे आधार पर तथा ऐसे ढग से की जायेगी जो आय कर अधिकारी निश्चित कर दे।

यदि आय कर अधिकारी की सम्मति मे कर दाता द्वारा रखे हुए हिसाब सही तथा पूर्ण नही है अथवा कर-दाता ने हिसाब की कोई भी पद्धति नियमित रूप से नही अपनायी है तो आय कर अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) कर सकता है। ऐसे कर निर्धारण म आय कर अधिकारी प्रस्तुत तत्वो एव अन्य सामग्री के आधार पर उसकी आय का यथासम्भव उचित अनुमान लगायेगा और उसी पर कर लगायेगा।

उपर्युक्त विवरण मे यह स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा हिसाब रखने की कोई पद्धति निश्चित नही की गयी है। अत भारत मे प्रचलित निम्न तीन पद्धतियो मे से कोई सी पद्धति कर-दाता अपना लेता है

(१) रोकड पद्धति (Cash System),

(२) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System),

(३) मिश्रित पद्धति (Hybrid System)।

(१) रोकड पद्धति (Cash System)—इस पद्धति मे केवल नकद प्राप्तिया एव भुगतानो का लेखा किया जाता है। इस पद्धति मे उधार लेन देन, अदत्त अथवा पूर्वदत्त तथा उपार्जित अथवा अनुपार्जित व्यवहारों का लेखा नही किया जाता है। अत यह पद्धति व्यापारिक संस्थाओ के लिए, जिनके यहा काफी उधार लेन देन होता है, बिलकुल अपर्याप्त है। यह पद्धति अधिकाशत डॉक्टर, वकील, आडीटर, इजीनियर आदि अपनाते हैं क्योकि उनके यहा अधिकतर नकद व्यवहार होते है।

(२) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System)—इस पद्धति म नकद व उधार दोनो प्रकार के व्यवहारो का लेखा किया जाता है। किसी वर्ष का लाभ हानि निकालने के लिए उस वर्ष से सम्बन्धित सभी आय व्यय लाभ हानि खाते म लिखे जाते है, चाहे उनकी प्राप्ति अथवा भुगतान उस वर्ष म हुआ हो अथवा नही। यह पद्धति व्यापारिक संस्थाओ के लिए सर्वोत्तम है। इस पद्धति के अनुसार व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि निकल आती है तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाता है।

(३) मिश्रित पद्धति (Hybrid System)—उपर्युक्त दोनो पद्धतियो के मिश्रण को मिश्रित पद्धति (Hybrid System) कहते है। एक ही व्यापारिक संस्था मे रोकड पद्धति तथा व्यापारिक पद्धति का एक साथ प्रयोग हो सकता है। एक वर्ग के व्यवहारो के लिए वह रोकड पद्धति रख सकता है और दूसरे वर्ग के व्यवहारो के लिए वह व्यापारिक पद्धति रख सकता है। यह पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं है।

QUESTIONS

1 Explain clearly the meaning of the term 'dividend' as defined in the Indian Income Tax Act, and point out the law relating to the assessment of dividend income

भारतीय आय कर अधिनियम म दी हुई परिभाषा के अनुसार 'लाभाश' शब्द के अथ स्पष्टतया समझाइए तथा लाभाश की आय के कर निर्धारण के सम्बन्ध म विधान बताइए।

2 Describe the method of computing taxable income under the head 'Income from other Sources

'अन्य साधनों से आय' के शीर्षक म कर योग्य आय की गणना करने की विधि का वणन कीजिए।

१२

कुल आय, हानियो की पूर्ति एव उन्हे आगे ले जाना

[TOTAL INCOME, SET-OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES]

इस अध्याय म कर दाता की कुल आय की गणना करने के सम्बन्ध म निम्न विषयो का अध्ययन किया जायेगा

(१) कुल आय की परिभाषा। [धारा २ (४५)]

(२) अन्य व्यक्तियो की आयें जो कर दाता की कुल आय म शामिल की जाती है। [धाराएँ ६० से ६५ तक]

(३) हानियो की पूर्ति (Set off of Losses)। [धाराएँ ७० व ७१]

(४) व्यापारिक हानियो तथा पूजी हानियो का आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना (Carry forward and Set off of Business Losses and Capital Losses)। [धाराएँ ७२ से ७८ तक]

(१) कुल आय की परिभाषा

कुल आय (Total Income)—धारा २ (४५) के अनुसार कुल आय का अर्थ धारा ५ मे दी हुई आयो का जोड है जिसकी गणना आय कर अधिनियम के अनुसार हुई हो। धारा ५ के अनुसार निवास-स्थान के आधार पर आयें कुल आय म जोडी जाती हैं। इन आयो की गणना अधिनियम की भिन्न भिन्न धाराओ के अनुसार, वेतन, प्रतिभूतियो पर ब्याज, मकान सम्पत्ति की आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ पूजी लाभ तथा अन्य साधनो से आय के शीर्षको म की जाती है।

(२) अन्य व्यक्तियो की आय जो कर-दाता की कुल आय मे शामिल की जाती है (धाराएँ ६० से ६५ तक)

(१) सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये बिना, आय का हस्तान्तरण—धारा ६० के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी सम्पत्ति की आय किसी अन्य व्यक्ति

का हस्तान्तर कर देता है परन्तु उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण नही करता है तो ऐसी आय हस्तान्तर करने वाले (transferor) की आय मानी जायेगी।

(ii) सम्पत्तियो का खण्डनीय हस्तान्तरण—धारा ६१ के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी सम्पत्ति की आय जो उसे खण्डनीय हस्तान्तरण के अन्तर्गत प्राप्त हुई हो, हस्तान्तर करने वाले की आयमानी जायगी और उसी की कुल आय मे जोडी जायगी।

अपवाद—धारा ६२ (१) के अनुसार, धारा ६१ मे दिया गया उपर्युक्त नियम निम्न दशाओ मे लागू नही होता है

(क) यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी ट्रस्ट के अन्तर्गत किया गया है और वह ट्रस्ट लाभ पाने वाले (beneficiary) के जीवन काल मे अखण्डनीय है तथा अन्य प्रकार के हस्तान्तरणो की दशा मे जिसका हस्तान्तरण हुआ है उसके जीवन-काल मे अखण्डनीय है, अथवा

(ख) १ अप्रैल, १९६१ से पहले किया गया हस्तान्तरण जो ६ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अखण्डनीय है।

उपर्युक्त (क) व (ख) के सम्बन्ध मे यह आवश्यक है कि हस्तान्तर करने वाले (transferor) का इन हस्तान्तरणो मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे कोई लाभ न मिलता हो। सक्षेप मे धारा ६२ (१) का अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त (क) व (ख) की दशाओ मे हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय उस व्यक्ति की मानी जायगी जिसको हस्तान्तरण हुआ है न कि हस्तान्तर करने वाले (transferor) की।

सम्पत्तियो के अखण्डनीय हस्तान्तरण की दशा मे उस सम्पत्ति से आय उस व्यक्ति की मानी जायगी जिसको हस्तान्तरण हुआ है, बशर्ते कि यह हस्तान्तरण हस्तान्तर करने वाले (transferor) के जीवन साथी (spouse) अथवा अवयस्क बच्चे (minor child) को अथवा उनके हित के लिए न किया गया हो।

(iii) जीवन साथी की आय (Income of Spouse)—(अ) एक व्यक्ति की कुल आय मे उसके जीवन साथी की वह आय शामिल की जाती है जो उस उस फर्म की सदस्यता से मिली हो जिसमे वह व्यक्ति भी साझेदार है।

(ब) एक व्यक्ति की कुल आय मे उसके द्वारा अपने जीवन-साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तर की गयी सम्पत्ति की आय भी शामिल

की जाती है, बशर्ते कि यह हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले म न हो अथवा अलग अलग रहने के किसी प्रसंविद के सम्बन्ध मे न हो।

यहाँ जीवन साथी से आशय पति अथवा पत्नी से है। उपयुक्त (अ) मे दी हुई आय उस जीवन साथी की कुल आय म शामिल होती है जिसकी कुल आय (फर्म के लाभ के हिस्से को छोडकर) दोनो म से अधिक है, अर्थात यदि पति की कुल आय पत्नी की कुल आय से अधिक है तो पत्नी का फर्म के लाभ का हिस्सा पति की कुल आय मे शामिल होगा और यदि पत्नी की कुल आय पति की कुल आय से अधिक है तो पति का फर्म के लाभ का हिस्सा पत्नी की कुल आय म शामिल होगा।

(iv) **अवयस्क बच्चे की आय** (Income of Minor Child)—(अ) एक व्यक्ति की कुल आय मे उसके अवयस्क बच्चे का ऐसी फर्म से लाभ का हिस्सा, जिसम वह स्वय साझेदार है तथा जिसम अवयस्क को फर्म के हित के लिए शामिल कर लिया गया है, शामिल किया जाता है। यदि इस फर्म म बच्चे के माता पिता दोनो ही साझेदार है तो इस बच्चे का फर्म म लाभ का हिस्सा उसकी (माता अथवा पिता) आय म शामिल किया जायेगा जिसकी कुल आय (फर्म के लाभ के हिस्से को छोडकर) दोनो म से अधिक हो।

(ब) एक व्यक्ति की कुल आय म उसके द्वारा अपने अवयस्क बच्चे (जो विवाहित पुत्री न हो) को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, हस्तान्तर की गयी सम्पत्ति की आय भी शामिल की जाती है बशर्ते कि यह हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले म न हो।

(v) **अन्य व्यक्तियो अथवा व्यक्तियो के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तान्तरण**—एक व्यक्ति की कुल आय म उसके द्वारा बिना पूरा प्रतिफल लिये, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो के समुदाय को हस्तान्तर की गयी सम्पत्ति से आय उस सीमा तक शामिल की जाती है जहा तक ऐसी सम्पत्तियो की आय उसके जीवन-साथी अथवा अवयस्क बच्चे (जो विवाहित पुत्री न हो) अथवा दाता के तत्काल अथवा भावी हित के लिए हो।

बेनामी व्यवहार (Benami Transactions)—जब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कोई व्यवहार वास्तविक व्यक्ति के नाम म न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम मे करता है तो ऐसे व्यवहार को बेनामी व्यवहार कहते है और उस नकली व्यक्ति को 'बेनामीदार' कहते है। उदाहरणार्थ, किसी बेनामीदार को सम्पत्ति का हस्तान्तरण बेनामीदार को कम मूल्य पर माल बेचना, आदि। यदि आय कर अधिकारी की सम्मति मे कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है और उसी से उस व्यवहार की आय पर कर लिया जायेगा।

(३) हानियों की पूर्ति (Set-off of Losses)

(i) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूंजी लाभों' को छोड़कर अन्य किसी आय के शीर्षक में एक साधन से हानि होती है तो कर-दाता इस हानि की पूर्ति (set off) इसी शीर्षक में होने वाली अन्य किसी साधन की आय से कर सकता है।

(ii) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूंजी लाभों' के शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी शीर्षक में हानि हो और कर-दाता की 'पूंजी लाभों' के शीर्षक में कोई आय नहीं है, तो वह इस हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय से कर सकता है।

(iii) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूंजी लाभों' के शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी शीर्षक में हानि हो और कर-दाता की पूंजी लाभों के शीर्षक में कर-योग्य आय है तो वह इस हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय से कर सकता है (अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के लाभ सहित) अथवा यदि कर-दाता चाहे तो वह 'पूंजी लाभों' के शीर्षक को छोड़कर अन्य किसी शीर्षक की आय से ही उस हानि की पूर्ति कर सकता है।

(iv) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में हानि की गणना की जाय तो कर-दाता इस हानि की पूर्ति उस कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी पूंजी सम्पत्ति के लाभ में कर सकता है, अर्थात् एक अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति की हानि की पूर्ति अन्य किसी अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के लाभ से की जा सकती है।

(v) किसी कर निर्धारण वर्ष में एक दीर्घकालीन सम्पत्ति की हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन सम्पत्ति के लाभ से की जा सकती है, न कि अल्पकालीन सम्पत्ति के लाभ से।

' व्यापार की हानि को केवल सट्टे के ही किसी अन्य व्यापार केया जा सकता है।

कर दाता एक रजिस्टर्ड फर्म है अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म स्टर्ड फर्म की तरह से कर निर्धारण किया गया है तो उस ने यदि फर्म की अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी न की न पूरी हुई हानि को साझेदारों में बांट दिया जाता है और रण वर्ष में अपनी अन्य आय से इसे पूरा कर सकते हैं।

: कर दाता एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी एक शीर्षक की ा दूसरे किसी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है परन्तु

साझेदारो को अपनी हानि के हिस्से का अपनी अन्य आय से पूरा करने का अधिकार नही है।

(४) व्यापारिक हानियो तथा पूँजी हानियो को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना (Carry forward and Set off of Business and Capital Losses)

(i) **व्यापार अथवा पेशे की हानिया**—धारा ७२ (१) के अन्तर्गत, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष मे व्यापार अथवा पेशे (सट्टे का व्यापार छोडकर) की कोई हानि अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी न हो सके तो उसे आगे ले जाया जाना है और अगले वर्ष मे इस हानि को कर दाता के किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वह व्यापार अथवा पेशा जिसकी हानि को आगे लाया गया है अगले वर्ष मे भी चालू रहे। इस प्रकार यह हानि जब तक पूरी न हो, जिस वर्ष यह हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक अगले आठ वर्षों तक पूर्ति के लिए आगे ले जायी जा सकती है।

धारा ७२ (२) के अनुसार, यदि अशोधित ह्रास अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध मे पूजी व्यय भी आगे लाया जा रहा है तो आगे लायी हुई व्यापारिक हानिया की पूर्ति आगे लाये हुए अशोधित ह्रास अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान के पूजी व्यय से पहले की जायेगी। यह नियम कर दाता के ही हित मे है क्योकि अशोधित ह्रास तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान का पूजी व्यय अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है, परन्तु व्यापारिक हानियाँ आठ वर्ष बाद आगे नही ले जायी जा सकती है।

(ii) **सट्टे के व्यापार की हानियाँ**—किसी कर निर्धारण वर्ष की सट्टे के व्यापार की एसी हानियाँ जो उसी वर्ष मे पूरी न की जा सकें अगले वर्ष मे किसी भी सट्टे के व्यापार के लाभो मे पूरी करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है। इस प्रकार ये हानिया जब तक पूरी न हो, जिस वर्ष मे ये हुई थीं, उससे अधिक से अधिक अगले आठ वर्ष तक पूर्ति के लिए आगे ले जायी जा सकती है। उपर्युक्त वर्णित धारा ७२ (२) का नियम इस दशा मे भी लागू होता है।

(iii) **पूजी हानियाँ**—धारा ७४ के अन्तर्गत, (क) अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे होने वाली कोई एसी हानि जिसकी उसी कर निर्धारण वर्ष मे पूर्ति न हो सके जिसमे यह हानि हुई थी, अगले वर्ष मे अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों के लाभो से पूर्ति करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है। यह हानि अधिक से अधिक आठ वर्ष तक आगे ले जायी जा सकती है। (ख) दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे होने वाली कोई ऐसी हानि जिसकी उसी कर निर्धारण वर्ष मे पूर्ति न हो सके, जिसमे यह हानि हुई थी, अगले वर्ष मे दीर्घ

कालीन पूजी सम्पत्तिया के लाभो स पूर्ति करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है। यह हानि अधिक से अधिक चार वर्ष तक आगे ले जायी जा सकती है। यदि किसी गैर कम्पनी कर दाता की दशा मे दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध म पूजी हानि ५ ००० रु० स अधिक नही है तो वह आगे नही ल जायी जा सकती ह।

(iv) **रजिस्टर्ड फर्म की हानिया**—रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार फर्म की हानि के अपने एसे हिस्से को आगे ले जा सकता है जो उसी कर निर्धारण वर्ष म जिसम यह हानि हुई थी, साझेदार की अन्य आय स पूरा न हो सके। यह हानि साझेदार पूर्ति के लिए अधिक स अधिक ८ वर्ष तक आगे ले जा सकते ह, बशर्ते कि वह फर्म चलती रह और वह व्यक्ति उस फर्म मे साझेदार बना रह। रजिस्टर्ड फर्म स्वय अपनी हानियो को आगे नही ले जा सकती है। यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह स कर निर्धारण हुआ हो तो उसकी हानियो के सम्बन्ध म भी यही नियम लागू होता है।

(v) **अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियाँ**—अनरजिस्टर्ड फर्म की एसी हानि जिसकी उसी वर्ष जिस वर्ष यह हानि हुई हो, फर्म की अन्य आय से पूर्ति न हो सके तो फर्म द्वारा अधिक से अधिक ८ वर्ष तक पूर्ति के लिए आगे ले जायी जा सकती है। इस दशा मे साझेदार फर्म की हानि के अपने भाग को स्वय आगे नही ले जा सकता है।

(vi) **फर्म के सगठन (constitution) मे परिवर्तन होने पर फर्म की हानिया**—फर्म के सगठन म परिवर्तन हो जाने पर फर्म एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृतक साझेदार की हानि के भाग को पूर्ति के लिए आगे नही ले जा सकती है और न ही कोई साझेदार किसी अन्य साझेदार की हानि के भाग को अपने लाभ के भाग मे पूर्ति करने के लिए आगे ले जा सकता है।

(vii) **व्यापार अथवा पेशे का स्वामित्व (succession) बदल जाने पर उसकी हानियाँ**—जब किसी व्यापार अथवा पेशे का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है तो दूसरे व्यक्ति को, पहले व्यक्ति के स्वामित्व काल म हुई व्यापार अथवा पेशे की हानियो को अपने भावी लाभो से पूरा करने के लिए आगे ले जाने का अधिकार नही है, सिवाय उस दशा के जबकि स्वामित्व का परिवर्तन उत्तराधिकार (inheritance) द्वारा हुआ हो।

(viii) **कुछ कम्पनियों की हानियाँ**—यदि एक ऐसी कम्पनी के अशधारियो म गत वर्ष म परिवर्तन हो जाये जिसमे जनता का पर्याप्त हित न हो तो उस कम्पनी को गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष मे उठायी हानि को आगे लाकर गत वर्ष की आय से पूर्ति करने का अधिकार नही है जब तक कि

(अ) गत वर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी का कम से कम ५१ प्रतिशत मताधिकार उन्हीं व्यक्तियों के पास न हो जिनके पास यह कम से कम ५१ प्रतिशत मताधिकार उस गत वर्ष के अन्तिम दिन था जिस गत वर्ष की यह हानि है, अथवा

(ब) आय कर अधिकारी को यह विश्वास न हो जाय कि अंशधारियों का परिवर्तन कर बचाने के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है।

जब तक कर दाता हानि का नक्शा भरकर हानि निर्धारित न करा ले तब तक उस हानि को आगे ले जाने का अधिकार नहीं होता है।

Illustration 1

In the case of an assessee, work out the amount of taxable profits, or the losses and/or unabsorbed depreciation to be carried forward in respect of each of the following assessment years on the basis of the information given below

Assessment Year	Business Loss or Profit		Depreciation Allowance for the Year	Remarks
		Rs	Rs	
1956 57	Loss	40,000	—	—
1957 58		Nil	—	(Business continued)
1958 59	Loss	20 000	—	—
1959 60	,,	1,00,000	5 000	Left Unabsorbed
1960 61	,,	25,000	15,000	Left Unabsorbed
1961 62	,,	15,000	—	—
1962 63	,,	20 000	10,000	Left Unabsorbed
1963 64	Profit	20,000	5 000	—
1964 65	,,	25 000	10 000	—
1965 66		2,10 000	10 000	—

Solution

Assessment Years	Amount to be carried forward	
	Losses	Unabsorbed Depreciation
	Rs	Rs
1956 57	40 000	—
1957 58	—	—
1958 59	20 000	—
1959 60	1,00 000	5 000
1960 61	25 000	15 000
1961 62	15 000	—
1962 63	20 000	10 000
Total carried forward upto 1962 63	2 20,000	30,000

Assessment Year 1963 64

		Rs	Net Taxable Income Rs
	Profit	20 000	
Less	Depreciation Allowance for the year	5 000	
		15 000	
Less	Loss of 1956 57 set off, leaving Rs 25,000 to be carried forward with losses of other years along with Unabsorbed Depreciation of Rs 30 000	15,000	Nil

Assessment Year 1964 65

		Rs	
	Profit	25,000	
Less	Depreciation Allowance for the year	10 000	
		15 000	
Less	Loss of 1956-57 set-off (the balance of the loss of 1956 57 i e Rs 10,000, which could not be set-off, till then, cannot be carried forward any more as it is the 8th year after 1956 57 however the losses of other years along with Unabsorbed Depreciation shall be carried forward)	15 000	Nil

Assessment Year 1965 66

		Rs	
	Profit	2,10,000	
Less	Depreciation Allowance for the year	10 000	
		2 00 000	
Less	Losses of 1958 59 to 1962-63 set-off	1,80 000	
		20,000	
Less	Unabsorbed Depreciation of 1959 60 and 1960 61 set-off (leaving the Unabsorbed Depreciation of 1962-63 to be carried forward)	20 000	Nil

Illustration 2

From the following particulars of an assessee explain how the capital loss will be set-off or carried forward in each case

(i) Business income Rs 5,000 long term capital gain in respect of land buildings Rs 6,000, and short term capital loss Rs 4,000

(ii) Business income Rs 15 000, and Loss on sale of short term capital assets Rs 20 000

(iii) Business income Rs 15,000, short term capital gain Rs 5 000, and long term capital gain Rs 6,000 Carried forward loss in respect of short term capital assets Rs 20,000

Solution

(i) The loss relating to short term capital assets shall be set off against profit from capital assets other than short term capital assets reducing the amount of long term capital gain to Rs 2 000 This being less than Rs 5 000 will not be charged to tax

(ii) The loss of Rs 20,000 in respect of short term capital assets cannot be set off against his business income, and shall therefore be carried forward and set off against the capital gains relating to short term capital assets (if any) in the next year

(iii) The gain of Rs 5,000 will be set off against carried forward loss of Rs 20,000 The balance of Rs 15 000 will be carried forward to be set off against income arising from short term capital asset in subsequent years Rs 15,000 of business income will be taxed on Rs 15 000 rate Out of Rs 6 000 on account of long term capital gain Rs 1 000 will be taxed at 15%

QUESTIONS

1 In what circumstances is the income of one person treated as the income of another ?
एक व्यक्ति की आय दूसरे की आय किन परिस्थितियो मे मानी जाती है ?

2 Discuss the provisions of the Income Tax Act relating to the set off and carry forward of losses
घाटा की पूर्ति एव उन्हे आगे ले जाने के सम्बन्ध मे आय-कर अधिनियम के आयोजनो का वर्णन कीजिए।

3 State the circumstances in which the income of a minor child and the wife of an assessee are included in his total taxable income
किन परिस्थितियो मे अवयस्क बच्चे तथा कर दाता की पत्नी की आय कर दाता की कुल कर योग्य आय मे शामिल की जाती है ?

१३

आय-कर पदाधिकारी तथा उनके अधिकार

[INCOME TAX AUTHORITIES AND THEIR POWERS]

आय-कर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तथा आय कर विभाग का प्रशासन अच्छी प्रकार से चलाने के लिए भारत सरकार ने अनेक पदाधिकारियों की व्यवस्था की है। कार्य के आधार पर इन पदाधिकारियों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—(१) शासन सम्बन्धी, और (२) न्याय सम्बन्धी।

शासन सम्बन्धी पदाधिकारी

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)—पहले यह बोर्ड सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) कहलाता था जिसकी स्थापना सन १९२४ में हुई थी, परन्तु Central Board of Revenue Act, 1963 के अन्तर्गत इस बोर्ड को दो भागों में बाँट दिया गया है। एक का नाम Central Board of Direct Taxes है तथा दूसरे का नाम Central Board for Excise and Customs है। आय कर अधिनियम का प्रशासन Central Board of Direct Taxes के अन्तर्गत होता है। प्रत्येक बोर्ड में अधिक से अधिक ७ सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होगी। इस समय Central Board of Direct Taxes के दो सदस्य हैं जिनमें से एक इस बोर्ड का चेयरमैन है। शासन सम्बन्धी मामलों में यह सर्वोच्च पदाधिकारी है।

बोर्ड के अधिकार—इस बोर्ड को आय कर सम्बन्धी नियम उपनियम बनाने का अधिकार है और यह आय कर विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश भी दे सकता है जो उनको मान्य होते हैं परन्तु यह Appellate Assistant Commissioners के अपील के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

बोर्ड का अधिकार है कि वह लिखित सूचना (notification) द्वारा किसी भी कमिश्नर, अपीलेट असिस्टण्ट कमिश्नर इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर अथवा इनकम टैक्स आफिसर को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के

व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की आय के सम्बन्ध मे जिसका notification म उल्लेख हो, जो अधिकार चाहे सुपुर्द कर सकता है। ऐसा करने के बाद notification में दिये हुए अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी को इस सम्बन्ध मे कोई अधिकार नही होगा।

डाइरेक्टस आफ इन्स्पेक्शन (Directors of Inspection)—ये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते है। इनकी सख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है। ये आय कर के किसी भी पदाधिकारी का वह सभी काय कर सकते है जो उन्ह केन्द्रीय सरकार सुपुर्द करती है, परन्तु ये Central Board of Direct Taxes के नियन्त्रण म काय करते है इनका कायक्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। नियन्त्रण के दृष्टिकोण से इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर तथा इनकम टैक्स आफिसर Director of Inspection के मातहत (subordinate) होते है।

Director शब्द के अन्तगत अतिरिक्त डाइरेक्टर और सहायक डाइरेक्टर आ जाते है।

डाइरेक्टर के अधिकार—(१) धारा १३२ के अन्तगत, डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन अपन तलाशी तथा कब्जे मे लेने के अधिकार को किसी भी डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन अथवा इनकम टक्स आफिसर को हस्तान्तर कर सकता है। (इसका पूण विवरण कमिश्नर के अधिकारो मे दिया गया है)।

(२) धारा १३५ के अन्तगत डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन इस अधिनियम के सम्बन्ध मे प्रत्येक प्रकार की जाँच कर सकता है और इस सम्बन्ध म उस के सब अधिकार होंगे जो एक आय कर अधिकारी को होते है।

आय कर कमिश्नर (Commissioner of Income tax)—इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। एक निश्चित क्षेत्र म यह आय-कर विभाग का अध्यक्ष होता है। अधिकतर एक राज्य के लिए एक कमिश्नर होता है परन्तु कही कही एक कमिश्नर के अन्तगत एक से अधिक राज्य भी हैं और कही एक ही राज्य मे एक से अधिक कमिश्नर भी है। अपने क्षेत्र के इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर और आय-कर अधिकारी इसके नियन्त्रण मे काम करते हैं। धारा ११६ (१) के अन्तर्गत ये सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज के आदेशों तथा निर्देशों का पालन करते है।

कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा ११७ (२) के अन्तगत, इस निम्न श्रेणी के इनकम-टैक्स आफिसर तथा इनकम टैक्स इन्सपेक्टर नियुक्त करने का

अधिकार है। इसके अतिरिक्त धारा ११७ (३) के अन्तर्गत वह आवश्यकतानुसार क्लर्क आदि भी नियुक्त कर सकता है।

(२) धारा १२५ के अनुसार कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह किसी विशिष्ट मामले में अथवा विशिष्ट प्रकार के मामलों में अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के अधिकारों का प्रयोग इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर करेगा तथा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग कमिश्नर करेगा।

(३) धारा १२७ के अन्तर्गत कमिश्नर का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में काम करने वाले एक इनकम टैक्स आफिसर के पास से दूसरे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास किसी भी मामले को हस्तान्तर कर सकता है। ऐसा करने से पहले वह कर-दाता को इस सम्बन्ध में सुनने का उचित अवसर देगा परन्तु यदि एक ही शहर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर से दूसरे के पास हस्तान्तरण होना हो तो कर-दाता को सुनने का अवसर नहीं दिया जायेगा। उपर्युक्त हस्तान्तरण किसी मामले में कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है और जिस इनकम-टैक्स आफिसर के पास से हस्तान्तरण हो रहा है उसने हस्तान्तरण से पूर्व जो नोटिस निर्गमित कर दिये हैं उनका पुनः निर्गमन आवश्यक नहीं है।

(४) धारा १३१ के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मुकदमे की निम्न कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कमिश्नर को Code of Civil Procedure, 1908 के अनुसार न्यायालय को दिये गये अधिकार प्राप्त हैं

(क) खोज तथा निरीक्षण करना (Discovery and Inspection),

(ख) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने को बाध्य करना तथा उसका शपथ लेकर बयान लेना,

(ग) बहीखाते तथा अन्य प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(घ) कमीशन नियुक्त करना।

(५) धारा १३२ के अन्तर्गत, कुछ सूचनाओं के आधार पर यदि कमिश्नर को यह विश्वास हो कि आवश्यक नोटिस देने के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने नोटिस में माँगे गये बहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र उपस्थित नहीं किये अथवा आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी कार्यवाही से सम्बन्धित व आवश्यक बहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र उपस्थित नहीं करेगा अथवा उसके पास कोई ऐसा धन सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ हैं जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में ऐसी आय से उत्पन्न हुई हैं जो आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में नहीं दिखायी गयी है तो वह किसी Deputy Director of Inspection Inspecting Assistant Commissioner Assistant

Director of Inspection अथवा Income-tax Officer को अधिकार दे सकता है कि

(क) वह किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करके तलाशी ले सकता है जहां उसे विश्वास है कि ऐसे बहीखाते प्रपत्र, धन, सोना, चांदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ मौजूद हैं।

(ख) यदि किसी दरवाजे बक्स, लॉकर, तिजोरी, अलमारी अथवा अन्य किसी रखने के स्थान की ताली नहीं मिलती है तो वह उपर्युक्त (क) में वर्णित अधिकार का कार्यान्वित करने के लिए उनके ताले तोड़कर उन्हें खोल सकता है।

(ग) इस तलाशी में मिले हुए बहीखातो, प्रपत्रो, धन, सोना, चांदी जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओ को अपने कब्जे मे ले सकता है।

(घ) ऐसे बहीखाता अथवा प्रपत्रो पर अपना कोई चिह्न डाल सकता है अथवा उसके किसी भाग की प्रतिलिपि ले सकता है।

(ङ) तलाशी मे जो धन सोना चांदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ मिली हो उनकी सूची बना सकता है।

उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत अधिकृत Inspecting Assistant Commissioner अथवा Income tax Officer का यह भी अधिकार होगा कि वह उपर्युक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में मदद के लिए पुलिस तथा केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवाए माग सकता है और उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस माग की पूर्ति करे।

(६) धारा १३५ के अनुसार कमिश्नर का इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी जाच करने का अधिकार है तथा इस सम्बन्ध में उसे वे सब अधिकार हैं जो इनकम टैक्स आफिसर को प्राप्त है।

(७) धारा १३८ के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर १ अप्रैल, १९६० के बाद हुए कर निर्धारण के सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आय-कर कमिश्नर को निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पत्र देता है तो यदि कमिश्नर सार्वजनिक हित में उचित समझे तो यह सूचना प्रार्थी को दे सकता है।

इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर (Inspecting Assistant Commissioner)—इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। यह कमिश्नर के नियन्त्रण मे कार्य करता है। एक कमिश्नर के अन्तर्गत कई इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर होते हैं और प्रत्येक का अपना अपना पृथक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के आय कर अधिकारी इसी के नियन्त्रण मे काम करते हैं और कई मामलो मे आय कर अधिकारी को किसी कर दाता पर आदेश देने से पूर्व असिस्टेण्ट कमिश्नर की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह अपने क्षेत्र के आय कर कार्यालयों

का निरीक्षण भी करता है। कभी-कभी किसी जटिल अथवा महत्त्वपूर्ण मामले में कमिश्नर की आज्ञानुसार असिस्टेण्ट कमिश्नर को आय कर अधिकारी का काम भी करना पड़ता है।

इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा १३१ के अन्तर्गत इस अधिनियम के सम्बन्ध में किसी मुकदमे की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में Inspecting Assistant Commissioner को वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो Code of Civil Procedure, 1908 के अन्तर्गत न्यायालय को प्राप्त हैं। (इसका पूर्ण विवरण कमिश्नर के अधिकारों में दिया गया है)।

(२) धारा १३३ के अन्तर्गत इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर इस अधिनियम के सम्बन्ध में

(क) किसी फर्म में उसके साझेदारों के नाम, पते तथा उनके लाभ हानि के भागों का नक्शा माँग सकता है,

(ख) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार से उसके कर्ता (manager) तथा अन्य सदस्यों के नाम तथा पता का नक्शा माँग सकता है,

(ग) किसी ट्रस्टी, संरक्षक अथवा अभिकर्ता से उन व्यक्तियों के नाम तथा पता का नक्शा माँग सकता है जिनकी ओर से अथवा जिनके लिए वह ट्रस्टी, संरक्षक अथवा अभिकर्ता है,

(घ) किसी कर दाता से उन सब व्यक्तियों के नाम, पते तथा रकम का विवरण माँग सकता है जिन्हें उसने गत वर्ष में ४०० रु० से अधिक किराया, ब्याज, कमीशन रॉयल्टी, दलाली अथवा वेतन के अतिरिक्त वार्षिकी दी हो,

(ङ) किसी स्टाक एक्सचेंज अथवा कमोडिटी एक्सचेंज में व्यवहार करने वाले (dealer), दलाल (broker) अथवा अभिकर्ता (agent) से उन सभी व्यक्तियों के नाम, पते तथा रकम का विवरण माँग सकता है जिन्हें गत वर्ष में उसने अथवा एक्सचेंज ने सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुछ रकम दी हो या उनसे प्राप्त की हो,

(च) किसी व्यक्ति से जिसमें बैंकिंग कम्पनी अथवा उसके ऑफिसर भी सम्मिलित हैं ऐसी आवश्यक सूचना, हिसाब किताब आदि माँग सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी कार्यवाही से सम्बन्धित है अथवा उसके लिए उपयोगी है।

(३) धारा १३४ के अन्तर्गत, इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर को किसी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों अथवा रहनधारियों के रजिस्टरों का निरीक्षण करने तथा उनकी अथवा उनके किसी व्यवहार की प्रतिलिपि करने अथवा कराने का अधिकार है।

(४) धारा १३६ के अनुसार इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर को इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी जाच कराने का अधिकार है तथा इस सम्बन्ध मे उसे वे सब अधिकार हैं जो आय कर अधिकारी को प्राप्त हैं।

आय कर अधिकारी (Income tax Officer)—व्यावहारिक दृष्टि से यह आय-कर विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है क्योंकि वास्तव मे कर निर्धारण करना और उसे वसूल करना इसी का मुख्य काम है। इसकी सहायता के लिए आय कर इन्सपेक्टर होते हैं। प्रथम श्रेणी के आय कर अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है और द्वितीय श्रेणी के आय कर अधिकारी की नियुक्ति कमिश्नर कर सकता है।

आय कर अधिकारी के अधिकार—आय-कर अधिकारी को शासन सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी दोनो अधिकार प्राप्त है। इसके शासन सम्बन्धी अधिकार निम्न हैं

(१) अपने अधीन आय कर इन्स्पेक्टर को समय समय पर आवश्यक आदेश देता है अथवा उसके कार्यों की देखभाल करता है।

(२) अपने कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्लर्कों आदि को समय समय पर आवश्यक आदेश देता है तथा उनके कार्यों की देखभाल करता है।

(३) धारा १३३ A के अन्तर्गत आय कर अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत आय कर इन्सपेक्टर

(क) अपने कार्य-क्षेत्र मे किसी भी व्यापार अथवा पेशे के स्थान म प्रवेश कर सकता है अथवा

(ख) किसी भी ऐसे स्थान म प्रवेश कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार म है जिस पर उस आय-कर अधिकारी का Jurisdiction है, तथा जहा उसका व्यापार अथवा पेशा चल रहा है। उस समय वहा जो व्यक्ति उस व्यापार का कोई भी काय कर रहा है उससे वह बहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र आदि निरीक्षण के लिए माँग सकता है जो वहा उस समय हो। इन बहीखातो, प्रपत्रो आदि पर वह अपने हस्ताक्षर कर सकता है या अपना कोई चिह्न डाल सकता है या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि ले सकता है। इस धारा के अन्तगत वह इन बहीखाता आदि को वहाँ से ले नहीं जा सकता।

(४) अपने क्षेत्र के कर-दाताओ पर कर निर्धारण करता है।

आय-कर इन्स्पेक्टर (Income tax Inspector)—केन्द्रीय सरकार के नियमो के अनुसार इनकम-टैक्स कमिश्नर इसकी नियुक्ति करता है। यह आय कर अधिकारी के नियन्त्रण म काम करता है। इसका प्रमुख काम नये

कर-दाताओं का पता लगाना और आय कर अधिकारी की आज्ञानुसार किसी भी प्रकार की जाँच करना है। धारा १३३ A के अन्तर्गत आय कर अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर यह अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और धारा १३३ A के अन्तर्गत वह सब काम कर सकता है जो आय-कर अधिकारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त आय कर अधिकारी (Income tax Officer) जो भी काम इसे सुपुर्द करेगा वह करना होगा।

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारी

आय-कर अधिकारी (Income tax Officer)—न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। वास्तव में यह दोनों प्रकार के पदाधिकारियों में आता है क्योंकि इसके काम दोनों प्रकार के हैं। किसी कर दाता पर कर निर्धारण करके उसका निर्णय देना इसका प्रमुख न्याय सम्बन्धी काम है। इसके न्याय सम्बन्धी अधिकार निम्न हैं

(१) धारा १३१ के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मुकदमे की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इसे Code of Civil Procedure, 1908 के अनुसार न्यायालय को दिये गये अधिकार प्राप्त हैं (इनका विस्तृत वर्णन कमिश्नर के अधिकारों के शीर्षक में दिया गया है)।

(२) धारा १३३ के अनुसार इसे कुछ सूचनाएँ माँगने का अधिकार है (इनका विस्तृत वर्णन इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकारों के शीर्षक में दिया गया है)।

(३) धारा १३४ के अन्तर्गत इसे किसी कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार है (इनका विस्तृत वर्णन इन्स्पेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकारों के शीर्षक में दिया गया है।

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)—इसका काम आय कर अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना है। जब कोई कर दाता आय-कर अधिकारी द्वारा दिये हुए निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता तो उसे इसके यहाँ अपील करने का अधिकार है। यह सीधा Central Board of Direct Taxes के नियन्त्रण में होता है परन्तु बोर्ड को भी इसके अपील सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है।

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा १३३ के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर को कुछ सूचनाएँ माँगने का अधिकार है (इसका पूर्ण विवरण इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकारों में दिया गया है)।

(२) धारा २५१ के अन्तर्गत, अपील के सम्बन्ध में अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निम्न अधिकार हैं

(i) कर निर्धारण के विरुद्ध हुई अपील के सम्बन्ध मे वह कर निर्धारण को सम्पुष्ट, कम, रद्द कर सकता अथवा बढा सकता है, अथवा आय कर अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर निर्धारण करने का आदेश दे सकता है।

(ii) अर्थ दण्ड के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध म वह ऐसे आदेश को सम्पुष्ट, अथवा रद्द कर सकता है अथवा अर्थ दण्ड को कम या अधिक कर सकता है।

(iii) अन्य किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध मे वह जैसा उचित समझे निर्णय दे सकता है।

अपील मे कर-दाता पर दायित्व बढाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि कर दाता का इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाये।

आय कर कमिश्नर (Commissioner of Income tax)—आय-कर अधिकारी के समान कमिश्नर भी दोनो प्रकार के पदाधिकारियों म शामिल होता है, क्योंकि वह शासन सम्बन्धी व न्याय सम्बन्धी दोनो प्रकार के काय करता है। उसका मुख्य न्याय सम्बन्धी काय आय कर अधिकारी के आदेशों पर पुनर्विचार (revision) करना होता है।

कमिश्नर का पुनर्विचार का अधिकार—(१) धारा २६३ के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड (record) कमिश्नर मागकर उसकी जाच कर सकता है और यदि वह यह समझता है कि आय-कर अधिकारी द्वारा दिया हुआ कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिए अहितकर (prejudicial to revenue) है तो वह उचित पूछ ताछ करने के बाद तथा कर दाता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश दे सकता है जिसम कर निर्धारण को बढाना अथवा उसम सशोधन करना अथवा रद्द करना अथवा नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है।

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिसे २ वर्ष से अधिक बीत चुके हो अथवा जो धारा १४७ के अन्तर्गत पुन कर निर्धारण का आदेश हो।

(२) धारा २६४ के अन्तर्गत, कमिश्नर उपर्युक्त वर्णित आदेशों को छोडकर अन्य एस आदेशो के सम्बन्ध मे जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने दिये हो, स्वय अथवा कर-दाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र देने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी किसी ऐसी कार्यवाही का रिकार्ड (record) मांग सकता है जिसमे कि ऐसा आदेश दिया गया था तथा इस

सम्बन्ध मे उचित पूछ-ताछ करने के बाद उचित आदेश दे सकता है बशर्ते कि वह आदेश कर दाता के अहित मे न हो।

इस धारा के अन्तर्गत कमिश्नर स्वयं ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिन्हे एक वर्ष से अधिक बीत चुका हो।

इस धारा के अन्तर्गत, यदि कर दाता पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे यह प्रार्थना पत्र उस आदेश के प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। कर दाता को अपने प्रार्थना पत्र के साथ २५ रुपये फीस के भी देने होते हैं।

(३) अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—यह आय कर विभाग का प्रशासकीय अंग नहीं है। इसका काम अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसकी सदस्य संख्या केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है। इसमे जुडीशियल और एकाउण्टेण्ट सदस्य होते हैं। जुडीशियल सदस्य कम से कम १० साल की प्रैक्टिस का एडवोकेट हो या कम से कम १० वर्ष तक सिविल जुडीशियल पद पर रहा हो अथवा कम से कम ३ वर्ष तक सण्ट्रल लीगल सर्विस का (लेकिन तृतीय ग्रेड से कम न हो) सदस्य रहा हो और एकाउण्टेण्ट सदस्य १० वर्ष की प्रैक्टिस का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट होना चाहिए अथवा वह कम से कम ३ वर्ष तक असिस्टेंट इनकम-टैक्स कमिश्नर रहा हो। साधारणतया जुडीशियल सदस्य इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होता है। इस ट्रिब्यूनल को कई बेंचों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक बेंच मे एक जुडीशियल और एक एकाउण्टण्ट सदस्य होता है। किसी अपील के सम्बन्ध मे यदि इन दोनों सदस्यों मे मतभेद हो जाता है तो ट्रिब्यूनल का सभापति एक तीन सदस्यों की बेंच नियुक्त कर देता है।

तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर इस ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम (final) होता है लेकिन कानून सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध मे इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है परन्तु इसके लिए ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि ट्रिब्यूनल स्वीकृति न दे तो स्वीकृति प्राप्त करने की भी अपील हाईकोर्ट मे की जा सकती है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकार—धारा २५५ (६) के अन्तर्गत, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो धारा १३१ मे वर्णित आय-कर पदाधिकारियों को होते हैं तथा ट्रिब्यूनल के सामने जितनी कार्यवाही होती है वह सब जुडीशियल कार्यवाही मानी जाती है।

(४) उच्च न्यायालय (High Court)—धारा २५६ के अन्तर्गत, अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने के बाद ६० दिन के अन्दर, कर दाता

अथवा कमिश्नर निर्धारित फॉर्म में ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसके निर्णय में कानूनी प्रश्न सन्निहित (involved) है, अतः वह उसे हाई कोर्ट को रेफर (refer) कर दे।

यदि ट्रिब्यूनल की सम्मति में किसी मामले में कानूनी प्रश्न सन्निहित नहीं है तो वह हाईकोर्ट को रेफर करने के लिए मना कर सकता है। करदाता अथवा कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह मना करने का आदेश प्राप्त होने के बाद ६ माह के अन्दर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है और यदि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही नहीं मानता तो वह ट्रिब्यूनल को यह आदेश दे सकता है कि वह उस मामले का विवरण तैयार करके हाईकोर्ट को रेफर (refer) कर दे। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल उस मामले को हाई कोर्ट को रेफर (refer) कर देता है।

हाईकोर्ट में ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो जजों की बैंच द्वारा होती है। उसका निर्णय उनकी बहु सम्मति से होता है। हाईकोर्ट अपने निर्णय की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल को भेज देता है जो उसके अनुसार अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर देता है।

(५) **सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court)—धारा २६१ के अन्तर्गत, हाईकोर्ट को रेफर (refer) किये हुए किसी मामले पर दिये गये हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है बशर्ते कि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला (case) सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य (fit) है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपील में हाईकोर्ट के निर्णय में परिवर्तन कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने पूर्व आदेश में उचित संशोधन कर देता है।

QUESTIONS

1 What are the various authorities envisaged in the Indian Income tax Law and what are their functions?
भारतीय आय कर विधान में किन किन पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है तथा उनके क्या क्या कार्य हैं?

2 Write short notes on
Appellate Tribunal, Director of Inspection, Appellate Assistant Commissioner and Inspecting Assistant Commissioner
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
अपीलेट ट्रिब्यूनल, डाइरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर तथा इन्स्पेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर।

3 Describe the organisation of the Income Tax Department
आय-कर विभाग के संगठन की व्याख्या कीजिए।

4 Discuss the powers of the Income tax authorities in the matter of calling forth documents and account books
प्रपत्र तथा हिसाब किताब माँगने के सम्बन्ध में आय-कर पदाधिकारियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।

5 Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of income tax in India
भारत में आय-कर विधान का प्रशासन करने वाले पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए।

१४

व्यक्तियो का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OI INDIVIDUALS]

आय कर अधिनियम के अनुसार कर दाता निम्न प्रकार के हाते हैं

(१) व्यक्ति, (२) हिन्दु अविभाजित परिवार, (३) फर्म, (४) व्यक्तियो का अन्य समुदाय (५) कम्पनी, (६) स्थानीय सत्ता, और (७) वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति।

उपर्युक्त वर्णित कर दाताओ पर कर निर्धारण करने के सम्बन्ध मे अधिनियम के आयोजना का अध्ययन इस अध्याय मे तथा अगले अध्यायो म किया जायगा।

व्यक्ति

(Individual)

व्यक्ति से आशय एक स्त्री, पुरुष, अवयस्क अथवा ऐसे व्यक्ति स है जिसका मस्तिष्क ठीक हो। एक व्यक्ति का अपनी कुल आय पर आयकर देना होता है जो क्रमागत बढती हुई दरो स लगाया जाता है। एक व्यक्ति को अपनी स्वय की भिन्न भिन्न शीर्षको के अन्तगत हुई आय के अतिरिक्त निम्न सस्थाओ की सदस्यता स भी लाभ मिलता है जिसे उस व्यक्ति की कुल आय मे शामिल करने के सम्बन्ध म निम्न नियम है

(i) हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्यता से—किसी व्यक्ति द्वारा एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते, परिवार की आय स मिली हुई राशि पर न तो कर लगता है और न वह उसकी कुल आय म शामिल की जाती है, चाहे परिवार ने कर दिया हो अथवा नही परन्तु परिवार के किसी सदस्य न यदि अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त की हो तो उस पर व्यक्ति के रूप म कर निर्धारण होता है।

(ii) फर्म की सदस्यता से—फर्म दो प्रकार की होती है, (क) रजिस्टर्ड और (ख) अनरजिस्टर्ड।

(क) रजिस्टर्ड फर्म की दशा मे—यदि कोई व्यक्ति एक रजिस्टर्ड फर्म का सदस्य है तो उस फर्म स मिला हुआ लाभ का भाग उसकी

कुल आय मे शामिल किया जायेगा और उस पर उसे कर देना होगा। यदि ऐसी फर्म की कुल आय २५,००० रुपये से अधिक होने के कारण फर्म ने स्वयं भी कुछ आय कर दिया हो तो भी साझेदार की कुल आय मे उसका लाभ का हिस्सा शामिल किया जायगा और उस पर कर लगेगा, परन्तु फर्म द्वारा देय आय कर म इस साझेदार के भाग पर, साझेदार को अपनी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से छूट दी जायगी।

(ख) अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा मे—यदि कोई व्यक्ति एक अनरजिस्टर्ड फर्म का सदस्य है और यदि फर्म के लाभो पर कर देय है तो उस व्यक्ति को मिला हुआ लाभ का भाग उसकी कुल आय मे शामिल किया जायगा परन्तु बाद मे आय-कर की औसत दर से उस पर छूट दी जायेगी। यदि फर्म की कुल आय पर, न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होने के कारण, कर नही लगा है तो उस व्यक्ति को जो इसका सदस्य है अपने लाभ के भाग पर कर देना होगा।

(iii) व्यक्तियो के अन्य समुदाय की सदस्यता से—अन्य समुदाय की सदस्यता स प्राप्त आय के सम्बन्ध म वही नियम लागू है जो अनरजिस्टर्ड फर्म की सदस्यता के सम्बन्ध म है।

(iv) कम्पनी की सदस्यता से—इसका अभिप्राय कम्पनी के अंशधारी के रूप म प्राप्त लाभांश स है। यह उसकी कुल आय म जोडा जाता है तथा इस पर आय-कर लगता है। कम्पनी द्वारा लाभांश की रकम पर काटा हुआ आय कर, प्राप्त लाभांश मे जोडकर कुल आय म शामिल होता है और बाद म अंशधारी के लाभांश म से कटी हुई आय कर की रकम, अंशधारी द्वारा देय कुल कर म स घटा दी जाती है और शेष कर उसे देना होता है।

कुल आय मे शामिल की जाने वाली दूसरो की आय—निम्न दशाओ म दूसरो की आय एक व्यक्ति की आय मे शामिल की जाती है

(क) किसी सम्पत्ति की आय का हस्तान्तरण बिना सम्पत्ति को हस्तान्तर किय कर दिया जाय तो इस सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की आय मे शामिल होगी जिसने आय का हस्तान्तरण किया हो।

(ख) सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण करने पर, कुछ अपवादो के अधीन, उस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति की कुल आय मे शामिल होगी।

(ग) कुछ विशेष परिस्थितियो म एक जीवन साथी की आय दूसरे की आय म शामिल की जाती है।

(घ) कुछ विशेष परिस्थितियों में अवयस्क की आय उसकी माता अथवा उसके पिता की आय में शामिल की जाती है।

(ङ) किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तर की हुई सम्पत्ति की आय, यदि इस हस्तान्तरण से उसके जीवन साथी अथवा अवयस्क को कोई लाभ पहुँचता हो, हस्तान्तर करने वाले की आय में शामिल होती है।

नोट—उपर्युक्त (क) से (ङ) तक का विस्तृत वर्णन अध्याय १२ में किया गया है।

Illustration 1

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1965 66

(a) Salary at Rs 1,500 per month
(b) His contribution to a recognised provident fund, Rs 2,160
(c) Employer's contribution to his provident fund, Rs 2 160
(d) Interest at 9% per annum credited to provident fund Rs 1 200
(e) Dividends gross, Rs 6 000
(f) Life insurance premium paid, Rs 5,000

Solution

Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary	18 000	
	Employer's contribution over 10%	360	
	Interest on Provident Fund in excess of 6%	400	18,760
2	Income from other Sources		
	Dividends (gross)		6 000
	Total Income	Rs	24 760

Amount exempt from Income tax

	Rs
Employee's contribution to Provident Fund	2 160
Life Insurance Premium (Restricted to 1/4 of Total Income or Rs 10 000 whichever is less)	4 030
Rs	6 190

Illustration 2

The following are the particulars of the income of Shri P K Dutta a Government Servant for the year ended 31st March, 1965

(a) Salary at Rs 750 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1,800, the actual amount spent by him on travelling being Rs 1 500

(b) He contributed 6 25 paise per rupee for his Provident Fund to which the Government contributed an equal amount The interest on his Provident Fund amounted to Rs 250

(c) He owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual rental value of the same being Rs 960 He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second The municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 120 respectively, and he spent Rs 3,000 on white washing and petty repairs in respect of both the bungalows

(d) He received during the year Rs 250 as tax free interest on Government securities and Rs 300 as dividend from a limited company He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1 250 on his policies

Ascertain his total income, taxable income and amounts entitled to rebate of income-tax, assuming that both the bungalows were constructed in 1953

Solution

Assessment Year 1965 66

Statement of Total Income

				Rs
1	Income from Salary			9,000
2	Interest on tax free securities			250
3	Income from House Property		Rs	
	Rent of house let being annual value		1,440	
	Less ½ Municipal Taxes		75	
	Annual Value		Rs 1 365	
		Rs		
	Annual rental value of residential house	960		
	Less ½ Municipal Taxes	60		
		900		
	Less ½ Statutory Allowance	450		
	Net Annual Value		450	
			Rs 1,815	

Less $\frac{1}{6}$ for Repairs*	302 50		
Ground Rent etc	350	652 50	
			1,162 50
4 Income from other Sources			
Dividends $\left(\text{gross} = \frac{300 \times 10}{8}\right)$	375		
Excess Travelling Allowance	300		675
	Total Income	Rs	11 087 50
	or Say,	Rs	11 088

Amounts entitled to rebate of Income tax

	Rs
Employee's Contribution to P F	562 50
Life Insurance Premia	1,250
Int on Tax free Govt Securities	250
Rs	2,062 50

Illustration 3

The income of an individual for the year ended 31st March 1965 consists of the following

(a) Business profits (after setting off Rs 20,000 paid as donation to a college and Rs 4 000 as life insurance premium) Rs 52,000

(b) One half share from an unregistered firm (which has paid income tax) in which he was a partner Rs 8 000

(c) Interest on tax free government securities Rs 8 000

(d) Dividend Rs 6 000 gross

Compute the total income and amounts entitled to rebate of tax for the assessment year 1965 66

---

* $\frac{1}{6}$ Repair Allowance is allowed irrespective of any expenditure on this account

Solution

Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income

			Rs
1	Interest on tax free Securities		8,000
2	Business Profits		
	Own business	76,000	
	½ Share of Profit in Unregistered firm	8,000	
		84 000	
	Less 60% of L I Premium	2,400	
			81,600
3	Income from other Sources		
	Dividends (gross)		6 000
	Total Income Rs		95 600

Amounts entitled to rebate of income tax

		Rs
(i)	Interest on tax free securities (at the average rate or at 25% whichever is less)	8 000
(ii)	Share of Profit in Unregistered firm	8 000
(iii)	Charitable Donations	7 960
	Rs	23,960

Note The amount of charitable donations is restricted to 10% of total income as reduced by the amounts entitled to rebate of income tax {Rs 95 600—(Rs 8 000 +8,000)} i e , 10% Rs 79,600=Rs 7 960

Illustration 4

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1965 66

(a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs 14,200

(b) Income tax deducted from salary Rs 2,000

(c) His contribution to recognised provident fund Rs 1 800

(d) Employer s contribution to his provident fund, Rs 1,800

(e) Interest at 9 per cent per annum credited to provident fund Rs 1 200

(f) Dividends received Rs 4,400, income tax applicable thereto being Rs 1,000

(g) Life insurance premium paid, Rs 1,800

Solution

Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
Salary Received	14 200	
Add Income tax deducted at source	2 000	
Provident Fund contribution of the employee	1,800	
Annual Accretion	18 000	
Employer s contribution is not more than 10% of his salary of Rs 18 000	Nil	
Interest on P F in excess of 6% (Rs 1,200—800)	400	18 400
2 Income from other Sources		
Dividends (gross)		5 400
Total Income	Rs	23 800

Amount entitled to rebate of income tax

	Rs
P F contribution by the employee	1 800
Life Insurance Premium	1 800
Rs	3 600

QUESTIONS

1 Describe the various sources from which an individual can earn his income

उन भिन्न भिन्न साधनो का वर्णन कीजिए जिनसे एक व्यक्ति आय कमा सकता है।

2 How would the following incomes be treated in the assessment of an individual who is resident and ordinarily resident

(i) Share of profit from an unregistered firm
(ii) Share of income of a Hindu undivided family,
(iii) Profit on sale of capital asset,
(iv) Income from property in a foreign country
(v) Interest on tax free securities ?

एक निवासी एवं साधारण निवासी की कर-देय आय निकालने मे निम्न लिखित आय किस प्रकार समझी जायेगी

(i) अपंजीयित साझेदारी के लाभ का मिलने वाला भाग,
(ii) सयुक्त हिन्दू परिवार से मिलने वाला भाग,
(iii) स्थिर पूंजी की वस्तु के बिकने पर लाभ,
(iv) विदेश स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय,
(v) कर मुक्त ऋण पत्रों पर मिला ब्याज ?

१९

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF HINDU UNDIVIDED FAMILY]

++

हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार से आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों (Lineally descended from a common ancestor)। इसमें इनकी पत्नियाँ तथा अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल होती हैं। परन्तु आय कर के दृष्टिकोण से एक हिन्दू अविभाजित परिवार वह है जो निम्न दो शर्तों को पूरा करता है

(i) परिवार की सम्पत्ति शामिल में हो (Common property), तथा

(ii) परिवार में हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) हो।

(i) परिवार की सम्पत्ति का शामिल में होना—परिवार की शामिल में होने वाली सम्पत्तियों से आशय निम्न सम्पत्तियों से है

(क) पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति (Ancestral Property),

(ख) पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति की सहायता से प्राप्त होने वाली परिवार की कोई अन्य सम्पत्ति

(ग) परिवार के सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत परिश्रम अथवा साधन से प्राप्त की गयी कोई सम्पत्ति, परिवार की सम्पत्ति मान लेने पर वह सम्पत्ति।

(ii) परिवार में हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) का होना—परिवार में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें परिवार के विभाजन पर अपना भाग माँगने का अधिकार हो। ये ही व्यक्ति सहभागी (Coparceners) कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू अविभाजित परिवार में ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो हिन्दू ला (Hindu Law) के अनुसार परिवार में केवल पालन-पोषण के अधिकारी हैं।

हिन्दू लॉ के अनुसार दो सम्प्रदाय—हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार अविभाजित हिन्दू परिवार के नियन्त्रण के सम्बन्ध में दो सम्प्रदाय

(Two Schools) है—एक मिताक्षरा तथा दूसरा दायभाग। इन दोनों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है

मिताक्षरा सम्प्रदाय—यह बंगाल को छोडकर समस्त भारत मे लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र का पैदा होते ही अपने पिता के पूर्वजो की सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त हो जाता है। अत पुत्र का जन्म होते ही पूर्वजो की सम्पत्ति की आय पर अविभाजित हिन्दू परिवार की तरह कर लगने लगता है परन्तु पिता के व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त सम्पत्ति की आय पर पिता पर व्यक्ति के रूप मे ही कर लगता है। यदि किसी परिवार मे केवल एक पुरुष सदस्य हो और उसके कोई पुत्र न हो तो ऐसे परिवार मे पूर्वजो की सम्पत्ति पर भी उस पुरुष सदस्य पर व्यक्ति के रूप मे कर निर्धारण होगा, न कि परिवार के रूप मे। इसमे स्त्रियाँ सहभागी नही हो सकती है।

दायभाग सम्प्रदाय—यह केवल बंगाल मे लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र को, पूर्वजो की सम्पत्ति मे, अपने पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार मिलता है। पिता को अपने जीवन काल मे पूर्वजो की सम्पत्ति को बेचने, दान देने अथवा किसी प्रकार भी हस्तान्तरण करने का अधिकार होता है। यदि एक पिता स्वयं सहभागी न हो तो पूर्वजो की सम्पत्ति की आय पर उसे व्यक्ति के रूप मे कर देना होगा। उसकी मृत्यु के बाद, यदि उसके एक से अधिक सहभागी हैं तो पूर्वजो की सम्पत्ति की आय पर हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह कर लगेगा। इसमे स्त्रियाँ भी सहभागी हो सकती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास (Residence of a Hindu Undivided Family)

धारा ६ (२) के अन्तर्गत एक हिन्दू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष मे हमेशा निवासी माना जाता है जब तक कि उस वर्ष मे उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित न हो, अर्थात् यदि किसी गत वर्ष मे इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध कुछ अंश मे भी भारत मे स्थित है तो वह निवासी कहलायेगा। नियन्त्रण एवं प्रबन्ध से आशय उसके वास्तविक नियन्त्रण एवं प्रबन्ध से है, अर्थात् जहाँ से परिवार के व्यापार आदि के संचालन की नीति निर्धारित होती है तथा समय समय पर आदेश दिये जाते है। यह आवश्यक नही है कि जहाँ व्यापार चलता हो वही से उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध होवे।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार किसी गत वर्ष के लिए भारत मे असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident) माना जाता है यदि

(१) उसका कर्ता (Manager) गत वर्ष से पूर्व १० गत वर्षों मे ९ वर्ष भारत मे निवासी न रहा हो, या

(ii) उसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व ७ गत वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत में न रहा हो।

इस सम्बन्ध में कर्ता (Manager) के भारत में रहने की अवधि पर ध्यान देना है न कि भारत से बाहर रहने की अवधि पर।

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण (Assessment of Hindu Undivided Family)—हिन्दू अविभाजित परिवार स्वतन्त्र रूप से एक कर दाता है। इस पर परिवार के नाम से व्यक्ति की तरह कर निर्धारण किया जाता है परन्तु इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यक्ति से अलग नियम हैं। एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण उसके कर्ता (Manager) के द्वारा होता है। परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में से जो भाग मिलता है वह उनके व्यक्तिगत कर निर्धारण में उनकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है, चाहे परिवार पर पृथक रूप से कर लगा हो अथवा नहीं।

यद्यपि हिन्दू लॉ के अनुसार एक हिन्दू स्त्री परिवार की सहभागी (Co parcener) नहीं हो सकती है तथापि आय-कर के दृष्टिकोण से विशेष परिस्थिति में परिवार की कर्ता (Manager) मानी जा सकती है। यदि परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तो स्त्री को ही कर्ता माना जा सकता है।

परिवार के किसी सदस्य को (कर्ता के अतिरिक्त) यदि वेतन दिया जाता है तो परिवार की कर-योग्य आय निकालते समय उसकी छूट तभी दी जाती है जबकि उसने परिवार की आय कमाने के लिए कोई सेवा की हो वरना यह छूट नहीं दी जाती है।

न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit)—यदि एक अविभाजित हिन्दू परिवार गत वर्ष के अन्त में निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो उसके लिए आय कर की न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit) ६,००० रुपये होती है, अर्थात् उसकी ६,००० रुपये तक की आय पर कर नहीं लगता है

(i) परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जिन्हें परिवार का विभाजन कराने का अधिकार हो तथा वे १८ वर्ष की आयु से कम न हों अथवा

(ii) परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जिन्हें परिवार का विभाजन कराने का अधिकार हो तथा जो आपस में एक दूसरे की सन्तान (पुत्र अथवा पौत्र) (Lineally descended) न हों तथा जो परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सन्तान (पुत्र अथवा पौत्र) (Lineally descended) न हों।

जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium)—एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे पर जो प्रीमियम दिया जाता है वह आय कर से मुक्त होता है, बशर्ते कि प्रीमियम की रकम किसी वर्ष मे परिवार की कुल आय के ⅙ अथवा २० ००० रुपये (जो भी दोनो म कम हो) से अधिक न हो। बीमा प्रीमियम की छूट देने की यह प्रथा उन कर-दाताओ के लिए जिनकी कुल आय म वेतन शीर्षक की आय शामिल है केवल १९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष तक के लिए लागू है। अन्य कर दाताओ के लिए यह प्रथा १९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष से ही बन्द कर दी गयी है तथा उनके लिए इसके स्थान मे १९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष म ही जीवन बीमा प्रीमियम, प्रावीडेण्ट फण्ड आदि के सम्बन्ध म निर्धारित सीमा के अन्दर की गयी प्रथम ५,००० रुपये की राशि का ६० प्रतिशत तथा शेष ऐसी राशि का ५० प्रतिशत कुल आय म से कटौती के रूप म घटा दिया जायगा। (इसका विस्तृत वर्णन अध्याय ४ मे किया गया है)। अत १९६६ ६७ कर निर्धारण वर्ष से एक व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए दी गयी राशि के सम्बन्ध म कुल आय म से कटौती दी जायगी चाहे भले ही उनकी कुल आय मे वेतन शीर्षक की आय शामिल हो।

जैन तथा सिक्ख अविभाजित परिवार (Jain and Sikh Undivided Families)—ये भी हिन्दू अविभाजित परिवार ही माने जाते है जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति मे कर दाता द्वारा उसे ऐसा न मानने के लिए माँग न की जाय। यदि ऐसी माँग की जायगी तो कर दाता को यह सिद्ध करना होगा कि उसके परिवार मे कोई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके कारण उसे हिन्दू अविभाजित परिवार नही माना जा सकता है।

अविभाज्य सम्पत्ति (Impartible Estate)—यह वह सम्पत्ति होती है जिसे परिवार के सदस्यो म बाँटा नही जा सकता है। ऐसी सम्पत्ति म भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ अथवा आय के अन्य साधन आते हैं। यह सम्पत्ति परिवार के सबसे ज्येष्ठ (senior most) सदस्य को मिलती है। इस सम्पत्ति की आय परिवार की आय नही होती है। यह उस सम्पत्ति के धारक की व्यक्तिगत आय होती है और उसके व्यक्तिगत कर निर्धारण मे इस आय पर कर लगता है। इस आय मे से परिवार के अन्य सदस्यो को जो भाग मिलता है वह उनके हाथ मे पूर्णतया कर मुक्त है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से प्राप्तियाँ (Receipts by a member from Family Income)—धारा १० (२) के अन्तगत, हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से जो धनराशि मिलती है

वह उसकी कुल आय मे नही जोडी जाती है बशर्ते कि यह राशि परिवार की आय म से दी गयी हो, अथवा अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate) की दशा म यह राशि परिवार की सम्पत्ति की आय मे से दी गयी हो। यह छूट तभी स्वीकार हो सकती है जबकि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का होना,

(२) कर दाता का हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होना,

(३) यह राशि उसे परिवार का सदस्य होने की हैसियत से मिली हो, तथा

(४) यह राशि परिवार की आय मे से दी गयी हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन—धारा १७१ के अन्तगत दिये हुए स्पष्टीकरण म 'विभाजन' की परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार विभाजन का अथ निम्न है

(क) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव हो तो विभाजन का अथ उस सम्पत्ति के भौतिक विभाजन से है। केवल आय का विभाजन करने से परिवार का विभाजन नही माना जाता है, अथवा

(ख) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव न हो, तो उतना विभाजन कर देना, जितना सम्भव हो, विभाजन कहलाता है परन्तु केवल स्थिति का पृथक (Severance of status) हो जाना विभाजन नही माना जाता है।

(ग) आशिक विभाजन का अथ परिवार के कुछ सदस्यो म विभाजन हो जाने से है अथवा परिवार की कुछ सम्पत्तियो का विभाजन हो जाने से है। जब परिवार के कुछ सदस्य परिवार से अलग हो जायें परन्तु शेष परिवार मे ही रह जायें तो ऐसा आशिक विभाजन सदस्यो के आधार पर हुआ कहलाता है तथा जब परिवार की कुछ सम्पत्ति का विभाजन हो जाये तथा कुछ का न हो तो ऐसा आशिक विभाजन सम्पत्ति के आधार पर हुआ, कहलाता है।

विभाजन के बाद कर निर्धारण की विधि—धारा १७१ के अन्तगत एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर विभाजन के बाद कर निर्धारण करने के सम्बन्ध म निम्न नियम हैं

(क) जब तक विभाजन आय कर अधिकारी स्वीकार न कर ले तब तक परिवार पर अविभाजित परिवार की तरह से कर निर्धारण होगा।

(ख) कर निर्धारण के समय यदि परिवार का कोई सदस्य यह कहे कि परिवार का विभाजन हो चुका है तो आय-कर अधिकारी इस सम्बन्ध म प्रत्येक सदस्य स पूछ ताछ करेगा। पूछ-ताछ के पश्चात वह यह निणय करेगा कि विभाजन पूण अथवा आशिक है और कब हुआ है।

(ग) यदि विभाजन गत वष मे हुआ हो तो विभाजन की तिथि से पूव की अवधि के सम्बन्ध म अविभाजित हिन्दू परिवार की तरह से कर निर्धारण

होगा और इस प्रकार निकाले हुए कर को चुकाने का प्रत्येक सदस्य का संयुक्त तथा पृथक दायित्व होगा। विभाजन के बाद की आय परिवार की आय नही मानी जायगी बल्कि उसे परिवार के सहभागियों में उनके हिस्सा के अनुसार बाट दिया जाता है और प्रत्येक सहभागी को अपने हिस्से की रकम पर अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में कर देना पड़ता है। निम्न उदाहरण से यह विधि पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी।

Illustration I

A Hindu Undivided family consisting of four equal co parceners A B, C and D is partitioned on 1st July, 1964 The partition is accepted by the Income tax Officer under Section 171 The income of the family for the period commencing from 1st January, 1964 to 30th June, 1964 is as under

	Rs
Profits of business	10,000
Income from property	14,000

After the partition A B C and D continued to carry on the family business as partners and their income for the six months ending on 31st December, 1964 was Rs 12,000 Explain how the assessment will be made for the assessment year 1965 66

Solution

In this case, as the partition was effected during the previous year, there will be two assessments One on the H U F, and the other on the partnership firm

(1) *Assessment on H U F for the Assessment Year 1965-66*

	Rs
Income from Property	14,000
Profits of Business	10,000
Total Income Rs	24,000

Amount of tax payable by the family shall be assessed on Rs 24,000 and then the amount of tax will be apportioned equally among the coparceners who are jointly and severally liable for its payment

(2) *Assessment on the firm for the Assessment Year 1965-66*

Profits of Business	Rs 12,000
Total Income	Rs 12,000

The firm will be assessed as *Registered or Unregistered* [illegible] the case may be Income from [illegible] divided property [illegible] included in the total income of A, B, C and D, separately [illegible] their individual assessments

वे आयें जो परिवार की आयें नही मानी जाती हैं

(१) परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से प्राप्त की गयी आय। ऐसी आय पर उस सदस्य पर व्यक्ति के रूप म कर निर्धारण होगा।

(२) पिता के निजी प्रयत्नो से प्राप्त सम्पत्ति (Self aquired property) की आय। ऐसी आय पर पिता पर व्यक्ति के रूप म कर निर्धारण होगा। पिता यदि इस सम्पत्ति को अपने पुत्र को व्यक्तिगत रूप म उपहार (gift) स्वरूप दे दे तो यह पुत्र की व्यक्तिगत आय होगी न कि परिवार की। यदि पुत्र इस सम्पत्ति का पतृक सम्पत्ति क रूप म पाता है तो इसकी आय परिवार की आय मानी जायगी।

(३) दायभाग सम्प्रदाय म पुत्र को पिता के जीवन काल म परिवार की सम्पत्ति मे कोई हक नही होता है। अत यदि पिता क अतिरिक्त परिवार म कोई सहभागी न हो तो परिवार की सम्पत्ति की आय।

(४) पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को एकल स्वामी (sole owner) के रूप म प्राप्त सम्पत्तिया स आय।

(५) मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार यदि परिवार म केवल एक पुरुष सदस्य जीवित हो तथा उसके कोइ पुत्र न हो तो परिवार की सम्पत्ति की आय। ऐसी दशा मे परिवार की सम्पत्ति की आय पर उस पुरुष सदस्य पर व्यक्ति के रूप मे कर निर्धारण होगा।

(६) यदि कोई सदस्य अपना व्यक्तिगत व्यापार करता है तो उस व्यापार की आय चाहे भले ही उसने परिवार के कोष मे ऋण लेकर पूंजी लगायी हो।

(७) परिवार क सदस्यो द्वारा व्यक्तिगत रूप से साझेदारी म व्यापार करने स होने वाली आय। यह फर्म की आय मानी जायेगी।

(८) अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate) की आय। इस आय पर अविभाजनीय सम्पत्ति के धारक (holder) पर व्यक्ति क रूप मे कर निर्धारण होगा।

(९) मिताक्षरा सम्प्रदाय म हिन्दू पिता को चल सम्पत्ति को उचित सीमा के अन्दर पत्नी, पुत्री आदि को उपहार (gift) क रूप म देने का पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध मे अन्य वयस्क सहभागियो की सहमति होना आवश्यक नहीं है। उपहार म दी हुई ऐसी चल सम्पत्ति की आय पर सयुक्त परिवार पर कर नहीं लगेगा चाहे भले ही उपहार देने का उद्देश्य परिवार पर कर-दायित्व कम करना ही हो।

Illustration 2

From the following particulars of an Undivided Hindu Family compute the total income for assessment year 1965 66

	Rs
Rent from house property built in 1952	30 000
Municipal Taxes paid	1,200
Income from business	40 000
Loss from speculation business	10,000
Loss from hedging contracts	5,000

Solution

Statement of Total Income

1 Income from House Property	R	
Rental Value	30 000	
Less ½ Municipal Taxes	600	
	29 400	
Less ⅙ Repairs	4 900	24 500
	Rs	
2 Income from Business	40,000	
Less Loss from hedging contracts	5,000	35 000
Total Income	Rs	59,500

Note Speculation loss cannot be set off against business income It will be carried forward to be set off in subsequent years against profits of speculation business only

Illustration 3

From the following particulars of a Hindu Undivided Family compute the total income for the assessment year 1965 66

(i) Profit from business Rs 60 000, after charging Rs 10,000 salary paid to the manager of the family, Rs 4 000 salary paid to the manager s son for doing active work in the business, and Rs 5 000 as an irrecoverable loan given without interest to the manager s brother in law whose business failed

(ii) The Manager of the family received Rs 1,000 as Director's fees from a company in which he became director as a result of buying its shares out of the family fund

(iii) Dividends (gross) from the aforesaid company Rs 500

(iv) One member of the family is a government servant He received Rs 4 800 as salary from the government

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Business		
	Profit	60,000	
	Add Items not allowed		
	(i) Manager's Salary	10,000	
	(ii) Irrecoverable Loan	5,000	75,000
2	Income from other sources		
	Dividends		500
		Total Income Rs	75,500

Notes 1 Manager's salary is not allowed

2 Manager's son's salary is allowed

3 Irrecoverable loan is not allowed as the loan has not been given in the ordinary course of money lending business

4 Director's fees received by a member of the family is not family income as it is earned by his personal exertion

QUESTION

1 Discuss the basis of assessment of a *Hindu Undivided Family*

एक अविभाजित हिन्दू परिवार के कर निर्धारण के आधार का वर्णन कीजिए।

१६

फर्म तथा व्यक्तियो के अन्य समुदाय का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF FIRMS AND OTHER ASSOCIATION OF PERSONS]

फर्म

(Firms)

आय-कर अधिनियम की धारा २ (२३) के अन्तर्गत, फर्म, साझेदार तथा साझेदारी शब्दो का वही अर्थ है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, १९३२ में दिया गया है परन्तु साझेदार शब्द मे एक अवयस्क, जो साझेदारी के हितो के लिए साझेदारी मे प्रविष्ट कर लिया गया है भी सम्मिलित है।

फर्म दो प्रकार की होती हैं—एक रजिस्टर्ड तथा दूसरी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड फर्म वह होती है जो आय कर अधिनियम की धारा १८४ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो तथा जो फर्म इस प्रकार रजिस्टर्ड नही होती है, अनरजिस्टर्ड फर्म कहलाती है।

फर्म को रजिस्टर कराने की शर्तें तथा विधि—एक फर्म को रजिस्टर कराने की निम्न शर्तें तथा विधि है

(१) धारा १८४ के अन्तर्गत फर्म की रजिस्ट्री कराने के लिए आय कर अधिकारी को प्रार्थना पत्र तभी दिया जा सकता है जबकि

(i) साझेदारी एक प्रलेख के अनुसार बनी हो, तथा

(ii) उस प्रलेख में साझेदारो के व्यक्तिगत भागो का उल्लेख स्पष्टतया किया गया हो।

(२) रजिस्ट्री कराने के लिए प्रार्थना पत्र फर्म के जीवन-काल में अथवा इसके विघटन के बाद दिया जा सकता है।

(३) यह प्रार्थना पत्र उस आय कर अधिकारी के यहाँ दिया जायेगा जो इस फर्म का कर निर्धारण करेगा और इस प्रार्थना पत्र पर निम्न व्यक्तियो का हस्ताक्षर करना होगा

(i) सब साझेदारों द्वारा (अवयस्क को छोडकर), अथवा

(ii) यदि फर्म का विघटन (dissolution) हो चुका है तो, अवयस्क को छोडकर, फर्म के विघटन के समय जो उस फर्म के साझेदार थे, तथा मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा।

यदि कोई साझेदार भारत के बाहर गया हुआ हो, अथवा पागल (lunatic) अथवा कम बुद्धि वाला (idiot) हो तो उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या वैधानिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उसकी ओर से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(४) जिस कर निर्धारण वर्ष के लिए रजिस्ट्री करायी जा रही हो उससे सम्बंधित गत वर्ष के समाप्त होने से पूर्व यह प्रार्थना पत्र दे देना चाहिए। यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि ऐसा प्रार्थना पत्र गत वर्ष के अन्दर न देने का पर्याप्त कारण है तो वह यह प्रार्थना पत्र गत वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद भी ले सकता है।

(५) प्रार्थना पत्र के साथ साझेदारी का मूल प्रलेख तथा उसकी एक प्रतिलिपि नत्थी करनी होती है। यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि मूल प्रलेख दाखिल न करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि ही ले सकता है जिस पर सब साझेदार उसकी ठीक प्रतिलिपि होने के हस्ताक्षर करेंगे।

(६) प्रार्थना पत्र निर्धारित फार्म पर दिया जायेगा तथा उसमें निर्धारित विवरण भरना होगा।

प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की विधि—(१) धारा १८५ के अन्तर्गत, फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के बाद आय कर अधिकारी फर्म तथा साझेदारी के प्रलेख में दिये हुए विधान की वास्तविकता के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करेगा और (i) यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि गत वर्ष में यह फर्म साझेदारी के प्रलेख में दिये हुए विधान के अनुसार वास्तव में चल रही थी तो उस कर निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को रजिस्टर करने का वह लिखित आदेश दे देगा, और (ii) यदि वह सन्तुष्ट नहीं है, तो फर्म को रजिस्टर करने की अस्वीकृति का लिखित आदेश दे देगा।

(२) यदि रजिस्ट्री कराने के लिए दिये हुए प्रार्थना पत्र में कोई गलती है तो आय-कर अधिकारी फर्म को सूचना देगा कि एक माह के अन्दर उस गलती को ठीक कर दिया जाये न कि एकदम प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करेगा।

(३) यदि गलती एक माह में ठीक न की जाय तो आय-कर अधिकारी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(४) जब किसी कर-निधारण वष के लिए एक फम रजिस्टर हो जाती है तो आय-कर अधिकारी साझेदारी के प्रलेख पर या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पर एक प्रमाण पत्र लिख देगा कि फम उस कर निधारण वष के लिए इस अधिनियम के अन्तगत रजिस्टर हो गयी है।

(५) यदि किसी कर निधारण वष के सम्बन्ध मे फम द्वारा धारा १४४ के अन्तगत कोई भूल हो जाने के कारण सर्वोत्तम निणय के आधार पर कर निर्धारण हो तो आय कर अधिकारी उस कर-निधारण वष के लिए फम का रजिस्टर करने से मना कर सकता है।

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण—नये अधिनियम के अनुसार फम का एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके नवीनीकरण (*renewal*) के लिए प्राथना-पत्र नही देना होगा। धारा १८४ (७) के अन्तगत, जब एक बार कोई फम रजिस्टर कर दी जाये तो वह आगे के वर्षों के लिए भी रजिस्टड मानी जायेगी बशर्ते कि

(i) जिस प्रलेख के आधार पर फम का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमे दिये हुए विधान मे अथवा साझेदारो के भाग मे कोई परिवतन न हुआ हो, तथा

(ii) फम ने अपनी उस कर निर्धारण वष की आय के नक्शे के साथ इस सम्बन्ध मे एक घोषणा निर्धारित फाम मे तथा निर्धारित ढग से प्रमाणित करके दी हो।

यदि गत वष मे फम के विधान मे अथवा साझेदारो के भाग मे कोई परिवतन हो जाय तो फम उस कर निधारण वष के लिए नये रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथना पत्र देगी।

रजिस्ट्रेशन को रद्द करना—(१) धारा १८६ के अन्तगत यदि किसी फम को रजिस्टर करने के बाद अथवा धारा १८४ (७) के अन्तगत उसका रजिस्ट्रेशन चालू स्वीकार करने के बाद, आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि गत वष मे ऐसी रजिस्टर हुई कोई फम वास्तव मे नहीं थी तो, फम को अपना उत्तर देने के लिए उचित अवसर देने के बाद तथा इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर की पूव स्वीकृति लेकर वह फम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

जिस कर निधारण वष के लिए फम का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके ८ वष बाद फम का रजिस्ट्रेशन रद्द नही किया जा सकता है।

(२) यदि फम का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फम धारा १४४ के अन्तगत कोई भूल कर देती है जिसके कारण उस पर सर्वोत्तम निणय के आधार पर

कर निर्धारण हो जाता है तो आय कर अधिकारी फर्म को १४ दिन का नोटिस देकर फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रभाव—यदि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो आय-कर अधिकारी उस फर्म तथा उसके साझेदारों पर किये हुए कर निर्धारण मे संशोधन इस प्रकार कर सकता है जैसे कि वह अनरजिस्टर्ड फर्म हो।

फर्म रजिस्टर कराने से लाभ—एक फर्म को रजिस्टर कराने से यह लाभ होता है कि फर्म की आय पर देय कुल कर की रकम, चाहे फर्म द्वारा दी गयी हो चाहे साझेदारों द्वारा, अनरजिस्टर्ड फर्म की अपेक्षा कम होती है।

फर्म की आय मे एक साझेदार के भाग की गणना करने की विधि—धारा ६७ के अनुसार फर्म की आय मे उसके साझेदार के भाग की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(१) फर्म की कुल आय मे से गत वर्ष मे साझेदारों को दिया गया वेतन ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक घटाया जायेगा और शेष रकम साझेदारों मे उनके निश्चित अनुपात मे बाट दी जायेगी।

(२) उपर्युक्त बाटी हुई रकम यदि लाभ हो तो साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक उसमे जोडकर जो रकम आयेगी वही साझेदार का फर्म की आय मे भाग होगा।

(३) उपर्युक्त (१) मे बाटी हुई रकम यदि हानि हो तो साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक की रकम की उस हानि से समायोजन करके जो शेष आयेगा वही साझेदार का फर्म की आय अथवा हानि मे भाग होगा।

(४) साझेदार ने फर्म मे विनियोग करने के लिए यदि कोई ऋण लिया हो तो उस ऋण का ब्याज उसके फर्म मे लाभ के भाग मे से घटा दिया जायेगा।

फर्म की कुल आय की गणना करने की विधि—फर्म की कुल आय निकालते समय साझेदारों को दिया गया वेतन, ब्याज, बोनस कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक व्यय के रूप मे स्वीकृत नही है। इसके अतिरिक्त फर्म की कुल आय निकालने के लिए दिये हुए लाभ हानि खाते के लाभ अथवा हानि मे उसी प्रकार समायोजन कर लेना चाहिए जिस प्रकार व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक मे आय की गणना करते समय किया जाता है। तत्पश्चात व्यापार के शीर्षक के अतिरिक्त अन्य शीर्षकों मे हुई फर्म की आय व्यापार की आय मे जोडकर फर्म की कुल आय निकल आती है।

Illustration 1

X, Y and Z are equal partners in a firm whose Profit and Loss Appropriation Account is given below

	Rs		Rs
To Salary to X	500	By Net Profit b/d	10 000
,, Interest on Capital		,, Loss	
X	1,000	X	700
Y	900	Y	700
Z	700	Z	700
,, Commission			
X	1,000		
Y	2,000		
Z	3 000		
,, Bonus			
X	1,000		
Y	1,000		
Z	1,000		
Rs	12,100	Rs	12,100

Compute the assessable income of the firm and allocate it amongst partners

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs	Rs
Balance as per Profit and Loss Appropriation A/c		—2,100
Add Items Disallowed		
Salary to X	500	
Interest on Capital to X Y and Z	2 600	
Commission to X Y and Z	6 000	
Bonus to X, Y and Z	3,000	+12,100
Net Income of the firm		Rs 10 000

Allocation amongst Partners

	X Rs	Y Rs	Z Rs
Salary	500	—	—
Interest on Capital	1 000	900	700
Commission	1 000	2 000	3 000
Bonus	1 000	1,000	1 000
Loss as per P & L A/c	—700	—700	—700
Share of each partner in the firm's income Rs	2 800	3 200	4 000

Illustration 2

X, Y and Z are equal partners in a firm, in which X gets a salary of Rs 1 000, Y Rs 1 200 and Z gets a commission of Rs 800 Interest on their capitals amounted to X Rs 1,000 Y Rs 900 and Z Rs 700 The firm suffered a loss of Rs 6 000 before providing for partners salaries, commission and interest on capital for the year ended 31st March, 1965 How will you allocate it amongst the partners for the assessment year 1965 66 ?

Solution

For the purpose of allocation amongst the partners the firm's loss of Rs 6,000 shall be increased by the amounts paid to partners in different forms as the same have not yet been charged Thus

		Rs
Firm's Loss before charging the following		6,000
	Rs	
Add Salary paid to X	1 000	
Salary paid to Y	1 200	2 200
Commission paid to Z		800
Interest on Capital paid to X	1 000	
" " " Y	900	
" " " Z	700	2,600
Firm's loss after charging the above	Rs	11,600

Allocation amongst Partners

	X	Y	Z
	Rs	Rs	Rs
Salary	1 000	1 200	—
Commission	—	—	800
Interest on Capital	1 000	900	700
Equal Share of Firm's loss	−3 866	−3 867	−3 867
Net Share of Firm's Loss Rs	−1 866	−1 767	−2 367

Illustration 3

X Y and Z are equal partners in a firm From the following Profit and Loss Account of the firm for the year ending 31st March 1965 find out the taxable income of the firm for the assessment year 1965 66 and allocate it amongst partners for income tax purposes

	Rs	Rs		Rs
To Establishment A/c		11,500	By Gross Profit b/d	60,000
„ General Expenses		12 000	„ Rent from property built in 1952	6,000
„ Interest on Capital			„ Commission	1,000
X		1,000	„ Interest on Securities (gross)	5 000
Y		900	Dividends (gross)	4,000
Z		700		
„ Municipal Taxes		1,200		
„ Salary to X		1 000		
„ Commission to Z		500		
„ Bad Debts Reserve		900		
„ Depreciation (Allowable)		100		
„ Net Profit	Rs			
X	15 400			
Y	15,400			
Z	15,400	46,200		
	Rs	76 000	Rs	76,000

Solution

	Rs	Rs
Profit as per Profit and Loss Account		46 200
Add Items not allowed		
Interest on Capital	2 600	
Municipal Taxes in connection with the property	1 200	
Salary to X	1 000	
Commission to Z	500	
Bad Debts Reserve	900	6 200
		52 400
Less Income taxable under other heads		
Rent from Property	6 000	
Interest on Security	5 000	
Dividends	4 000	15 000
Taxable Income from Business	Rs	37 100

Statement of Total Income of the Firm

			Rs
1	Interest on Securities		5 000
2	Income from House Property	Rs	
	Rent received	6 000	
	Less ⅒ Municipal Taxes	600	
		5 400	
	Less ⅙ Repair Allowance	900	4 500
3	Income from Business		37,400
4	Income from other Sources *Dividends*		4 000
	Firm's Total Income	Rs	50,900

Allocation amongst Partners

	X	Y	Z
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	1 000	900	700
Salary	1 000	—	—
Commission	—	—	500
Share of Firm's Income	15 600	15 600	15 600
Total Rs	17 600	16 500	16 800

रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

(१) धारा १८२ के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय की गणना करने के बाद

(i) फर्म द्वारा देय आय कर की गणना की जाती है, तथा

(ii) फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार का भाग उसकी स्वयं की कुल आय में जोड़कर उस पर कर लगाया जाता है।

(२) यदि साझेदार का फर्म में भाग हानि है तो उसे उसकी अन्य आय में पूरा किया जायगा और फर्म की हानि का भाग पूर्णतया अन्य आय में पूरा न हो सके तो शेष हानि की रकम की पूर्ति के लिए आगे ले जाया जायगा।

(३) यदि रजिस्टर्ड फर्म या कोई साझेदार विदेशी है तो फर्म की आय में उसके भाग पर फर्म को कर देना होगा। यह कर उन दरों से लगाया

जायेगा जो उस साझेदार पर, यदि व्यक्तिगत रूप में कर निर्धारण होता, ना लागू होती।

(६) एक रजिस्टर्ड फर्म प्रत्येक साझेदार के फर्म की आय के भाग में से अधिक से अधिक ३० प्रतिशत भाग अपने पास रोक सकती है। यह रकम तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि साझेदार फर्म की आय के अपने भाग पर कर न चुका दे। यदि उस साझेदार से उक्त कर वसूल न हो सके तो उपर्युक्त रोकी जाने वाली रकम की सीमा तक कर का भुगतान फर्म को करना होगा, चाहे फर्म ने यह रकम वास्तव में रोकी हो या नहीं।

उपर्युक्त १ (i) में वर्णित कर फर्म पर तभी लगता है जबकि उसकी कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो। ऐसी दशा में १९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए आय कर की निम्न दरें फर्म पर लागू होती हैं

	दर
(i) यदि कुल आय २५ ००० रु० से अधिक नहीं है	शून्य
(ii) यदि कुल आय २५,००० रु० से अधिक है परन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है	२५,००० रु० से अधिक आय पर ६%
(iii) यदि कुल आय ५०,००० रु० से अधिक है परन्तु १,००,००० रु० से अधिक नहीं है	१ ५०० रु० तथा ५०,००० रु० से अधिक आय पर ८%
(iv) यदि कुल आय १,०० ००० रु० से अधिक है	५,५०० रु० तथा १ ०० ००० रु० से अधिक आय पर १२%

दरों की उपर्युक्त अनुसूची निम्न प्रकार भी बनायी जा सकती है

(i) कुल आय के प्रथम २५ ००० रु० पर	कुछ नहीं
(ii) „ „ „ अगले २५,००० रु० पर	६%
(iii) „ „ „ ५० ००० रु० पर	८%
(iv) „ „ „ शेष भाग पर	१२%

आय-कर पर सरचार्ज (Surcharge on Income tax)

उपर्युक्त अनुसूची में दी हुई दरों के अनुसार निकाली गयी आय-कर की रकम के अतिरिक्त रजिस्टर्ड फर्म को आय कर पर २० प्रतिशत की दर से सरचार्ज भी देना होगा।

यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय में पेशे से कमायी हुई आय शामिल है तथा यह आय फर्म की कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है तो आय-कर पर सरचार्ज २० प्रतिशत की बजाय १० प्रतिशत से दिया जायेगा।

साझेदारो को स्वीकृत छूट—यदि रजिस्टर्ड फर्म ने उपर्युक्त दरों से कर दिया हो तो फर्म के साझेदारों को अपने निजी कर-निर्धारण में फर्म द्वारा चुकाये गये आय कर के अपने अपने भाग पर अपनी निजी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से आय कर की छूट दी जायेगी।

निश्चित अनुपातों में लाभो का न बाँटना—यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों ने कर बचाने के उद्देश्य से लाभो का विभाजन निश्चित अनुपात में न करके किसी को उससे अधिक और किसी को उससे कम लाभ का भाग दिया है, तो आय-कर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर उस साझेदार पर अर्थ दण्ड लगा सकता है जिसने इस प्रकार कम भाग अपनी आय में शामिल किया हो। यह अर्थ दण्ड उस रकम के डेढ़ गुने से अधिक न होगा जो कर के रूप में देने से बच जाती, यदि फर्म की आय का वही कम भाग साझेदार की आय में शामिल किया जाता।

अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

(१) धारा १८३ के अन्तर्गत, एक अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण किया जाता है और वह कर फर्म द्वारा ही देय होता है।

(१) यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड मान लेने से फर्म तथा साझेदारों से कुल मिलाकर अधिक कर प्राप्त होता तो वह ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह से कर निर्धारण कर सकता है। ऐसी दशा में इस फर्म पर वे सब नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म पर लागू हैं।

(३) अनरजिस्टर्ड फर्म पर एक व्यक्ति की तरह से कर निर्धारण होता है।

(४) अनरजिस्टर्ड फर्म की आय को साझेदारों में धारा ६७ के अनुसार बाँट दिया जाता है और फर्म से मिली हुई आय साझेदार की कुल आय में जोड़ी जाती है।

(५) यदि फर्म द्वारा आय कर देय हो तो साझेदारों को अपने भाग पर अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में औसत दर से छूट दी जाती है।

(६) यदि फर्म की आय पर आय कर इसलिए न लगा हो क्योंकि उसकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है तो साझेदारों को फर्म की आय के अपने भाग पर उपर्युक्त (५) में वर्णित छूट नहीं दी जाती है और उन्हें उस पर कर देना होता है।

(७) अनरजिस्टर्ड फर्म में यदि हानि हो तो उसके साझेदार अपनी अन्य आय से फर्म की हानि के अपने भाग को पूरा नहीं कर सकते हैं। फर्म अपनी व्यापारिक अथवा पूंजी हानि को अपने ही भावी लाभो से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकती है।

रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्म मे अ तर

आधार	रजिस्टड फम	अनरजिस्टड फम
(१) न्यूनतम कर योग्य सीमा	इसकी २५,००० रु० तक की आय पर आय-कर नही लगता है।	इसकी ३,००० रु० तक की आय पर आय-कर नही लगता है।
(२) आय कर की दरें	२५ ००० रु० से अधिक की आय पर आय-कर की विशेष दरों से कर लगता है।	कुल आय पर लागू आय-कर की दर से कर लगता है।
(३) फम की आय मे साझेदारो का भाग	रजिस्टड फम की आय मे साझेदारो का भाग उनके निजी कर निर्धारण मे उनकी कुल आय मे शामिल किया जाता है तथा उस पर साझेदार अपनी अ य आय मे साथ कर भी देते हैं चाहे फम पर कर लगा हो अथवा नही।	अनरजिस्टड फम की आय मे साझेदारो का भाग उनके निजी कर निर्धारण मे उनकी कुल आय मे शामिल किया जाता है परन्तु साझेदार फम की आय के अपने भाग पर कर तभी देते हैं जबकि फम पर कर न लगा हो, वरना यदि फम द्वारा कर देय है तो साझेदारो के निजी कर-निर्धारण मे फम की आय के भाग पर कर नहीं लगता है, यद्यपि वह दर बढाने के लिए कुल आय मे अवश्य शामिल होता है।
४) आय-कर की छूट	यदि फम पर आय कर लग चुका है तो प्रत्येक साझेदार को अपने निजी कर निर्धारण मे फम द्वारा दिये हुए आय कर के अपने भाग पर अपनी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से आय-कर की छूट दी जाती है।	यदि फम द्वारा आय कर दय है तो प्रत्येक साझेदार को अपने निजी कर-निर्धारण मे फम की आय के अपने भाग पर अपनी कुल आय पर लागू आय-कर की औसत दर से आय कर की छूट दी जाती है।

(५) फर्म की हानि की पूर्ति	फर्म की हानि के अपने भाग को साझेदार अपनी अन्य आय से पूरा कर सकते हैं।	फर्म की हानि को केवल फर्म की आय से ही पूरा किया जा सकता है साझेदार फर्म की हानि के अपने भाग को अपनी अन्य आय से पूरा नहीं कर सकते हैं।
(६) फर्म की हानि को पूर्ति के लिए आगे ले जाना	फर्म की हानि का साझेदार का अपना भाग यदि उस कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें हानि हुई थी, साझेदार की अन्य आय से पूरा न हो सके तो साझेदार उस शेष हानि को आगे ले जा सकता है और भविष्य में ८ वर्ष तक अपनी 'व्यापार शीर्षक' की आय से इसे पूरा कर सकता है।	फर्म की हानि जो उस कर निर्धारण वर्ष में जिसमें हानि हुई थी, फर्म की अन्य आय से पूरी न हो सके उस शेष हानि को फर्म भविष्य में ८ वर्ष तक अपनी 'व्यापार शीर्षक' की आय से पूर्ति करने के लिए आगे ले जा सकती है परन्तु साझेदार इस हानि को आगे नहीं ले जा सकते हैं।
(७) स्थिति (Status) परिवर्तन	रजिस्टर्ड फर्म कभी अनरजिस्टर्ड नहीं मानी जा सकती है।	अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा १८३ (ब) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड माना जा सकता है।

Illustration 4

The Profit and Loss Account for 1964 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4 3 and 1) showed a net loss of Rs 16 000 after charging the following items

Interest on capital A Rs 3,000, B Rs 2,000 C s Salary Rs 3 000

A s taxable income from other sources is Rs 5 000 wh le B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered

Solution

			Rs
Loss as per Profit and Loss Account			16,000
Less Items not allowed	Rs		
Interest on Capital	5 000		
Salary to C	3 000		8,000
	Firm's Loss	Rs	8 000

Allocation amongst Partners

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	3,000	2 000	—
Salary	—	—	3 000
Share of Firm s loss	—8 000	—6 000	—2 000
	—5 000	—4,000	1 000

(a) When the firm is registered

A can set off his share of the firm's loss of Rs 5 000 against his other income of Rs 5 000 thus leaving his total income to be nil

As B has no other income, he will carry forward his share of the firm s lo s (i e R 4 000) to be set off against his future share of profits from the firm or against any other business profits It can be carried forward upto 8 years at the most

C is not liable to tax as his total income is Rs 1 000 only

(b) When the firm is unregistered

The unregistered firm itself can carry forward for 8 years its loss of Rs 8 000 to be set off against its own future profits

A cannot set off his share of the firm's loss against his other income He will be liable to pay tax on his other income of Rs 5,000

B cannot carry forward his share of the firm s loss and C is not liable to pay tax

Illustration 5

A firm having two equal partners A and B, suffered a loss of Rs 30,000 during its accounting year ended 31st March, 1965 as under

	Rs
Business Profits after paying Rs 10,000 as interest on A s Capital	50 000
Loss from a leasehold property	—80 000
Net Loss Rs	—30,000

Partner A had that year an income of Rs 25,000 from house property and partner B, who had no income that year claimed a loss of Rs 10,000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business which had been closed on 31st March, 1964

Compute the total income of each partner, assuming the firm to be (a) registered, and (b) not registered, nor assessable under Sec 183 (b)

Solution

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		50 000
Add Interest on Capital		10 000
		60 000
Less Loss from leasehold property		—80,000
Firm's Net Loss	Rs	—20,000

Allocation amongst Partners

	A Rs	B Rs
Interest on Capital	10 000	—
Balance of business income	25,000	25,000
	35 000	25,000
Less Loss from leasehold property	—40 000	—40,000
Partner's share of Firm's Loss	—5 000	—15 000

(a) When the firm is registered

A can set off his share of the firm's loss (Rs 5,000) against his property income of Rs 25,000 and his total income will be only Rs 20,000

B can carry forward for 8 years his share of the firm's loss (Rs 15 000) for future set off against his share of the profits from the same firm or against any other business profits He cannot carry forward the loss of Rs 10 000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business as the same has been closed

(b) When the firm is unregistered

The unregistered firm itself can carry forward for eight years its loss of Rs 20 000 to be set-off against its own future profits

A cannot set off his share of the firm's loss against his other income He will be liable to pay tax on his other income of Rs 25 000 B's total income will be nil and he cannot carry forward his share of the firm's loss

Illustration 6

A registered firm consisting of three partners A, B and C, sharing profits and losses in the proportion of 1 3 6 has a total income of Rs 1,50,000 during the previous year 1964 65, computed as under

	Rs	Rs
Property income		30,000
Income from other sources		20,000
Business income		50 000
Salary paid to A	10 000	
Interest paid to B	10,000	
Interest paid to C	30,000	50,000
	Total Income Rs	1,50,000

A and B have no other income, while C has his own business income of Rs 40 000 Calculate (a) the tax payable by the firm, and (b) the amount on which rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment

Solution

(a) Computation of tax payable by the firm

	Rs
On Rs 1,00 000	5 500
" Rs 50 000 @ 12%	6 000
	11 500
Add Surcharge @ 20% on Rs 11 500	2,300
Total tax payable by the firm Rs	13 800

(b) Calculation of amounts on which rebate of tax is to be given to each partner in his individual assessment

	Rs
A $\frac{1}{10}$ of 13 800 =	1 380
B $\frac{3}{10}$ of 13,800 =	4 140
C $\frac{6}{10}$ of 13 800 =	8,280
	13,800

The partners shall get rebate of income tax on the above amounts in their respective assessments at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes

Illustration 7

The Profit and Loss Account of a registered firm of Chartered Accountants consisting of two equal partners (A and B) showed a professional income of Rs 50,000 after charging the following items for the year 1964

	Rs
Salary paid to A	5 000
Bouns paid to A	6,000
,, ,, B	4 000

Calculate (a) the tax payable by the firm, (b) the share of each partner which is to be included in his total income, and (c) the amounts on which the rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment

Solution

Firm's Total Income

			Rs
Profit as per Profit and Loss Account			50 000
Add **Items not allowed**			
	Rs		
Salary paid to A	5 000		
Bouns paid to A	6,000		
,, ,, B	4 000		15 000
Total Income of the firm		Rs	65,000

(a) Computation of Income tax payable by the Firm

		Rs
On Rs 50,000 of total income		1,500
On the next Rs 15,000 of total income @ 8%		1 200
		2 700
Add **Surcharge @ 10% on Rs 2,700**		270
Total tax payable by the firm	Rs	2 970

(b) Share of each partner to be included in his total income

		A	B
		Rs	Rs
Salary		5 000	—
Bonus		6 000	4 000
Balance of Profits		25,000	25 000
	Rs	36,000	29 000

(c) The partners are entitled to get a rebate of income tax on the following amounts of income tax paid by the firm at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes

	Rs
A (1/2 of Rs 2 970)	1 485
B (1/2 of Rs 2 970)	1,485
Rs	2,970

Illustration 8

Following are the particulars of income of a registered firm consisting of two equal partners (A and B) for the assessment year 1965 66

	Rs
1 Interest on Securities (gross)	10,000
2 Profits of Business	8,000
3 Income from Profession	20,000

Calculate (a) the tax payable by the firm, (b) the share of each partner which is to be included in his total income, and (c) the amounts on which the rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment

Solution

Computation of Firm s Total Income

	Rs
1 Interest on Securities	10 000
2 Profits of Business	8,000
3 Income from Profession	20,000
Total Income	38 000

(a) *Computation of tax payable by the firm*

	Rs
On Rs 25,000	Nil
On the next Rs 13 000 @ 6%	780
	780
Add Surcharge @ 10% of Rs 780	78
Total tax payable by the firm	Rs 858

(b) **Share of each partner to be included in his Total Income**

	A	B
	Rs	Rs
1 Interest on Securities	5 000	5 000
2 Profits of Business or Profession	14,000	14 000
	19 000	19,000

(c) The partners are entitled to get rebate of income tax on the following amounts of income tax paid by the firm at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes

	Rs
A (½ of Rs 858)	429
B (½ of Rs 858)	429
	858

Notes 1 Tax deducted at source in respect of interest on securities would be 20% of Rs 10 000, i e, Rs 2,000 Each partner shall get a credit for Rs 1,000 on account of his income tax deducted at source

2 As more than 51% of the total income of the firm consists of professional income, the rate of surcharge applicable in this case is 10 per cent instead of 20 per cent

Illustration 9

The total income of an unregistered firm consisting of two equal partners for the year 1964 was Rs 20 000 Partners individual incomes are A—Rs 80,000 and B—Rs 1,00,000 How will the firm be assessed to tax?

Solution

In this case if the firm is taxed as an unregistered firm the tax payable on Rs 20 000 will be lesser than the one payable if the firm were registered as the individual incomes of the partners are very high Hence this firm will be treated as a registered firm under Sec 183 (b) and taxed accordingly

फर्म के संगठन में परिवर्तन (Change in the Constitution of a Firm)

धारा १८७ (२) के अनुसार फर्म के संगठन में परिवर्तन से निम्न आशय है

(1) एक या एक से अधिक साझेदारों का फर्म का सदस्य न रहना अथवा एक या एक से अधिक नये साझेदारों का प्रवेश करना फर्म के संगठन

मे परिवर्तन कहलाता है, बशर्ते कि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी साझेदार रहे।

(ii) जब सब पुराने साझेदार ही रहे, लेकिन उनके अथवा उनमें से कुछ के भागों में परिवर्तन हो जाये तो यह भी फर्म के सगठन मे परिवर्तन कहलाता है।

धारा १८७ (१) के अनुसार जब किसी फर्म के सगठन मे परिवर्तन हो जाय तो कर निर्धारण के समय जो उस फर्म का सगठन है उसी पर कर-निर्धारण किया जाता है परन्तु गत वर्ष की आय उन्हीं साझेदारों की कुल आय में बाँटकर शामिल की जायेगी जो वास्तव में उस आय को प्राप्त करने के अधिकारी थे। यदि साझेदारों पर लगाया गया कर किसी साझेदार से वसूल न हो सके तो यह कर निर्धारण के समय सगठित फर्म से वसूल किया जायेगा।

मृतक साझेदार (Deceased Partner)—धारा १८७ (२) के अन्तर्गत, साझेदार के फर्म मे न रहने मे, साझेदार की मृत्यु हो जाना भी शामिल है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन काल में उसकी आय पर यदि कोई कर चुकने से रह गया हो तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर उस आय पर कर लगता है जिस पर मरने वाले को देना चाहिए था। अत यदि वह मृतक व्यक्ति किसी फर्म का साझेदार था और उसके फर्म की आय के भाग पर अभी कर नही दिया गया है तो उसके उत्तराधिकारी फर्म की आय के भाग पर भी कर देंगे।

यदि फर्म को छोड़ने वाले अथवा मृतक साझेदार का फर्म मे भाग हानि है तो यह साझेदार अपनी अन्य आय से अथवा उसका उत्तराधिकारी मृतक साझेदार की अन्य आय से इस हानि की पूर्ति कर सकता है। फर्म को इस हानि की पूर्ति करने का अधिकार नही है। इस हानि को न फर्म और न फर्म छोड़ने वाला साझेदार आगे ले जा सकता है।

एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाना (Succession of one firm by another firm)—धारा १८८ के अन्तर्गत, जहाँ व्यापार अथवा पेशा करने वाली एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाता है तो पहली फर्म पर स्वामित्व का हस्तान्तरण होने से पहले की आय पर तथा दूसरी फर्म पर ऐसा हस्तान्तरण होने के बाद की आय पर पृथक्-पृथक् कर-निर्धारण किया जाता है। इसके सम्बन्ध में धारा १७० में दिये हुए सब नियम लागू होते हैं।

फर्म का विघटन अथवा व्यापार का बन्द होना (Dissolution of a Firm or Discontinuance of Business)

इस सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(१) धारा १८९ के अन्तर्गत, जब एक फर्म द्वारा किया जाने वाला

व्यापार अथवा पेशा बन्द कर दिया जाता है अथवा फर्म का विघटन हो जाता है तो आय-कर अधिकारी फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण इस प्रकार करेगा जैसे कि मानो व्यापार अथवा पेशा बन्द न हुआ हो अथवा फर्म का विघटन न हुआ हो ।

(२) व्यापार के बन्द होने के समय अथवा फर्म के विघटन होने के समय जो व्यक्ति उस फर्म के साझेदार थे उनका तथा मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी का, संयुक्त रूप से तथा पृथक् रूप से, कर, दण्ड अथवा अन्य कोई देय रकम, को चुकाने का दायित्व होता है ।

(३) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के बाद फर्म का व्यापार बन्द किया जाता है अथवा फर्म का विघटन किया जाता है तो यह कार्यवाही उपर्युक्त (२) में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है ।

Illustration 10

A, B and C are equal partners in a registered firm which closes its accounts on 31st December each year. A retired from the firm on 1st July, 1964 and other partners continued the business without changing their proportion of sharing profits

The net profit of the firm as shown by its Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1964 was Rs 21,000 after charging a commission of Rs 1,000, Rs 3,500 and Rs 4,500 , and a salary of Rs 500, Rs 800 and Rs 1,000 to A, B and C respectively

Allocate the above amongst the partners and compute the partners' total income if their other incomes were A—Rs 10 000, B—Rs 6,000 and C—Rs 4,000

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs
Profit as per Profit and Loss Account	21,000
Add Commission to Partners	9 000
Salary to Partners	2 300
Total Income R	32 300

Allocation amongst Partners on the assumption that profits have been earned evenly throughout the year

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Commission	1 000	3,500	1 500
Salary	500	800	1,000
Balance of Profits			
For 1st half year ($\frac{1}{3}$ of $\frac{1}{2}$ of 21 000) to each partner (A B and C)	3 500	3 500	3 500
For 2nd half year ($\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{2}$ of 21,000) to each partner (B and C)	—	5 250	5 250
Share of each partner Rs	5 000	13 050	14,250

Partners Total Income

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Share of Income in regd firm	5 000	13,050	14,250
Other Income	10 000	6 000	4 000
Total Income Rs	15,000	19,050	18,250

Illustration 11

The Profit and Loss Account of a registered firm for the year ending 31st December, 1964 is given below

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Expenses	2 000	By Gross Profit b/d	50,000
„ General Expenses	3 000		
„ Int on Capital			
A	1,000		
B	900		
C	600		
„ Salary to A	500		
Net Profit	42 000		
Rs	50,000	Rs	50 000

C retired from the firm on 1st May, 1964, when D was admitted into the partnership with $\frac{1}{4}$ share of profits A B and C shared the profits in the ratio of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively Compute the firm s total income for the assessment year 1965 66 and allocate it amongst the partners assuming that the old partners continued to share profits and losses in the same proportion as before the retirement of C and admission of D

Solution

Computation of Firm's Total Income

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		42,000
Add Items not allowed	Rs	
Interest on Capital A	1,000	
" " B	900	
" C	600	
Salary to A	500	3,000
Firm's Total Income	Rs	45 000

Allocation amongst Partners assuming that the profits have been earned evenly throughout the year

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	1 000	900	600	—
Salary to A	500	—	—	—
Balance of Profits				
For 1st 4 months $\frac{1}{3}$ of 42 000 in the ratio of $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ to A B and C	7,000	3 500	3,500	—
For last 8 months $\frac{2}{3}$ of 42 000 in the ratio of $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ to A B and D	14 000	7 000	—	7 000
Share of Firm's Income	22 500	11 400	4 100	7,000

Illustration 12

A, B and C are partners in an unregistered firm sharing profits and losses in the proportion of 3 2 1 The firm sustained a loss of Rs 12,000 in the previous years which is being brought forward by the firm The firm keeps its accounts on the basis of calendar year A died on 1st July, 1964 when his son D was admitted into the partnership with the same share of profits as his father A had in the firm B C and D then continued to carry on the business of the firm

The profits for the year ending 31st December 1964 were Rs 18 000 only On what income would you assess the firm for the assessment year 1965 66 and what would be the share of each partner in the firm ?

Solution

Assuming that the firm earned its profits evenly throughout the year the profits of the firm till the death of A would be Rs 9 000 out of which A's share would be Rs 4 500 which can be utilised to set off a part of his share of loss brought forward from the previous years (viz Rs 12 000) Out of A's share of loss of Rs 6 000 (being $\frac{1}{2}$) Rs 4 500 would be set off by the firm against its profit of Rs 18 000 and the balance of Rs 1,500 cannot be claimed to be set off by the firm As regards the losses of B and C amounting to Rs 6 000 in all they can be set off against the firm's profits of Rs 18,000 Thus the firm's income for the assessment year 1965 66 would be as follows

		Rs
Profits for 1964		18,000
Less Losses brought forward		
A	4,500	
B	4 000	
C	2,000	10,500
Firm's Total Income		Rs 7,500

The share of income of the partners would be as follows

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Profits for 1st half year	4,500	3 000	1,500	—
Profits for 2nd half year	—	3,000	1,500	4,500
Gross Share of Profits	4,500	6,000	3 000	4,500
Less Losses b/fd	4 500	4,000	2 000	—
Net Share of each partner	Nil	2,000	1,000	4,500

व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Other Association of Persons)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी सम्पत्ति की आय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं अथवा आय कमाने के लिए कोई विशेष काम करते हैं तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक अविभाजित हिन्दू परिवार, फर्म, कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता न हो, 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' कहलाता है। जब किसी मकान सम्पत्ति के दो या दो से अधिक संयुक्त स्वामी हों और उनका हिस्सा निश्चित न हो तो वह व्यक्तियों का अन्य समुदाय माना जायेगा।

'व्यक्तियो व अन्य समुदाय' पर एक व्यक्ति की तरह कर लगाया जाता है और इस समुदाय के सदस्यो को समुदाय की आय का जो भाग मिलता है वह एक अनरजिस्टड फर्म की आय के भाग की तरह से सदस्यो की कुल आय म जोडा जायगा।

QUESTIONS

1 Distinguish between a 'registered' and an 'unregistered' firm

रजिस्टड' और 'अनरजिस्टड' फर्म मे अन्तर बताइए।

2 Explain the difference in the assessment of the profits of a registered firm and an unregistered firm

रजिस्टड फर्म और अनरजिस्टड फर्म के लाभो पर कर निर्धारण के सम्बन्ध मे अन्तर समझाइए।

3 Describe the procedure of getting a firm registered under Section 184 of the Income Tax Act

आय कर अधिनियम की धारा १८४ के अन्तगत एक फर्म को रजिस्टर कराने की विधि का वणन कीजिए।

4 Discuss the rules regarding set off and carry forward of losses of registered and unregistered firms

रजिस्टड और अनरजिस्टड फर्मों की हानियो की पूर्ति एव उन्ह आगे ले जाने के सम्बन्ध मे नियमो का वणन कीजिए।

5 As an income tax expert you are approached by your client for a considered opinion as to whether he should *register his* firm or not What is your advice and what arguments would you give in support of your advice ?

इनकम टैक्स विशेषज्ञ होने के नाते आपका मुवक्किल आपकी सम्मति लने आया है कि वह अपनी फर्म को रजिस्टर करावे अथवा नहीं। आपकी क्या सलाह है और आप अपनी सलाह के पक्ष मे क्या दलीलें देंगे ?

6 In what respects is the treatment of registered firms different from that of the unregistered firms under the Indian Income Tax Act ?

भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तगत रजिस्टड तथा अनरजिस्टड फर्म म क्या अन्तर है ?

१७

कर-निर्धारण करने की कार्य-विधि

[PROCEDURE FOR ASSESSMENT]

आय कर अधिनियम, १९२२ के अन्तगत, कर निर्धारण करने की काय विधि म सवप्रथम आय-कर अधिकारी को धारा २२ (१) के अन्तगत एक सावजनिक सूचना, अपने क्षेत्र मे प्रचलित समाचार पत्रों मे, इस आशय की देनी होती थी कि जिन कर-दाताओं की गत वष की आय कर योग्य सीमा से अधिक हो वह अपनी आय का नक्शा आय कर कार्यालय म दाखिल (File) कर द परन्तु आय कर अधिनियम १९६१ के अनुसार इस प्रकार की सूचना देना बन्द कर दी गयी है। अब सब कर दाताओं को, जिनकी गत वष की आय कर योग्य सीमा से अधिक हो, स्वय ही अपनी गत वर्ष की आय का नक्शा दाखिल करना होता है।

आय का नक्शा (Return of Income)

नक्शा दाखिल (File) करने की अवधि—धारा १३९ (१) के अन्तगत, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी गत वष की कुल आय कर न लगने की अधिकतम सीमा से अधिक हो, अपनी गत वष की आय का नक्शा निर्धारित फॉर्म मे तथा निर्धारित ढग से प्रमाणित करके आय कर कार्यालय मे दाखिल करना होता है। यह नक्शा निम्न समय क अन्दर दाखिल करना होता है

(अ) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कुल आय मे व्यापार अथवा पर्श की आय शामिल है गत वष के बाद ६ माह के अन्दर अथवा कर निर्धारण वष मे ३० जून तक (जो भी दोनो मे से बाद म हो) अपनी गत वष की आय का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। यदि किसी कर-दाता के कई गत वष हैं तो ६ माह की अवधि उस गत वर्ष की समाप्ति से गिनी जायेगी जो कर निर्धारण वर्ष प्रारम्भ होने से पूव सबसे बाद मे समाप्त हुआ हो उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के विभिन्न व्यापारो के गत वष ३० जून, १९६१, ३० सितम्बर १९६१ व ३१ जनवरी, १९६२ को समाप्त होते हैं तो सब व्यापारों की आय का नक्शा ३१ जुलाई, १९६२ तक दाखिल कर देना होगा।

(ब) अन्य व्यक्तियों का कर निर्धारण वर्ष की ३० जून से पहले यह नक्शा दाखिल करना होता है।

(२) नक्शा दाखिल (File) करने की अवधि में वृद्धि (Extension)—निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र देने पर आय-कर अधिकारी यदि उचित समझे तो नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(i) उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी गत वर्ष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय शामिल हो तथा जिनका गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष से पूर्व ३१ दिसम्बर तक समाप्त हो जाता हो, तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जिनकी गत वर्ष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय न हो, **कर निर्धारण वर्ष की ३० सितम्बर तक यह अवधि, बिना कोई ब्याज लगाये, बढ़ायी जा सकती है।**

(ii) उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी गत वर्ष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय शामिल हो तथा जिनका गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष से पूर्व ३१ दिसम्बर के बाद समाप्त होता हो, **कर निर्धारण वर्ष की ३१ दिसम्बर तक यह अवधि, बिना कोई ब्याज लगाये बढ़ायी जा सकती है।**

(iii) उपर्युक्त वर्णित तिथियों से आगे यह अवधि किसी भी सीमा तक बढ़ायी जा सकती है, परन्तु उपर्युक्त (i) में वर्णित व्यक्तियों के लिए कर-निर्धारण वर्ष की १ अक्टूबर से तथा उपर्युक्त (ii) में वर्णित व्यक्तियों के लिए कर निर्धारण वर्ष की १ जनवरी से, नक्शा दाखिल करने की तिथि तक ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा। यह ब्याज एक रजिस्टर्ड फर्म की दशा में कर की उस रकम पर लिया जायेगा जो इस फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह से कर-निर्धारण होने पर देनी होती, तथा अन्य कर-दाता की दशा में उसकी कुल आय पर देय कर की रकम में से अग्रिम भुगतान की हुई अथवा उद्गम स्थान पर कटी हुई कर की रकम घटाकर जो शेष रहेगा उस रकम पर यह ब्याज लिया जायगा। वित्त अधिनियम १९६३ के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कर की रकम, बाद में भूल सुधार, अपील अथवा पुनर्विचार के आदेशानुसार कम कर दी जाती है तो उसके अनुसार ब्याज भी कम कर दिया जायगा तथा यदि अधिक ब्याज चुका दिया गया है तो ऐसा आधिक्य वापस कर दिया जायेगा।

वित्त अधिनियम, १९६३ के अनुसार आय-कर अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा देय ब्याज कम अथवा माफ भी कर सकता है।

(३) आय कर अधिकारी द्वारा आय का नक्शा मांगने का नोटिस—धारा १३९ (२) के अन्तगत, आय-कर अधिकारी की सम्मति में यदि कोई व्यक्ति कर योग्य है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व आय-कर अधिकारी उस व्यक्ति को यह नोटिस दे सकता है कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर अपनी गत वर्ष की आय का नक्शा निर्धारित फॉर्म पर तथा निर्धारित ढंग से दाखिल कर दे।

यदि उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित फार्म पर नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि कराने का प्रार्थना पत्र देने के फलस्वरूप आय कर अधिकारी उपर्युक्त वर्णित अवधि में वृद्धि कर दे और यदि प्रारम्भ से नियत तिथि अथवा बढ़ायी हुई तिथि उस कर निर्धारित वर्ष की ३० सितम्बर अथवा ३१ दिसम्बर (जैसी भी स्थिति हो) के बाद पड़ती है तो धारा १३९ (१) के अन्तर्गत लगने वाला ब्याज इस व्यक्ति को भी चुकाना होगा।

(४) हानि का नक्शा—धारा १३९ (३) के अन्तगत, यदि किसी व्यक्ति को, जिसे धारा १३९ (२) में नोटिस नहीं दिया गया है, गत वर्ष में 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ अथवा 'पूंजी लाभ' के शीर्षकों में हानि होती है और उसे वह आगे ले जाना चाहता है तो उसे धारा १३९ (१) के अन्तगत स्वीकृत अवधि के अन्दर निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग में हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। यदि हानि का नक्शा दाखिल नहीं किया जायगा तो यह हानि आगे नहीं ले जायी जा सकती है।

(५) कर निर्धारण से पूर्व आय का नक्शा दाखिल करने की अवधि की अधिकतम सीमा—यदि कोई व्यक्ति धारा १३९ (१) अथवा (२) के अन्तगत स्वीकृत समय के अन्दर अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं करता है तो वह कर निर्धारण से पूर्व, किसी भी समय सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद चार कर निर्धारण वर्षों की समाप्ति से पूर्व, किसी भी गत वर्ष की आय का नक्शा दाखिल कर सकता है परन्तु धारा १३९ (१) के अन्तगत लगने वाला ब्याज इसे भी चुकाना होगा।

(६) आय का संशोधित नक्शा (Revised Return of Income)—यदि किसी व्यक्ति का, धारा १३९ (१) अथवा (२) के अन्तगत आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यह पता चलता है कि उक्त नक्शे में उससे कोई छूट अथवा गलती हो गयी है तो धारा १३९ (५) के अन्तर्गत कर निर्धारण से पूर्व वह अपनी आय का संशोधित नक्शा दाखिल कर सकता है।

स्वय कर निर्धारण (Self Assessment)—वित्त अधिनियम, १९६४ के अनुसार धारा १४० A के अतर्गत यह एक नया आयोजन है। धारा १३९ के अतर्गत दाखिल किये हुए आय के नक्शे के आधार पर देय कर म से पूर्व चुकाये गये कर को घटाकर बची हुई शेष रकम यदि ५०० रुपये से अधिक हो तो कर दाता को कर की यह देय रकम नक्शा दाखिल करने के बाद ३० दिन के अन्दर चुकानी होगी।

अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment)

(१) धारा १४१ (१) के अतर्गत, आय कर अधिकारी आय का नक्शा दाखिल होने के बाद किसी भी समय, कर दाता द्वारा दाखिल किये हुए नक्शे, हिसाब तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।

(२) धारा १४१ (२) के अतर्गत, उपर्युक्त कर निर्धारण करते समय आय कर अधिकारी पिछले वर्षों से आये हुए अशोधित ह्रास तथा हानियों का ध्यान रखेगा।

(३) धारा १४१ (३) के अतर्गत, यदि किसी फर्म के साझेदार ने अपना स्वय का नक्शा दाखिल न किया हो परन्तु फर्म ने अपनी आय का नक्शा दाखिल कर दिया हो तो आय कर अधिकारी ऐसे साझेदार पर उसके फर्म की आय के भाग पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।

(४) धारा १४१ (४) के अतर्गत यदि कोई फर्म निम्न शर्तों का पूरा नही करती है तो आय-कर अधिकारी उस फर्म पर अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह से अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है और यदि वह निम्न शर्तों को पूरा कर देती है तो उस पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह से अस्थायी कर निर्धारण किया जा सकता है

(अ) यदि अतिम समाप्त हुए कर निर्धारण म फर्म पर रजिस्टर्ड फर्म की भाति कर-निर्धारण हुआ है तथा आय कर अधिनियम के अध्याय XVI B मे दी हुई अवधि के अन्दर फर्म ने उस कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें अस्थायी कर निर्धारण होना है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है अथवा धारा १८४ (७) के अतर्गत घोषणा दे दी है

(ब) जिस कर निर्धारण वर्ष के लिए अस्थायी कर निर्धारण होना है उससे पूर्व किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए फर्म पर नियमित कर निर्धारण नही हुआ है तथा फर्म ने अधिनियम के अध्याय XVI B म दी हुई अवधि के अन्दर उस कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमे अस्थायी कर निर्धारण होना है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है अथवा धारा १८४ (७) के अतर्गत घोषणा दे दी है।

(५) धारा १४१ (५) के अन्तर्गत, अस्थायी कर निर्धारण में दिये गये कर की रकम नियमित कर निर्धारण के सम्बन्ध में दी गयी मानी जाती है और यदि अस्थायी कर निर्धारण में दी गयी कर की रकम नियमित कर निर्धारण के अनुसार देय कर की रकम से अधिक होती है तो यह आधिक्य कर दाता को वापस कर दिया जाता है।

(६) धारा १४१ के अन्तर्गत हुए अस्थायी कर निर्धारण के कारण या उसके फलस्वरूप किये गये कार्य नियमित कर निर्धारण के समय उत्पन्न किसी भी मामले या उसके गुणों के आधार पर निपटाने में बाधक नहीं होंगे।

(७) धारा १४१ (७) के अन्तर्गत, अस्थायी कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं होता है।

नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment)

नियमित कर निर्धारण धारा १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत किया जाता है। धारा १४३ के अन्तर्गत कर निर्धारण

(i) आय के नक्शे के आधार पर हो सकता है, अथवा

(ii) आय के सम्बन्ध में दिये गये सबूतों के आधार पर हो सकता है।

(iii) धारा १४४ के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) हो सकता है।

(i) आय के नक्शे के आधार पर कर निर्धारण (Assessment on the basis of Return of Income)—यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में कर दाता द्वारा दाखिल किया हुआ आय का नक्शा सही तथा पूर्ण है तो वह धारा १४३ (१) के अन्तर्गत इसी के आधार पर कर निर्धारण कर देता है।

(ii) आय के सम्बन्ध में दिये गये सबूतों के आधार पर कर निर्धारण (Assessment on the basis of evidence furnished in connection with the Income)—यदि आय कर अधिकारी कर दाता द्वारा दाखिल किये गये आय के नक्शे से सन्तुष्ट नहीं है तो वह धारा १४३ (२) के अन्तर्गत कर दाता को एक निश्चित तिथि पर अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अथवा आय के नक्शे के सम्बन्ध में सबूत प्रस्तुत करने अथवा करवाने के लिए नोटिस दे देता है।

इसके अतिरिक्त धारा १४२ के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित कर दाता से एक निश्चित तिथि पर आय कर अधिकारी, उसके ऐसे हिसाब किताब, प्रपत्र अथवा अन्य कोई सूचना भी माँग सकता है जो वह कर निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक समझता हो।

इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यदि वह कर-दाता की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण, जो लेखों में शामिल नहीं है माँगता है तो इन्सपेक्टिंग

असिस्टेण्ट कमिश्नर की पूव स्वीकृति लेनी होगी। आय कर अधिकारी गत वष से पूव के तीन वर्षों से अधिक का हिसाब किताब नही माग सकता है।

धारा १४३ (२) के अ तगत जारी किये गये नोटिस मे दी हुई तिथि पर अथवा उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र, आय कर अधिकारी, कर दाता द्वारा प्रस्तुत सबूतो को सुनकर तथा स्वय द्वारा एकत्रित सब सम्बधित सामग्री को ध्यान मे रखकर, धारा १४३ (३) के अ तगत, कर दाता की कुल आय अथवा हानि का निधारण लिखित आदेश द्वारा करेगा तथा ऐसे कर निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा चुकायी जाने वाली रकम अथवा उसे वापस होने वाली रकम की गणना करेगा।

(iii) सर्वोत्तम निणय के आधार पर कर निर्धारण (Best Judgment Assessment)—धारा १४४ के अ तगत, जब एक व्यक्ति

(i) धारा १३६ (२) के अ तगत जारी किये गये नोटिस के बावजूद भी अपनी आय का नक्शा दाखिल नही करता है तथा धारा १३६ (४) के अ तगत नक्शा अथवा धारा १३६ (५) के अ तगत सशोधित नक्शा दाखिल नही करता है या

(ii) धारा १४२ (१) के अ तगत जारी किय गये नोटिस की सब बातो को पूरा नही करता है या

(iii) आय का नक्शा दाखिल करने के बाद, धारा १४३(२) के अ तगत जारी किये गये नोटिस की सब बातो को पूरा नही करता है

तो आय कर अधिकारी, स्वय द्वारा एकत्रित की हुइ सब सम्बधित सामग्री को ध्यान मे रखकर, उसकी कुल आय अथवा हानि का अपने **सर्वोत्तम निणय के अनुसार** कर निर्धारण करता है तथा ऐसे कर निधारण के आधार पर कर दाता द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा उसे वापस होने वाली कर की रकम की गणना करता है।

उपर्युक्त परिस्थितिया मे किया गया कर निधारण सर्वोत्तम निणय कर **निर्धारण** (Best Judgment Assessment) कहलाता है।

सर्वोत्तम निणय कर निर्धारण म आय-कर अधिकारी को वास्तव म सर्वोत्तम निणय ही करना चाहिए, अथात उसे कर दाता की कुल आय का अनुमान ईमानदारी से, उसके गत वष से पूव के कर निर्धारणो को, उसी तरह के व्यापार करने वाले अ य कर दाताओ की गत वष की कुल आय को, उसके व्यापार की स्थिति को तथा प्रस्तुत अ य सामग्री को ध्यान म रखकर करना चाहिए। यदि ऐसे कर निर्धारण की अपील हो जाय तो आय-कर अधिकारी को अपील अधिकारी के सम्मुख अपने द्वारा किये हुए इस सर्वोत्तम निणय का आधार स्पष्ट करना होता है। अत उसे बिना किसी आधार के अनुचित रूप से

अत्यधिक आय का अनुमान नही करना चाहिए। ऐसे कर निर्धारण को एक पक्षीय कर निर्धारण (Ex parte Assessment) कहते है।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध उपाय (Remedies Against Best Judgment Assessment)

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध निम्न दो उपाय है

(i) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुन खुलवाना, अर्थात् नये सिर से कर निर्धारण करवाना, तथा

(ii) ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करना।

(i) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुन खुलवाना—कर दाता ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध, धारा १४६ के अन्तर्गत, माँग के नोटिस की प्राप्ति के बाद एक माह के अन्दर आय-कर अधिकारी को, धारा १४४ में किये गये कर निर्धारण को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर दिया जा सकता है

(अ) वह धारा १३९ (२) के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा पर्याप्त कारणो के होने के कारण नही दाखिल कर सका था, अथवा

(आ) धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किया गया नोटिस उसे प्राप्त ही नहीं हुआ था, अथवा

(इ) धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस की पूर्ति करने का उसे उचित अवसर नही था अथवा पर्याप्त कारणो के होने के कारण वह उक्त नोटिसो की पूर्ति नही कर पाया था।

यदि आय कर अधिकारी की सम्मति मे कर दाता का आधार ठीक है तो वह सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को रद्द करके पुन नये सिर से कर निर्धारण कर सकता है।

(ii) अपील करना—यदि आय कर अधिकारी कर दाता द्वारा दिया गया धारा १४६ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नही करता है अर्थात् सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को रद्द नहीं करता है, अथवा यदि कर दाता की सम्मति मे आय-कर अधिकारी ने ऐसे कर निर्धारण मे अनुचित रूप से अत्यधिक कर लगा दिया है तो कर-दाता को अधिकार है कि वह अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहा अपील कर सकता है।

पुन कर-निर्धारण (Re-assessment)

यदि आय-कर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कर दाता द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय का नक्शा न दाखिल करने के कारण अथवा उस वर्ष के अपने कर निर्धारण के सम्बन्ध मे सब

आवश्यक तथ्यों को पूर्णतया तथा सही सही न बताने के कारण, कोई कर-योग्य आय कर निर्धारण होने से छूट गयी है, अथवा यदि आय कर अधिकारी के पास अपनी किसी सूचना के आधार पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कर दाता की कोई आय कर लगने से छूट गयी है तो चाहे कर दाता ने इस सम्बन्ध में स्वयं कोई भूल न की हो तो भी आय-कर अधिकारी ऐसी आय का धारा १४७ के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण कर सकता है। यह कर उसी दर से लगाया जायेगा जो उस कर निर्धारण वर्ष में लागू थी जिसमें यह आय कर लगने से छूट गयी थी।

पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में भी कर योग्य आय कर निर्धारण में बची हुई आय समझी जायगी

(i) जहाँ कर योग्य आय कम निर्धारित हो गयी हो, अथवा

(ii) जहां ऐसी आय पर कम दर से कर लगा हो, अथवा

(iii) जहां ऐसी आय पर अधिक छूट दे दी गयी हो, अथवा

(iv) जहां हानि अथवा ह्रास भत्ते की अधिक गणना हो गयी हो।

पुनः कर निर्धारण करने से पहले आय कर अधिकारी कर दाता को धारा १४८ के अन्तर्गत, धारा १३९ (२) की सब या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नोटिस देगा। ऐसा नोटिस देने के लिए निम्न समय सीमा है

(अ) यदि कर दाता की भूल से कोई आय कर लगने से बच गयी है या किसी आय पर कम कर लगा है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद ८ वर्षों के अन्दर अथवा यदि कर निर्धारण से बची हुई कर योग्य आय ५०,००० रु० से अधिक हो या अधिक होने की सम्भावना हो तो उस वर्ष के बाद १६ वर्षों के अन्दर यह नोटिस दिया जा सकता है।

(आ) यदि बिना कर दाता की भूल के कोई आय कर लगने से रह गया है या किसी आय पर कम कर लगा है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद ४ वर्षों के अन्दर यह नोटिस दिया जा सकता है। [धारा १४९]

कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण समाप्त करने की समय-सीमा (Time Limit for Completion of Assessment and Re-assessments)

(१) धाराएं १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत किया हुआ कर निर्धारण निम्न समय के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए

(i) जिस कर निर्धारण वर्ष में आय पर प्रारम्भ में कर लगना चाहिए या उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर, अथवा

(ii) यदि कर दाता ने जान-बूझकर, आय का नक्शा न दाखिल किया हो अथवा मांगे हुए सबूत न प्रस्तुत किये हों अथवा कोई आय

छिपायी हो तो जिस कर निर्धारण वर्ष में आय पर प्रारम्भ में कर लगना चाहिए था उसके ८ वर्षों के अन्दर, अथवा

(iii) धारा १३९ (४) के अन्तर्गत दाखिल किये हुए नक्शे या धारा १३९ (५) के अन्तर्गत दाखिल किये हुए आय के संशोधित नक्शे को दाखिल करने की तिथि के बाद एक वर्ष के अन्दर,

जो भी उपर्युक्त अवधि सबसे बाद में अन्त होती हो।

(२) धारा १४७ के अन्तर्गत किया हुआ कर निर्धारण अथवा पुन: कर निर्धारण निम्न समय के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए

(i) यदि कर-दाता की भूल के कारण किसी आय पर कर लगने से छूट गया है अथवा कम कर लगा है तो जिस कर निर्धारण वर्ष में धारा १४८ का नोटिस दिया गया था उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर, तथा

(ii) यदि बिना कर दाता की भूल से कोई आय कर लगाने से छूट गयी हो अथवा उस पर कम कर लगा हो तो जिस कर निर्धारण वर्ष में आय पर प्रारम्भ में कर लगना चाहिए था उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर अथवा धारा १४८ के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर, जो भी दोनों में बाद में हो। [धारा १५३]

प्रतिनिधियों पर कर-निर्धारण (Assessment on Representatives)

प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में अधिनियम में धाराएं १५६ से १६६ तक दी गयी हैं। धारा १५६ मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी पर प्रतिनिधि के रूप में कर लगाने के सम्बन्ध में है और शेष धाराएँ अन्य प्रतिनिधियों के लिए है। अन्य प्रतिनिधि विदेशी, अवयस्क, पागल, कम बुद्धि वाले व्यक्तियों, आदि के लिए होते हैं। इस अधिनियम के लिए प्रतिनिधियों को कर दाता माना जाता है।

मृतक का कर-निर्धारण (Assessment of the Deceased)

(१) धारा १५६ के अन्तर्गत, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी प्रतिनिधि वह सब रकम देने का दायी होता है जो उस मृतक व्यक्ति को देनी होती, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती।

(२) मृतक की आय पर कर निर्धारण करने के लिए तथा कानूनी प्रतिनिधि पर कर लगाने के लिए

(अ) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु से पहले की गयी कार्यवाही कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध की गयी मानी जायगी तथा वह उस स्थिति से आगे, कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध, जारी रखी जायेगी जहाँ वह कार्यवाही मृतक की मृत्यु के समय थी,

(आ) कोई ऐसी कार्यवाही, जो मृतक के विरुद्ध की जा सकती थी यदि वह जीवित रहता, कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकती है, तथा

(इ) इस अधिनियम के सब आयोजन इसी प्रकार लागू होंगे।

(३) मृतक का कानूनी प्रतिनिधि, इस अधिनियम के लिए कर-दाता माना जायगा।

(४) कानूनी प्रतिनिधि का दायित्व मृतक द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।

भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का कर-निर्धारण (Assessment of Persons Leaving India)

(१) धारा १७४ के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी की सम्मति में कोई व्यक्ति चालू कर निर्धारण वर्ष में अथवा उसके समाप्त होने के कुछ समय बाद ही भारत से जा रहा है और इस समय उसका भारत वापस आने का इरादा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की, उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के अन्त से उसके भारत से जाने की सम्भावित तिथि तक की कुल आय पर उसी कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायेगा। यह नियम धारा ४ में दिये हुए इस नियम का अपवाद है कि कर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है।

(२) धारा १७४ (१) के अन्तर्गत, कर निर्धारण करने के लिए आय-कर अधिकारी कर दाता को कम से कम ७ दिन का एक नोटिस इस बात का देगा कि वह उपयुक्त अवधि की अपनी कुल आय के अनुमान का नक्शा दाखिल करे।

(३) यदि उपयुक्त वर्णित व्यक्ति पर धाराएँ १३९ (२) अथवा १४८ (१) के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी किये हुए हैं तो उनके सम्बन्ध में भी आय-कर अधिकारी आय का नक्शा इतने समय में माँग सकता है जितना वह उचित समझे, बशर्ते कि यह समय ७ दिन से कम नहीं होना चाहिए।

ऐसे व्यक्तियों का कर-निर्धारण जो कर बचाने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने वाले हैं (Assessment of Persons likely to Transfer Property to avoid Tax)

धारा १७५ के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी को यह पता लगे कि किसी चालू कर निर्धारण वर्ष में कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने वाला है तो ऐसे व्यक्ति की, उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के अन्त से इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि तक की कुल आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगाया जायेगा और इस सम्बन्ध में धारा १७४ के सब नियम लागू होंगे।

व्यापार अथवा पेशे के बन्द होने पर कर-निर्धारण (Assessment on Discontinuance of Business or Profession)

(१) धारा १७६ के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापार अथवा पेशा किसी कर-निर्धारण वर्ष मे बन्द हो जाता है तो उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के अन्त से व्यापार बन्द होने की तिथि तक की आय पर आय-कर अधिकारी की इच्छा पर उसी कर निर्धारण वर्ष मे कर लगाया जाता है।

(२) किसी व्यापार अथवा पेशे को बन्द करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आय कर अधिकारी को व्यापार बन्द होने की सूचना बन्द होने के १५ दिन के अन्दर दे दे। यदि वह ऐसा न करे तो आय-कर अधिकारी उस पर कर की रकम तक जुर्माना कर सकता है।

(३) यदि कोई पेशा किसी वर्ष म पेशा करने वाले व्यक्ति के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण बन्द हो जाता है तो पेशा बन्द होने के बाद प्राप्त की हुई रकम प्राप्तकर्ता की प्राप्त होने वाले वर्ष की आय मानी जायेगी और इस प्रकार से उस पर कर लगेगा जैसे कि यदि यह रकम उस व्यक्ति का पेशा बन्द होने से पहले प्राप्त होने पर उसकी कुल आय मे शामिल हुई होती।

भूल सुधार (Rectification of Mistake)

धारा १५४ के अन्तर्गत, आय-कर अधिकारी, अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को अपने दिये हुए निर्णय में यदि कोई भूल पता चलती है तो वह उक्त निर्णय की तिथि के चार वर्ष के अन्दर उसे सुधार सकता है। यह सुधार सम्बन्धित अधिकारी स्वयं कर सकता है, अथवा कर-दाता द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर कर सकता है अथवा यदि वह अधिकारी अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर है तो आय कर अधिकारी द्वारा कोई भूल बताने पर अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर सुधार कर सकता है। इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई सुधार किया जाये तो सुधार करने वाला अधिकारी इस सम्बन्ध में लिखित आदेश देगा।

यदि भूल सुधार इस प्रकृति का हो कि उससे कर-दाता का दायित्व बढ़ जायेगा (चाहे कर की रकम बढ़ने से अथवा वापसी की रकम कम होने से) तो सुधार करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सुधार करने से पहले कर-दाता को ऐसा सुधार करने के अपने इरादे की सूचना दे तथा कर-दाता को सुनने का उचित अवसर प्रदान करे।

यदि भूल सुधार करने से कर निर्धारण घट जाता है तो आय-कर अधिकारी कर दाता द्वारा दी हुई अधिक रकम को उसे वापस कर देगा, [illegible] यदि भूल सुधारने से कर निर्धारण बढ़ जाता है अथवा वापसी की रकम कम हो जाती है तो आय-कर अधिकारी उस पर माँग का नोटिस [illegible]

माँग का नोटिस (Notice of Demand)

इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी आदेश के फलस्वरूप कोई कर, ब्याज, दण्ड, जुर्माना अथवा अन्य कोई रकम (वार्षिकी जमा सहित) देय है तो आय-कर अधिकारी निर्धारित फॉर्म पर कर-दाता को माँग का नोटिस देगा तथा उसमें देय रकम का उल्लेख करेगा।

अर्थ-दण्ड (Penalties)

जब कोई कर दाता निम्नलिखित भूलें करता है तो उस पर निम्न प्रकार अर्थ-दण्ड लगाया जाता है

(१) धारा ९४ (६) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में माँगी हुई सूचना बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय के अन्दर न देने पर कर-दाता पर ५०० रुपये तक का अर्थ दण्ड लग सकता है और इसके बाद जब तक यह भूल चलती रहे ५०० रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह दण्ड लग सकता है। [धारा २७०]

(२) यदि आय-कर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टण्ट कमिश्नर किसी कार्यवाही के चलते में यह समझता है कि किसी व्यक्ति ने

(अ) बिना पर्याप्त कारण के धाराएँ १३९ (१) १३९ (२) अथवा १४८ के अन्तर्गत माँगा हुआ आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है, अथवा

(आ) बिना पर्याप्त कारण के धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किये हुए नोटिस की पूर्ति नहीं की है, अथवा

(इ) अपनी आय के विवरण को छिपाया है अथवा अपनी आय का गलत विवरण दिया है,

तो वह उस व्यक्ति को निम्न अर्थ दण्ड देने का आदेश दे सकता है

(i) उपर्युक्त (अ) में वर्णित दशाओं में, प्रति माह के लिए जब तक चूक (default) जारी रहे कर की देय रकम पर २ प्रतिशत परन्तु यह दण्ड किसी भी दशा में देय कर के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए

(ii) उपर्युक्त (आ) में वर्णित दशाओं में यदि नक्शे में लिखी हुई आय को सही मान लिया जाता तो जो कर बच जाता उसका कम से कम १० प्रतिशत और अधिक से अधिक ५० प्रतिशत,

(iii) उपर्युक्त (इ) में वर्णित दशाओं में यदि नक्शे में लिखी हुई आय को सही मान लिया जाता तो जो कर बच जाता उसका कम से कम २० प्रतिशत तथा अधिक से अधिक डेढ़ गुना।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय के नक्शे में आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय के ८० प्रतिशत से कम आय दिखायी है

तो उपयुक्त वाक्यांश (इ) के सम्बन्ध मे यह माना जायेगा कि उसने अपनी आय छिपायी है अथवा अपनी आय का गलत विवरण दिया है जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने यह गलत आय कपट द्वारा अथवा जान बूझकर लापरवाही से नही दिखायी है। इस सम्बन्ध मे कुल आय मे आशय उस आय से है जो आय कर अधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी हो तथा उसमे से वे व्यय घटा दिये गये हो जो कर दाता ने यह आय कमाने के सम्बन्ध मे वास्तव मे व्यय किये हो तथा जो आय कर अधिनियम के अन्तगत अस्वीकृत कर दिये गये हो।

(३) धारा १३९ (१) के अन्तगत आय का नक्शा न दाखिल करने की दशा मे उस व्यक्ति पर कोई दण्ड नही लगाया जायेगा जिसकी कुल आय उसके सम्बन्ध मे न्यूनतम कर योग्य सीमा से १,५०० रुपये से अधिक न हो।

(४) यदि किसी व्यक्ति की कोई कर योग्य आय न हो और वह धाराएँ १३९ (२) अथवा १४८ के अन्तगत जारी किये हुए नोटिस की पूर्ति न करे तो उस पर अधिक से अधिक २५ रुपये तक अथ दण्ड लगाया जा सकता है।

(५) धारा २८५ A के अन्तगत, उन व्यक्तियो को, जो ५०,००० रु० से अधिक मूल्य के ठेके भवन निर्माण अथवा माल देने के सम्बन्ध मे लेते हैं, सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को ठेका लेने के १ माह के अन्दर ठेके के सम्बन्ध मे आवश्यक सूचना देनी होगी। यदि वे ऐसा नही करेंगे तो आय-कर कमिश्नर उन पर अधिक से अधिक ५० रु० प्रतिदिन के हिसाब से उतने दिन का जुर्माना लगा सकता है जितने दिन वे इस सूचना के देने मे चूक करेंगे। इसके अतिरिक्त जुर्माना किसी भी दशा मे ठेके के मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक का नही हो सकता है।

(६) ऐसे व्यक्ति पर जिस पर एक विदेशी के अभिकर्ता (agent) के रूप मे धारा १६० (१)(i) के अन्तगत कर लगना है उपर्युक्त (अ),(आ), (इ) म की हुई चूका के लिए कोई दण्ड नही लगाया जायेगा।

(७) धारा १४० A (जो वित्त अधिनियम १९६४ मे दी गयी है) के अन्तगत यदि कर दाता आय का नक्शा दाखिल करने के बाद ३० दिन के अन्दर देय कर की रकम (जो ५०० रु० से अधिक होनी चाहिए) नही चुकाता है तो आय-कर अधिकारी जितना उचित समझे अथ-दण्ड लगा सकता है परन्तु यह अथ दण्ड देय कर की रकम के आधे से अधिक नही हो सकता है। उपर्युक्त वर्णित ३० दिन के अन्दर यदि अस्थायी अथवा नियमित कर निर्धारण हो जाता है तो यह अथ-दण्ड नही लगाया जायेगा। यह अथ-दण्ड लगाने से पूर्व कर दाता को इस भूल का कारण बताने का उचित अवसर अवश्य दिया जायेगा।

(८) एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार द्वारा फर्म की आय में अपना भाग गलत दिखाने से यदि कम कर लग जाता तो उसके द्वारा दिखाये हुए भाग को सही मान लेने से जो कर बच जाता उसके डेढ गुने तक उस पर अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

(९) यदि कोई व्यक्ति व्यापार बन्द करने का नोटिस, आय-कर अधिकारी को व्यापार बन्द होने के १५ दिन के अन्दर नहीं देता है तो उस पर, व्यापार बन्द होने की तिथि तक की व्यापार की आय पर लगे हुए कर का कम से कम १० प्रतिशत तथा अधिक से अधिक कर की रकम के बराबर, अर्थ दण्ड लग सकता है।

(१०) यदि नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही के चलते मे आय कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि कर दाता ने कर के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध मे धारा २१२ के अन्तगत अपनी आय का जान बूझकर गलत अनुमान दिया है अथवा धारा २१२ (३) के अन्तगत बिना पर्याप्त कारण के अपनी आय का अनुमान दाखिल नहीं किया है तो आय कर अधिकारी निम्न अर्थ दण्ड लगा सकता है

(i) आय का गलत अनुमान देने की दशा मे

कर दाता द्वारा चुकाया हुआ कर का अग्रिम भुगतान, नियमित कर निर्धारण मे निकाले हुए कर की रकम के ७५ प्रतिशत से जितना कम हो उसका कम से कम १० प्रतिशत और अधिक से अधिक डेढ गुना अथवा यदि धारा २१० के अन्तगत नोटिस जारी किया गया हो तो उसके अनुसार देय कर की रकम का कम से कम १० प्रतिशत और अधिक से अधिक डेढ गुना (जो भी दोनो मे कम हो) अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

(ii) धारा २१२ (३) के अन्तगत आय का अनुमान दाखिल न करने की दशा मे

जिस रकम पर धारा २१७ के अन्तगत ब्याज देय है उसका कम से कम १० प्रतिशत और अधिक से अधिक डेढ गुना अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है।

सजाएँ (*Prosecutions*)

(१) धारा १७८ (१) व १७८ (३) के आयोजना की पूर्ति न करने की दशा मे

(i) यदि एक कम्पनी का लिक्वीडेटर अपनी नियुक्ति के बाद ३० दिन के अन्दर अपनी नियुक्ति की सूचना आय-कर अधिकारी को नहीं देता है, अथवा

(ii) धारा १७८ (३) के अन्तगत आवश्यक राशि सुरक्षित नहीं करता है अथवा

(iii) धारा १७८ (३) के आयोजना के विरुद्ध कम्पनी की कोई सम्पत्ति त्याग देना है

तो उसे कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी। [धारा २७६ A]

(२) धारा १३२ (३) के अंतर्गत दिये गये आदेश का उल्लंघन करने की दशा में

धारा १३२ (३) के अंतर्गत एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसे अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी तथा वह अर्थ दण्ड का भी दायी होगा। यह आदेश बहीखाते, धन, सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बिना उस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी को हस्तान्तर न करने का होता है। [धारा २७५ A]

(३) झूठी घोषणा देने की दशा में

यदि कोई व्यक्ति किसी झूठी बात को जानते हुए भी कि यह झूठ है उसके सही होने की घोषणा करता है तो उसे कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी। [धारा २७७]

(४) झूठी घोषणा देने अथवा आय का झूठा नक्शा दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की दशा में

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी कर योग्य आय के सम्बन्ध में झूठी घोषणा देने अथवा आय का झूठा नक्शा दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसे वह स्वयं जानता है कि यह झूठा है अथवा उसे सही नहीं समझता है तो उसे कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी। [धारा २७८]

QUESTIONS

1 Indicate the procedure step by step for income tax assessment right from the time of the issue of notice upto final assessment by the Income tax Officer, including steps that may have to be taken by him on the assessee's failing or refusing to comply with the requirements under the Act.

आय कर निर्धारण की कार्य विधि आय-कर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस से अन्तिम कर निर्धारण तक क्रमवार लिखिए तथा साथ ही यह भी बताइए कि यदि कर दाता इस अधिनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति में चूक करे अथवा इनकार करे तो आय कर अधिकारी को क्या कदम उठाने पड़ते हैं ?

2 What is meant by the expression 'Best Judgment Assessment'? Under what circumstances can recourse be had to this method of assessment? Are there any remedies open to the assessee against such assessment?

'सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण' के क्या अर्थ हैं? कर निर्धारण की इस पद्धति को किन परिस्थितियों में अपनाया जाता है? क्या ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध कर दाता के पास कोई उपाय हैं?

3 State the disadvantages and penalties to which a tax payer may expose himself by the following

(a) *Failure to file a return of income*

(b) Failure to produce accounts and documents called for by the Income tax Officer

(c) Maintaining incomplete accounts from which income, profits and gains cannot be correctly deduced

उन हानियों तथा अर्थ दण्डों का वर्णन कीजिए जिनके लिए एक कर-दाता निम्न के कारण स्वयं को जोखिम में डाल देता है

(अ) आय का नक्शा दाखिल करने में चूक से।

(आ) आय कर अधिकारी द्वारा मांगे हुए हिसाब तथा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में चूक से।

(इ) अपूर्ण हिसाब रखने से, जिससे आय तथा लाभ ठीक प्रकार से न निकाले जा सकें।

4 Are there any exceptions to the general rule that assessments are made on the income of the previous year? *If so* discuss them

क्या इस सामान्य नियम के कोई अपवाद हैं कि कर निर्धारण गत वर्ष की आय पर होता है? यदि है, तो उनका वर्णन कीजिए।

5 What are the provisions of the Indian Income Tax Act in respect of income escaping assessment?

कर निर्धारण से बची हुई आय के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के क्या आयोजन हैं?

6 Write sort notes on

(a) Best Judgment Assessment
or
Ex parte Judgment
or
Ex parte Assessment

(b) Emergency Assessment

(c) Provisional Assessment

(d) Rectification of Mistakes

१८

कर को एकत्र, वसूल एव वापस करना

[COLLECTION, RECOVERY AND REFUND OF TAX]

कर को एकत्र करना
(Collection of Tax)

कर को एकत्र करने के विषय के अन्तगत निम्न का वणन किया जायेगा

(१) उदगम स्थान पर कर की कटौती,

(२) कर का अग्रिम भुगतान अथवा "चुकाओ जसे कमाओ" योजना।

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

वतन, प्रतिभूतियो पर ब्याज, लाभाश तथा विदेशियो को अन्य भुगतान के सम्बन्ध मे उद्गम स्थान पर कर काटने का नियम है। वेतन तथा प्रतिभूतिया पर ब्याज पर उदगम स्थान पर कर की कटौती करने के सम्बन्ध मे अधिनियम मे दिये हुए नियमो का वणन अध्याय ५ व ६ म क्रमश किया जा चुका है।

लाभाश के सम्बन्ध मे, धारा १९४ के अन्तगत एक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह दायित्व है कि वह भारत म लाभाश (पूर्वाधिकार अशों के लाभाश सहित) चुकाने से पहले उस लागू होन वाली निर्धारित दरो से आय कर की कटौती कर ले। यदि कोई अशधारी आय कर अधिकारी से इस बात का प्रमाणपत्र ले ले कि उसकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होगी तो कम्पनी का प्रमुख अधिकारी ऐसे अशधारी को देय लाभाश की रकम म से कर की कटौती नहीं करेगा।

यदि विदेशियो को प्रतिभूतियो पर ब्याज तथा लाभाश के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान किया जाये तो उस पर लागू होने वाली दरो से भुगतान करने वाले को, आय-कर काट लेना चाहिए सिवाय उस परिस्थिति के जबकि वह स्वय उस विदेशी के अभिकर्ता के रूप म उस भुगतान पर आय-कर देने का दायी हो।

उदगम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध मे अन्य महत्वपूर्ण नियम—

(१) जिस कर दाता की किसी आय मे से उदगम स्थान पर कर की कटौती हो जाती है उसके लिए यह कटी हुई रकम उसकी आय मानी जाती है।

(२) उदगम स्थान पर काटा हुआ कर कर दाता की ओर से चुकाया हुआ कर माना जाता है और उसके नियमित कर निर्धारण मे इस रकम की उसको क्रेडिट (credit) दी जाती है।

(३) प्रत्येक दशा मे कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह काटे हुए कर की रकम को निश्चित अवधि के अन्दर केन्द्रीय सरकार के कोष मे जमा कर दे।

(४) यदि वेतन, प्रतिभूतिया पर ब्याज, लाभाश अथवा विदेशियों को अन्य भुगतान करने वाला व्यक्ति धाराएँ १९२ से १९५ तक म दिये गये नियमो के अनुसार कर नही काटता है या काटने के बाद सरकारी कोष म जमा नही करता है तो वह कर के सम्बन्ध म चूक (default) म कर दाता माना जायेगा और वह उसे चुकाने के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा। यदि वह जान बूझकर ऐसी चूक करता है तो उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।

(५) कर काटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य ह कि वह उस व्यक्ति को, जिसकी आय म से कर काटा है कर की कटौती का एक प्रमाण पत्र देवे। इस प्रमाण पत्र मे काटी हुई कर की रकम, वह दर जिससे कर काटा गया है तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखा जायगा।

(६) ऐसी प्रतिभूतिया अथवा अशो पर देय ब्याज अथवा लाभाश मे से कर की कटौती नही की जाती ह जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक के पास, स्वामी के रूप मे अथवा जिनमे उनका हित हो रखी हुई है।

(७) कर दाता के प्रार्थना पत्र देने पर यदि आय कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि कर दाता की कुल आय ऐसी है जिस पर कर की कटौती नही होनी चाहिए या कम दर से होनी चाहिए तो वह जैसा उचित समझे, कर दाता को प्रमाण पत्र दे देता है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति या तो कर बिना काटे या कम दर से काटकर उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा।

(२) "चुकाओ जैसे कमाओ" योजना अथवा कर का अग्रिम भुगतान ("Pay As You Earn' Scheme or Advance Payment of Tax)

"चुकाओ जैसे कमाओ" योजना का तात्पर्य यह है कि कर-दाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है उस पर वैसे वैसे ही कर देना जाता है अर्थात् यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष मे दे दिया जाता है। वास्तव मे यह कर पेशगी के रूप मे लिया जाता है इसलिए आय-कर अधिनियम म इस कर का

१८

कर को एकत्र, वसूल एव वापस करना

[COLLECTION, RECOVERY AND REFUND OF TAX]

कर को एकत्र करना
(Collection of Tax)

कर को एकत्र करने के विषय के अन्तर्गत निम्न का वर्णन किया जायेगा

(१) उदगम स्थान पर कर की कटौती,

(२) कर का अग्रिम भुगतान अथवा चुकाओ जैसे कमाओ योजना।

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

वेतन, प्रतिभूतियो पर ब्याज लाभाश तथा विदेशियो को अन्य भुगतान के सम्बन्ध मे उद्गम स्थान पर कर काटने का नियम है। वेतन तथा प्रतिभूतियो पर ब्याज पर उदगम स्थान पर कर की कटौती करने के सम्बन्ध म अधिनियम म दिये हुए नियमो का वर्णन अध्याय ५ व ६ म क्रमश किया जा चुका है।

लाभाश के सम्बन्ध म, धारा १९४ के अन्तर्गत एक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह दायित्व है कि वह भारत म लाभाश (पूर्वाधिकार अशो के लाभाश सहित) चुकाने से पहले उस लागू होने वाली निर्धारित दरो से आय कर की कटौती कर ले। यदि कोई अशधारी आय कर अधिकारी से इस बात का प्रमाणपत्र ले ले कि उसकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होगी तो कम्पनी का प्रमुख अधिकारी ऐसे अशधारी को देय लाभाश की रकम म से कर की कटौती नही करेगा।

यदि विदेशियो को प्रतिभूतियो पर ब्याज तथा लाभाश के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान किया जाये तो उस पर लागू होने वाली दरो से भुगतान करने वाले को आय कर काट लेना चाहिए सिवाय उस परिस्थिति के जबकि वह स्वय उस विदेशी के अभिकर्ता के रूप म उस भुगतान पर आय-कर देने का दायी हो।

उदगम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध मे अन्य महत्वपूर्ण नियम—
(१) जिस कर दाता की किसी आय म से उदगम स्थान पर कर की कटौती हो जाती है उसके लिए यह कटी हुई रकम उसकी आय मानी जाती है।

(२) उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर करदाता की ओर से चुकाया हुआ कर माना जाता है और उसके नियमित कर निर्धारण मे इस रकम की उसको क्रेडिट (credit) दी जाती है।

(३) प्रत्येक दशा मे कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह काटे हुए कर की रकम को निश्चित अवधि के अन्दर केन्द्रीय सरकार के कोष मे जमा कर दे।

(४) यदि वेतन, प्रतिभूतियो पर ब्याज, लाभांश अथवा विदेशियों को अन्य भुगतान करने वाला व्यक्ति धाराएँ १९२ से १९५ तक मे दिये गये नियमो के अनुसार कर नही काटता है या काटने के बाद सरकारी कोष मे जमा नही करता है तो वह कर के सम्बन्ध मे चूक (default) मे करदाता माना जायेगा और वह उसे चुकाने के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा। यदि वह जान बूझकर ऐसी चूक करता है तो उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।

(५) कर काटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को जिसकी आय मे से कर काटा है, कर की कटौती का एक प्रमाण पत्र देवे। इस प्रमाण पत्र मे काटी हुई कर की रकम, वह दर जिससे कर काटा गया है तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखा जायेगा।

(६) ऐसी प्रतिभूतियो अथवा अंशो पर देय ब्याज अथवा लाभांश मे से कर की कटौती नही की जाती है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक के पास स्वामी के रूप मे अथवा जिनमे उनका हित हो, रखी हुई है।

(७) करदाता के प्रार्थना पत्र देने पर यदि आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि करदाता की कुल आय ऐसी है जिस पर कर की कटौती नही होनी चाहिए या कम दर से होनी चाहिए तो वह, जैसा उचित समझे, कर-दाता को प्रमाण पत्र दे देता है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति या तो कर बिना काटे या कम दर से काटकर उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा।

(२) "चुकाओ जैसे कमाओ" योजना अथवा कर का अग्रिम भुगतान ("Pay As You Earn" Scheme or Advance Payment of Tax)

'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना का तात्पर्य यह है कि करदाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है उस पर वैसे वैसे ही कर देता जाता है अर्थात यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष मे दे दिया जाता है। वास्तव मे यह कर पेशगी के रूप मे दिया जाता है इसलिए आय कर अधिनियम मे इस कर को

अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) कहा गया है। इसके सम्बन्ध मे नियम धारा २०७ से २१६ तक दिये गये है।

धारा २०७ के अन्तर्गत, कर का अग्रिम भुगतान, पूंजी लाभो को छोडकर, अन्य सब शीर्षकों की कर योग्य आय पर करना होता है।

अग्रिम कर चुकाने के दायित्व की शर्तें (Conditions of liability to pay advance tax)—धारा २०८ के अन्तर्गत, कर का अग्रिम भुगतान एक वित्तीय वर्ष मे निम्न स्थिति मे करना होता है

(अ) जब किसी कर दाता की ऐसे गत वर्ष की कुल आय (पूंजी लाभो को छोडकर), जिसका नियमित कर निर्धारण सबसे अन्त में हुआ हो (Latest assessed previous year), न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum taxable limit) से २५०० रुपये से अधिक निर्धारित की गयी हो अथवा

(ब) जब किसी कर दाता पर पहले कभी कर निर्धारण न हुआ हो और उसका अनुमान है कि अगले कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में उसकी कुल आय (पूंजी लाभो को छोडकर) न्यूनतम कर योग्य सीमा से २,५०० रुपये से अधिक होगी।

अग्रिम कर की गणना (Computation of Advance Tax)—एक वित्तीय वर्ष मे किसी कर दाता द्वारा देय अग्रिम कर की रकम की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(अ) पहले उसकी उस गत वर्ष की कुल आय ली जायेगी जिसका नियमित कर निर्धारण सबसे अन्त मे हुआ हो अथवा धारा २१२ के अन्तर्गत कर दाता द्वारा किया हुआ उस वित्तीय वर्ष की कुल आय का अनुमान लिया जायेगा।

(आ) ऐसी कुल आय मे यदि कोई पूंजी लाभ शामिल है तो उसे घटाकर जो रकम शेष बचेगी उस पर उस वित्तीय वर्ष की दरो से आय-कर निकाला जायेगा।

(इ) इस प्रकार निकाले हुए आय कर की रकम में से उस वित्तीय वर्ष मे उसकी कुल आय मे सम्मिलित किसी आय पर, उद्गम स्थान पर कटने वाली आय कर की रकम घटा दी जायेगी।

(ई) इस प्रकार शेष बची हुई शुद्ध आय कर की रकम अग्रिम कर के रूप मे देय होगी।

स्पष्टीकरण—यदि कर-दाता किसी रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है और यदि फर्म का किसी ऐसे गत वर्ष का कर निर्धारण समाप्त हो गया हो जो कर दाता के अन्तिम कर निर्धारित गत वर्ष (Latest

assessed previous year) से बाद का हो तो फर्म के ऐसे गत वर्ष की आय में उसका भाग, उसकी कुल आय में, उपयुक्त (अ) व (आ) के लिए, शामिल किया जायगा।

आय-कर अधिकारी द्वारा आदेश (Order by Income tax Officer)

(१) जब किसी व्यक्ति पर नियमित कर निर्धारण पहले हो चुका है तो आय कर अधिकारी वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल को या उसके बाद लिखित आदेश द्वारा उपयुक्त नियमों के अनुसार निकाली गयी अग्रिम कर की रकम केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा करने के लिए कह सकता है। इस आदेश के अनुसार जारी किये गये माँग के नोटिस में उन किस्तों का उल्लेख किया जायेगा जिनमें अग्रिम कर चुकाना है।

(२) यदि उपयुक्त आदेश देने के बाद तथा उस वित्तीय वर्ष में १५ फरवरी से पहले कर दाता का (अथवा उस रजिस्टर्ड फर्म का जिसमें कर दाता साझेदार है) जिस गत वर्ष की आय के आधार पर अग्रिम कर निकाला गया है, उसके बाद के किसी गत वर्ष का नियमित कर निर्धारण अथवा अस्थायी कर निर्धारण पूरा हो जाय तो आय-कर अधिकारी नये कर निर्धारण के अनुसार अग्रिम कर की रकम निकालकर उसमें से पहले आदेश के अनुसार चुकाये हुए अग्रिम कर की रकम घटाकर जो शेष रकम निकलेगी उसका एक किस्त में भुगतान माँग सकता है अथवा यदि नये कर निर्धारण होने के बाद एक से अधिक किस्तें देने को बाकी हो तो शेष रकम उन किस्तों में बराबर-बराबर बाँटकर मांगी जा सकती है। यदि नये कर निर्धारण के आधार पर निकाली हुई अग्रिम कर की रकम पहले आदेश के अनुसार चुकायी गयी रकम से कम पड़े तो जितनी ज्यादा रकम चुकायी जा चुकी है उसे आय कर अधिकारी कर दाता को वापस कर देगा।

अग्रिम कर की किस्तें (Instalments of Advance Tax)—(१) एक वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की बराबर बराबर किस्तें १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर व १ मार्च को देय होती हैं।

(२) यदि कर दाता की आय के किसी स्रोत का गत वर्ष ३१ दिसम्बर के बाद तथा ३० अप्रैल से पहले समाप्त होता हो तो आय के उस स्रोत पर अग्रिम कर तीन बराबर किस्तों में १ सितम्बर, १ दिसम्बर व १ मार्च को देय होगा।

(३) यदि धारा २१० के आदेश के अनुसार धारा १५६ में जारी किया हुआ मांग का नोटिस कर दाता को माँग के नोटिस में लिखी हुई किस्तों की तारीखों में से किसी तारीख के बाद प्राप्त हो, तो अग्रिम कर माँग के नोटिस के प्राप्त होने के बाद आने वाली किस्तों में बराबर बराबर चुकाया जायेगा।

(४) यदि नोटिस १ दिसम्बर के बाद प्राप्त हो, तो सब रकम १ मार्च को इकट्ठी चुकायी जायेगी।

कर दाता का अनुमान (Estimate by Assessee)—धारा २१२ के अन्तर्गत, अग्रिम कर चुकाने के सम्बन्ध में एक कर दाता निम्न परिस्थितियों में अगले कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष की आय का अपना अनुमान दे सकता है

(i) जब कर दाता की सम्मति में उसकी उक्त गत वर्ष की कुल आय उस गत वर्ष की कुल आय से कम होगी जिसके आधार पर उस पर अग्रिम कर लगाया गया है तो वह अन्तिम किस्त के देय होने से पूर्व उक्त गत वर्ष की आय का अपना अनुमान आय कर अधिकारी को भेज सकता है। कर दाता को अपनी आय के अनुमान के साथ धारा २०९ के अनुसार देय अग्रिम कर का भी अनुमान भेजना होता है तथा अपने अनुमान के अनुसार आगे आने वाली किस्तों की तारीखों पर, अग्रिम कर बराबर बराबर किस्तों में चुकाना होता है।

(ii) उपर्युक्त कर दाता को यह भी अधिकार है कि यदि वह अपने पहले दिये गये अनुमान में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह संशोधित अनुमान किस्तों की देय तिथियों से पूर्व आय-कर अधिकारी को भेज सकता है और इस संशोधन के अनुसार यदि कुछ अग्रिम कर अधिक या कम दिया गया है तो बाद की किस्तों में उसका उचित समायोजन किया जा सकता है।

(iii) जब किसी कर दाता पर पहले कभी कर निर्धारण न हुआ हो और उसका अनुमान है कि अगले कर निर्धारण वर्ष में सम्बन्धित गत वर्ष में उसकी कुल आय (पूंजी लाभों को छोड़कर) न्यूनतम कर योग्य सीमा से २,५०० रुपये से अधिक होगी, तो वह वित्तीय वर्ष में १ मार्च से पहले आय-कर अधिकारी के पास उस गत वर्ष की कुल आय (पूंजी लाभों को छोड़कर) का अनुमान भेजेगा और उसके साथ धारा २०९ के अनुसार देय अग्रिम कर का भी अनुमान भेजना होता है। अपने अनुमान के अनुसार देय अग्रिम कर की रकम धारा २११ में दी हुई ऐसी तारीखों पर जो तब तक बीती न हों, बराबर की किस्तों में चुकाया जायेगा। ऐसे कर-दाता को उपर्युक्त (ii) में दिये हुए नियम के अनुसार अपने उपर्युक्त अनुमान में संशोधन करने का भी अधिकार है।

किस्तों के भुगतान के लिए अवधि में वृद्धि (Extension of time for payment of instalments)—किस्तों के भुगतान के लिए अवधि में वृद्धि नहीं की जाती है परन्तु यदि कर दाता की आय में ऐसा कमीशन भी शामिल है जो उसे सामयिक (periodically) मिलता है तो वह उस कमीशन के

सम्बन्ध मे अग्रिम कर का भुगतान उस समय तक के लिए टाल सकता है जबकि वह कमीशन सामान्यतया प्राप्त होवे, परन्तु यदि वह कमीशन प्राप्त होने के १५ दिन के अन्दर उसका अग्रिम कर नही चुकाता है तो उस अग्रिम कर के साथ कमीशन की प्राप्ति की तिथि से अग्रिम कर चुकाने की तिथि तक ६ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज भी देना होगा।

सरकार द्वारा देय ब्याज (Interest payable by Government)—यदि अग्रिम कर की चुकायी गयी कुल रकम नियमित कर निर्धारण के अनुसार निर्धारित कर की रकम से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य पर, केन्द्रीय सरकार कर-दाता को उस वित्तीय वर्ष के बाद आने वाली १ अप्रैल से नियमित कर निधारण की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देगी।

यदि अग्रिम चुकाये हुए कर का कोई भाग कर दाता को वापस कर दिया हो तो ऐसे भाग पर ब्याज केवल वापस करने की तिथि तक का दिया जायगा।

कर-दाता द्वारा देय ब्याज (Interest payable by Assessee)

(१) जब किसी वित्तीय वर्ष मे कर दाता ने अग्रिम कर अपने अनुमान के आधार पर दिया हो, और यदि चुकाया हुआ अग्रिम कर नियमित कर निर्धारण मे निर्धारित कर (उदगम स्थान पर कर की कटौती घटाने के बाद) की रकम के ७५ प्रतिशत से कम हो तो इस ७५ प्रतिशत से कमी पर, अगले वित्तीय वर्ष की १ अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक की अवधि पर, कर-दाता को ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज चुकाना होगा।

(२) किसी ऐसे कर दाता ने जिस पर पहले कभी कर निर्धारण नही हुआ है अपनी किसी वर्ष की आय का अनुमान आय कर अधिकारी को नही भेजा है अथवा अग्रिम कर लगने की न्यूनतम सीमा से कम अनुमान लगाया है और यदि उस वर्ष के नियमित कर निर्धारण करने पर आय कर अधिकारी का यह पता चलता है कि कर-दाता का अनुमान गलत था और उसे अग्रिम कर देना चाहिए था तो उस पर नियमित कर निर्धारण पर लगने वाले कर (उद्गम स्थान पर कर की कटौती को घटाकर) के ८५ प्रतिशत पर, उस वित्तीय वर्ष (जिसमे अग्रिम कर देना था) के बाद की १ अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

उपर्युक्त दोनो नियमो के सम्बन्ध मे, नियमित कर निर्धारण होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए यदि कर की दरो मे परिवर्तन हो जाय तो इस परिवर्तन के कारण यदि अग्रिम चुकाये कर मे कोई कमी पडे तो उस कमी पर कोई ध्यान नही दिया जायेगा।

कर दाता द्वारा दिया गया ऐसा ब्याज एक स्वीकृत व्यय नही है, परन्तु कर दाता को ऐसा प्राप्त ब्याज कर योग्य आय है।

अग्रिम कर के लिए क्रेडिट (Credit for Advance Tax)

धारा २१६ के अन्तगत, अग्रिम चुकाये कर का नियमित कर निर्धारण मे क्रेडिट (credit) दिया जाता है।

कर की वसूली
(Recovery of Tax)

कर दाता को माँग का नोटिस प्राप्त होने के बाद ३५ दिन के अन्दर नोटिस मे लिखी हुई रकम, नोटिस मे दिये हुए व्यक्ति को, दिये हुए स्थान पर चुकानी होती है। यदि आय-कर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि पूरे ३५ दिन की अवधि देने से सरकारी आय मे हानि हो सकती है तो वह इन्स्पेक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूव अनुमति से माँग के नोटिस मे देय रकम ३५ दिन से कम की अवधि मे माँग सकता है।

यदि माँग के नोटिस मे लिखी हुई रकम नोटिस मे दी हुई अवधि के अन्दर न चुकायी जाये तो कर दाता को, उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक, ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से साधारण ब्याज देना होगा। माँग के नोटिस मे दी हुई अवधि के समाप्त होने से पूव, यदि कर-दाता मागी हुई रकम चुकाने की अवधि म वृद्धि कराने के लिए अथवा किस्तो म चुकाने के लिए प्राथना पत्र देता है, तो आय कर अधिकारी यह अवधि बढा सकता है अथवा भुगतान को किस्तो म देना स्वीकृत कर सकता है। इस सम्बन्ध मे आय कर अधिकारी ऐसी शर्तें लगा सकता है जो उन परिस्थितियो मे वह उचित समझे।

यदि स्वीकृत समय के अन्दर माँगी हुई रकम का भुगतान न हो तो कर दाता को भुगतान की चूक (default) मे माना जाता है तथा उस पर लगातार चूक करने पर दण्ड (penalty) लगाया जा सकता है, जो अधिक से अधिक देय कर की रकम तक हो सकता है। यह दण्ड लगाने से पूव कर दाता को सुनने का उचित अवसर दिया जायेगा।

यदि मागी हुई रकम को किस्तो मे चुकाने की स्वीकृति दे दी गयी है और कर दाता किसी एक किस्त को समय पर नही चुका पाता है तो वह कर दाता उस समय शेष अप्राप्त सब रकम के लिए भुगतान की चूक (default) मे माना जायगा, और बची हुई सब किस्तें उसी दिन प्राप्य (due) मानी जायेंगी जिस दिन चूक वाली किस्त प्राप्य थी, अर्थात् कर-दाता को शेष सब किस्तो की रकम एक साथ चुकानी होगी।

वसूली के तरीके (Modes of Recovery)

कर, ब्याज, जुमाना, दण्ड अथवा अ य कोई रकम, जा इस अधिनियम के अ तर्गत किसी आदेश के अनुसार देय हो, निम्न तरीको से वसूल की जा सकती है

(१) धारा २२२ के अ तगत, जब कोई कर दाता भुगतान के लिए चूक (default) मे हो तो आय कर अधिकारी अपन हस्ताक्षरा से एक प्रमाण पत्र टैक्स रिकवरी ऑफिसर (Tax Recovery Officer) को, कर-दाता द्वारा देय रकम का उल्लेख करते हुए, भेजेगा। टैक्स रिकवरी ऑफिसर (Tax Recovery Officer) ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कर दाता से प्रमाण पत्र मे लिखी हुई रकम वसूल करने के लिए, निम्न तरीको मे से कोई एक अथवा एक से अधिक तरीके अपनायेगा

(अ) कर दाता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (Attachment) कराके उसकी बिक्री करना,

(आ) कर दाता का गिरफ्तार करके जेल म बन्द कराना,

(इ) कर दाता की चल तथा अचल सम्पत्तिया के प्रबन्ध के लिए रिसीवर (Receiver) नियुक्त करना।

आय कर अधिकारी उपयुक्त वर्णित प्रमाण पत्र उस दशा मे भी द सकता है जबकि उसने वसूली के लिए कोई अ य तरीके की कायवाही कर दी हो।

(२) धारा २२६ के अ तगत आय कर अधिकारी वसूली के लिए निम्न तरीको मे से कोई एक अथवा एक से अधिक तरीका भी अपना सकता है, चाहे भले ही उसने टैक्स रिकवरी आफिसर (Tax Recovery Officer) के पास प्रमाण पत्र भी क्या न भेज दिया हा

(i) यदि कर दाता कहीं नौकरी करता है तो आय-कर अधिकारी उसके मालिक का यह नोटिस दे सकता है कि यदि वह इस नोटिस की प्राप्ति के बाद कर दाता को काई भुगतान कर तो उसम स पहले कर-दाता पर शेप कर दण्ड, जुर्माना आदि की रकम काट ले और उस केन्द्रीय सरकार के कोप मे जमा करा द, बशर्ते कि यह रकम वेतन के उस भाग मे से नहीं काटी जा सकती है जो सिविल न्यायालय की किसी डिग्री के अनुसार अटैचमेण्ट (Attachment) से मुक्त हो।

(ii) आय-कर अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर ऐस व्यक्तियो का, जिनके पास कर-दाता की काई रकम जमा है अथवा जिन्ह कर दाता का, कोई रकम दनी है अथवा भविष्य मे जमा होगी या देनी होगी, लिखित सूचना द सकता है कि वे कर-दाता पर शेष कर, दण्ड, जुर्माना आदि की रकम को आय कर अधिकारी को भुगतान कर दें।

(iii) यदि किसी न्यायालय के पास कर दाता को भुगतान होने वाली कोई रकम जमा है तो आय कर अधिकारी ऐसे न्यायालय को यह लिख सकता है कि वह कर दाता पर शेष कर आदि की रकम का भुगतान (अपने पास की जमा रकम में से) उसे (आय कर अधिकारी को) कर दे।

(iv) कमिश्नर द्वारा अधिकृत हो जाने पर आय-कर अधिकारी कर दाता की चल सम्पत्ति को, कर आदि वसूल करने के लिए रुकवाकर बेच भी सकता है।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate)

धारा २३० के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति जो भारत में domiciled नहीं है अथवा यदि वह भारत छोड़ने के समय भारत में domiciled भी है तो यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में उसका भारत लौटने का इरादा नहीं है भारत से बाहर जाता है तो उसे जाने से पूर्व इस आशय का एक प्रमाण पत्र निर्धारित अधिकारी से लेना होता है कि उसने उस समय तक अपने द्वारा देय सम्पूर्ण कर की रकम चुका दी है अथवा यदि उसकी आय कर योग्य सीमा से कम है तो उस मुक्ति का प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) लेना होता है।

कर की वापसी
(Refund of Tax)

धारा २३७ के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति आय-कर अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी के द्वारा, जो कर चुकाया गया है वह उस रकम से अधिक है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उस उस वर्ष के लिए उचित रूप से देना चाहिए था तो वह व्यक्ति ऐसे आधिक्य की वापसी का अधिकारी है।

कुछ विशेष परिस्थितियों में वापसी मांगने का अधिकारी (Person Entitled to Claim Refund in Certain Special Cases)

धारा २३८ के अन्तर्गत

(१) जब एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जाती है तो ऐसी आय के सम्बन्ध में वापसी माँगने का अधिकारी वह दूसरा व्यक्ति है जिसकी कुल आय में यह आय शामिल की गयी है।

(२) जब मृत्यु, अयोग्यता, दिवाला अथवा समापन के कारण कोई व्यक्ति वापसी नहीं माँग सकता है तो उसकी ओर से उसका कानूनी प्रतिनिधि, ट्रस्टी, संरक्षक अथवा रिसीवर (receiver) ऐसी माँग कर सकता है।

साधारणतया कर की वापसी निम्न कारणों से उदय होती है

(अ) अधिक दर से उदगम स्थान पर कर की कटौती हो जाने से,

(आ) किसी भूल के सुधारने से,

(इ) अपील के निर्णयानुसार, तथा
(ई) अग्रिम कर अधिक लगने से।

वापसी माँगने की कार्य-विधि (Procedure for Claiming a Refund)

धाराएँ २३९ व २४० के अन्तर्गत, वापसी माँगने की कार्य विधि निम्न प्रकार है

(१) वापसी की माँग निर्धारित फॉर्म पर निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके प्रमाण-पत्र देने से होती है।

(२) जिस कर निर्धारण वर्ष में वापसी से सम्बन्धित आय कर-योग्य थी उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर वापसी की माँग की जा सकती है।

(३) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत की हुई किसी अपील अथवा अन्य किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये हुए आदेश के फलस्वरूप वापसी की माँग उदय होती है तो आय-कर अधिकारी बिना किसी प्रार्थना पत्र के, यह रकम कर दाता को वापस कर देगा।

वापसी को रोकने का अधिकार (Power to Withhold Refund)

धारा २४१ के अन्तर्गत यदि वापसी के आदेश के सम्बन्ध में अपील कर दी गयी हो अथवा कोई अन्य कार्यवाही चल रही हो, तथा आय कर अधिकारी की सम्मति में वापसी स्वीकार करने से सरकारी आय को हानि होने की सम्भावना है तो आय कर अधिकारी, इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति से, वापसी को तब तक रोक सकता है जब तक के लिए कमिश्नर कह दे।

वापसी में देरी होने पर ब्याज (Interest on Delayed Refunds)

धारा २४३ के अन्तर्गत, यदि आय कर अधिकारी

(i) किसी ऐसे कर दाता की वापसी, जिसकी कुल आय में केवल प्रतिभूतियों पर ब्याज अथवा लाभांश ही नहीं हैं, उसकी कुल आय निर्धारित होने की तिथि के बाद तीन माह के अन्दर नहीं स्वीकार करता है, तथा

(ii) अन्य किसी दशा में, वापसी की माँग की तिथि के बाद ६ माह के अन्दर नहीं स्वीकार करता है,

तो केन्द्रीय सरकार कर दाता को उक्त दशाओं में ३ माह अथवा ६ माह (जैसा भी हो) के बाद से वापसी स्वीकृत करने की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देगी।

धारा २४४ के अनुसार, यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत की हुई किसी अपील अथवा किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये हुए आदेश के फलस्वरूप वापसी की माँग उदय हुई हो और आय कर अधिकारी ऐसे आदेश की तिथि

के ६ माह के अन्दर वापसी की स्वीकृति नही देता है तो केन्द्रीय सरकार कर-दाता को ६ माह की अवधि के अन्त से वापसी की स्वीकृति की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देगी।

यदि उपयुक्त वर्णित धारा २४१ के अन्तर्गत, वापसी का रोक दिया गया हो तो वापसी की जो रकम अन्तिम रूप से निर्धारित होगी उस पर वापसी रोकने की तिथि से वापसी स्वीकृत करने की तिथि तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार कर दाता को ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगी।

न चुके हुए कर की रकम से वापसी की पूर्ति (Set off of Refunds against Tax Remaining Payable)

धारा २४५ के अन्तर्गत यदि किसी कर दाता द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर चुकाना शेष है और आय कर अधिकारी, अथवा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के आदेशानुसार उस कोई वापसी भी मिलनी है तो वापसी का आदेश देने वाला अधिकारी वापसी की पूर्ति, न चुके हुए कर की रकम से कर सकता है। परन्तु ऐसी पूर्ति करने से पहले कर दाता को लिखित सूचना देनी होगी।

कर-जमा-पत्र (Tax Credit Certificates)

वित्त अधिनियम १९६५ की एक प्रमुख विशेषता भिन्न भिन्न उद्देश्यो के लिए कर जमा पत्रो के निगमन का आयोजन है। कर जमा-पत्रों के मूल्य से कर दाता द्वारा देय कर की राशि कम कर दी जायगी। यदि कर दाता को स्वीकृत कर जमा पत्रो का मूल्य उसके द्वारा देय कर की रकम से अधिक हो तो कर दाता इस अधिक राशि को वापस पाने का अधिकारी होगा।

अधिनियम के अनुसार कर जमा पत्रो का निगमन निम्न पाँच दशाओ म होगा

(१) कुछ साधारण अंशधारियो को,

(२) किसी उद्योग उद्यम को शहरी क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध म

(३) निर्माण अथवा उत्पादन करने वाली कुछ कम्पनियो को कुछ विशेष दशाओ मे,

(४) माल के निर्यात के सम्बन्ध म, तथा

(५) माल के बढे हुए उत्पादन के सम्बन्ध मे।

QUESTIONS

1 Write a short essay on 'Deduction of Tax at Source'
उदगम स्थान पर कर की कटौती पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

2 What do you understand by 'pay as you earn scheme'?
'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना से आप क्या समझते है?

3 When does the claim for refund arise and what is the procedure relating to application for refund ? Describe in detail

वापसी की मांग कब उदय होती है तथा वापसी के लिए प्रार्थना पत्र देने की क्या कार्य विधि है ? विस्तार मे वर्णन कीजिए ।

4 Describe the procedure for obtaining refund of tax already paid · What are the circumstances and limitations under which such a claim is allowed ?

चुकाये गये कर की वापसी लेने के लिए कार्य विधि का वर्णन कीजिए । वे कौनसी परिस्थितियाँ तथा सीमाएँ हैं जिनके अन्तर्गत ऐसी माग स्वीकृत की जाती है ?

5 Write notes on

(i) 'Pay as you earn' scheme

(ii) Refund of tax

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए

(i) 'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना ।

(ii) कर की वापसी ।

6 What do you understand by the term 'Advance Payment of Tax' ? Why was it introduced ? State clearly the important provisions of the Income Tax Act regarding it

'कर के अग्रिम भुगतान' से आप क्या समझते हैं ? यह क्यो लागू किया गया था ? इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रमुख आयोजनों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए ।

१९

अपील तथा पुनर्विचार

[APPEALS AND REVISION]

आय कर के सम्बन्ध में प्रारम्भ में सब आदेश आय कर अधिकारी द्वारा दिये जाते है। यदि कोई कर दाता आय कर अधिकारी द्वारा दिये हुए आदेश अथवा निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह ऐसे आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। कर दाता का यह भी अधिकार है कि यदि वह अपील न करना चाहे या अपील करने का समय निकल जाय तो वह कमिश्नर के यहा पुनर्विचार (revision) के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

अपील

(Appeals)

सर्वप्रथम आय कर अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ अपील की जा सकती है।

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) के यहाँ अपील

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने की शर्तें—(१) धारा २४९ (१) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील निर्धारित फार्म पर, निर्धारित ढग से प्रमाणित करके की जाती है।

(२) धारा २४९ (२) के अन्तर्गत निम्न तिथि के बाद ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है

(अ) उदगम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध मे कर भुगतान करने की तिथि, अथवा

(ब) कर निर्धारण अथवा अर्थ दण्ड के सम्बन्ध मे तत्सम्बन्धित माग के नोटिस प्राप्ति की तिथि, अथवा

(स) अन्य किसी मामले मे, उस आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसके विरुद्ध अपील करनी है।

(३) धारा २४९ (३) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर उक्त अवधि के बीत जाने पर भी अपील ले सकता है यदि वह इस बात से सन्तुष्ट

हो जाये कि अपील करने वाला पर्याप्त कारणो से निर्धारित समय के अन्दर अपील नही कर सका था।

अपील की कार्य विधि—(१) धारा २५० (१) के अन्तर्गत, अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तारीख तथा स्थान नियत करेगा तथा कर-दाता और सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को इस तारीख एव स्थान की सूचना देगा।

(२) धारा २५० (२) के अन्तर्गत अपील की सुनवाई मे निम्न को सुनाने दिया जायेगा अर्थात् निम्न व्यक्तियो को अपील के सम्बन्ध म प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार है

(अ) अपील करने वाला, चाहे स्वय अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि

(ब) आय-कर अधिकारी, चाहे स्वय अथवा उसका प्रतिनिधि।

(३) धारा २५० (३) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह अपील की सुनवाई समय समय के लिए टाल (adjourn) सकता है।

(४) धारा २५० (४) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील का अन्तिम निर्णय देने स पहले, जैसी उचित समझे, जाच कर सकता है अथवा आय-कर अधिकारी को जाँच करने का आदेश दे सकता है जिसके परिणाम की रिपोर्ट उसे अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर को देनी होगी।

(५) धारा २५० (५) के अन्तर्गत, अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर, अपील की सुनवाई के समय, अपील करने वाले को अपील के ऐसे आधारो पर भी बोलने के लिए स्वीकृति दे सकता है जो अपील के फॉर्म मे न लिखे गये हो, बशर्ते कि अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह आधार अपील के फार्म मे से जान बूझकर अथवा अनुचित रूप से नही छोड़े गये हैं।

(६) धारा २५० (६) के अन्तर्गत, अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर का अपील के निर्णय का आदेश लिखित होना चाहिए तथा उसम उन कारणो का उल्लेख होना चाहिए जिनके आधार पर उसने अपना निर्णय दिया है।

(७) धारा २५० (७) के अन्तर्गत, अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील के निर्णय के आदेश की प्रतिलिपि कर दाता को तथा कमिश्नर को भेजेगा।

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकार—धारा २५१ के अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध मे अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निम्न अधिकार हैं

(अ) कर निर्धारण के विरुद्ध हुई अपील के सम्बन्ध मे वह कर निर्धारण को सम्पुष्ट, कम, रद्द अथवा बढा सकता है, अथवा आय-कर अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर निर्धारण करने का आदेश दे सकता है।

(आ) अथ दण्ड के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध मे वह ऐसे आदेश को सम्पुष्ट अथवा रद्द कर सकता है अथवा अथ दण्ड को कम या अधिक कर सकता है।

(इ) अन्य किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध मे वह जैसा उचित समझे निर्णय दे सकता है।

अपील म कर दाता पर दायित्व बढाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि कर दाता को इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाय।

अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) मे अपील

धारा २५३ के अन्तगत अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने के सम्बन्ध म निम्न नियम है

(१) जब कोई कर दाता अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो उस निर्णय की प्राप्ति के बाद वह ६० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल म अपील कर सकता है।

(२) अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णय म यदि आय-कर कमिश्नर को कोई आक्षेप हो तो वह आय-कर अधिकारी को अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने का निर्देश दे सकता है। आय-कर अधिकारी के लिए भी यह आवश्यक है कि वह ऐसी अपील अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णय की प्राप्ति के बाद ६० दिन के अन्दर ही ट्रिब्यूनल मे कर सकता है।

(३) कर दाता द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने के लिए उसे १०० रुपये की फीस भी देनी होती है जा यदि आय-कर अधिकारी अपील करे तो उसे नहीं देनी पडती।

(४) यह अपील प्रत्येक दशा मे निधारित फाम पर निर्धारित ढग से प्रमाणित करके की जाती है।

(५) अपीलेट ट्रिब्यूनल मे कमिश्नर के पुनर्विचार (revision) सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।

(६) आय-कर अधिकारी अथवा कर दाता इस नोटिस की प्राप्ति पर, कि अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निणय के विरुद्ध दूसरे पक्ष द्वारा अपील कर दी गयी है अपीलट असिस्टेण्ट कमिश्नर के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन (cross-objection) का लेखा ३० दिन के अन्दर ट्रिब्यूनल मे प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे लेखे (Memorandum) को अपील की तरह मानकर निबटाया जायेगा।

(७) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक अपील अथवा लेखा (Memorandum) निर्दिष्ट समय के बीत जाने पर भी ले सकता है बशर्ते कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि उन्हें समय के अन्दर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं।

अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश—(१) अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील के दोनो पक्षो को सुनने का अवसर देने के बाद, जैसा उचित समझे, आदेश दे सकता है।

(२) ट्रिब्यूनल अपना आदेश देने के बाद ४ वर्ष के अन्दर कोई भूल सुधारने के लिए अपने मूल आदेश मे संशोधन भी कर सकता है। यह भूल, ट्रिब्यूनल के नोटिस में कर-दाता अथवा आय-कर अधिकारी द्वारा लायी जा सकती है। यदि उपर्युक्त संशोधन से कर दाता का दायित्व बढ़ता हो तो बिना कर-दाता को सुनने का उचित अवसर दिये ऐसा संशोधन नही किया जा सकता है।

(३) ट्रिब्यूनल अपने आदेश की प्रतिलिपि कर-दाता तथा कमिश्नर को भेजेगा।

(४) यदि ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई कानूनी प्रश्न उदय न हो जाये तो ट्रिब्यूनल का आदेश अन्तिम (final) होता है। [धारा २५४]

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्य विधि—(१) अपीलेट ट्रिब्यूनल का सभापति ट्रिब्यूनल को कई बेंचो में बाँट देता है और ये बेंचें, पृथक पृथक ट्रिब्यूनल के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यो का पालन करती हैं।

(२) साधारणतया एक बेंच में एक जुडीशियल सदस्य और एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होता है परन्तु निम्न स्थितियो में बेंच के संगठन मे परिवर्तन हो सकता है

(i) ऐसे कर-दाता की अपील के सम्बन्ध में, जिसकी आय कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय २५,००० रुपये से अधिक न हो, केवल एक सदस्य की ही बेंच हो सकती है।

(ii) किसी विशेष अपील के सम्बन्ध मे तीन सदस्यो की बेंच नियुक्त की जा सकती है, जिनमे कम से कम एक जुडीशियल और एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होना आवश्यक है।

(iii) किसी मामले मे यदि बेंच के दोनो सदस्यों मे मतभेद हो तो ट्रिब्यूनल का सभापति एक तीसरा सदस्य नियुक्त कर देगा। तीसरा सदस्य भी उस मामले की सुनवाई करेगा, और तब तीनो सदस्यो की सम्मति में से जिसका बहुमत होगा उसी के अनुसार निर्णय दिया जायेगा।

(३) अपने अधिकारो के प्रयोग एवं कर्तव्यो के पालन से सम्बन्धित मामलो के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अपनी तथा अपनी बेंचो की कार्यविधि का स्वयं नियमित कर सकता है।

(४) अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपने कर्तव्यो को पूरा करने के लिए वे सब अधिकार होंगे जो आय कर पदाधिकारियों को होते हैं तथा ट्रिब्यूनल के सामने जितनी कार्यवाही होती है वह सब जुडीशियल कार्यवाही मानी जाती है।

[धारा २५५]

उच्च न्यायालय को रेफरेन्स (Reference to High Court)

धारा २५६ के अंतर्गत, अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने के बाद ६० दिन के अन्दर, कर दाता अथवा कमिश्नर निर्धारित फार्म में ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसके निर्णय में कानूनी प्रश्न सन्निहित (involved) है अतः वह उसे उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर दे। यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र कर दाता द्वारा दिया जाता है तो उसे प्रार्थना पत्र के साथ १०० रुपये फीस के भी देने होंगे। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद १२० दिन के अन्दर ट्रिब्यूनल उस मामले का विवरण तैयार करके उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर देता है।

यदि ट्रिब्यूनल की सम्मति में किसी मामले में कानूनी प्रश्न सन्निहित नहीं है तो वह उच्च न्यायालय को रेफर करने के लिए मना कर सकता है। कर-दाता अथवा कमिश्नर को यह अधिकार है कि ऐसा मना का आदेश प्राप्त होने के बाद ६ माह के अन्दर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है और यदि हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही नहीं मानता है तो वह ट्रिब्यूनल को यह आदेश दे सकता है कि वह उस मामले का विवरण तैयार करके उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर दे। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल उस मामले को उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर देता है।

उच्च न्यायालय में ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो जजों की बैंच द्वारा होती है। इसका निर्णय उनकी बहु सम्मति से होता है। उच्च न्यायालय अपने निर्णय की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल को भेज देता है जो उसके अनुसार अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय को सीधा रेफरेन्स (Direct reference to the Supreme Court)

किसी मामले में रेफरेन्स के लिए प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल की सम्मति में कानून का कोई ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों (High Courts) के निर्णय भिन्न भिन्न हैं तो यदि वह उचित समझे तो उस मामले का विवरण तैयार करके अपने अध्यक्ष द्वारा सीधा सर्वोच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील (Appeal to the Supreme Court)

धारा २६१ के अंतर्गत, उच्च न्यायालय को रेफर (refer) किये हुए किसी मामले पर दिये गये उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है बशर्ते कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि यह मामला (case) सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य (fit) है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपील में उच्च

न्यायालय के निणय मे परिवतन कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निणय के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने पूव आदेश मे उचित सशोधन कर देता है।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार
(Revision by the Commissioner)

ऐसे आदेशो पर पुनर्विचार जो सरकारी आय के लिए अहितकर है (Revision on Orders Prejudicial to Revenue)

धारा २६३ के अन्तगत, इस अधिनियम के अन्तगत की गयी किसी भी कायवाही का रिकाड (record) कमिश्नर माँगकर उसकी जाँच कर सकता है, और यदि वह यह समझता है कि आय-कर अधिकारी द्वारा दिया हुआ कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिए अहितकर (prejudicial to revenue) है तो वह उचित पूछताछ करने के बाद तथा कर दाता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, मामले की परिस्थितिया के अनुसार उचित आदेश दे सकता है, जिसमे कर निर्धारण को बढाना अथवा उसम सशोधन करना अथवा रद्द करना और नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है।

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनर्विचार नही कर सकता है जिसे २ वष से अधिक बीत चुके हो अथवा जो धारा १४७ के अन्तगत पुन कर निर्धारण का आदेश हो।

अन्य आदेशो पर पुनर्विचार (Revision of Other Orders)

धारा २६४ के अन्तगत, कमिश्नर, उपर्युक्त वर्णित आदेशो को छोडकर, अन्य ऐसे आदेशो के सम्बन्ध मे जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने दिये हो, अपने आप अथवा कर दाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रायना पत्र देने पर इस अधिनियम के अन्तगत की गयी किसी ऐसी कायवाही का रिकॉड (reecord) माँग सकता है जिसम ऐसा आदेश दिया गया था तथा इस सम्बन्ध मे उचित पूछ-ताछ करने के बाद उचित आदेश दे सकता है बशर्ते कि वह आदेश कर दाता के अहित मे न हो।

इस धारा के अन्तगत कमिश्नर अपने आप ऐसे आदेशो पर पुनर्विचार नहीं कर सकता जिन्हे एक वष से अधिक बीत चुका हो।

इस धारा के अन्तगत, यदि कर दाता पुनर्विचार के लिए प्राथना पत्र देता है तो उसे यह प्राथना पत्र उस आदेश के प्राप्त होने के एक वष के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। कर-दाता को अपने प्राथना-पत्र के साथ २५ रुपय फीस के भी देने होते हैं।

निम्न परिस्थितियो मे कमिश्नर किसी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है

(१) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील हो सकती है परन्तु न तो कर दाता ने यह अपील की है और न यह अपील करने का समय बीता है अथवा ट्रिब्यूनल मे अपील करने के सम्बन्ध मे कर-दाता ने अपना अपील करने का अधिकार नही छोडा है ।

(२) जबकि वह आदेश अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ की गयी अपील मे विचाराधीन (pending) पडा है ।

(३) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील कर दी गयी है ।

धारा २६३ के अन्तर्गत किये गये पुनर्विचार (revision) के फलस्वरूप दिये हुए कमिश्नर के आदेश की ट्रिब्यूनल मे अपील की जा सकती है । परन्तु अन्य किसी दशा मे कमिश्नर का पुनर्विचार (revision) का आदेश अन्तिम (final) होता है ।

QUESTIONS

1 Describe briefly the procedure for filing an appeal to the Appellate Tribunal against the order of an Appellate Assistant Commissioner

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने की कार्य विधि का सक्षेप म वणन कीजिए ।

2 Describe briefly the procedure of an appeal to the Appellate Assistant Commissioner

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ अपील की काय विधि का सक्षेप मे वणन कीजिए ।

3 Describe how the Income tax Appellate Tribunal is constituted and discuss its functions Under what circumstances may the Tribunal be required to refer an appeal to the High Court ?

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सगठन तथा कार्यों का वणन कीजिए । किन किन परिस्थितियों मे ट्रिब्यूनल को एक अपील हाईकोर्ट को रेफर (refer) करनी पडती है ?

4 (a) What are the functions of the Income tax Appellate Tribunal ?

(b) What are the circumstances under which appeals lie to the High Court and to the Supreme Court ?

(अ) इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या काय हैं ?

(ब) वे कौनसी परिस्थितियाँ हैं जिनमे अपीलें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोट मे की जा सकती हैं ?

२०

कर की गणना

[COMPUTATION OF TAX]

आय कर अधिनियम मे कर योग्य आय निकालने तथा निर्धारण करने की विधि तथा तत्सम्बन्धित नियम दिये है। वास्तविक करो की गणना वित्त अधिनियम (Finance Act) मे दी हुई दरो से की जाती है। यह वित्त अधिनियम प्रति वर्ष लोकसभा द्वारा पास किया जाता है। साधारणतया वित्त अधिनियम मार्च अथवा अप्रैल मे पास हो जाता है परन्तु यदि इसके पास होने मे देर हो जाये तो, जब तक वित्त अधिनियम पास न हो, आय कर अधिनियम की धारा २९४ के अन्तर्गत पिछले वित्त अधिनियम के आधार पर अथवा प्रस्तावित वित्त बिल के आधार पर, जो भी दोनो मे कर-दाता के पक्ष मे हो, कर की गणना की जाती है।

करारोपण की विधियाँ (Methods of Taxation)

करारोपण की दो विधियाँ है

(१) आय के अनुसार करारोपण (Step System of Taxation),

(२) विभाग के अनुसार करारोपण (Slab System of Taxation)।

(१) आय के अनुसार करारोपण (Step System of Taxation)—इस विधि मे एक व्यक्ति की आय को विभिन्न भागो मे बाँटा जाता है। प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग दरें होती है। बढती हुई आय पर बढती हुई दरें होती हैं। एक व्यक्ति की आय जिस भाग मे पडती हो उसी भाग पर लागू दर से वह व्यक्ति अपनी कुल आय पर कर देता है, अर्थात इस पद्धति मे कुल आय की पूरी रकम पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। यह पद्धति ३१ मार्च, १९३९ तक चालू थी, परन्तु १ अप्रैल, १९३९ से यह समाप्त कर दी गयी है। १ अप्रैल, १९४६ से ३१ मार्च १९४८ तक यह पद्धति पूजी लाभो के सम्बन्ध मे अपनायी गयी थी। इस पद्धति मे दरो की अनुसूची निम्न प्रकार दी जाती है (आय के विभाग व दरें मानी हुई हैं)

	आय-कर की दरें प्रति रुपया
२,००० रुपये तक की आय पर	कुछ नहीं
२,००० रु० से अधिक तथा ५,००० रु० तक की आय पर	६%
५,००० रु० से अधिक तथा १०,००० रु० तक की आय पर	१०%
१०,००० रु० से अधिक तथा १५,००० रु० तक की आय पर	१५%
१५,००० रु० से अधिक की आय पर	२०%

दरों की उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार यदि एक व्यक्ति की आय १२,००० रु० है तो वह कुल १२,००० रु० पर १५ प्रतिशत की दर से आय-कर देता है।

इस पद्धति में उन व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है जिनकी कुल आय उस सीमा से कुछ ही अधिक होती है जहाँ पर दरें बदलती हैं। यह पद्धति न्यायोचित (equitable) नहीं है। इन्हीं कारणों से १ अप्रैल, १९३९ से यह पद्धति समाप्त करके विभागानुसार करारोपण (Slab System of Taxation) की पद्धति अपनायी गयी है।

(२) विभाग (खण्डों) के अनुसार करारोपण (Slab System of Taxation)—इस विधि में कुल आय को भिन्न भिन्न खण्डों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक खण्ड के लिए कर की अलग दर होती है। प्रत्येक खण्ड पर बढ़ती हुई दर से कर लगता है। इस पद्धति में कुल आय पर कोई एक दर लागू नहीं होती है। वर्तमान काल में आय कर लगाने के लिए यही पद्धति चालू है।

आय-कर के सम्बन्ध में वित्तअधिनियम, १९६५ की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Finance Act, 1965 in relation to Income tax)

वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा आय कर के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख संशोधन किये गये हैं

(१) कर दाताओं पर कर भार की गणना सरल करने के उद्देश्य से अधि कर को आय-कर में मिला लिया गया है तथा कर की एक दर की अनुसूची बनायी गयी है।

(२) पूर्व वर्षों में कर की दरों की तालिका में आय का प्रथम खण्ड जो कर मुक्त होता था अब हटा दिया गया है और उसके स्थान में व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों को व्यक्तिगत छूट देने के लिए कर की कटौती दी जायेगी। एक अविवाहित व्यक्ति की दशा में यह व्यक्तिगत छूट १०० रु० होगी। एक विवाहित व्यक्ति के लिए यह छूट १७५ रु० होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आश्रित बच्चे के लिए २० रु० की छूट और दी जायेगी परन्तु

एक से अधिक आश्रित बच्चे की दशा मे यह छूट अधिक से से अधिक ४० रु० की हो सकती है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे यदि परिवार मे कोई अवयस्क सहभागी नही है तो यह व्यक्तिगत छूट १७५ रु० होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रति अवयस्क सहभागी के लिए २० रु० की छूट और दी जायेगी परन्तु एक से अधिक अवयस्क सहभागी की दशा मे यह छूट अधिक से अधिक ४० रु० की हो सकती है। व्यक्तिगत छूट की ये कटौतियाँ तब भी दी जायेंगी जबकि एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय २०,००० रु० से अधिक हो। (अब तक विवाह तथा बच्चो की छूट केवल २०,००० रु० तक की कुल आय की दशा मे दी जाती थी)

(३) अनुपार्जित आय पर सरचाज न लगने की सीमा १०,००० रु० से बढाकर १५,००० रु० कर दी गयी है। व्यक्तियो तथा हिन्दू अविभाजित परिवारो की दशा मे सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज उपार्जित आय मानी जायेगी।

(४) विदेशियो की भारत मे कर योग्य आय पर कर उसी प्रकार लगाया जायगा जिस प्रकार निवासियो पर लगता है परन्तु उन्हे व्यक्तिगत छूट की कटौती नही दी जायेगी।

(५) रजिस्टर्ड फर्म की दशा मे सरचाज लगाने की पद्धति बदल दी गयी है। आय कर पर सरचाज की दर सामान्यतया २० प्रतिशत है परन्तु यदि एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय मे कम से कम ५१% आय ऐसी है जो किसी पेशे से उदय हुई है तो उसकी कुल आय पर देय आय-कर पर सरचाज १० प्रतिशत से लगाया जायेगा।

(६) सहकारी समितियो के लिए आय-कर की दरो की पृथक् अनुसूची निर्धारित की गयी है क्योंकि वित्त अधिनियम १९६४ के अनुसार इन पर अधि कर रिआयती दर से लागू होता था।

(७) कम्पनियो के लिए आय-कर की दर ८०% निर्धारित की गयी है परन्तु इसमे से भिन्न भिन्न प्रकार की आयो के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न छूटें दी जायेंगी। ये छूटें उसी प्रकार की हैं जैसी वित्त अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत अधि-कर के सम्बन्ध मे मिलती थी।

(८) वित्तीय वर्ष १९६५-६६ मे विदेशियो की आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती ३०% अथवा उस आय पर लागू दर (दोनो मे जो अधिक हो) से की जायगी। वित्त अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत यह दर ४८ ३७ प्रतिशत थी।

(९) एक विदेशी प्रविधिन की दशा मे जिसे निर्माण अथवा उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओ का अथवा खान अथवा शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण के

सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान तथा अनुभव है तथा जिसका भारत मे आने के बाद ३६ माह तक का वेतन कर मुक्त होता है, यदि इन ३६ माह के बाद उसके सेवा काल मे वृद्धि कर दी जाय और उसके वेतन पर देय कर उसका मालिक चुकाता है तो ६० माह तक मालिक द्वारा दिया हुआ कर उस प्रविधिन के लिए कर मुक्त होगा बशर्ते कि उसके सेवा काल की वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो। पहले यह कर केवल २४ माह तक कर मुक्त होता था।

(१०) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की जीवन बीमा प्रीमियम प्रावीडेण्ट फण्ड म अशदान, डाकखाने के Cumulative Time Deposit Account मे जमा की गयी राशि, आदि के सम्बन्ध मे कुल आय पर लागू कर की औसत दर से छूट दी जाती थी परन्तु अब यह पद्धति बन्द कर दी गयी है और इसके स्थान मे निर्धारित सीमा तक ऐसे भुगतानो के प्रथम ५ ००० रु० का ६० प्रतिशत तथा शेष ऐसे भुगतानो का ८०% कर-दाता की कुल आय म से घटा दिया जायगा। इस नयी पद्धति से कर की गणना सरल हो जायगी। एस भुगतानो के लिए एक व्यक्ति की दशा म निर्धारित मुद्रा सीमा १०,००० रु० स बढाकर १२,५०० रु० कर दी गयी है तथा एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा म यह सीमा २०,००० रु० से बढाकर २५ ००० रु० कर दी गयी है।

(११) नयी धारा ८० B के अन्तगत, एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय म स उसके द्वारा अपने किसी असमर्थ आश्रित के इलाज अथवा देख रेख पर व्यय की गयी राशि की कटौती दी जायेगी बशर्ते कि वह आश्रित उस व्यक्ति का रिश्तेदार हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य हो तथा वह उस पर आश्रित हो।

(१२) एक अन्य नयी धारा ८० C के अन्तगत ऐसी रजिस्टड फर्मों के साझेदारो को जो चार्टर्ड एकाउटेण्ट, वस्तुशिल्पी (architects), सालिसिटर अथवा वकीलो का पेशा करते है किसी स्वीकृत वार्षिकी योजना के अन्तगत जीवन वार्षिकिया खरीदने पर व्यय की गयी राशि तथा निवृत्ति लाभ (Retirement benefit) की व्यवस्था करने वाली किसी स्वीकृत निधि मे दिये गये अशदान की राशि की कटौती उनकी कुल आय म से दी जायगी। किसी भी *दशा मे कटौती की राशि ५ ००० रु० अथवा कर दाता की कुल आय के* $\frac{1}{6}$ भाग जो दोनो मे कम हो से अधिक नही होगी।

(१३) एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियो म परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यय किया जायेगा वह कम्पनी क "व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीर्षक की आय मे से घटा दिया जायगा। यदि यह व्यय पूजीगत प्रकृति का हो तो यह पाच वर्ष की अवधि म समान वार्षिक किस्तो मे घटाया जायेगा।

(१४) वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा विकास सम्बन्धी छूट के सम्बन्ध मे भी संशोधन किये गये हैं। इस संशोधन के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओ के निर्माण अथवा उत्पादन के व्यापार के लिए ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे उसकी वास्तविक लागत पर २५% की दर से विकास सम्बन्धी छूट दी जायेगी। अन्य किसी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे जो ३१ मार्च, १९६५ के बाद तथा १ अप्रैल, १९६७ से पूर्व लगायी जाये विकास सम्बन्धी छूट उसकी वास्तविक लागत पर २०% से दी जायेगी तथा यदि यह ३१ मार्च, १९६७ के बाद लगायी जाय तो यह छूट १८% से दी जायगी।

(१५) धारा ३३ मे उप धारा (६) नयी जोडी गयी है। इस संशोधन के अनुसार ३१ मार्च, १९६५ के बाद किसी कार्यालय भवन अथवा रहने के मकान (अतिथि भवन सहित) मे लगायी गयी किसी मशीन अथवा प्लाण्ट पर कोई विकास सम्बन्धी छूट नही दी जायगी।

(१६) आय कर अधिनियम मे एक नयी धारा ३३ A जोडी गयी है। इस धारा के अन्तर्गत भारत मे चाय के उत्पादन अथवा निर्माण के व्यापार की कुल आय मे से चाय की झाडियो के सम्बन्ध मे विकास सम्बन्धी छूट की कटौती दी जायेगी। यह कटौती नये क्षेत्रो मे चाय की झाडिया लगाने के सम्बन्ध मे पौधे लगाने की वास्तविक लागत पर ४० प्रतिशत की दर से तथा पुरानी बेकार अथवा मृतक झाडियो के बदले मे नयी झाडिया लगाने की दशा मे पौधे लगाने की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत की दर से दी जायगी।

(१७) बोनस अशो के सम्बन्ध मे पूँजी लाभ पर कर इन अशो के अंकित मूल्य पर १२½ प्रतिशत से अथवा इस पूजी लाभ पर कर की राशि से, जो दोनो मे कम हो, कम कर दिया जायगा।

(१८) अग्रिम देय कर के सम्बन्ध मे सरकार अथवा कर दाता द्वारा देय ब्याज की दर ४ प्रतिशत से बढाकर ६ प्रतिशत कर दी गयी है। इसी प्रकार देर मे कर चुकाने के सम्बन्ध मे तथा सरकार द्वारा देर मे कर की वापसी करने के सम्बन्ध मे ब्याज की दर ४ प्रतिशत से बढाकर ६ प्रतिशत कर दी गयी है।

(१९) आय कर अधिनियम मे कुछ दशाओ मे कर-दाताओ को कर-जमा पत्र देने की व्यवस्था की गयी है।

(२०) वित्त अधिनियम १९६५ मे ऐसी आयो का ऐच्छिक उदघाटन (Voluntary disclosure) करने की व्यवस्था की गयी है जो एक व्यक्ति ने किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए १ मार्च, १९६५ से पूर्व दाखिल किये गये आय के नक्शे मे नही दिखायी है अथवा जो किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए १ मार्च, १९६५ से पूर्व समाप्त हुए कर निर्धारण से छूट गयी है। यह उद्घाटन

मार्च, अप्रैल तथा मई १९६५ तक की अवधि में किसी भी समय किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत जो राशि बतायी जायेगी उस पर ६० प्रतिशत की दर से आय कर लगेगा परन्तु यदि यह कर मार्च १९६५ में चुका दिया जाये तो यह कर ५७ प्रतिशत की दर से लगेगा। इस राशि के सम्बन्ध में कर-दाता पर अन्य कोई कर दायित्व नहीं रहेगा।

आय कर की दरें (Rates of Income tax)

१९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए आय कर की दरें निम्न हैं

(क)

प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य समुदाय के लिए

	दरें
(१) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक न हो	कुल आय का ५ प्रतिशत,
(२) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक हो परन्तु १०,००० से अधिक न हो	२५० रु० तथा ५,००० रु० से अधिक आय पर १० प्रतिशत,
(३) जबकि कुल आय १० ००० रु० से अधिक हो परन्तु १५,००० रु० से अधिक न हो	७५० रु० तथा १०,००० रु० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत,
(४) जबकि कुल आय १५,००० रु० से अधिक हो परन्तु २०,००० रु० से अधिक न हो	१,५०० रु० तथा १५ ००० रु० से अधिक आय पर २० प्रतिशत,
(५) जबकि कुल आय २० ००० रु० से अधिक हो परन्तु २५ ००० रु० से अधिक न हो	२,५०० रु० तथा २० ००० रु० से अधिक आय पर ३० प्रतिशत,
(६) जबकि कुल आय २५ ००० रु० से अधिक हो परन्तु ३०,००० रु० से अधिक न हो	४,००० रु० तथा २५,००० रु० से अधिक आय पर ४० प्रतिशत,
(७) जबकि कुल आय ३०,००० रु० से अधिक हो परन्तु ५०,००० रु० से अधिक न हो	६ ००० रु० तथा ३० ००० रु० से अधिक आय पर ५० प्रतिशत,
(८) जबकि कुल आय ५०,००० रु० से अधिक हो परन्तु ७०,००० रु० से अधिक न हो	१६,००० रु० तथा ५०,००० रु० से अधिक आय पर ६० प्रतिशत,
(९) जबकि कुल आय ७०,००० रु० से अधिक हो।	२८,००० रु० तथा ७०,००० रु० से अधिक आय पर ६५ प्रतिशत।

व्यक्तिगत छूट

एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा म उपर्युक्त दर से निकाले गये कर की राशि मे स व्यक्तिगत छूट के सम्बन्ध म निम्न कटौती दी जायगी

(अ) एक अविवाहित व्यक्ति के लिए	१०० रु०
(आ) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित काई बच्चा नही है तथा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसमे काई अवयस्क सहभागी नही है	१७५ रु०
(इ) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित एक बच्चा ह अथवा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसम एक ऐसा अवयस्क सहभागी है जो परिवार की आय पर आश्रित है	१९५ रु०
(ई) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित एक से अधिक बच्चे है अथवा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसम एक स अधिक ऐस अवयस्क सहभागी है जा परिवार की आय पर आश्रित है	२१५ रु०

स्पष्टीकरण—उपयुक्त व्यक्तिगत छूटा के लिए विवाहित व्यक्ति म विधवाए तथा विधुर भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी विवाहित व्यक्ति की श्रेणी म ही आते है जो कभी विवाहित थे चाहे बाद म उनकी शादी भग ही क्या न हा गयी हो, बशर्ते कि उनके पोषण (support) करने के लिए बच्चे हा।

न्यूनतम कर-योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit)

उपर्युक्त तालिका म वर्णित कर दाताओ की ऐसी कुल आय पर आय कर नही लगता है जो निम्न सीमा से अधिक न हा

(1) ६,००० रुपये, ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जा गत वर्ष के अन्त म निम्न मे स काइ एक शर्त पूरी करता हो

(अ) उसम कम स कम दो सदस्य ऐसे हो जा १८ वर्ष की आयु से कम नही हैं तथा जिन्हे विभाजन कराने का अधिकार है अथवा

(ब) उसम कम से कम दो सदस्य ऐसे हो जिन्हे विभाजन करान का अधिकार है तथा जो आपस म एक दूसरे की सतान न हो और जो परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सतान न हो,

(ii) ३ ००० रुपये अ य दशाओ म।

सीमान्त छूट (Marginal Relief)—जब कर-दाता की कुल आय २०,००० रु० से अधिक न हो तो देय कर की राशि उसकी कुल आय के न्यूनतम कर योग्य सीमा पर आधिक्य के ४० प्रतिशत से अधिक नही होगी, अर्थात कर दाता की कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से जितनी अधिक है उसके ४० प्रतिशत से अधिक कर देय नही होगा।

व्यवहार म सीमान्त छूट का नियम निम्न आय तक लागू होगा

(i) एक अविवाहित व्यक्ति के लिए ३,१४२ रु० तक की कुल आय पर,

(ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसम कोई अवयस्क सहभागी नही है ६,७८० रु० तक की कुल आय पर,

(iii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसम एक अवयस्क सहभागी हो ६ ४१५ रु० तक की कुल आय पर,

(iv) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसम एक से अधिक अवयस्क सहभागी हो ६ ४४६ रु० तक की कुल आय पर तथा

(v) एक अरजिस्टर्ड फर्म के लिए ३ ४२६ रु० तक की कुल आय पर।

आय कर पर सरचाज (Surcharge on Income-tax)

(क) अनुपार्जित आय के सम्बन्ध मे—१५,००० रु० तक की अनुपार्जित आय पर कोई सरचार्ज नही लगता है। १५,००० रु० से अधिक अनुपार्जित आय की दशा मे सरचाज निम्न दरो से लगेगा

	दरें
(i) प्रथम १५ ००० रु० की अनुपार्जित आय पर आय-कर पर	शून्य
(ii) अगले ३५ ००० रु० की अनुपार्जित आय पर आय-कर पर	२० प्रतिशत,
(iii) शेष अनुपार्जित आय पर आय-कर पर	२५ प्रतिशत।

इस सम्बन्ध मे अनुपार्जित आय पर आय कर की गणना यह मानकर की जायगी कि यही कुल आय है। एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए सरकारी प्रतिभूतियो पर ब्याज की आय सरचाज के सम्बन्ध म उपार्जित आय मानी जायेगी।

(ख) उपार्जित आय के सम्बन्ध मे—एक लाख रुपये तक की उपार्जित

आय पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। एक लाख रुपये से अधिक उपार्जित आय की दशा में सरचार्ज निम्न दरों से लगेगा

	दरें
(i) प्रथम १ लाख रुपये की उपार्जित आय पर आय-कर पर	शून्य
(ii) अगले १ लाख रुपये की उपार्जित आय पर आय कर पर	५ प्रतिशत,
(iii) अगले १ लाख रुपये की उपार्जित आय पर आय-कर पर	१० प्रतिशत,
(iv) शेष उपार्जित आय पर आय-कर पर	१५ प्रतिशत।

इस सम्बन्ध में उपार्जित आय पर आय कर की गणना यह मानकर की जायेगी कि यही कुल आय है।

(ख)

सहकारी समिति के लिए	दरें
(१) जबकि कुल आय ५ ००० रु० से अधिक न हो	कुल आय का ५ प्रतिशत,
(२) जबकि कुल आय ५ ००० रु० से अधिक हो परन्तु १०,००० रु० से अधिक न हो	२५० रु० तथा ५,००० रु० से अधिक आय पर १० प्रतिशत,
(३) जबकि कुल आय १०,००० रु० से अधिक हो परन्तु १५,००० रु० से अधिक न हो	७५० रु० तथा १०,००० रु० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत,
(४) जबकि कुल आय १५,००० रु० से अधिक हो परन्तु २०,००० से अधिक न हो	१,५०० रु० तथा १५ ००० रु० से अधिक आय पर २० प्रतिशत,
(५) जबकि कुल आय २०,००० रु० से अधिक हो परन्तु २५,००० रु० से अधिक न हो	२,५०० रु० तथा २०,००० रु० से अधिक आय पर २५ प्रतिशत,
(६) जबकि कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो	३,७५० रु० तथा २५ ००० रु० से अधिक आय पर ४१ प्रतिशत।

आय कर पर सरचार्ज—यदि कुल आय २५ ००० रु० से अधिक हो तो इससे अधिक आय पर देय आय कर पर ६¼ प्रतिशत से सरचार्ज लगाया जायेगा।

(ग)

रजिस्टर्ड फर्म के लिए—आय-कर की दरें "फर्म के कर निर्धारण" के अध्याय मे दी गयी हैं।

(घ)

स्थानीय सत्ता के लिए—कुल आय पर आय कर ४५ प्रतिशत से तथा आय कर पर सरचार्ज १० प्रतिशत से लगाया जायगा।

(ङ)

कम्पनी के लिए—कुल आय पर आय कर ८० प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा परन्तु भिन्न भिन्न प्रकार की कम्पनियो की दशा मे भिन्न भिन्न प्रकार की आयो के लिए भिन्न भिन्न दरो से आय कर की छूट दी जायेगी जो ८० प्रतिशत से निकाली गयी आय कर की राशि म से घटा दी जायेगी।

वेतन की आय—यदि कम्पनी को छोडकर अन्य किसी कर दाता की कुल आय मे वेतन शीर्षक की आय शामिल है तो १९६४-६५ कर निर्धारण वर्ष के लिए वेतन की आय पर देय आय कर की वह राशि होगी जिसका कर दाता की कुल आय पर वित्त अधिनियम १९६४ की दरो के अनुसार, देय आय कर तथा अधि कर की कुल राशि से वही अनुपात हो जो वेतन की आय का उसकी कुल आय मे है।

नोट—वित्त अधिनियम १९६४ के अनुसार आय कर तथा अधि-कर की दरें पुस्तक के अन्त म परिशिष्ट (Appendix) मे दी गयी है।

वार्षिकी जमा योजना (Annuity Deposit Scheme)

यह योजना Finance Act, 1964 द्वारा लागू की गयी है। यह भारत के नागरिक व्यक्तियो, अविभाजित हिन्दू परिवार अनरजिस्टर्ड फर्म व्यक्तियो के अन्य समुदाय तथा कृत्रिम व्यक्तियो पर लागू होती है। रजिस्टर्ड फर्म तथा कम्पनियो को वार्षिकी जमा नही करनी होगी। १५,००० रु० तक की कुल आय पर यह योजना लागू नही होगी। १५,००० रु० से अधिक कुल आय होने पर 'समायोजित कुल आय' (Adjusted Total Income) पर वार्षिकी जमा की रकम की गणना की जायेगी।

समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income)

समायोजित कुल आय से अभिप्राय कुल आय म से (बिना वार्षिकी जमा की रकम घटाये) निम्न का योग घटाने के बाद शेष बची हुई रकम से है

(i) वेतन म सम्मिलित प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड के हस्तान्तरित शेष का कर योग्य भाग,

(ii) पुरानी बकाया वेतन की प्राप्ति अथवा पेशगी प्राप्त वेतन जिसके

सम्बन्ध म कर्मचारी धारा ८९ (१) के अन्तर्गत छूट के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है,

(iii) यदि जमा करने वाला ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म मे साझेदार है जिसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा करनी है तो फर्म मे उसके लाभ का हिस्सा,

(iv) यदि जमा करने वाला, व्यक्तियों के किसी ऐसे समुदाय का सदस्य है (अविभाजित हिन्दू परिवार अथवा फर्म छोड़कर) जिसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा करनी है तो वह उस समुदाय म जो रकम प्राप्त करने का अधिकारी है,

(v) धारा २८ (ii) के अन्तर्गत प्राप्त क्षति-पूर्ति की रकम अथवा अन्य कोई रकम, तथा

(vi) 'पूंजी लाभ' के शीर्षक म कर योग्य आय, तथा

(vii) धारा २८० D के अन्तर्गत, वार्षिकी की प्राप्य अथवा प्राप्त रकम।

वार्षिकी जमा की दरें (Rates of Annuity Deposits)

वार्षिकी जमा (Annuity Deposit) की रकम की गणना 'समायोजित कुल आय' (Adjusted Total Income) पर निम्न दरों से की जायेगी

	दरें
(१) जमा करने वाले की कुल आय १५,००० रु० से अधिक न होने की दशा मे	शून्य
(२) जमा करने वाले की कुल आय १५,००० रुपये से अधिक परन्तु २०,००० रु० से अधिक न होने की दशा मे	५%
(३) जमा करने वाले की कुल आय २०,००० रुपये से अधिक परन्तु ४०,००० रु० से अधिक न होने की दशा मे	७½%
(४) जमा करने वाले की कुल आय ४०,००० रुपये से अधिक परन्तु ७०,००० रु० से अधिक न होने की दशा मे	१०%
(५) जमा करने वाले की कुल आय ७०,००० रु० से अधिक होने की दशा मे	१२½%

सीमान्त छूट (Marginal Relief)

किसी भी दशा मे वार्षिकी जमा की रकम निम्न के योग से अधिक नहीं होगी

(i) जमा करने वाले की कुल आय उपर्युक्त दरों के जिस खण्ड मे पड़ती हो उस खण्ड से ठीक पूर्व खण्ड की अधिकतम राशि पर उस पर लागू दर से निकाली गयी राशि, तथा

(ii) जमा करने वाले की कुल आय उपर्युक्त (i) मे वर्णित पिछले खण्ड की अधिकतम राशि से जितनी अधिक हो उसकी आधी राशि।

कुल आय में से वार्षिकी जमा की राशि घटाकर जो शेष रहेगा उस पर आय-कर लगाया जायगा। वार्षिकी जमा की राशि वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय में से घटायी जायेगी और यदि इस शीर्षक में कोई कर योग्य आय न हो अथवा वार्षिकी की जमा की राशि इस आय से अधिक हो तो पूर्ण अथवा शेष बची हुई वार्षिकी जमा की राशि कर दाता की अन्य उपार्जित आय में से घटायी जायगी तथा यदि वार्षिकी जमा की रकम उपार्जित आय से अधिक हो तो शेष रकम कर दाता की अनुपार्जित आय में से घटायी जायगी।

कर-निर्धारण की गणना
(Computation of Assessment)

किसी कर-दाता की कर निर्धारण की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(१) कर-दाता की कुल आय निर्धारित कीजिए।

(२) कुल आय में से प्रावीडेण्ट फण्ड में अंशदान जीवन बीमा प्रीमियम आदि, के सम्बन्ध में निर्धारित सीमा तक की राशि या निर्धारित प्रतिशत घटाइए।

(३) उपर्युक्त (२) में वर्णित राशि घटाने के बाद शेष बची हुई राशि में से कर दाता द्वारा जमा की गयी वार्षिकी की राशि घटाइए तथा शेष बची हुई कुल आय पर आय कर तथा सरचार्ज निकालिए।

(४) आय कर की औसत दर निकालिए।

(५) कुल आय में सम्मिलित ऐसी रकमें छाँटिए जो आय-कर से मुक्त हैं।

(६) कर मुक्त रकमों पर आय कर की औसत दर से अथवा निर्धारित दर से छूट की गणना कीजिए।

(७) उपर्युक्त (३) में निकले हुए कर की सकल राशि में से निम्न घटाइए

(i) उपर्युक्त (६) में निकली हुई छूट की रकम,

(ii) उदगम स्थान पर कटे हुए कर की रकम

(iii) अग्रिम चुकाया गया कर, तथा

(iv) कर दाता को मिले हुए कर जमा पत्रों की राशि।

(८) उपर्युक्त (७) में दी हुई रकमों को घटाकर जो शेष बचेगा वही उस कर दाता द्वारा देय शुद्ध कर होगा अथवा यदि उपर्युक्त (७) में घटायी जाने वाली रकमों का जोड़ (३) में निकले हुए कुल कर की रकम से अधिक हो तो वह आधिक्य उस कर दाता द्वारा प्राप्य वापसी की रकम होगी।

(९) कर दाता द्वारा देय शुद्ध कर की रकम के साथ उसे वह अर्थ दण्ड, जुर्माना आदि भी चुकाना होगा जो उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत लगे हों।

Illustration 1

From the information given below find out the amount of tax payable for the assessment year 1965 66

(a) An unmarried individual Taxable Income from house property Rs 5,000

(b) A married individual with one child Taxable Income from house property Rs 5,000

(c) A widow with two children Taxable Income from house property Rs 5,000 and income from business Rs 4,000

(d) An unregistered firm Taxable Income from business Rs 18,000 and taxable income from house property Rs 10 000

Solution

Assessment Year 1965 66

(a) Total Income Rs 5 000

		Rs
Income tax on Rs 5,000 @ 5%		250
Deduct Personal Allowance		100
Income tax payable	Rs	150

(b) Total Income Rs 5 000

		Rs
Income tax on Rs 5,000 @ 5%		250
Deduct Personal Allowance		195
Income tax payable	Rs	55

(c) *Statement of Total Income*

		Rs
1 Income from House Property		5 000
2 Income from Business		4 000
Total Income	Rs	9 000

		Rs
Income tax on Rs 9 000 will be Rs 250 plus 10% of Rs 4,000		650
Deduct Personal Allowance		215
Income tax payable	Rs	435

(d) *Statement of Total Income*

			Rs
1	Income from House Property		10 000
2	Income from Business		18,000
		Total Income Rs	28 000

Annuity Deposit @ $7\frac{1}{2}\%$ on Rs 28 000 = Rs 2 100
Reduced Total Income = Rs (28 000 — 2 100)
= Rs 25 900
Income tax on Rs 25,900 will be Rs 4 000 plus 40% of Rs 900 = Rs 4 360

Illustration 2

Mr X an unmarried individual has the following taxable income for the previous year ended 31st March, 1965

House Property	Rs 20 000
Business	Rs 20 000

Prepare his assessment for the year 1965 66 and calculate the net tax payable by him

Solution

Assessment of Mr X for the year 1965 66
Statement of Total Income

			Rs
1	Income from House Property (Unearned)		20 000
2	Income from Business (Earned)		20 000
		Total Income Rs	40 000

Annuity Deposit @ $7\frac{1}{2}\%$ of Rs 40 000	Rs 3 000
Balance of Total Income = Rs 40 000 — 3 000	= Rs 37 000
Income tax on Rs 37 000 will be Rs 6 000 plus 50% of Rs 7 000	Rs 9 500
Deduct Personal Allowance	Rs 100
	Rs 9 400
Surcharge on income tax on unearned income of Rs 20 000 will be calculated as under	
Income tax on the first Rs 15 000 of unearned income	R 1 500
Income tax on the balance of Rs 5 000 of unearned income @ 20%	Rs 1 000

Hence surcharge @ 20% on Rs 1 000 will be Rs 200
Thus total tax payable = Rs 9 100 + 200 = Rs 9 600

Illustration 3

The taxable income of a married individual is Rs 1,20,000 from Business and Rs 10,000 from House Property for the previous year ended 31st Dec , 1964 Prepare his assessment for the relevant assessment year

Solution

Assessment for 1965 66
Statement of Total Income

		Rs
1	Income from house property (unearned)	10,000
2	Income from business (earned)	1,20,000
	Total Income Rs	1 30,000

Annuity Deposit @ 12½% of Rs 1,30,000 Rs 16,250

(In this case the adjusted total income shall also be Rs 1,30,000 as there is nothing deductible)

Balance of Total Income = Rs 1,30,000—16,250 = Rs 1,13,750

(Earned income Rs 1,03 750 plus unearned income Rs 10,000)

Income tax on Rs 1,13 750 will be Rs 28,000 plus 65% on the excess over Rs 70 000, i e , Rs 28 000+65% of Rs 43,750 Rs 56,437 50

Less : Personal Allowance Rs 215 00

Rs 56,222 50

Surcharge on income tax on earned income of Rs 1,03,750 will be calculated as under

Income tax on the first Rs 1 lakh of earned income Rs 47 500

Income tax on the balance of earned income of Rs 3 750 @ 65 per cent Rs [illegible] 437 50

Hence surcharge @ 5% on Rs 2 437 50 will be Rs 121 87

Thus, total tax payable = Rs 56,222 50 plus Rs 121 87 = Rs 56 344 37

Illustration 4

An unmarried individual has an income of Rs 3,125 from his business for the previous year ended 31st March, 1965 Find out the net tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

In this case the income tax payable will be the lower of the following amounts viz,

(a) Income tax calculated on the total income of Rs 3,125 at 5% less personal allowance or

(b) 40% of the excess of Rs 3 125 over Rs 3,000

Income tax on Rs 3,125 @ 5%	=Rs 156 25
Less Personal Allowance	Rs 100 00
Tax Payable	Rs 56 25

As Rs 56 25 is more than 40 per cent of the excess of Rs 3 125 over Rs 3,000, i e, 40% of Rs 125=Rs 50 the amount of income tax payable will be Rs 50

Illustration 5

For the year ended 31st December 1964 a married individual with more than one child had an income of Rs 21,000 from business Calculate the amount of tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

As regards annuity deposit, it is a case of marginal relief as the income of Rs 21 000 just exceeds Rs 20 000 The normal Annuity Deposit @ 7½% on Rs 21 000 would be Rs 1 575 which is more than 5% of Rs 20 000 plus half the excess over Rs 20 000 i e Rs 1,000+500=Rs 1 500 Hence the lower of the two amounts, i e Rs 1 500 will be paid as Annuity Deposit

Balance of Income=Rs 21 000—1,500=Rs 19,500

Income tax on Rs 19 500 will be Rs 1 500 plus 20% of Rs 4,500	=Rs 2 400
Less Personal Allowance	Rs 215
Net tax payable	Rs 2 185

Illustration 6

The particulars of income of an unmarried individual for the previous year ended 31st March 1965, are as under

		Rs
1	Taxable Income from house property	10,000
2	Profits and gains of business	20 000
3	Capital gain in respect of short term capital assets	5 000
4	Capital loss in respect of long term capital assets	15,000

Find out the tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

Assessment for 1965 66

Statement of Total Income

		Rs
1	Income from house property	10,000
2	Profits and gains of business	20 000
3	Capital gains in respect of short term capital assets	5,000
	Total Income	Rs 35 000

Adjusted total income for the purpose of calculating Annuity Deposit = Rs (35,000 − 5 000) = Rs 30 000

Annuity Deposit @ 7½% of Rs 30 000 = Rs 2 250

Balance of income = Rs (35 000 − 2,250) = Rs 32,750

Income tax on Rs 27 250 at the rate applicable to Rs 27,250 = Rs 1,000 plus 10% of Rs 2 250 = Rs (1 000 + 900) = Rs 1,900

Income tax on short term capital gain of Rs 5 000 at the rate applicable to Rs 32 750 = $\frac{5\,000 \times 7\,375}{32{,}750}$ = Rs 1,126

(Income tax on Rs 32 750 = Rs 7,375)

Thus total amount of income tax on the total income of Rs 32 750 = Rs (4 900 + 1,126) = Rs 6 026

Less Personal Allowance Rs 100

Net tax payable Rs 5 926

Notes 1 As the earned income does not exceed Rs 1 lakh and the unearned income does not exceed Rs 15,000 no surcharge will be payable in this case

2 Capital loss in respect of long term capital assets can be set off only against the Capital gains in respect of long term capital assets In the above case the assessee will not be entitled to set off the loss of Rs 15 000 in respect of long term capital assets against capital gains in respect of short term capital assets This loss will be carried forward but for not more than 4 succeeding assessment years

Illustration 7

The following are the particulars of income of a married individual with more than one child for the previous year ended 31st March, 1965

(1) Salary Rs 6 000

(2) Taxable Income from house property Rs 4 000

(3) Taxable Income from business Rs 5,000

Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

Statement of Total Income

			Rs
1	Income from Salary		6 000
2	,, ,,	House Property	4 000
3	,, ,,	Business	5,000
		Total Income Rs	15,000

The Finance Act , 1965 provides that the income chargeable under the head salaries will be charged to tax at the average rate applicable to the total income at the rates prescribed by the Finance Act 1964

As the total income does not exceed Rs 15 000 nothing will be payable as annuity deposit

Income tax on Rs 15 000 at 1964 rates = Rs 1 560

Hence proportionate income tax on Rs 6 000 $= \frac{6\ 000 \times 1{,}560}{15\ 000}$

= Rs 624

Income tax on Rs 15 000 at 1965 rates

= Rs 750 + 15% on Rs 5,000 = Rs 1 500

Less Personal Allowance Rs 215

Net amount of tax Rs 1 285

Hence proportionate income tax on Rs 9 000 $= \frac{9\ 000 \times 1\ 285}{15\ 000}$

= Rs 771

Thus, total amount of income tax payable by the assessee

= Rs (624 + 771)

= Rs 1 395

Note No surcharge will be payable either as per Finance Act 1964 or as per Finance Act 1965 as the income does not exceed the prescribed limit for the purpose

Illustration 8

The total income of a married individual with no child for the assessment year 1965 66 consists of the following

		Rs
(1)	Income from Business	70 000
(2)	One third share from Unregistered Firm	50 000
(3)	One fourth share from Registered Firm	40 000
(4)	Income from House Property	30 000
(5)	Bank Interest	10 000
	Total Income Rs	2,00,000

Find out the tax payable by him for the assessment year 1965 66 Rebate on proportionate tax payable by the Registered Firm need not be calculated

Solution

Total Income	Rs 2 00,000
Less ⅓ Share from Unregistered Firm as the firm is liable to pay Annuity Deposit	Rs 50,000
Adjusted Total Income	Rs 1,50 000
Annuity Deposit payable @ 12½% of Rs 1 50,000	Rs 18 750
Balance of Total Income = Rs 2,00 000 − 18,750 =	Rs 1,81 250

This consists of

Earned Income

		Rs
(1)	Income from business (Rs 70 000 − 18,750)	51 250
(2)	¼ Share from Registered Firm	40 000
		91 250
	and *Unearned Income* (Balance)	90 000
	Rs	1 81 250

Income tax on Rs 1 81 250 will be Rs 28 000 +65% of Rs 1 11 250 =	Rs	1 00 312 50
Less Personal Allowance	Rs	175 00
	Rs	1 00,137 50

As the earned income does not exceed Rs one lakh, no sur charge is payable on income tax on earned income

Surcharge on income tax on unearned income of Rs 90,000 will be calculated as under

		Rs
Income tax on Rs 90 000		*41,000*
Less Income tax on Rs 15 000		1,500
	Difference	Rs 39 500

As the amount of the difference exceeds Rs 14 500 the sur charge will be Rs 2 900 plus 25% of the amount by which the difference aforesaid exceeds Rs 14,500

Hence, surcharge on income tax on unearned income will be Rs 2 900 plus 25% of Rs 25 000 = Rs 9 150

Thus, total tax payable = (Rs 1 00 137 50 plus 9 150)
= Rs 1 09 287 50

Note : Surcharge has been calculated strictly according to the method laid down in the Finance Act 1965

Illustration 9

Mr X is a married individual with two dependent children His income during the previous year 1964 65 was as under

	Rs
Income from Salary	5,000
Income from House Property	12,000
Income from Business	2,000
	Rs 19 000

He paid life insurance premium of Rs 2,000 on his own life and contributed 8% to the provident fund which is recog nised His employer also contributed a similar amount Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

Assessment year 1965 66

Total Income Rs 19 000

In this case the adjusted total income shall also be the same as nothing is deductible from the total income for this purpose Hence annuity deposit @ 5% on Rs 19 000—Rs 950

Reduced Total Income = Rs (19 000—950) = Rs 18 050

It consists of

Earned Income

		Rs
1	Salary (5 000—950)	4 050
2	Business	2 000
		6 050
Unearned Income (Property)		12 000
	Total Taxable Income Rs	18 050

(The amount of annuity deposit has been deducted from the income from salary under Section 280 O (2) of the Income Tax Act)

Income tax on income from salary will be charged at the rates prescribed by the Finance Act 1964 applicable to the reduced total income of Rs 18 050

Income tax on Rs 18 050 at 1964 rates = R 2,170

Proportionate amount of income tax on Rs 4 050

$$= \frac{4\,050 \times 2\,170}{18\,050}$$

= Rs 486 90

Income tax on Rs 18 050 at 1965 rates = Rs 1 500 + 20% of 3 050 = Rs 1500 + 610 = Rs 2,110

Less Personal Allowance = Rs 215

Net amount of tax Rs 1 895

Hence proportionate amount of income tax on Rs 14 000

$$= \frac{14\,000 \times 1\,895}{18\,050}$$

= Rs 1 469 80

Gross amount of income tax on the total income

= Rs (486 90 + 1 469 80)

= Rs 1 956 70

No surcharge is payable either on earned income or on unearned income as it does not exceed the prescribed limits for the purpose

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to Recognised Provident Fund	100
Life Insurance Premium	2 000
Total Rs	2 400

$$\text{Rebate} = \frac{2\,400 \times 1{,}956\ 70}{18\ 050} = \text{Rs}\ 260\ 17$$

Hence net amount of income-tax payable would be Rs (1 956 70 — 260 17) = Rs 1 696 53

Illustration 10

An individual who is married and has more than one dependent child has the following sources of income for the assessment year 1965 66

		Rs
(1)	Income from Salary	25,000
(2)	Income from House Property	40,000
(3)	Income from Business	10 000
(4)	Dividends from specified new industrial companies exempt under Section 85	5,000

He has paid life insurance premuim of Rs 10 000 and donated a sum of Rs 5 000 to an approved institution Calculate the tax payable by the assessee for the assessment year 1965 66

Solution

Assessment Year 1965 66

Total Income Rs 80 000

In this case the adjusted total income shall also be the same as nothing is deductible from the total income for this purpose

Annuity Deposit @ $12\frac{1}{2}\%$ of Rs 80 000 = Rs 10 000

Reduced Total Income = Rs (80 000 — 10 000) = Rs 70 000

It consists of

Earned Income

		Rs
1	Salary (25 000 — 10 000)	15 000
2	Business	10 000
		25 000

Unearned Income

		Rs
1	Income from House Property	40 000
2	,, ,, Dividend	5 000
		45 000

Income tax on income from salary of Rs 15 000 will be charged at the rates of income tax and super tax prescribed by the Finance Act 1964 applicable to the total income of Rs 70,000

Income tax on Rs 70 000 at 1964 rates = Rs 15,240
Super tax on Rs 70 000 at 1964 rates = Rs 16 250

Total Tax as per Finance Act, 1964 R 31 490

Proportionate amount of income tax on the salary of

$$\text{Rs}\ 15\,000 = \frac{15\,000 \times 31,490}{70\,000} = \text{Rs}\ 6\,718$$

Income tax on Rs 70 000 at 1965 rates	Rs 28 000
Less Personal Allowance	215
Net amount of tax	Rs 27 785

Proportionate amount of income tax on Rs 55 000

$$= \frac{55\,000 \times 27\,785}{70\,000}$$

$= \text{Rs}\ 21\,831$

Surcharge on income tax on unearned income of Rs 45 000 shall be calculated as under

	Rs
Income tax on Rs 45 000	13 500
Less Income tax on Rs 15 000	1 500
Difference Rs	12 000

Hence surcharge on income tax on unearned income will be 20% of Rs 12 000 = Rs 2 400

Thus gross amount of income tax payable will be
R (6 718 + 21 831 + 2 400) = R 30 979

Amounts entitled to rebate of income tax

		Rs
(1)	Life Insurance Premium	10 000
(2)	Donations under Section 88	5,000
(3)	Dividends from newly established industrial undertaking under Section 85	5,000
		20 000

Rebate of income tax $= \frac{20\,000 \times 30\,979}{70\,000}$

$=$ Rs 8 851

Hence net income tax payable $=$ Rs (30 969 $-$ 8,851)

$=$ Rs 22 128

QUESTIONS

1 Explain the difference between Step system and Slab system of taxation
आय-कर लगाने की श्रेणी प्रणाली तथा खण्ड प्रणाली मे अन्तर समझाइए।

2 Describe briefly the salient features of the Finance Act, 1965
वित्त अधिनियम, १९६५ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

हल सहित क्रियात्मक प्रश्न

(PRACTICAL QUESTIONS WITH SOLUTIONS)

(i) INDIVIDUALS

Q 1 Harish Mohan is a director of a public limited company, drawing a salary of Rs 2 000 per month In his return for the previous year ended 31st March, 1965 he shows the following items of income besides the salary of Rs 24,000

		Rs
(a)	Director s Fees	1,000
(b)	Value of medical bills reimbursed by the company	2,000
(c)	Company s contribution to recognised provident fund	2 400
(d)	Interest on provident fund account balance at the rate of 6 per cent per annum	3,000
(e)	Grant for the education of children	4,000
(f)	Value of free transport given by the company	1,800
(g)	Entertainment allowance given since 1950	10 000

Harish Mohan claims that all the above items are exempt from tax Which claims will you allow and why ?

Solution

(a) Director's fees is taxable under the head Income from other sources , hence it will not be allowed as an exemption

(b) Value of medical bills reimbursed by the company is not taxable vide Instructions of Central Board of Direct Taxes

(c) Company's Contribution to Recognised Provident Fund is not taxable as it is not more than 10% of the employee s salary

(d) Interest on provident fund account balance is not taxable as it is neither more than one third of employee s salary nor the rate of interest is more than 6%

(e) Grant for the education of children is a perquisite taxable under the head 'salaries as the assessee is a

director in the company It will not be exempt from tax

(f) Value of free transport given by the Company is a perquisite taxable under the head salaries, as the company is not a Transport Company

(g) Entertainment Allowance of Rs 10,000 shall first be included in Total Income under the head 'salaries and then a deduction of Rs 4,800 will be allowed from it as the allowance is being given to him since 1950 The amount of deduction is restricted to 1/5th of salary or Rs 7,500, whichever is less Here 1/5th of salary comes to Rs 4 800, which is less than Rs 7,500 and hence Rs 4,800 will be allowed as a deduction, and the remaining Rs 5,200 will therefore, be taxable

Q 2 Following are the particulars of the income of an individual for the previous year ended 31st March, 1965

(a) Salary Rs 3,000 per month and a conveyance allowance of Rs 500 per month the whole of which was spent by him for the purpose of performing his duties

(b) His contribution to a provident fund was at 8% of salary, the employer also contributing a similar amount

(c) Interest credited to his provident fund account at 9% per annum Rs 4,500

(d) He is provided by his employer with a rent free (unfurnished) house of the Annual Value of Rs 3 500

(e) Proceeds of an endowment policy Rs 10 000

He paid Rs 8 000 as premium on a policy on his own life and Rs 600 as professional tax to the State Government

Find out his total income for the assessment year 1965 66 if (i) the provident fund is recognised and (ii) it is unrecognised stating the amount on which he is entitled to a rebate of income tax

Solution

	Rs
(1) *When the Provident Fund is recognised* Salary	36 000
Value of rent free (unfurnished) house being less than 10% of salary	3,500
Interest credited to provident fund account in excess of 6%	1 500
	41 000
Less Professional tax paid to State Government	600
Income from salary being total income Rs	40 400

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Provident fund contribution	2 880
Life insurance premium (provident fund contribution and premium taken together not to exceed 25% of total income or Rs 10 000, whichever is less)	7,120
Rs	10,000

(2) *When the Provident Fund is unrecognised*

	Rs
Salary	36 000
Value of rent free (unfurnished) house being less than 10% of salary	3 500
	39,500
Less : Professional tax paid to State Government	600
Income from salary being total income Rs	38,900

Amount entitled to rebate of income tax

Life insurance premium (being less than 25% of Total Income) Rs 8,000

Notes (i) The proceeds of the endowment life policy are not to be included in the total income as it is a capital receipt

(ii) Professional Tax paid to State Government is an allowable expenditure

Q ■ From the following particulars of Mr X compute his total income for the assessment year 1965 66 appending notes where necessary

		Rs
1	Salary Rs 3,000 per month for the year ending 31st March, 1965	36,000
2	Bonus	6 000
3	Dearness Allowance	1 800
4	Entertainment Allowance (never given before)	5,000
5	Employer s contribution to Recognised P F	4,000
6	Employee's Contribution to Recognised P F	4,000

7	Interest on P F @ 4%	2,000
8	Education expenses of Mr X's son met by the employer	1,000
9	Rent free unfurnished house provided by the employer, whose rental value is	6 000
10	Mali and Waterman engaged by the employer for many years for maintaining the garden in the residence of Mr X Total salary @ Rs 100 per month was paid to them by the employer	1,200
11	Medical expenses of the employee and free refreshment during office hours	600
12	Gas and electricity bills of the assessee paid by employer	400
13	Life Insurance Premium paid by employer on a policy of the assessee	1,000

Solution

Computation of Total Income of Mr X for the Assessment Year 1965 66

	Rs	Rs
Income from Salary		
(i) Salary proper	36,000	
(ii) Bonus	6 000	
(iii) Dearness Allowance	1 800	
		43 800
(iv) Annual accretion to P F in excess of 10% of salary (for this purpose salary includes dearness allowance, but does not include any other allowances as provided in Rule 2 (h) of Part A of Fourth Schedule to the Income tax Act, 1961)		
Salary =Rs 37,800		
Hence, 10% thereof =Rs 3 780		
Excess =Rs (4 000—3 780)		220
(v) Entertainment Allowance (the entire sum will be taxed as it was never received before)		5 000

Perquisites

(vi) Value of rent free unfurnished house provided by the employer restricted to 10% of the salary (salary for this purpose includes all pay and allowances, payable monthly or otherwise, except dearness allowance, employer's contribution to P F, and allowances which are exempt from tax under this Act) Hence the salary for this purpose will be Rs 36 000 +6 000+5 000=47 000 10% thereof	4,700
(vii) Education expenses of the assessee s son met by the employer	1,000
(viii) Gas and electricity bills of the assessee paid by the employer	400
(ix) Life Insurance Premium on the policy on the life of the assessee paid by the employer	1,000
Total Income Rs	56,120

Notes 1 Salaries of mali and waterman paid by the employer for maintaining the garden in the residence of the employee are not taxable as perquisite under Instructions of the Central Board of Direct Taxes

2 Medical expenses of the assessee borne by the employer and the value of refreshments during office hours are not to be treated as perquisite vide Instructions of Central Board of Direct Taxes

3 As no part of the entertainment allowance is deductible in this case the whole amount has been included in salary for the purpose of calculating the value of rent free house

Q 4 Mr X is employed in a factory on a monthly salary of Rs 2,000 In addition to the salary, he received a bonus of two months' salary during the year 1964 The factory has provided the assessee with a rent free unfurnished accommodation The fair rental value of the accommodation is Rs 8,000 but its rental value according to municipal records is Rs 5 000 One son of the assessee is studying in U S A and his expenses are borne by the employer, which for the accounting year amount to Rs 7 000 He is provided with a car of more than 16 horse power rating by the employer All the expenses in respect of the car are paid by the factory He is getting entertainment allowance @ Rs 400 per month since 1st April, 1959 Find out his taxable income from salary for the assessment year 1965 66

Solution

Computation of Taxable Income from Salary

		Rs
(i)	Salary proper @ Rs 2,000 p m	24,000
(ii)	Bonus for 2 months	4,000
(iii)	Entertainment Allowance[1]	4,800
(iv)	Value of Perquisites	
	(a) Rent free house[2]	4,720
	(b) Education expenses of the assessee s son met by the employer[3]	7,000
	(c) Free Conveyance[4]	3,000
	Taxable Income from Salary	Rs 47 520

Notes 1 As the assessee did not receive any entertainment allowance before 1 4 1955 no deduction will be allowed in this connection

2 Value of rent free house according to municipal records is Rs 5 000 only whereas the fair annual rental value of the same is Rs 8 000 For calculating the amount of perquisite the higher of the two figures is to be adopted The perquisite on account of unfurnished rent free house is normally 10 / of the salary but where the fair rent exceeds 20 / of the salary of the employee the excess over 20 / is to be included in the value of perquisite on this account For this purpose salary is to include all the pay and allowances payable monthly or otherwise except dearness allowance employer s contribution to Provident Fund and allowances which are exempt from tax under this Act Hence the salary for this purpose will be Rs 24 000+4 000+4 800=Rs 32 800 in this case

		Rs
10 / of salary		3 280
Add Excess of fair rent over 20 / of salary	Rs	
Fair Rent	8 000	
Less 20 / of salary	6 560	1 440
Value of Rent free House		Rs 4 720

3 Education expenses of the assessee s son met by the employer are taxable as a perquisite in the hands of the assessee

4 The value of perquisite in the case of a car of more than 16 horse power rating is Rs 250 per month provided the expenses of its maintenance and running are met by the employer as is the case here [Vide Rule 2 of the Income tax (Second Amendment) Rules 1964]

Q 5 The following are the particulars of A's income for previous year ended 31st March, 1965

Salary Rs 1 000 per month

Bonus Rs 1,500 per annum

A rent free house (whose annual value is Rs 1,000 per annum)

Contributions to a provident fund by the employee at 10 per cent of his salary

Employer's contributions to the provident fund at 15 per cent of the salary

Interest credited to the provident fund at 8 per cent per annum is Rs 800

Life insurance premium paid on A's life is Rs 4,000 on a policy of Rs 36,000

Income from other sources Rs 1,500

Find out A's taxable liability if the provident fund in question is (a) a statutory provident fund, (b) a recognised provident fund, and (c) an unrecognised provident fund

Solution

(*a*) *Computation of Total Income of Mr A if the Provident Fund is statutory*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1,500	
Value of rent free house	1,000	
		14,500
Income from other sources		1,500
Total Income Rs		16,000

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to Provident Fund	1,200
Life Insurance Premium	2,800
Restricted to 1/4th of Total Income	Rs 4 000

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12,000 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16 000

(b) *Computation of Total Income of Mr A, if the Provident Fund is recognised*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1,500	
Value of rent free house	1,000	
Employer's contribution to Provident Fund in excess of 10% of salary	600	
Interest on P F in excess of the prescribed rate of 6% p a	200	
		15 300
Income from other sources		1,500
Total Income Rs		16 800

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee s contribution to Provident Fund (being less than 1/5 of salary or Rs 8 000 whichever is less)	1,200
Life Insurance Premium	3,000
Restricted to 1/4th of Total Income	Rs 4,200

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12 600 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16,800

(c) *Computation of Total Income of Mr A, if the Provident Fund is unrecognised*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1 500	
Value of rent free house	1 000	
		14 500
Income from other sources		1,500
Total Income Rs		16 000

Amount entitled to rebate of income tax

	Rs
Life Insurance Premium (although the actual amount is not more than 1/4 of Total Income yet it should also not be more than 10% of the Policy Amount hence it is restricted to 10% of Policy Amount)	3,600

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12,400 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16,000

Q 6 The following are the investments of the Upper India Trading Company You are required to calculate their income from securities

Investments on 1st April, 1964

(a) Rs 60,000 4% U P Government Loan
(b) Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures
(c) Rs 15,000 6% Preference Shares of Cotton Mill Co
(d) Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan
(e) Rs 40,000 6% Debentures of the Imperial Trading Company

On 1st September, 1964, the company sold the above Rs 40 000, 6% Debentures of the Imperial Trading Company Cum Int, and purchased Rs 70,000 6¼% Debentures Cum Int of the Eastern Bengal Jute Co Ltd. The additional sum of Rs 30,000 needed for the purpose was borrowed from the bank at 7½% interest The Banker of the company charged commission on selling and buying of the investments at the rate of 6¼ per cent and on the collection of interest and dividend @ 25 paise per cent calculated on the gross amount Interest or dividend on investments is payable half yearly on 1st July and 1st January each year

Solution

Computation of Income from Securities

		Rs
Rs 60,000 4% U P Government Loan		2,400
Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures		1,500
Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan		1,000
Rs 40,000 6% Debentures of the Imperial Trading Co, (half year)		1,200
Rs 70,000 6¼% Debentures of the Eastern Bengal Jute Co, (half year)		2,275
		Rs 8 375
Less · Expenses allowed		
Interest on Loan (on Rs 30 000) @ 7½% for 7 months	Rs 1 312 50	
Bank Commission	Rs 20 94	1 333 44
Taxable Income from Securities		Rs 7,041 56

Notes 1 Commission paid to Bank on selling and buying of investments at the rate of 6 25 per cent will not be allowed as it is a capital expenditure

2 Bank Commission of Rs 20 94 has been calculated on Rs 8 375 at the rate of 25 paise per cent

3 Rs 15 000 6% Pref shares of a Cotton Mill Co have not been included in Securities Dividend on these shares will be taxed under the heading Income from other sources

Q 7 A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month He contributes 6¼ per cent of his salary to a recognised provident fund to which the college also contributes an equivalent amount The interest on his provident fund account for the year ended 31st March, 1965 (at 5% per annum) amounted to Rs 672

He is also the owner of two houses built in 1953, one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1,000) let at Rs 100 per month His expenses for the two houses were

Municipal taxes Rs 180, Land revenue for the house let Rs 40 Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200, Fire insurance premium Rs 120, Cost of extension of electric fitting in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amounts exempt from income tax for the previous year ending 31st March, 1965 Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium on his life policy of Rs 8,000

Solution

Statement showing Taxable Income from Property

		Rs
Annual rental value of the 2nd house		1 200
Less ½ Municipal Taxes (½ of 100)		50
Annual Value	Rs	1 150
Annual value of residential house on the basis of municipal valuation		800
Less ½ Municipal Taxes (½ of 80)		40
		760
Less ½ Statutory allowance		380
Annual Value	Rs	380

			Rs
	Hence, Annual Value of both the houses		1,530
		Rs	
Less	⅙ Repair Allowance	255	
	Land Revenue	40	
	Interest on Loan	200	
	Fire Insurance Premium	120	
	Vacancy Allowance	192	807
	Taxable income from property		Rs 723

Statement of Total Income

		Rs
1	Income from Salary	9,600
2	Income from House Property	723
	Total Income Rs	10,323

Amounts entitled to rebate of income tax	Rs
Employee's contribution to Provident Fund	600
Life insurance premium (restricted to 10% of the policy amount)	800
	Rs 1 400

Note Cost of extensions of electric fittings in his residence is an inadmissible item as it is of a capital nature

Q 8 Mr H Murthy has the following income for the year ending 31st March 1965

(a) Salary Rs 500 per month He has contributed 6¼% of his salary to a Recognised Provident Fund, to which an equal amount has been contributed by his employers The interest at 4½% per annum on his Provident Fund amounts to Rs 300

(b) He owns three houses having municipal valuations of Rs 1,800 Rs 6,000 and Rs 3 000 respectively The following further details are available about these houses

(i) The first house built in 1952 has been let out on a rent of Rs 175 per month and he has incurred the following expenses in respect thereof Interest on the mortgage of property, Rs 1,200 Land Revenue Rs 40, Premium for fire insurance, Rs 150, Interest on loan taken to repair the house, Rs 600 Municipal taxes Rs 50 The house remained vacant for two months during the year

(ii) The second house built in 1955 is used by him for his own residence and he has spent Rs 300 on its repairs and has paid Rs 100 as fire insurance premium

(iii) The third house is also let out on Rs 200 per month and the construction of this house was completed in March, 1954

Ascertain (a) the taxable income from house property, (b) the total income and (c) the exempted income for the assessment year 1965 66

Solution

Statement showing Taxable Incom from Property

First House			
		Rs	Rs
Rental Value		2,100	
Less ½ Municipal Taxes		25	
Annual Value		2,075	
	Rs		
Less ⅙ for repairs	346		
Interest on Mortgage	1,200		
Land Revenue	40		
Premium for Fire Insurance	150		
Interest on Loan	600		
Vacancy Allowance	346	2 682	
Loss from the First House			—607
Second House			
Annual Value restricted to 1/10 of the Total Income		850*	
Less 1/6 for repairs	142		
Fire Insurance Premium	100	242	
Assessable Income from Second House			608
Third House	Rs		
Municipal Valuation	3 000		
Less ⅙ for Municipal Taxes	Not known		
Annual Value	3 000		
Less ⅙ for repairs	500		[illegible] 500
Taxable Income from House Property Rs			[illegible] 501

Statement of Total Income

		Rs
1	Income from Salary	6,000
2	Income from House Property	2 501
	Total Income Rs	P,501

Amount entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to P F	375

**Note* Calculation of Annual Value of the second house

	Rs
Municipal Valuation	6 000
Less Statutory Allowance	1 800
	Rs 4 200

As Rs 4 200 is not to exceed 10% of the Total Income hence

$\frac{6}{55}(6\,000+2\,500-607-100) = \frac{6}{55}\times 7\,793 = \frac{46\,758}{55} = \text{Rs } 850$ approx

Q 9 A is the owner of a house property in Delhi The house was built in 1953 It has been let out for Rs 90,000 The tax payable by the owner comes to Rs 10 000 but the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax direct to the municipality The landlord however, bears the following expenses on tenant s amenities

Water charges Rs 1,000
Lift maintenance Rs 1,000
Salary of gardener Rs 1 200
Lighting of stairs Rs 800

The landlord claims the following deductions

Repairs Rs 30,000
Land Revenue Rs 1,000
Collection charges Rs 2,000

Compute the taxable income from house property for the assessment year 1965 66

Solution

The value of the property is calculated as under

		Rs
Rent realised		90,000
Add Owner's share of municipal taxes paid by the tenant		5 000
		95 000
Less Value of tenant's amenities provided by the landlord	Rs	
(i) Water charges	1 000	
(ii) Lift maintenance	1,000	
(iii) Salary of gardener	1 200	
(iv) Lighting of stairs	800	4 000
	Annual Value	91,000
Less Admissible Deductions	Rs	
(i) $\frac{1}{6}$ Repairs Allowance	15 167	
(ii) Land Revenue	1 000	
(iii) Collection charges being less than 6% of Annual Value	2 000	18 167
Taxable Income from Property	Rs	72,833

Q 10 Mr X, a Government employee and a citizen of India is sent to London on office duty on 1st June, 1964 He stays there upto 31st January, 1965 The salary and allowances drawn by him during this period are as given below

	Rs
4 months' salary in India	4,000
8 months' salary in London	8 000
Overseas allowance	2 000
Car allowance while in London (actual expenditure on car Rs 1,000)	2,500
Free residence in London (rent Rs 100 per month for 8 months)	800

The full amount of 8 months' salary was spent in London and nothing was brought to India He owns property in Delhi

which was built in 1954 and which he uses for his residence During the period of his stay in London the house was occupied by his wife and children Annual rental value of the house is Rs 3 000. Municipal taxes paid in respect of this house during the year 1964-65 were Rs 600 and ground rent paid Rs 200

His gross income from dividends was Rs 2 000

He paid Rs 2 000 donation to a charitable institution to which Section 88 applies Compute his Total Income

Solution

Computation of Total Income of Mr X
for the Assessment Year 1965 66

1	Income from salary		Rs	Rs
	4 months' salary received in India		4 000	
	8 months salary received in London		8,000	
				12,000
2	Income from House Property			
	Residential House	Rs		
	Annual Rental Value	3 000		
	Less ½ Municipal Taxes	300		
		2,700		
	Less ½ Statutory Allowance	1,350		
			1,350	
	Less ½ Repair Allowance	225		
	Ground Rent	200	425	925
3	Income from other sources			
	Dividends (Gross)			2,000
	Total Income		Rs	14,925

Notes 1 Overseas allowance of Rs 2 000 excess of car allowance over actual expenditure of Rs 1,500 and value of the rent free house Rs 800 are not taxable in this case as all allowances and perquisites paid outside India by the Government to a citizen of India for rendering service outside India are not to be included in the total income of an employee under Section 10 (7)

2 Rebate on donations in an institution to which Section 88 applies is restricted to 10% of the total income as reduced by the amounts exempt from tax Rebate of income tax will therefore be allowed on Rs 1 492 only

Q 11 A married individual with two children gave the following information for the assessment year 1965 66

(a) For the year ended 31st March, 1965, he received a net salary of Rs 10,057 after deduction of (i) income tax Rs 1,093 and (ii) his own contributions to a recognised provident fund Rs 1,500 to which his employer contributed the same amount

(b) During that year he received interest of (i) Rs 3,000 on a fixed deposit with a bank, (ii) Rs 500 from the post office savings bank account, (iii) Rs 24,000 from government securities held as an investment, (iv) Rs 4 000, credited to his provident fund account at 5% per annum, and (v) Rs 1 700 from 4¼% National Defence Bonds, 1972

(c) He owned a motor car and the Income tax Officer agreed to allow Rs 1,000 and Rs 500 respectively for maintenance and wear and tear for the use of the car for purposes of his employment

(d) He paid Rs 5 000 as premium on an insurance policy on his own life for Rs 40,000
Compute his total income and state amounts on which he is entitled to rebate

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	Salary Rs (10,057+1 093+1,500)	12 650	
	Employer s contribution to recognised provident fund (in excess of 10% of employee's salary)	235	
		12,885	
	Less Maintenance charges and wear and tear of motor car used for purposes of employment	1 500	11 385
2	Interest on Securities		
	(i) Interest on government securities (gross) $\left(\frac{24\ 000 \times 10}{8}\right)$	30 000	
	(ii) Interest on 4¼% National Defence Bonds	1 700	31 700
3	Income from other sources		
	Interest on Fixed Deposits		3,000
	Total Income Rs		46,085

Amounts entitled to rebate of income tax	Rs
Contributions to a recognised provident fund	1,500
L I Premium being 10% of the sum assured (P F contribution and L I premium taken together being less than 25% of total income)	4,000
Rs	5,500

Note Under the proviso to Section 193 income tax is not to be deducted at source from any interest payable on 4 1/4% National Defence Bonds 1972 hence the interest of Rs 1 700 received on these bonds has not been grossed up

Q 12 The following are particulars about the income of Mr X of Allahabad University

(a) He was employed at the starting salary in the grade of Rs 500 30 800 plus D A at 10% of the salary

(b) He is a member of Statutory Provident Fund and contributes 8% of the salary towards his Provident Fund while the University contributes 12%

(c) As a Proctor of the University he received

(i) An allowance of Rs 100 per month
(ii) House allowance Rs 540 per annum
(iii) An orderly who was paid Rs 35 per month by the University
(iv) A motor car allowance of Rs 45 per month

(d) His income from examinership amounted to Rs 1,150 and of royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in the Upper India Trading Company Ltd on which he received a dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 350 in a crossword competition

He paid Rs 1,520 as premium on his life insurance policy

You are required to prepare his assessment for the year 1965 66 Actual amount of tax payable by him need not be calculated

Solution

Total Income of Mr X

	Rs	Rs
Salary	6 000	
Dearness Allowance	600	
Proctor s Allowance	1,200	
House Allowance	540	
Motor Car Allowance	540	
Total Salary		8,880

Other Sources				
Examinership	1,150			
Royalty	750			
Dividend	600			2,500
	Total Income		Rs	11,380

Amounts entitled to rebate of income tax	Rs
Provident Fund contribution by the employee	480
Life Insurance Premium	1,520
	Rs 2,000

Notes (1) Prize of Rs 350 received in a crossword competition is a casual income (2) The salary of orderly Rs 35 is also excluded because it is a necessary expenditure for performing his duties as a proctor of the University (3) Motor car allowance has been included in total income as nothing is mentioned in the question regarding any expenditure on this account otherwise only the excess of the allowance over the actual expenditure would have been included in the total income

Q 13 The following are the particulars of the income of a professor of Vikram University

1 Salary Rs 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for provident fund to which the University contributes 12 per cent
2 Wardenship allowance Rs 1 200 per annum
3 Rent free bungalow of which the annual letting value is Rs 720
4 5% (tax free) dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company
5 4 per cent interest on Government Loan of Rs 5,000
6 Income from house property let Rs 1,200
7 Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 500
8 Capital profit on sale of old car Rs 2,500 and house property Rs 8 000
9 Income from sale of his works Rs 2,000
10 Examinership remuneration Rs 3,700

During the year he paid Rs 1 900 as life insurance premium of which Rs 500 was paid on a joint life policy He also purchased books worth Rs 650 during the same year

Find out his total income, taxable income and exempted income for the previous year 1964 65

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	(i) Salary	14,400	
	(ii) Wardenship Allowance	1,200	
	(iii) Value of rent free bungalow (being less than 10% of salary)	720	
		16,320	
	Less Cost of books purchased during the year	500[1]	15,820
2	Interest on Securities		
	4% Interest on Government Loan of Rs 5,000		200
3	*Income from House Property*	*Rs*	
	Rent Received	1,200	
	Less 1/6 Repair Allowance	200	1,000
4	Capital Gains		7,500
5	Income from Other Sources		
	(i) 5% (tax free) dividend on 50 shares of Rs 100 each, grossed up[3] $\left(\frac{250 \times 10}{8}\right)$		312.50
	(ii) Examinership remuneration		3,700
	Total Income	Rs	28,532.50

or say, Rs 28,533

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
(i) Employee's contribution to P F	1,152
(ii) Life Insurance Premium	1,900[4]
Rs	3,052

Notes 1 Under Section 16 (i) cost of books purchased by an employee is allowed as a deduction upto Rs 500 only

2 Assuming the capital gains to be long term capital gains only the excess over Rs 5,000 has been included in the total income

3 There cannot be any tax free dividend of a company It is assumed that the company has paid tax on dividends on behalf of shareholders without deducting it from this 5 per cent

4 It is assumed that the joint life policy is taken on the lives of the assessee and his wife If it were on the life of the assessee and some outsider it would not have been exempted

Q 14 The following are the particulars of the income of Dr Robinson, a medical practitioner employed as a professor in [redacted] Medical College in Rajasthan for the year ended 31st December, 1964

(a) Salary Rs 750 per month plus house allowance of Rs 150 per month

(b) Share in a Chemist's shop in which he [redacted] a partner Rs 6 000 The chemist s business has been assessed as an unregistered firm

(c) One fourth share in a bungalow, the net income of which after deducting all allowances com[redacted] to Rs 6,000

(d) Dividends received from (i) Delhi Cloth Mills Ltd Rs 6 000 and (ii) Agricultural Products Ltd Rs 7 000 (50% of the income being taxed)

(e) He and his wife are insured for Rs 20 000 The annual premium come to Rs 3,000

(f) His investments in the previous year were (i) Rs 5 000 in 5% tax free Government Securities and (ii) Rs 2,000 in Post Office Savings Bank A/c (Interest Rs 30)

His wife had received Rs 50 000 from her father and had invested the same in the Chemist's shop and her share in its profits was 25% amounting to Rs 6 000 He paid Rs 200 per month as rent of the house occupied by him for his residence

Ascertain the total income assessable income and exempted income of Dr Robinson

Solution

Computation of Total Income of Dr Robinson

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	(i) Salary	9 000	
	(ii) House Allowance	900[1]	[redacted] 900
2	Interest on Securities		
	5% Tax free Interest		250
3	Income from House Property		
	(¼ of Rs 6 000)		1,500
4	Profits of Business or Profession		
	Own share of profits in unregistered firm		6,000
[redacted]	Income from Other Sources		
	(i) Wife s share of profits in unregistered firm		[redacted] 000[2]

(ii) Dividends from Delhi Cloth Mills

$\left(\frac{6,000 \times 100}{80}\right)$ =Rs 7,500 | 7,500

(iii) Dividends from Agricultural Products Ltd

$\left(\frac{7,000 \times 100}{80}\right)$ =Rs 8,750[3] | 8,750

Total Income Rs 39,900

Amounts entitled to rebate of income tax	Rs
Share of Profits in Unregistered Firm (Taxed)	12,000
Tax free Interest[4]	250
L I Premium restricted to 10% of the Policy Amount	2,000
Total Rs	14 250

Notes 1 Under Rule 2 A of I T Rules 1962 the least of the following amounts shall be excluded from the total income of the assessee in respect of house rent allowance received by him from his employer

(a) the actual amount of such allowance received by him or (b) the excess of actual rent paid by him over $^1/_{10}$ of his salary or (c) $^1/_5$ of the salary due to the assessee if the house is situated at Delhi Calcutta Bombay or Madras or (d) $^1/_{10}$ of the salary due to the assessee if the house is situated at any other place or (e) a sum calculated at Rs 300 p m

In this case $^1/_{10}$ of salary due to the assessee works out to Rs 900 which is the least of all other alternatives hence Rs 900 have been excluded from the total income and the balance of Rs 900 of house allowance have been included in his total income

2 Wife s share of profit in the Unregistered Firm will be included in the husband s income as both are partners in the same firm It has been assumed that husband s income was greater than that of his wife

3 Entire dividend is fully taxable in the hands of the shareholder even if a part of the income of the company is non taxable Hence the entire dividend of Agricultural Products Ltd has been grossed up

4 The rebate on tax free interest shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25% whichever is less

Q 15 The following are particulars of the income of a University professor

(a) Salary, Rs 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for provident fund to which the University contributes 12 per cent

(b) Rent free bungalow of the annual letting value of Rs 960

(c) Wardenship allowance of Rs 1,200 per annum

(d) 4 per cent tax free interest on Government Loan of Rs 5 000

(e) Income from house property Rs 1,800

(f) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 300

(g) Royalty from books Rs 2,500

(h) Examinership remuneration Rs 3,500

(i) Amount received on Prize Bonds Rs 500

During the year he paid Rs 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs 600 on books purchased for his own use Find out his total income and exempted income for the year 1965 66

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	(i) Salary	14,400	
	(ii) Wardenship Allowance	1,200	
	(iii) Value of rent free bungalow (being less than 10% of salary)	960	
		16,560	
	Less Cost of books purchased during the year	500	16,060
2	Interest on Security 4% tax free interest on Government Loan		200
3	Income from House Property		
	Rent received	1 800	
	Less ⅙ Repair Allowance	300	1,500
4	Income from Other Sources		
	Royalty	2 500	
	Examinership remuneration	3 500	6 000
	Total Income		Rs 23 760

Exemption from income tax

	Rs
Tax free interest on Government Loan	200
Life Insurance Premium	[illegible] 400
Employee s contribution to Provident Fund	1,152
	Rs 3,752

Notes 1 Amount received on prize bonds is casual income hence it is not taxable

2 The rebate on tax free interest on Government Loan shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25% whichever is less

Q 16 From the following particulars prepare an assessment statement of Mr B A Nanda for the year 1965 66

(a) Salary Rs 450 per month with effect from 1st July, 1964 Contribution to unrecognised provident fund 5% his own, 5% employer's

(b) His investments were as follows

(i) Rs 6,000 in 6% preference shares of a company, dividends being declared tax free

(ii) Rs 2 000 in 2% fixed deposit in a bank

(iii) Rs 4,000 in 4% tax free War Bonds

(iv) Rs 10 000 in 3½% 10-Year Treasury Savings Deposit Certificates He paid collection charges Rs 10

(c) He owns a house built in 1953, half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 50 p m Insurance premium Rs 15, ground rent Rs 12, local taxes Rs 26

(d) He has income from a registered firm, Rs 2 000, from an unregistered firm, Rs 3,000, and from Hindu undivided family, Rs 10,000 He is an equal partner in each firm

(e) He paid Rs 750 as life insurance premium for the year

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	Salary for 9 months		4,050
2	Interest on Securities		
	4% tax free War Bonds		160
3	Income from House Property		
	Rental value of the ½ portion of the house let @ Rs 50 per month	600	
	Rental value of the remaining ½ portion of the house occupied by his son on the basis of the portion let	600	
	Rental value of the whole house	1,200	
Less	one half local taxes	13	
	Annual Value	1 187	

Less Deductions

	Rs		
$\frac{1}{8}$ Repair allowance	198		
Insurance Premium	15		
Ground Rent	12	225	
Taxable Income from house property			962
4 Profits of business or profession			
(i) Share of income in registered firm		2,000	
(ii) Share of income in unregistered firm		3,000	5,000
5 Income from other sources			
(i) 6% (tax free) dividend on Rs 6,000 preference shares, grossed up $\frac{360 \times 10}{8}$		450	
(ii) Interest on fixed deposit		40	490
Total Income Rs			10 662

Amounts entitled to rebate of income tax

		Rs
1	Life insurance premium	750
2	Tax free interest on securities	160
3	Share of income in unregistered firm	3 000
	Rs	3 910

Notes 1 Interest on Treasury Savings Deposit Certificates is not to be included in total income as it is totally exempt from tax

2 Share of income from Hindu undivided family is also totally exempt from tax in the hands of its members as such it is not included in his total income

3 Dividends cannot be tax free it simply means that the tax on dividends has been paid by the company on behalf of the shareholders over and above the amount of dividends declared as such the dividends have been grossed up

4 House occupied by the son of the assessee is not regarded as residential house on the assumption that the son is living separate from his father

5 The rebate on tax free interest on securities shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25/ whichever is less

[illegible]

Summary

[illegible]

Amounts entitled to rebate of income tax

		Rs
(i)	Tax free Interest on Securities	100[1]
(ii)	Share of profits in Unregistered Firm	15,000
(iii)	Dividends from Co operative Society	500
(iv)	Charitable Donations	890[2]
	Total Rs	16,490

Notes 1 The rebate on tax free interest on securities shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25 / whichever is less

2 Charitable Donations are exempt upto 10 % of Total Income as reduced by amounts exempt from income tax Thus 10 / of [Rs 24 498 *minus* (100+15 000+500)] = 10 / of 8 898 – Rs 889 8 or say Rs 890

Q 18 Q an employee of a firm, has furnished the following information for the year ended 31st March 1965

(a) Salary from 1 4 1964 to 30 9 1964 @ Rs 1,000 per month He is also getting a travelling allowance of Rs 200 per month out of which he spent Rs 400 on travelling during the period 1 4 64 to 30 9 64

(b) Entertainment allowance from 1 4 1964 to 30 9 1964 at Rs 250 per month Prior to 1 4 1955 he was receiving an entertaiment allowance of Rs 150 per month from the same firm

(c) Premium of Rs 500 paid by the firm direct to a life insurance company on a policy taken out on his life and for his benefit

(d) Interest on bank deposits Rs 360

(e) Interest on national plan certificates encashed during the year Rs 4,000

(f) Own house in his home town (built in 1957) and it is occupied by his uncle free of rent The annual rental value of the house is Rs 2 000 and the municipal taxes paid for the year were Rs 400

(g) On 30 9 1964, he received from the firm, a retiring gratuity of Rs 10 000 equal to 12 months average pay

(h) While in service the firm provided him with a free car for his private use

Work out his total income for the assessment year 1965 66 and state the amount on which he is entitled to a rebate of income tax

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Salary for 6 months	6 000	
	Entertainment Allowance for 6 months	*1,500*	
	Insurance Premium paid by the firm	500	
		8,000	
	Less : Entertainment Allowance	900	7,100
2	Income from house property		
	Annual Rental Value	2,000	
	Less ½ Municipal Taxes	200	
		1 800	
	Less ⅙ for Repairs	300	1,500
3	Income from other sources		
	Interest on bank deposits		360
	Excess of travelling allowance over actual expenditure		800
	Total Income	Rs	9,760

He is entitled to a rebate of income tax on life insurance premium of Rs 500

Notes 1 The admissible deduction from salary on account of entertainment allowance is restricted to the lowest of the following amounts—(a) 1/5 of salary or (b) Rs 7 500 or (c) the actual amount of entertainment allowance received during the previous year or (d) the actual amount of entertainment allowance received from the present employer prior to 1 4 1955

2 Interest on National Plan Certificates is not taxable at all

3 Gratuity is not taxable as it is less than Rs 24 000 or 15 months pay whichever is less it being assumed that he has served for at least 24 years as 12 months pay can be exempted as gratuity only if it is at the rate of not exceeding 1/2 month's pay per completed year of service 1½

4 Free car for his private use is an amenity provided by the employer but it is not taxable as a perquisite because the employer is not a company and Mr Q s salary is not more than Rs 18 000

Q 19 The following are the particulars of income of Shri Ram Gopal for the year ended 31st March, 1965

(a) His salary was Rs 1,000 per month, and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 2 000 the actual expenditure incurred by him in travelling being Rs 1,500

(b) He contributed 10 per cent to a provident fund to which the Provident Fund Act of 1925 applies, and his employer contributed 12½ per cent Interest on his provident fund for the year amounted to Rs 1,000

(c) He owns two houses, one of which is let at Rs 200 per month, and the other (whose annual value is Rs 1,000) cannot actually be occupied by him by reason of the fact that, owing to his employment at Bombay, he has to reside at Bombay and the residential house is not actually let and no other benefit therefrom is derived by him The two houses are subject to local taxes of Rs 300 and Rs 120 per year respectively

(d) He received Rs 500 interest from tax free Government securities and Rs 600 (gross) as dividend

(e) He is insured and pays an annual premium of Rs 4 000 on his life policy of Rs 60 000

Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1965 66

Solution

Statement of Total Income

			Rs
1	Income from Salary		12,000
2	Interest on Securities		
	Tax free Interest		500
3	Income from House Property	Rs	
	(i) Rental Value of the house let	2,400	
	Less ½ Local Taxes	150	
	Annual Value	2,250	
	Less ⅙ Repair Allowance	375	
	Taxable Income	1 875	
	(ii) Annual Value of the residential house to which the provisions of Section 23 (3) apply[1]	Nil	
			1 875

1 Under Section 23(3), where the property in the occupation of the owner consists of one residential house only and it cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to his employment business or profession carried on at any other place he has to reside at that other place in a building not belonging to him the annual value of such house shall, if the house was not actually occupied by the owner during the whole of the previous year, be taken to be *Nil*

4 Income from other sources

	Rs	
(i) Dividend	600	
(ii) Excess of Travelling Allowance over actual expenditure	500	
		1,100
Total Income Rs		15,475

Exemptions

		Rs
1	Employee's contribution to Provident Fund	1,200
2	Life Insurance Premium (restricted to ¼ of Total Income)	2,669
3	Tax free Interest (at the average rate or 25% , whichever is less)	500
	Rs	4,369

Q 20 Compute the total income of an individual from the following details for the purpose of determining his tax liability for the assessment year 1965 66

(a) Salary Rs 10,000 fair rent of furnished accommodation provided to him by the employer Rs 2,250 rent borne by the employee, Rs 750

(b) Interest from 3½ per cent National Plan Loans of Rs 75,000 and 3 per cent tax free National Plan Loans of Rs 50 000 , expenses incurred on purchase of these securities amount to 1 per cent and those on collection of interest to 1¼ per cent

(c) Income from property let out Rs 2,500 , residential house owned and occupied by him valued at Rs 3,000 per annum expenses incurred thereon Rs 750 including Rs 250 spent on repairs

(d) Dividend income received from a Jute Mill Co Ltd Rs 800

The individual pays Rs 2,000 per annum on an insurance policy taken for his wife Is he entitled to any relief? If so, to what extent?

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	Salary proper	10,000	
	Value of Concessional Rent	500[1]	10 500 00
2	Interest on Securities		
	3½% National Plan Loans	2 625 00	
	Less 1½% collection charges on Rs 2,100 (Net Interest Received)[2]	31 50	2 593 50
	3% Tax free National Plan Loans (Tax free Interest)	1 500 00	
	Less 1½% Collection charges on Rs 1,500[3]	22 50	1,477 50
3	Income from House Property		
	Rental Value of the house let out	2,500 00	
	Less ⅙ Repair Allowance	416 66	2 083 34
	Value of Residential House	3 000	
	Less ½ Statutory Allowance	1,500	
	Annual Value	1 500	
	Less ⅙ Repairs 250		
	Other Expenses 500	750	750 00
4	Income from other sources		
	Dividend received Rs 800		
	Gross Value = $\left(\frac{800 \times 10}{8}\right)$		1 000 00
	Total Income	Rs	18 404 34
	Or say,	Rs	18,404

Yes, the individual is entitled to a rebate of income tax on the premium paid on the life of his wife The whole of Rs 2 000 will be exempt from income tax as it is within the

permissible limit of ⅙ of total income or Rs 10,000 whichever is less

The individual is also entitled to a rebate of income tax on tax free interest of Rs 1,477.50 at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25%, which ever is less

Notes 1 Value of Concessional Rent has been calculated in the following manner

	Rs
Fair Rent of the house restricted to 12.5% of the annual salary	1,250
Less Rent paid by the employee	750
Value of Concessional Rent	Rs 500

2 Collection charges are paid only on the amount actually received after deduction of tax at source Amount of interest received has been calculated as under

$$\text{Rs}\left(\frac{2625 \times 8}{10}\right) = \text{Rs } 2100$$

3 In the case of tax free interest collection charges have been calculated on Rs 1,500 as here no deduction of tax at source is made

Q 21 Shri P is the Chief Administrative Officer in the J K Mills Ltd, Kanpur He is paid a salary of Rs 21,000 per annum He is provided with a rent free unfurnished bungalow by the mills The municipal annual valuation of this bungalow is Rs 6,000 The mills have also provided him with an Ambassador car (13 horse power) for both his personal and official use The expenses of the car are met by the mills Shri P contributes Rs 200 per month to the Mill Officers Provident Fund (recognised under the Income Tax Act) and the mills also contribute a like amount A sum of Rs 2,400 was also credited as interest to his P F Account He paid life insurance premium of Rs 1,100, out of which Rs 300 was on the policy in the name of his wife

Besides the above he derived an annual rental income of Rs 1,200 from a property let out He also received net dividend income of Rs 1,500 after the company had deducted a tax of Rs 500

Compute his total income for assessment [illegible] giving brief reasons for the inclusion or [illegible] and also state the reliefs, if any, allowed [illegible] the tax liability

Solution

Statement of Total Income

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	Salary proper	24 000	
	Perquisites		
	(i) Value of rent free house	3,600	
	(ii) Value of free use of car supplied by the employer	1,800	29,400
2	Income from House Property		
	Rental Income	1,200	
	Less ⅙ Repair Allowance	200	1,000
3	Income from other sources		
	Dividends		2,000
	Total Income Rs		32,400

Notes 1 Value of rent free house has been calculated as under

		Rs
Fair rent of the house restricted to 10% of salary		2 400
Add Excess of fair rent over 10% of salary		
	Rs	
Fair rent	6 000	
Less 20% of Salary	4 800	1 200
Value of rent free house Rs		3 600

2 The value of perquisite in the case of a car upto 16 horse power rating is Rs 150 per month provided the car is supplied by the employer partly for the personal use of the employee and partly for business purposes and that the entire expenses of maintenance and running of the motor car are borne by the employer In this case all the above conditions are fulfilled hence the value of this perquisite is calculated at Rs 150 per month which amounts to Rs 1 800 for the year Besides this it is taxable in this case as the employee is getting more than Rs 18 000 as salary

3 Employer s contribution to recognised provident fund has not been included in total income as it does not exceed 10% of the employee s salary Similarly interest on provident fund has been omitted as it does not exceed one third of salary The rate of interest cannot be determined as the accumulated amount to the credit of provident fund account of the employee is not known Hence it has been assumed that it does not exceed 6 per cent

4 The assessee will get rebate of income tax on his own contribution to provident fund viz Rs 2 400 and life insurance premium paid by him viz Rs 1 100 Thus he will be entitled to rebate of income tax on an aggregate amount of Rs 3 500 as it does not exceed one fourth of total income or Rs 10 000 whichever is less

Q 22 From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31st December, 1964 ascertain his taxable profit from business and also his total income

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salary	4,800	By Gross Profit	35 532
,, General Expenses	2 550	,, Commission	1,205
,, Bad Debts written off	2 100	,, Discounts	751
Reserve for Bad Debts	3 000	,, Sundry Receipts	202
,, Fire Insurance Premium	450	,, Rent of Buildings	2,640
,, Advertising	2,500	,, Profit on sale of Investments	3,000
,, Interest on Capital	1,000		
,, Interest on Bank Loan	1,550		
,, Loss of Building by fire	3 875		
,, Depreciation	1,200		
,, Net Profit	20 305		
	43,330		43,330

The amount of depreciation allowable is Rs 1,000

Solution

Taxable Profits from Business for the Assessment Year 1965 66

		Rs	Rs
	Net profit as per Profit and Loss Account		20,305
Less	Items not taxable under the head of Business		
1	Rent of buildings	2,640	
2	Profit on sale of investments	3 000	5 640
			14,665
Add	Items not allowed as deductions	Rs	
1	Reserve for Bad Debts	3 000	
2	Interest on Capital	1,000	
3	Loss of Buildings by Fire (being Capital Loss)	3,875	
4	Excess Depreciation not allowed	200	8,075
	Taxable Profits from Business	Rs	22,740

Statement of Total Income

	Rs	
Income from House Property		
Rent Received	2 640	
Less $\frac{1}{6}$ Repair allowance	440	2,200
Business Profits		22,740
Total Income Rs		24 940

Note Assuming investment to be long term asset the Capital Gain of Rs 3 000 is exempt being below Rs 5 000

Q 23 Mr Ram prepared the following Profit and Loss Account of his cloth shop for the year ended 31st March 1965 Find out his total income

Profit and Loss Account

For the year ended 31st March 1965

	Rs		Rs
To Salaries and Wages	12 400	By Gross Profit	34 625
,, Rent, Rates etc	1 600	,, Discount received	375
,, Household Expenses	2,000		
,, Income tax	900		
,, Advertisements	800		
,, Postage and Telegrams	600		
,, Gifts and Presents	900		
,, Fire Insurance premia	400		
,, Life Insurance premia	1 100		
,, Reserve for Bad Debts	800		
,, Interest on Capital	600		
,, Audit Fees	400		
,, Net Profit transferred to Capital Account	12 500		
Total Rs	35,000	Total Rs	35 000

Solution

Computation of Total Income

	Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		12,500
Add Inadmissible Items		
1 Household expenses	2 000	
2 Income tax	900	
3 Gifts and presents	900	
4 Life Insurance Premia	1 100	
5 Reserve for Bad Debts	800	
6 Interest on Capital	600	6 300
		18 800
Less 60% of Life Insurance Premia		660
Total Income Rs		18 140

Q 24 From the following Profit and Loss Account of a business for the period ended 31 3 1965 ascertain the taxable profits from business, and the total income for the assessment year 1965 66

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salaries	10,000	By Gross Profit	58,000
,, Proprietor's Salary	5 000	,, Profit on sale of residential house	20,000
,, Interest on Proprietor's Capital	2,000	,, Bad Debts recovered (not allowed as deduction by I T O in previous year for lack of proof)	5,000
,, General Expenses	5 000	,, Interest from Govt Securities	4 000
,, Bad Debts	2 000	,, Dividends from agricultural companies (Entire income exempt)	2,000
,, Advertisements	4,500	,, Interest from Post Office Cash Certificates and 3½% National Savings Certificates	2 000
,, Fire Insurance Premium	2 000		
,, Depreciation	4,000		
,, Reserve for future losses	10,000		
,, Income tax on last assessment	1,000		
,, Advance Income tax paid	2,000		
,, Donations to Delhi University	1,000		
,, Legal charges for defending a suit for alleged breach of a trading contract	500		
,, Motor car expenses	1,000		
,, Net Profit	38 000		
Rs	91,000	Rs	91,000

General Expenses include Rs 1 000 paid as compensation to an old employee whose services were terminated as his continuance in service was considered detrimental to the profitable conduct of the company s business and Rs 200 by way of help to a poor university student The depreciation is found to be in excess by Rs 1,800 The advertisement cost includes one New Sign Board Rs 500 Calendars and Diaries Rs 1,500 Motor car expenses include Rs 500 as motor car expenses for private use of the car

Solution

Computation of Taxable Profits from Business

	Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		38 000
Less Items not taxable under this head		
(i) Profit on residential house	20,000	
(ii) Interest from Government Securities	4,000	
(iii) Dividends	2,000	26 000
		12,000
Less Items not taxable at all		
(i) Bad Debts recovered (as they were not allowed as a deduction in the past)	5,000	
(ii) Interest from Post Office Cash Certificates and 3½% National Savings Certificates	2,000	7,000
		5,000
Add Expenses not allowed		
(i) Proprietor's Salary	5,000	
(ii) Interest on proprietor s Capital	2 000	
(iii) Charity to a poor student included in General Expenses	200	
(iv) Cost of new Sign Board	500[1]	
(v) Excess Depreciation	1,800	
(vi) Reserve for future losses	10,000	
(vii) Income tax on last assessment	4,000	
(viii) Advance Income tax	[illegible] 000	
(ix) Donations to Delhi University	1 000[2]	
(x) Motor car expenses in relation to private use	500	27 000
Taxable Profits from Business	Rs	32 000

Statement of Total Income

		Rs
1	Interest on Securities Interest from Government Securities assumed to be net, hence grossed up $\frac{4\,000 \times 10}{8}$	5,000
2	Profits of Business	32 000

3 Capital Gains	
Profit on Sale of Residential House (assuming that Sec 54 is not applicable here)	15,000[3]
4 Income from other sources	
Dividends assumed to be received, hence grossed up $\frac{2,000 \times 10}{8}$	2,500[4]
Total Income Rs	54 500

Notes 1 Cost of calendars and diaries is assumed to be an annual feature hence allowed

2 Charitable Donations are not an allowable deduction in computing taxable profits but they will be entitled to rebate of income tax at the average rate

3 Assuming the profit on sale of residential house to be a long term capital gain only the excess over Rs 5 000 has been included in the total income

4 Dividends from agricultural companies whose entire income is exempt from tax is taxable in the hands of the shareholders and the company must have deducted tax at source before payment of these dividends hence they have been grossed up

Q 25 The following is the Income and Expenditure Account of a Vakil for the year ending 31st March 1965 You are requested to prepare a statement showing his assessable income

Income and Expenditure Account

For the year ending 31st March, 1965

	Rs		Rs
To Household Expenses	9 500	By Legal Fees	26,030
,, Office Expenses	7,300	,, Income from acting as special commission	400
,, Charity	500	,, Gains on race course	2,790
,, Income tax	900	,, Dividends on shares (net)	1,620
,, Loss on shares sold	2,800	,, *Profit on sale of Govt* securities (Long term)	1 010
,, Gratuity to one of *his disabled clerks*	600	,, Interest on Advances	890
,, Net Income	~~14 250~~ 14205	,, Presents from a client	1 000
		,, Director's Fees	300
		,, Bank interest	335
		,, Interest on Postal *Savings Bank*	430
		,, Dividends from Co operative Societies declared out of profits	1 000
Total Rs	35 805	Total Rs	35,805

Solution

Statement showing Assessable Income

		Rs	Rs
1	Professional Income		
	Legal Fees	26,030	
	Income from acting as special commission	400	26 430
	Less Office Expenses		7,300
	Taxable Income from Profession Rs		19 130
2	Income from other sources		
1	Dividends (grossed up) $\frac{1,620 \times 10}{8}$	2,025	
2	Interest on Advances	890	
3	Director's Fees	300	
4	Bank Interest	335	
5	Dividends from co operative societies (included for rate purposes but exempt from income tax)	1,000	4,550
	Total Income Rs		23,680

Notes 1 Gains on race course Profit on sale of Government securities (being below Rs 5 000) Presents from a client and Interest on Postal Savings Bank are not taxable

2 Household expenses Charity Income tax Loss on shares sold (being capital loss) Gratuity to one of his disabled clerks (being in the nature of pe onal gift and not on account of any contractual liability) are not allowable expenses

Q 26 From the following Profit and Loss Account of Shri Bishan Lal for the year 1964, find out his taxable income from business and also his total income

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salaries	4,700	By Gross Profit	35,672
" General Expenses	1,300	" Discount	751
" Bad Debts written off	2,100	" Commission	1,205
" Reserve for Bad Debts	3,000	" Bad Debts recovered	150
" Fire Insurance Premium	450	" Interest on 5% Govt Bonds	2,500
" Advertising	2 500	" Profit on sale of investments (Long term)	3,000
" Income tax	2,375	" Sundry receipts	52
" Loss on sale of motor car	1,200		
" Interest on Capital	1,000		
" Interest on Bank Loan	1,550		
" Charity	150		
" Loss of Buildings by fire (uninsured)	1,500		
" Depreciation On Building 1 000 On Furniture 200	1,200		
" Net Profit	20,305		
Total Rs	43,330	Total Rs	43,330

The motor car was used equally for business purposes and for the proprietor s private purposes

The amounts of depreciation allowable on the basis of the written down value, in respect of Building and Furniture, were Rs 800 and Rs 150 respectively Included in advertising is a sum of Rs 1,700 expended on a special advertising campaign undertaken during the year in respect of a new product placed on the market

Solution

Computation of Taxable Income of Shri Bishan Lal from Business

	Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		20 305
Less Items not taxable under this head		
1 Interest on 5% Goverment Bonds	2,500	
2 Profit on sale of Investments	3 000	5,500
		14 805

Add Items disallowed

(i)	Reserve for Bad Debts	3,000	
(ii)	Special advertising campaign expenses	1,700	
(iii)	Income tax	2 375	
(iv)	½ loss on sale of motor car (personal)	600	
(v)	Interest on capital	1,000	
(vi)	Charity	150	
(vii)	Loss of Building by fire (Capital loss)	1,500	
(viii)	Excess depreciation	250	10,575
	Taxable Income from Business	Rs	25,380

Statement of Total Income

		Rs
(1)	Interest on Securities $\left(\frac{2\,500 \times 10}{8}\right)$	3 125
(2)	Profits of Business	25,380
	Total Income Rs	28,505

Notes 1 Profit on sale of investments is a long term capital gain but is not taxable as it is below Rs 5 000

2 Loss on sale of motor car (1/2) is allowed as terminal depreciation

3 Interest on 5 per cent Government Bonds is assumed to be net in the question

Q 27 C P & Co, Calcutta a firm, carries on the business of manufacture and sale of plastic goods Its accounting year is the year ended 31st March It purchased new machinery and plant on 15th October 1958, for its factory at a cost of Rs 12 00 000 out of which Rs 2 00 000 was met by it from a grant received by the firm from the Government for the purchase thereof The machinery and plant were installed and brought into use on and from 1st April 1959 These were subsequently destroyed by fire which broke out in the factory on 1st July, 1964 The firm received Rs 3 00 000 as a claim from H General Insurance Co Ltd with whom the machinery and plant were insured and Rs 4 000 by sale of scrap

The prescribed rate of depreciation in respect of machinery and plant used in the manufacture of plastic goods is 12%

Work out the profit or loss to the firm in consequence of destruction of the machinery and plant by fire and state how

such profit or loss would be dealt with in the income tax assessment of the firm for the year 1965 66

Solution

The written down value of machinery and plant destroyed by fire is arrived at as follows

	Rs
Cost of machinery and plant	12,00,000
Less Amount received as Government grant	2,00,000
Actual Cost of machinery and plant to the assessee	10,00 000
Less Depreciation for assessment year 1960 61 @ 12 per cent	1,20 000
Written down value on 1 4 60	8,80,000
Less Depreciation for assessment year 1961 62 @ 12 per cent	1,05,600
Written down value on 1 4 61	7 74 400
Less Depreciation for assessment year 1962 63 @ 12 per cent	92,928
Written down value on 1 4 62	6 81,472
Less Depreciation for assessment year 1963 64 @ 12 per cent	81,777
Written down value on 1 4 63	5,99,695
Less Depreciation for assessment year 1964-65 @ 12 per cent	71 963
Written down value on 1 4 64 Rs	5 27,732

The amount of loss to the firm in consequence of destruction of the machinery and plant by fire is worked out as below

	Rs
Written down value on the date of fire	5,27,732
Less Amount received from insurance company and from the sale of scrap (3,00,000+4 000)	3,04,000
Loss or Terminal depreciation for the assessment year 1965 66 Rs	2,23 732

The loss of Rs 2,23 732 shall be allowed as a deduction in computing the profits of the firm for the assessment year 1965 66

(a) HINDU UNDIVIDED FAMILIES

Q 28 A Hindu undivided family carrying on business in gold silver, money lending brokerage and share dealings showed the following particulars in a statement filed for the previous year ended 31st December 1964

	Rs		Rs
Loss in silver	70,000	Profit in gold	2 00,000
Loss on sale of securities	50,000	Income from money lending business	40 000
Loss in share dealings	30 000	Income from brokerage	2 00,000
Legal charges	10,000	Interest on Securities and Dividends (Gross)	60,000
Bad Debts	40 000		
Establishment charges	30 000		
Net Profit	2 70 000		
	5 00 000		5,00 000

On inquiry and examination of account books the following further information was obtained

(a) A loss of Rs 60 000 in hedging contract and a loss of Rs 40,000 in speculation were found debited to Silver Account

(b) Legal charges included expenses of Rs 1,000 incurred in a criminal case connected with alleged purchase of smuggled gold

(c) Bad debts included loss of cash of Rs 5 000 by theft from *Tijori* (Iron Safe) of the business premises and Rs 10,000 as an irrecoverable loan given without interest to his brother in law, whose business failed

(d) Establishment charges included salary of Rs 5,000 paid to the son of the *Karta* who actually worked in the business and Rs 2,000 for purchase of a motor cycle on 1st July, 1964 claimed to enable him to attend office

Compute the total income of the H U F for the assessment year 1965 66

Solution

Computation of Total Income of H U F
for the Assessment Year 1965 66

			Rs
Net Profit as per statement			2,70,000
Less Interest on Securities and Dividends treated separately			60,000
			2,10 000
		Rs	
Add	(i) Legal charges incurred in a criminal case, not allowed	1,000	
	(ii) Speculation loss not allowed to be set off against other business income	40,000	
	(iii) Cash lost by theft, not being incidental to business	5,000	
	(iv) Irrecoverable loan given with out interest (being not given as part of money lending business)	10,000	
	(v) Cost of motor cycle, being capital expenditure	2,000	58 000
			2,68,000
Less Depreciation for full year @ 20% as motor-cycle was used for more than 180 days			400
Income from Business			2,67,600
Interest on Securities and Dividends			60,000
		Total Income Rs	3,27,600

Note Salary of Rs 5 000 paid to the son of the *Karta* has been allowed as he actually worked in the business

(3) FIRMS

Q 29 A B and C are the partners of the firm styled ABC & Co It carries on the business of manufacture and sale of pharmaceutical products The partners share profits and losses equally The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March 1965 disclosed a net profit of Rs 3,00 000 only This was arrived at by debiting *inter alia* the following expenses

(i) Rs 6,000 paid as salary to A, a partner, who is a chemist and was incharge of the firm laboratory

(ii) *Rs 3 000 paid as rent to C, another* partner, for a godown owned by C and used by the firm for storing raw materials and finished products

(iii) Rs 25 000 paid as the cost of scientific instruments purchased on the 1st October 1964, for the firm's laboratory, set up for carrying out research for improving the quality of the firm s products and for finding out a cure for insanity and other mental diseases

(iv) Rs 1,500 incurred as law charges in connection with a suit instituted by the firm against B Chemicals Ltd for infringing the firm's trade mark

The firm has been registered by the Income tax Officer under Section 184 of the Income Tax Act, 1961, for the assess *ment year 1965 66*

Compute the total income of the firm for the assessment year 1965 66, giving reasons for any adjustment that you may consider in making the computation Also, allocate the total income of the firm to the partners

Solution

	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account	3,00,000
Add Items disallowed	
Salary to A	6,000
4/5th Capital expenditure on scientific research	20,000
Total Income of the firm Rs	3,26 000

Allocation amongst Partners

	A Rs	B Rs	C Rs
Salary	6,000	—	—
Balance (shared equally)	1 06,667	1,06,667	1,06,066
Share of each partner	1,12,667	1 06,667	1 06 666

Notes 1 Rent paid by the firm to any of its partners is an admissible expenditure

2. Under Section 35 (2) (i) only one fifth of the capital expenditure incurred during the previous year on scientific research related to the business carried on by the assessee is to be allowed as deduction for that previous year and the balance of 4/5th is to be disallowed in that year but it will be allowed in equal instal ments in each of the four immediately succeeding previous years

3 Legal expenses incurred to defend the assessee s title to his trade mark is an admissible expenditure as it is an expenditure to preserve or maintain an asset

Q 30 Raja Ram and Din Dayal are partners in a registered firm sharing profits and losses in the proportion of two third and one third respectively Their Profit and Loss Account for the year ended on 31st December, 1964 was as follows

	Rs		Rs
To Sundry Expenses	22,800	By Profit on sale of goods	55,600
,, Charity	570	,, Commission received	620
,, Reserve for Bad Debts	1,430		
,, Legal Charges	860		
,, Interest on Capital			
Raja Ram	1,280		
Din Dayal	750		
,, Profit			
Raja Ram	19 020		
Din Dayal	9,510		
Total Rs	56,220	Total Rs	56,220

The item of Sundry Expenses includes salary of Raja Ram Rs 1,800 and that of Din Dayal Rs 1,200 It also includes Rs 1 500 in respect of the rent of the residential house of the two partners The house is shared by two partners—half and half—according to terms of agreement Legal charges were incurred in recovering the amount due from a customer Depreciation on Plant and Machinery, which is calculated at Rs 3,340, and accrued interest on loan which amounts to Rs 1,060 have not been provided for in the Profit and Loss Account above

The other taxable income of the two partners is as follows

	Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
Interest on Securities	400	2,100
Income from Property	600	
Foreign income of which only Rs 2,000 is remitted		7 700
Interest on Post Office Savings Bank Account	27	
	1,027	9,800

You are required to calculate the taxable income of the firm and to prepare the assessments of Raja Ram and Din Dayal

The amount of tax payable by the two partners need not be calculated

Solution

Computation of Firm's Taxable Income

	Rs	Rs
Profit as per Profit and Loss Account		28,530
Add Items not allowed		
(i) Charity	570	
(ii) Reserve for Bad Debts	1,430	
(iii) Interest on Capital	2,030	
(iv) Salaries to partners	3,000	
(v) Rent of the Residential House of the partners	1,500	8,530
		37 060
Less Items allowed but not charged in Profit and Loss Account		
(i) Depreciation	3,340	
(ii) Interest on Loan	1 060	4,400
Taxable Income of the Firm	Rs	32,660

Allocation amongst the Partners

	Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
Interest on Capital	1,280	750
Salaries to partners	1 800	1 200
Rent of Residential House shared equally	750	750
Balance of Profits (2 1)	17,420	8,710
Each partner's share in the Firm	21,250	11 410

Statement of Total Incomes of Raja Ram and Din Dayal

		Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
1	Interest on Securities	400	2 100
2	Income from Property	600	—
3	Share of profit from Registered Firm	21,250	11 410
4	Foreign Income	—	7 700
	Total Income	22,250	21 210

Notes 1 As the total income of the firm is more than Rs 25 000 it will be liable to pay income tax at the special rates prescribed for this purpose

2 In their individual assessments Raja Ram and Din Dayal will get rebate of income tax on their portion of income tax paid by the firm at the average rate applicable to their respective total incomes

3 As per question the other income of the partners is taxable income hence neither interest on securities has been grossed up nor 1/6 repair allowance has been given on income from property

Q 31 A and B are active partners and C and D are sleeping partners in a firm A Profit and Loss Account, drawn for the year ending 31st March, 1965, shows a profit of Rs 25,000 The profit has been arrived at after allowing salary and interest to partners as follows

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Salary	5,000	3 000	—	—
Interest	2,000	4 000	6,000	3,000

The partners' shares in profit or loss are equal

The private incomes of the partners are as follows

A—earned income, Rs 15 000

B—unearned income, Rs 6,000

C—unearned income, Rs 8,000

D—half share in an unregistered firm, Rs 22,000

You are required to show the assessment of the firm if it is unregistered and the assessment of the partners if the firm is registered Tax payable is not to be calculated

Solution

Assessment of the firm if it is unregistered

			Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account				25,000
Add		Rs		
(i)	Salary to A	5,000		
	,, to B	3 000	8 000	
(ii)	Interest to A	2 000		
	,, to B	4 000		
	,, to C	6 000		
	,, to D	3 000	15,000	23,000
			Total Income Rs	48,000

Allocation of firm's total income amongst partners for rate purposes only

Partners	Shares	Salary	Interest	Balance of Income	Total
		Rs	Rs	Rs	Rs
A	1/4th	5,000	2 000	6,250	13,250
B	1/4th	3 000	4,000	6,250	13 250
C	1/4th	—	6 000	6,250	12 250
D	1/4th	—	3,000	6,250	9,250
Total		8 000	15 000	25 000	48 000

Assessment of the partners if the firm is registered

	A	B	C	D
	Rs	Rs	s	Rs
1 Share from the R F as above (earned for A & B unearned for C & D)	13,250	13,250	12,250	9,250
2 Private income				
Earned	15,000	—	—	22,000*
Unearned	—	6,000	8 000	—
Total Income	28,250	19,250	20,250	31,250

*It is assumed that D is actively engaged in the firm

Q 32 A B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally The net profit of the firm after deducting all expenses was Rs 65 000 for the year ending 31st December, 1964 Compute the total income of the firm and the share of each of the partners therein if the expenses deducted in computing the above profit included the following items

(a) Salary to B at Rs 400 p m ,

(b) Rent to A in whose building the business was being carried on at Rs 200 p m

(c) Interest on A's Capital Rs 2,750
  ,, B s Rs 1,490
  ,, C s , Rs 650

(d) Interest on Loan taken from A Rs 700

(e) Commission to C Rs 4 300

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs	Rs
Profit as per Profit and Loss Account		65 000
Add Items not allowed		
Salary to B	4,800	
Interest on Capital		
A	2,750	
B	1,490	
C	650	
Commission to C	4,300	
Interest on loan taken from A	700	
		14 690
Firm's Total Income	Rs	79 690

Allocation amongst the Partners

	A Rs	B Rs	C Rs
Salary	—	4,800	—
Interest on Capital	2,750	1,490	650
Commission	—	—	4 300
Interest on Loan	700	—	—
Share of profit in the Firm	21,666	21,667	21,667
Partners' share in the firm Rs	25,116	27,957	26,617

Q. 33 Ramesh, Mahesh and Naresh are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 3 1 The Profit and Loss Account of the firm for the year 1961 showed a net loss of Rs 20 000 after charging the following items

Interest on Capital

Ramesh Rs 4 000, Mahesh Rs 3,000 and Naresh Rs 2 000

Salary

Ramesh Rs 1 000, Mahesh Rs 800 and Naresh Rs 2 000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs [illegible] 000 while Mahesh and Naresh had no other income

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered, and (b) when it is unregistered

Solution

	Rs	Rs
Loss as per Profit and Loss Account		20,000
Less Items not allowed		
Interest on Capital	9,000	
Salaries to partners	3,800	12 800
Firm s Loss		Rs 7,200

Allocation amongst the Partners

	Ramesh	Mahesh	Naresh
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	4,000	3,000	2 000
Salaries to partners	1,000	800	2,000
Share of Firm s Loss	−10,000	−7,500	−2,500
Partners share in the Firm Rs	− 5 000	−3 700	+1,500

(a) *When the Firm is Registered*

Ramesh can set off his share of the firm's loss of Rs 5,000 against his other income of Rs 8,000, thus leaving Rs 3 000 only which is not taxable

Mahesh will carry forward his share of the firm's loss of Rs 3,700 to be set off against his future share of profits from the firm or against any other business profits It can be carried forward upto 8 years at the most

Naresh s total income is Rs 1,500 only which is not taxable

(b) *When the Firm is Unregistered*

The unregistered firm itself can carry forward for [illegible] years its loss of Rs 7 200 to be set off against its own future profits

Ramesh cannot set off his share of the firm s loss against his other income He will be liable to pay tax on his other income of Rs 8,000

Mahesh cannot carry forward his share of the firm s loss

Naresh is not liable to pay tax

Q 34 A registered firm with three partners A B and C and sharing profits equally had the following income for the year ended 31st March, 1965

	Rs
Property	20 000
Business (including Rs 20 000 on account of salary and interest to partners)	40,000
Other sources	40,000
Total Rs	1 00 000

Calculate the amount of income tax payable by the firm for the year 1965 66, and the amount on which the partners are entitled to get rebate of income tax in their individual assessment · Assume that the partners have no other income

Solution

Firm's Assessment for 1965 66
Statement of Total Income

		Rs
1	Income from House Property	20,000
2	Income from Business	40 000
3	Income from other sources	40 000
	Total Income Rs	1 00,000

	Rs
Income tax on Rs 1,00,000	5 500
Add Surcharge @ 20 per cent of Rs 5,500	1,100
Total tax payable by the firm Rs	6,600

Calculation of amounts on which rebate of tax is to be given to each partner in his individual assessment

		Rs
A	⅓ of Rs 6,600	2,200
B	⅓ of Rs 6,600	2,200
C	⅓ of Rs 6,600	2,200
	Rs	6 600

The partners shall get rebate of income tax on the above amounts *in their respective assessments at the average rate* of income tax applicable to their respective total incomes

EXTRACTS FROM THE FINANCE ACT, 1964

Rates of Income tax

I In the case of every individual who is married and every Hindu undivided family whose total income does not exceed Rs 20,000

Slabs of total income	(a)* Rs	(b)* Rs	(c)* Rs	Rate
(1) First	3,200	3,600	4,000	Nil
(2) Next	1,800	1,400	1 000	6%
(3) Next	2 500	2,500	2 500	10%
(4) Next	5,000	5,000	5,000	15%
(5) Next	7,500	7,500	7,500	20%

(a)* Where the individual has no child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has no minor coparcener

(b)* Where the individual has one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has one minor coparcener

(c)* Where the individual has more than one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has more than one minor coparcener

II In the case of every individual who is not married and every individual or Hindu undivided family whose total income in either case exceeds Rs 20,000 and in the case of every unregistered firm or other association of persons or body of individuals whether incorporated or not, or every artificial juridical person

		Rate
(1)	On the first Rs 1,000 of total income	Nil
(2)	On the next Rs 4,000 of total income	6%
(3)	On the next Rs 2,500 of total income	10%
(4)	On the next Rs 5,000 of total income	15%
(5)	On the next Rs 7 500 of total income	20%
(6)	On the balance of total income	25%

Explanation (1) For the purposes of the above tables 'married individual' includes widows and widowers In addition, persons who have been married but whose marriages have subsequently been dissolved, are also included in married individuals', provided they have children to support

(2) In the above tables, Rs 1,000 is the personal allowance Rs 2,200 is marriage allowance Rs 400 per child upto a maximum of two children is children allowance, but the marriage and children allowances are available only if the total income does not exceed Rs 20 000

Minimum Taxable Limit For the purposes of the above tables, no income tax shall be payable on a total income which does not exceed the limit specified below

(i) Rs 6,000 in the case of every Hindu undivided family which as at the end of the previous year satisfies either of the following conditions

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than 18 years of age, or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family,

(ii) Rs 3 000 in every other case

Marginal Relief If the total income of the assessee referred to in the above tables just exceeds the minimum taxable limit or the total income of married individuals or Hindu undivided families just exceeds Rs 20,000 they are at a loss as compared to those whose total income is upto the aforesaid limits Hence, in order to do justice in such circumstances, marginal relief is given to the assessees, so that such assessees are not at a loss as compared to those whose total income is upto the aforesaid limits This marginal relief is as below

(i) The income tax payable shall in no case exceed half the amount by which the total income exceeds the minimum taxable limit

(ii) The income tax payable by an individual who is married or a Hindu undivided family whose total income exceeds in either case Rs 20,000 shall not exceed the aggregate of

(a) the income tax which would have been payable if the total income had been Rs 20,000 and

(b) half the excess of total income over Rs 20,000

Surcharge on Income tax

The amount of income tax computed at the aforesaid rates shall be increased by the following surcharge

(a) **In respect of Unearned Income** No surcharge is payable if the unearned income does not exceed Rs 10,000 Where it exceeds Rs 10,000 the surcharge shall be charged at the following rates

(i) In case of unearned income upto Rs 25,000, a surcharge @ 12½% on the amount of income tax on unearned income

(ii) In case of unearned income exceeding Rs 25,000 but not exceeding Rs 75,000, a surcharge @ 15% on the amount of income tax on unearned income

(iii) In case of unearned income exceeding Rs 75,000 a surcharge @ 17½% on the amount of income tax on unearned income

Marginal Relief In any case the surcharge on unearned income shall not exceed the aggregate of (i) surcharge payable if the unearned income had not exceeded the maximum amount of the preceding group, and (ii) 1/10th of the amount by which the unearned income exceeds the maximum limit of the preceding group Thus, surcharge on income tax in case of an unearned income of Rs 11,000 shall not exceed 1/10th of Rs 1,000 i e, Rs 100 as the surcharge on income tax on unearned income upto Rs 10,000 is nil and 1/10th of the excess of 1,000 is Rs 100 only Similarly surcharge on income tax in case of an unearned income of Rs 26,000 shall not exceed the aggregate of (i) surcharge on income tax on Rs 25,000 @ 12½% and (ii) 1/10th of Rs 1,000 (which is the excess of unearned income over the maximum amount of the preceding group)

For the purpose of calculating surcharge on income tax, unearned income is deemed to belong to the slab where the earned income ends and if the earned income ends with a particular slab the unearned income shall be deemed to belong to the next slab

(b) **In respect of Earned Income** Surcharge at 10% on income tax on the earned income in excess of Rs 1,00,000

Rates of Super-Tax

In the case of every individual, Hindu undivided family, unregistered firm or other association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person

	Rate
On the first Rs 20 000 of total income	Nil
,, next Rs 5 000 ,, ,,	10%
,, ,, Rs 5,000 ,,	15%
,, ,, ,, Rs 20,000 ,, ,,	30%
,, ,, ,, Rs 20,000 ,, ,, ,,	45%
On the balance of total income	50%

Surcharge on Super-tax

The rates of surcharge on super tax are the same as in the case of surcharge on income tax with the only difference that for the purposes of the marginal relief 1/8th should be substituted for 1/10th